राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 44 वां दिवस [संख्या 24

गुरुवार, दिनांक 15 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, सिंचाई, राजस्व, श्रम, देवस्थान, विद्युत, उद्योग, उपनिवेशन, खनिज, अकाल सहायता विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

हैड कान्स्टेबल के आश्रितों को पेन्शन

509. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि श्री लखसिंह हैड कान्स्टेबल पुलिस लाइन, बाड़मेर ए.पी. सन् 1960 में डाकुओं से मुकाबला करते हुए मारा गया था ?

(2) क्या उसकी मां को जो पूर्णत: श्री लखसिंह पर आश्रित थी अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई पेन्शन दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमन्त्री) : (1) जी हां। परन्तु सन् 1960 में नहीं बल्कि सन् 1961 में।

(2) जी नहीं। मृत लखसिंह के पीछे केवल उसकी माता है जिसको पेन्शन देने का नियमों में प्रावधान नहीं था। अब संशोधन हो गया है व अब यह मामला ए.जी. के पास विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : नियमों में कब हुआ यह संशोधन ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन : यही तो कहना चाह रहा हूं कि इतना लेट हो गया है कि दस साल बाद अगर मिली पेन्शन और वह माता भी मर गई तो किस काम आवेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले नियम नहीं बने थे, अब बने हैं तो ए० जी०

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के आफिस में है केस। उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेगी।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा जल्दी कर दीजिये।

अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

510. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान में अब तक कितने आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों को रिटायरमेन्ट की आंयु अवधि पूर्ण करने के बाद राज्य सरकार द्वारा एक्सटेन्शन दिया गया है ? कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अधिकारी द्वारा प्रार्थना करने पर ही एक्सटेन्शन दिया जाता है, या राज्य सरकार स्वयं भी एक्सटेन्शन दे सकती है ?

(3) ऐसे कितने केसेज हैं जिनका राज्य सरकार ने स्वय ने एक्सटेन्शन दिया है व ऐसे कितने हैं जिनमें अधिकारियों ने एप्लाइ किया हैं ? कृपया नामों की पृथक् २ सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य सरकार एक्सटेन्शन देते समय क्या आधार रखती है ?

उपमन्त्री सामान्य प्रशासन : (श्री गंगाराम) (1) किसी भी आई. ए. एस. या आर. ए. एस. अधिकारी की 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति आयु के पश्चात् सेवाकाल में वृद्धि नहीं दी गई।

(2) मद 1 के उत्तर के पश्चात् प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि 58 के लिये एक्सटेन्शन देना यह सरकार के डिस्क्रिशनरी पावर में है ?

श्री गंगाराम : जी हां।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : 55 वर्ष के बाद स्क्रुटिनी की जाती है और रिकार्ड से एडवर्स एन्ट्रीज अगर उसकी सर्विस कैरियर में न हो और बिलो एवरेज न हो तो उसको एक्टेन्शन दे दिया जाता है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि 58 के बाद में भी ऐसे अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेश के विपरीत राजस्थान सरकार ने कई स्टेचूटरी बोर्ड में या फर्म में राजस्थान का प्रतिनिधि होना चाहिये इसलिये नियुक्त किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न केवल एक्सटेन्शन से सम्बन्धित था। कान्ट्रेक्ट या रिएम्प्लायमेन्ट पर नियुक्ति की गई हैं, यह अलग प्रश्न है।

(प्रश्न संख्या 511)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल शाह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

Page No. 3

(प्रश्न संख्या 512)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ ।

जोधपुर में हत्या एवं बलात्कार के मामले

514. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) जोधपुर में गत तीन माह में हत्या बलात्कार, तथा आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुईं ?

(2) इन घटनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमन्त्री):

(1) जोधपुर में गत तीन माह में (1. 2. 67 से 30. 4. 67 तक) हत्या की 6 और आत्म हत्या की 3 घटनाएं हुईं । बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई ।

(2) इन घटनाओं के सम्बन्ध में हत्या की चार घटनाओं के अनुसन्धान के पश्चात् अदालत में धारा 512 जा०फो० में चालान प्रस्तुत किये गये और अपराध अभी अनुसन्धान में पुलिस के पास विचाराधीन है । आत्म हत्या की 3 घटनाओं में धारा 174 जा. फो. की कार्यवाही की गई ।

श्री रामकिशन : आत्महत्या के कारण क्या थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास: दोनों औरतों ने पुरानी बीमारी के कारण किया और एक लड़के ने परीक्षा में असफल होने के कारण यह अपराध किया ।

(प्रश्न संख्या 515)

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रधान चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

516 **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : (हवा महल जयपुर) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रधान चिकित्सकों के प्राइवेट प्रेक्टिस के लिये कोई नियम बने हुए है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार प्राइवेट कन्सल्टेशन पर कोई सीलिंग करने का इरादा रखती है ?

राव श्री धीरसिंह : (उप स्वास्थ्य व चिकित्सा मन्त्री) इस चिकित्सालय के चिकित्सक व राजस्थान के अन्य चिकित्सक चिकित्सालय के कार्यकाल (वर्किंग आवर) के पश्चात् प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकते हैं जिसके लिये राज्य सरकार ने समय समय पर आदेश जारी किये हैं ।

जी नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न तो यह है कि वर्किङ्ग आवर के अलावा है या वर्किङ्ग आवर के अन्दर भी प्राइवेट प्रेक्टिस पर जाने की इजाजत है ?

राव श्री धीरसिंह : वर्किंग आवर में तो फ्री करते हैं। बाद में ही जा सकते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में। फिर यह सब सरकार को इन्स्ट्रक्शन के मुताबिक है। रेट भी प्रेस्क्राइब कर रक्खी हैं। आप चाहें तो रेट भी बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : रेट का पूछा ही नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 517।

श्री अध्यक्ष : वेरी प्रोम्प्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रकार की प्रैक्टिस के परिणामस्वरूप इमरजेन्सी के जो केस आते हैं वर्किङ्ग आवर के बाद भी तो उसमें वे उनको अटेण्ड नहीं करेंगे ?

राव श्री धीरसिंह : सीरियस केस आ जावें तो वर्किंग आवर में वर्किंग आवर वाले डाक्टर करेंगे, बाद में जिनकी ड्यूटी हैं वह करेंगे। और उनसे हो कराना हो तो फीस देनी पड़ेगी। अस्पताल में उसका इलाज करेंगे तो ड्यूटी में आ जाता है इसके बाद अलग से और डाक्टर को कोई बुलाता है तो फीस देनी होती है। फीस सब प्रस्क्राइब्ड हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि जो डाक्टर प्राईवेट प्रेक्टिस करते है वह प्राईवेट प्रेक्टिस की वजह से सुबह और शाम जो उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं उसमें लेट आते हैं। और जल्दी चले जाते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : इस प्रकार की बात हमारी नालेज में नहीं आई है। अगर आप कोई ऐसा केस बतायें तो इन्क्वायरी कर सकते है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री प्रद्युम्नसिंह.

सेपऊ ग्राम के निकट पार्वती पर बांध का निर्माण

517. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार ने धौलपुर उप-जिले में सेपऊ ग्राम से छः मील ऊपर की ओर पार्वती नदी पर वर्तमान बांध के अतिरिक्त एक और बांध बनाने के लिए सर्वे कराया था ?

(2) यदि हां, तो उस सर्वे के अनुसार बांध बनाने पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है तथा उससे कुल कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ?

(3) क्या सरकार का विचार इस बांध को बनाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री सिंचाई (श्री मनफूल सिंह):

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) प्रस्तावित बांध पार्वती के कमाण्ड में आता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का अब कोई इरादा सर्वे कराने का है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जिस बांध का आप कह रहे हैं वह मौजूदा नहर के कमाण्ड में आता है तो सर्वे से क्या अर्थ निकलेगा।

श्री रामकिशन : तो इसका सर्वे किया गया है?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं।

श्री रामकिशन : सर्वे हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कृपा करके यह पता लगायें कि सर्वे हुआ है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि कोई सैम्पल सर्वे हुआ होगा जिसको हम पूरी तरह से सर्वे नहीं कह सकते। क्योंकि यह एरिया देखने से ही उसके कमाण्ड में आता है तो पूरी तरह से सर्वे कराने का कोई अर्थ नहीं है। जो आप प्रोपोज कर रहे हैं वह एरिया उस पार्वती के पहले बांध के कमान्ड में ही आता है और वहां तक पानी जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : पोजीशन यह है कि जैसे पार्वती का बांध है वह पूरा भर जाता है उसके बाद में उस नदी में ओरीजिनल कोर्स में जो पानी जाता है वह व्यर्थ में जाकर कालीसिंध में जाकर गिर जाता है और इतना पानी बहता है कि 10 महीने पानी चलता ही रहता है चाहे जैसी स्थिति क्यों न हो। बांध तो आप बनायेंगे उससे नीचे 14 मील पर दूसरा बांध सेपऊ में बन जाये तो टेल पर वैसे ही पानी नहीं आता और सेपऊ तक पानी नहीं आता तो यहां पर ओरीजिनल बांध का निर्माण हो जाये तो उसके बारे में सर्वे हुई है कृपा करके मंत्री महोदय इसको देख लें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको उत्तर के रूप में स्पष्ट कर दिया गया कि सेपऊ का जो एरिया है वह पार्वती के मौजूदा नहर के कमान्ड में आ जाता है और वह जब उसको इर्रीगेट कर सकता है तो नीचे बांध रह जाता है क्या ? अगर जैसा आप बता रहे हैं ऐसी कोई स्थिति है तो फिर से देख लिया जायेगा कि उसकी फिजीबिलिटी है क्या ? वैसे फिजीबिलिटी तो है लेकिन उसकी उपयोगिता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री केसरी सिंह

केशवरामजी के मन्दिर (बूंदी) की मरम्मत

518. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बून्दी स्थित केशवराम जी के मन्दिर में चारभुजा के मन्दिर के खम्बे को टूटे कितने साल हो गये हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस की रिपोर्ट विभाग द्वारा कमिश्नर को की गई है और जनता पाटन ने भी सरकार को लिखा है ?

(3) क्या इस खम्बे की व छत की मरम्मत कर दी गई है।

(श्री केसरीसिंह)

(4) क्या यह सत्य है कि अगर मरम्मत नहीं कीगई है तो बारिश में छत के गिरने का पूर्ण अंदेशा है और इसके कारण प्राचीन प्रतिमा को खतरा है ।

(5) यह मन्दिर कितना पुराना है। क्या इसको राजस्थान सरकार पुरातत्व विभाग को सुपुर्द करने का इरादा रखती है ताकि इस ऐतिहासिक मदिर को नष्ट होने से बचाया जा सके ?

देवस्थान मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) (1) खम्बे का ऊपरी हिस्सा गत वर्ष क्रेक हो गया था ।

(2) जी हां, जनता द्वारा सरकार को लिखने की जानकारी नहीं है ।

(3) जी हां ।

(4) मरम्मत हो चुकी है। प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

(5) यह मन्दिर 16 वीं शताब्दी का बना हुआ है इसकी उचित देखरेख सरकार द्वारा हो रही है । पुरातत्व विभाग को देने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री केसरी सिंह : क्या यह सच है कि जनता द्वारा और विभाग द्वारा रिपोर्ट करने पर भी काफी अर्से तक वह खम्बा गैर मरम्मत पड़ा रहा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ज्यों ही सरकार के नोटिस में आया इसके लिते 5000 रुपये की धनराशि स्वीकृत करके इसकी मरम्मत फरवरी 67 में करा दी गयी ।

श्री केसरी सिंह : वक्तन फे वक्तन इसकी मरम्मत नहीं होती है । यह काफी प्राचीन मन्दिर है, ऐतिहासिक मन्दिर है फिर इसको सरकार क्यों नहीं पुरातत्व विभाग को दे देती है ताकि इसकी पूरी निगरानी हो सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक देवस्थान का सवाल है पुराना मन्दिर है यह बिलकुल ठीक है लेकिन इसका इन्तजाम देवस्थान विभाग के अण्डर में है और देवस्थान विभाग में सभी मन्दिरों की मरम्मत के लिये प्रावधान किया जाता है। 5 हजार का प्रावधान पहले मरम्मत के लिये किया जा चुका है और इस साल भी 2000 रु० का प्रावधान है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि इसकी प्राचीनता के आधार पर इसको पुरातत्व विभाग को दिए जाने में कोई आपको आपत्ति हो सकती है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पुरातत्व विभाग में तो इसकी बिल्डिग ही जा सकती है लेकिन जो मूर्ति है और दूसरी चीजें हैं, पूंजी है, फिर मन्दिर का इन्तजाम है यह कैसे जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बृज बल्लभ ।

रामपुरा तालाब टूटने से फसल को हानि

श्री बृजबल्लभ (दीगंद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में ग्राम रामपुरा का

(श्री बृजबल्लभ)

तालाब जिसमें चम्बल प्रोजेक्ट की राइट मेन केनाल का पानी जाता है 1 जनवरी सन् 1966 को टूट गया ? यदि हां तो उसके पानी के बहाव से कितने बीघों की फसलों को नुकसान पहुंचा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पानी के बहाव से हुए फसलों के नुकसान का भुगतान राज्य सरकार ने आज दिन तक भी नहीं किया ? यदि हां, तो विलम्ब होने का क्या कारण है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, 163 बीघा भूमि की फसलों को ।

(2) जी हां, तखमीने की स्वीकृति होना बाकी है जिसके लिए शीघ्र ही व्यवस्था की जा रही है । शीघ्र कार्यवाही पूरी कर भुगतान कर देने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट. श्री देवीदत्त गाड़िया ।

बारां उप-जिले में डाके

520. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां उप जिला क्षेत्र में सन् 1964, 65, 66, 67 में प्रति वर्ष किस किस स्थान पर कितने कितने डाके पड़े और उसमें डाकुओं द्वारा किस किस व्यक्ति के घर से कितने रुपये का माल लूट कर ले जाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त चार वर्षों में किस किस व्यक्ति को डाकुओं द्वारा उठाकर ले जाया गया था तथा किस किस व्यक्ति की हत्या की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने कई बार ऐसी सूचना राज्य सरकार को दी थी कि शाहबाद क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की डाकुओं के साथ सांठ गांठ है ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान के एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी द्वारा डाके से सम्बन्धित शाहबाद क्षेत्र का दौरा किया गया था और उसके दूसरे रोज उस क्षेत्र में डाका पड़ गया ?

(5) यह भी बतलाया जाय कि उक्त चार वर्ष में पड़ी डकैतियां व डाकुओं द्वारा उठाये गये व्यक्तियों में से राजस्थान पुलिस ने कितने व्यक्तियों को जिन्दा या मुर्दा छुड़ाया व कितनी डकैती का माल बरामद किया तथा कितने डाकुओं को जिन्दा या मुर्दा पकड़ा ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई ।

(4) यह सही नहीं है कि पुलिस अधिकारी के दौरे के दूसरे रोज ही उस क्षेत्र में डाका पड़ गया ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(5) सन् 1964 की तीन डकैतियों का माल बरामद किया। बाकी वर्षों में काफी प्रयत्नों के बावजूद माल बरामद नहीं हो सका। सन् 1964 में 20 डकैत गिरफ्तार किये गए। सन् 1965 में 11 डकैत गिरफ्तार किये गये एक मारा गया। सन् 1966 में 5 डकैत गिरफ्तार किए गये। 1 मारा गया। सन् 1967 में कोई डकैत गिरफ्तार नही हुआ और न मारा गया। जिन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा जिन्दा या मुर्दा छुड़ाया गया उनकी सूचना सूची के कोष्टक 6 में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ठ सख्या 1 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि मार्च 67 के अन्दर जयपुर से आकाशवाणी ने यह घोषणा की थी कि शाहबाद क्षेत्र के डाकू श्री अनारसिंह राजस्थान पुलिस द्वारा मारे गये ?

श्री अध्यक्ष : आकाशवाणी।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है अभी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डाकू मारा गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मैंने लिस्ट दी है इसमें आप देखिये। आपको कालम 6 के अन्दर सब मिलेगा।

कौन से डाकू के लिए पूछ रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अनारसिंह

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो मारे गये और गिरफतार किये गये उनके नाम इस समय नहीं हैं। माननीय सदस्य ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए सवाल नहीं पूछा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया है सब अधूरा है। मार्च 67 के अन्दर आकाशवाणी के द्वारा यह घोषणा हुई कि शाहबाद क्षेत्र का डाकू अनारसिंह राजस्थान की पुलिस से मारा गया और राजस्थान के जनसम्पर्क कार्यालय ने समाचारपत्रों को सूचना दी और बड़े बड़े अक्षरों में आया और राजस्थान के गृह मंत्री यह कहते है कि मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए में निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न का स्थगित कर दिया जाये और इसकी सही जानकारी दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आपकी (श्री देवीदत्त गाड़िया) सूचना के अनुसार मारा गया या नहीं

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं उसके बाद में पूछना चाहता हूं। लेकिन राजस्थान के आल इन्डिया रेडियो ने इस सूचना को प्रसारित किया था।

श्री अध्यक्ष : आप उसको मारा जाना मानते हैं या नही ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं नहीं मानता हूं। वह मारा गया जरूर लेकिन राजस्थान की पुलिस द्वारा नहीं मारा गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अभी और दूसरे तो पूछ लो।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो पूछा था वह जवाब दे दिया। आकाशवाणी का पूछते तो आकाशवाणी की सारी प्रोसीडिंग्स मंगाकर देखता और फिर बता सकता था कि क्या है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैने पूछा है कि 67 के अन्दर कोई डाकू मारा गया है आप कहते हैं कि कोई नहीं मारा गया........

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न और पूछ लीजिए।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि सन् 65 के अन्दर खण्डेले के अन्दर डाकुओं द्वारा हैड–कान्सटेबुल श्री शोभाग सिंह मारा गया राज्य सरकार ने क्या उसके बालबच्चों को परवरिश के लिए कोई सहायता दी है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह बिल्कुल डिफरेन्ट सवाल है। मैं इसका कैसे जवाब दूंगा

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूछिये

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, क्या कोई ऐसा डाकू है जो एम.एल.एज. को उठा कर इधर से उधर करता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि 25–11–66 को तहसील शाहाबाद के बसाखेड़ा के अन्दर डाका पड़ा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो माननीय सदस्य को लिस्ट दी है उसमें आप देख लीजिये। उसमें 1966 में जो डकैतियां पड़ीं वह दर्ज हैं कि किस किस गांव में डकैती पड़ी, किस किस के यहां पड़ी। 1966 के अन्दर ग्राम रामनगर, गोबरा हाडोपुरा, गाला ग्राम, बरवा ग्राम, वाहन टोहरी, ग्राम कुन्डा, बीलखेड़ा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय 25–11–66 को बसाखेड़ा ग्राम के अन्दर डाका पड़ा। कल पुलिस की मांग पर कट मोशन मैंने रखा था, उसमें बताया था कि 17 डाकू आये और उन डाकुओं ने उन दोनों आदमियों को लूटा और मार-पीट करने के बाद जब वह बेहोश हो गये तो घर में बन्द करके जला दिया। पुलिस ने उन 17 डाकुओं को पकड़ा, राजस्थान का गृह मन्त्री यह कहता है, यह कहते हैं.....

श्री अध्यक्ष : आपने अच्छा किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कि कोई डाकू नहीं पकड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई डाकू नहीं पकड़ा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कब कह रहा हूं कि नहीं पकड़ा गया। मैंने आपको लिस्ट दी है, उसके अलावा आप कोई एडीशनल डिटेल बताते हैं तो आप बता दीजिए, मैं उसकी जानकारी कर लूंगा। इस सदन की मेज पर मैंने जो लिस्ट रखी है वह आपको मिल गई है, उसके अलावा कोई एडीशनल डकैती बताते हैं इन डकैतियों के अलावा कोई और डकैती हुई है, एक हुई है, चार हुई है तो उसकी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सूचना आप मुझे दे दीजिये । मैं उसकी जानकारी कर लूंगा या फिर आप अलग से सवाल सीधे पूछे कि फलां दिन फलां गांव में डकैती हुई या नहीं तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपने अपने प्रश्न में पूछा कि 1965 में कितनी डकैतियां हुई। उसके उत्तर में मैंने आपको सूची दे दी है। अब आपको जानकारी में और कोई डकैतियां हुई हैं तो महरबानी करके आप मुझे उनकी डिटेल्स दे दीजिये या फिर अलग से सवाल पूछिये। आप मुझ से यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो इन्फार्मेशन इस वक्त मेरे पास है उसके अलावा और इन्फार्मेशन मैं आपको दे सकूं। यदि आपके पास कोई डिटेल्स हैं तो आप मुझे दे दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी से जो मैंने प्रश्न पूछा है उसमें मैंने पूछा है कि 1964 से 1967 तक प्रति वर्ष किस किस स्थान पर कितने कितने डाके पड़े और उनमें कितना कितना माल ले गये।

श्री अध्यक्ष : सूची में यह नहीं है कि कहां कहां डकैतियां हुई ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने कल प्रश्न उठाया था, तब कहा था कि माननीय गृह मन्त्री आपसे तथ्य लेकर उनका समाधान करेंगे। कल का और आज का प्रश्न बराबर हो जाता है, आज का प्रश्न भी उसमें समाहित हो जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जो डकैत जिस व्यक्ति को उठा कर ले गये थे और वह व्यक्ति वापिस आया, तो वह व्यक्ति डाकुओं को पैसा देकर उनसे अपना पीछा छुड़वा कर आया है या राजस्थान पुलिस ने उसको छुड़वाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य देखेंगे कि कालम छः में लिखा है—जिन्दा वापिस आया। इसका मतलब है कि पुलिस नहीं लाई खुद आया है। अब कैसे आया है, पैसा देकर आया—यह मैं नहीं कह सकता। हमारे पास यह इत्तला नहीं है। जो मेरे पास सूचना थी वह मैंने आपको दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द लाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न और अध्यक्ष महोदय, 1964 में हजारी लाल छीपा, जिसके यहां डकैती पड़ी थी, उसके यहां डकैती किस ने डाली थी ? कौन डाकू था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना नहीं है कि कौन डाकू था। मैंने आपको कहा कि जिन डकैतियों के डाकू गिरफ्तार हुए हैं या मर गये हैं—उनके नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नन्द लाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट। यह जो छीपा हजारी लाल है, इसको राजस्थान की आर०ए०सी० बटेलियन ने लूटा है और

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसका केस चला और आज भी वह सेशन जजी में चल रहा है। आपने यह नहीं बताया कि कितने डाकू पकड़े गये और किसने डकैती डाली। मैं आपको कह रहा हूं कि इसको दबाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री नन्द लाल !

ग्राम गणेशपुरा के निकट निर्मित तालाब से सिंचाई

521. **श्री नन्द लाल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि तहसील शाहबाद के ग्राम गणेशपुरा के निकट राज्य सरकार ने एक तालाब सिंचाई के लिये बनवाया है तथा नहर व खुरे बन चके है ? यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

(2) इस तालाब को बने कितना समय हो चुका है ?

(3) इस तालाब से अब तक कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई की गई ? तथा अब तक सरकार को सिचाई से कितनी आमदनी हुई।

उप मन्त्री सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) : जी हां, (1) लगभग 28036 17 रु०।

(2) इस तालाब का कार्य 64-65 में पूरा हुआ।

(3) यह तालाब 2500 एकड़ से कम सिंचाई करने वाला होने के कारण इसकी सिंचाई का इन्द्राज रेवेन्यू विभाग द्वारा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

प्रश्न संख्या 523

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आ पाया है इसलिए इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित कर दिया गया।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : 522 रह गया।

श्री अध्यक्ष : ले लूंगा। अभी ले लूंगा।

श्री रामकुमार।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, 522।

श्री अध्यक्ष : मैं ले लूंगा।

गम्भीरी बांध के क्षेत्र में आवंटन

524. **श्री रामकुमार** (सपोटरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गम्भीरी बांध जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत कमाण्ड

Page No. 12

(श्री रामकुमार)

एरिया में काफी भूमि काबिल काश्त पड़ी है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि काबिल काश्त है जिस पर सिंचाई की जा सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि गम्भीरी बांध के कमाण्ड की भूमि का अलॉटमेंट किए जाने के आदेश राज्य सरकार से हो गए हैं ? यदि हां तो इसकी प्रीमियम क्या रखी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि गम्भीरी कमाण्ड की भूमि को रेट तय कर दी गई है ? यदि हां; तो फिर अलाटमेंट क्यों रोक रखा है ?

(4) क्या यह सही है कि यदि पिछले साल यह अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो इससे उत्पादन में काफी बढोतरी होती तथा गम्भीरी के पानी का भी पूरा पूरा उपयोग होता ?

(5) क्या इस वर्ष इस भूमि का अलाटमेंट कर दिया जावेगा ? क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि अलाटमेंट न होने से राष्ट्र को तथा राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां गम्भीरी बांध के कमांड एरिया 1071 एकड़ भूमि तहसील निम्बाहेड़ा ताल्लुक और 2022 एकड़ भूमि तहसील चित्तौड़गढ़ ताल्लुक है जो जुमले 3093 एकड़ भूमि काबिल काश्त है। इस भूमि में से केवल 600 एकड़ भूमि तहसील निम्बाहेड़ा में और 1055 एकड़ भूमि तहसील चित्तौड़गढ़ में ऐसी है। यहां नहरों द्वारा पानी पहुँच सकता है।

(2) जी हां ! प्रीमियम की शरह निम्न प्रकार है:--

प्रथम श्रेणी	250	रु.	प्रति बीघा
द्वितीय श्रेणी	200	रु.	,, ,,
तृतीय श्रेणी	175	रु.	,, ,,
चतुर्थ श्रेणी	150	रु.	,, ,,

(3) सूचना कालम 2 में दी जा चुकी है। लगान की शरह तय करना विचाराधीन है।

(4) जी हां यह सही है कि यदि पिछले साल या इससे अलाटमेंट कर दिया जाता तो उत्पादन में वृद्धि होती किन्तु पिछले वर्ष गम्भीरी बांध के जलाशय में जितना पानी भरा था उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया था और आसामियान की मकबूजा जमीनों को पानी दिया गया था।

(5) लगान की दर निश्चित करने का विषय विचाराधीन है। तय होने पर इस वर्ष अलाटमेंट कर दिया जायेगा। प्रीमियम की दर तय होने के पश्चात् मिसलों में मौके की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। अलाटमेंट करने अथवा न होने की सूरत में राज्य सरकार को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकुमार : क्या कलेक्टर्स को अधिकार नहीं है या राज्य सरकार के आदेश नहीं है कि लगान की दर तय न कर दी जाय तब तक नहीं किये जा सकते !

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जब तक रेंट तय नहीं हों तब तक कलैक्टर नहीं कर सकते। रेट जल्दी हीं तय कर दी जायगी।

श्री रामकुमार : हजार डेढ़ हजार बीघा जमीन बिना अलाटमेंट के पड़ी है बांध के नीचे, क्या इससे राज्य सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने निवेदन किया कि लास्ट ईअर जितना पानी था उसका उपयोग कर लिया गया। इस वर्ष अलाटमेंट कर दिया जायगा। विदिन फ्यू वीक्स कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गगासहाय !

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) चिकित्सालय में डाक्टर

522. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की डिस्पेंसरी से डाक्टर का स्थानान्तरण हुए छः माह हो चुके है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त डिस्पेंसरी में दूसरा डाक्टर अभी तक नहीं आया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेंसरी में डाक्टर के न होने से रोगी जनता की कठिनाई बढ़ी है ? यदि हां, तो जनता की कठिनाई दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उप मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीर सिंह)- (1) जी हां। डा. बी. एन. कुन्दु जो राजकीय डिस्पेंसरी लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में दिनांक 1-7-65 से कार्य कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण संचालनालय के पत्र क्रमांक ई.सी. ए. एसाए. टी। 309 दिनांक 28-7-66 को किया गया था वहां से यह कार्य भार से मुक्त दिनाक 3-8-66 को हुए।

(2) जी हां। डाक्टरों के अत्यन्त अभाव के कारण दूसरा डाक्टर नहीं लगाया जा सका है।

(3) ज्यों ही डाक्टर उपलब्ध होगा तुरन्त लगा दिया जायेगा।

श्री गंगासहाय : यह उपलब्ध कब तक हो जायगा, यह बता दीजिये। अवधि बता दीजिये।

राव श्री धीर सिंह : ऐसा है कि मैडीकल कालेज में जो स्टडी करते हैं उनसे एक बाण्ड लिखाते हैं कि राजकीय सेवा के लिए वह बाध्य होंगे। अब वह नहीं आ रहे है तो उनके बाण्ड को ला डिपार्टमेंट से एक्जामिन करा रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कार्यवाही की जायगी। कुछ लोग हाउस जाब करने के लिए लग जाते हैं उनको टाइम देना पड़ता है। अभी हमारे यहां 716 डाक्टर की शार्टेज चल रही है। वैसे बाण्ड के मुताबिक उनको आना चाहिए, अब क्योंकि वह नहीं आते हैं तो उनके बाण्ड को ला

Page No. 14

(राव श्री धीरसिंह)

डिपार्टमेंट से एक्जामिन होने के बाद जल्दी से जल्दी कम्पेल करेंगे कि वह राजकीय सेवा में आयें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आपने डिस्पेंसरी का कैटेगराईजेशन कर रखा है कि इस कैटेगरी की डिस्पेंसरी में अनिवार्य रूप से डाक्टर रहने चाहिए ?

राव श्री धीर सिंह : डिस्पेंसरी में भी रहने चाहिए और हास्पीटल में भी रहने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं सिद्धान्त की बात नहीं पूछ रहा हूं।

राव श्री धीर सिंह : लेकिन डाक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

श्री विजय सिंह : क्या यह बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष : श्री भैरों सिंह !

श्री भैरों सिंह : किस प्रकार की डिस्पेंसरी, या किस प्रकार के हास्पीटल में डाक्टर रहेंगे—आपने ऐसा क्या कोई डिस्पेंसरीज का कैटेगराइजेशन किया है और जहां डाक्टर नहीं हों वहां पर कम्पाउन्डर्स काम कर लें।

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास): जो डिस्पेंसरी आम तौर पर नई खुलती है वह डिस्पेंसरी या पब्लिक हैल्थ सेन्टर चलते हैं, या जो सी क्लास की डिस्पेंसरी है उनके लिए इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाता है कि डाक्टर वहां पहुंचना चाहिए। बड़े हास्पीटल्स हैं उनमें डाक्टर्स की स्ट्रेन्थ में कमी की जाने की कोशिश की जाती है वह करके गांवों में भेज सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने परसों बताया था कि 750 डाक्टर की हमारे यहां कमी है....

श्री भैरों सिंह : वह सवाल नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास : इसलिए कैटेगराइजेशन करना मुश्किल है। अभी तक कभी कभी डाक्टर दवाखाने में नहीं होते हैं और कभी कभी होते हैं। यह रोटेशन मजबूरी की हालत में करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे पास में डाक्टर्स नहीं हैं वैसे हमने यह किया है कि ए क्लास कम्पाउन्डर्स वहां पर रहें ताकि जनता को मामूली दवा आदि वह दे सकें।

श्री भैरों सिंह : क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि कुछ डिस्पेंसरी और हास्पीटल्स के बारे में यह निर्णय कर लें कि इनमें डाक्टर्स निश्चित रूप से होंगे। अब पुराने हों, नये हों या पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स से अटेच्ड हों, बाकी के लिए कर लें कि डाक्टर जैसे जैसे अवेलेबल होंगे वैसे वैसे पोस्ट किये जायेंगे, तब तो जो पब्लिक का आज ग्रीवियेन्स है वह खत्म होगा। नहीं तो एक डिस्पेंसरी में भेजेंगे, फिर वहां से हटा लेंगे और दूसरी में छः माह के लिए भेज देंगे। यह ठीक नहीं है। यदि कुछ में डाक्टर रहेंगे तो यह हो जायगा कि इन डिस्पेंसरी में तो डाक्टर रहेंगे ही।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसका एक दम जवाब देना तो मेरे लिये मुश्किल है मगर देखते हैं कि एक डिस्पेन्सरी. को हमेशा के लिये डाक्टर का प्रबन्ध कर दिया जावे और दूसरी में हमेशा डाक्टर नहीं रहे इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि एक क्लास की कई डिस्पेन्सरीज हैं। हम यह चाहते हैं कि सबके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : कम से कम उप जिला हैडक्वार्टस में तो रहना चाहिये या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सुझाव मेरे पास पहले से ही आया हुआ है।

श्री विजयसिंह : डाक्टर लोग क्वालिफाइड होने के बाद में राजस्थान में सर्विस नहीं करते हैं इसका कारण क्या है इसकी फरफ भी आपने ध्यान दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने मैडिकल डिमान्ड के समय सारी बातें बताई थी कि कितने डाक्टर आये कितने हाउस सर्जन में चले गये। बहुत कम तादाद में बाहर गये हैं। इसके अलावा मैंने यह भी बताया कि डाक्टरों की हमारे यहां कमी है। और फेमिली प्लानिंग के कारण और भी मांग बढ़ रही है। जैसा आपका खयाल है कि ये स्केल की वजह से जाते हों ऐसी बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट के कारण चले जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि डाक्टरों की दरख्वास्तें पेन्डिग में पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तारा नगर कस्बे के मोहल्ला रेगरान आदि में बिजली

525. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) (यह प्रश्न उनकी अनुपस्थिति में श्री चुनीलाल द्वारा पूछा गया) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) कस्बा तारानगर (तहसील तारा-नगर) में मोहल्ला भंगियान, रेगरान व चमारान (ऐक्सटेन्शन वर्क) में बिजली कब किस के द्वारा स्वीकृत हुई, किसने कब मांग की और कब बिजली लगाकर रोशनी चालू की गई ?

(2) कस्बा सरदारशहर में गत जनवरी और फरवरी माह में किस किस मोहल्ले में में कब कब बिजली की लाइन लेजाई गई, इसको मांग किसने कब की थी ? स्वीकृति कब किसके द्वारा दी गई मांग का प्रार्थनापत्र और स्वीकृति से आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अब उपरोक्त नई बिजली लाइनों से रोशनी मिल रही है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : 1 जनवरी, 1967 को चीफ इंजीनियर कार्यालय द्वारा स्वीकृत हुई

Page No. 16

(श्री हरिदेव जोशी)

थी। समय समय पर हरिजन मोहल्लों के प्रतिनिधियों ने मांग की थी। इन मोहल्लों में बिजली दिनांक 14-2-67 को चालू की गई।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी है। प्रार्थनापत्र मय एक फार्म मय लिस्ट जिसने प्रार्थनापत्र आये संलग्न हैं। मांग की तिथी इसमें दी गई है। स्वीकृति की प्रतिलिपी साथ है।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल।

सवाई माधोपुर जिले में लड़कियों व औरतों के अपहरण के मामले

526 **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला सवाईमाधोपुर में गत वर्ष कितने मामले लड़कियों व औरतों को फरार करने के पकड़े गये थे ?

(ख) उपरोक्त मामलों में कहां पर कितने कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) उपरोक्त प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(घ) इन मामलों की संख्या अधिक होने के क्या क्या कारण हैं ?

गृहमन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) गत वर्ष में सवाईमाधोपुर जिले में चार लड़कियों की फरारी एवं इकतीस औरतों की फरारी के अपराध पकड़े गये।

(2) सवाई माधोपुर जिले में उपरोक्त मामलों में निम्नलिखित जगहों पर 48 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(1) मौजा टोडा ठंडली के जंगल में दो व्यक्ति।

(2) हिन्डोन में चार व्यक्ति।

(3) इलाका बसेड़ी में दो व्यक्ति।

(4) मोजा नगलां दो व्यक्ति।

(5) मोजा ओड, थाना पहुका पांच व्यक्ति।

(6) थाना सवाई माधोपुर चौदह व्यक्ति।

(7) मोजा बहतला थाना रवानना गूर पांच व्यक्ति।

(8) मोजा बंदोलिया थाना मारना डूंगर एक व्यक्ति।

(9) ग्राम महूकला थाना खंडार में एक व्यक्ति।

Page No. 17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(10) ग्राम घुरेडी थाना कला देवी में चार व्यक्ति ।

(11) ग्राम ठाकली थाना कलादेवी में 6 व्यक्ति ।

(12) कोटा में थाना करोली चार व्यक्ति ।

(3) इस प्रकार के मामलों में अभियोग पंजीबद्ध किये जाकर अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किये गये हैं जिसमें उन्हें उपयुक्त सज़ा दी जाकर आइन्दा के लिये ऐसा अपराध न करने की शिक्षा होगी ।

(4) सवाई माधोपुर में इन अपराधों की संख्या अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) मीने गूजरान की आबादी अधिक है जिनमें नाते का रिवाज प्रचलित हैं।

(2) शिक्षा का अभाव ।

(3) कम उम्र में शादी होना ।

(4) गरीबी एवं बेरोजगारी ।

श्री श्रवणलाल : आपने जैसा प्रश्न के उत्तर (4) में बताया कि एक कारण गरीबी एवं बेरोजगारी है तो क्या उनकी इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है । नेक्स्ट ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं । आये दिन इधर से उधर औरतों को और लड़कियों को उड़ाने से सम्बन्ध में वारदातें होती रहती हैं । ऐसा कोई गिरोह है जो इस प्रकार का कार्य करता है ?

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जबाब आ रहा है । गिरोह के सम्बन्ध में बतावें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि ऐसा कोई गिरोह बना हो सवाई माधोपुर में तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है । इसका कारण जैसा मैंने बताया कि नाते की प्रथा होने से, व जल्दी शादियें होने व अशिक्षित होने के कारण उनके मां बाप उनको नाते बिठला देते हैं इससे ये वारदातें होती है । इस प्रकार का कोई गिरोह या कोई ऐसा रोजगार करता हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई गिरोह हैं जो इधर उधर से लड़कियों को उड़ा कर दूसरी जगह ले जाते हैं और ऐसा धन्धा करते हैं । ऐसे कई केसेज हुए हैं जहां पर एक जगह से दूसरी जगह औरतों को बिठला दिया गया है और वहां से वे औरतें दो चार दिन रहकर जहां पर उनको रखा गया वहां उस व्यक्ति का पूरा माल हड़प करके चली गई ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री, आपसे और पुलिस से जानकारी कर लें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द): ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की वारदातें सारे राजस्थान में करीब करीब होती हैं क्योंकि ऐसी कोमें सब जगह है जो नाता करती हैं। पुलिस की निगाह में 366 363 से जो ये केसेज ताल्लुक रखते हैं, तो क्या इस प्रकार के लोग जो बार बार इस प्रकार के केसेज में मुजतला होते रहते हैं क्या पुलिस में उनको हिस्ट्री शीट करार क्यों नहीं दिया जावे।

श्री ग्रध्यक्ष : यह ग्रलग से प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : जो ग्रादमी एक दो दफे या तीन दफे इस प्रकार के जुर्मों में पकड़ा जावे तो सरकार को उसके खिलाफ तो कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। नैक्स्ट।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन है वह ग्रादमी ग्राप उसका नाम बतावें।

श्री ग्रध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 527

श्री जुझारसिंह !

(ग्रनुपस्थित कृपया ग्रागे देखें)

नैक्स्ट।

बिचून प्राइमरी हैल्थ सेंटर का भवन निर्माण

528. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बिचून के भवन निर्माण हेतु जनता की तरफ से दस हजार रुपया जमा कराया जा चुका है ? यदि हां तो भवन कब तक तैयार कराया जावेगा ?

(2) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बिचून में बजट के ग्रनुसार दवा, ग्रन्य चिकित्सा का साधन क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है ?

(3) क्या प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बिचून के सब सेन्टरों पर दवा व रोगउपचार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? ग्रब कब तक किया जावेगा ?

उपमंत्री चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (1) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बिचून के भवन के निर्माण हेतु जनता की तरफ से 10,000 रुपये दिनांक 31 - 10. - 63 को पंचायत समिति में जमा हो चुका है। शेष धनराशि राज्य सरकार से धनराशि के ग्रभाव में स्वीकृत नहीं हुई है। धनराशि उपलब्ध होते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(2) यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 20. 6. 66 से चालू हुग्रा है। ग्रत: 9 महीने का बजट दवाइयों के लिए 500) रु. ग्रौर इक्वीपमेन्ट के लिए 500) रु. स्वीकृत किया गया था जो ग्रपर्याप्त रहा। ग्रब सन् 1967-68, में दवाइयों के लिए 1000) रु. व 1000) रु. इक्वीपमेन्ट के लिए प्रावधान किया गया है।

(3) उप केन्द्र पंचायत समिति से भवन व्यवस्था होने पर चालू किया जा रहा है।

श्री सुवालाल चौधरी : वह सब सेन्टर है। अब मकान बना हुआ है आप तुरन्त चालू कर सकते हैं।

राव श्री घीरसिंह : उन स्थानों पर जहां भवन बने हुए थे वहां चालू कर दिया है। एक जगह पंचायत समिति ने चालू नहीं किया है। 8. 6. 67 से दो जगह चालू कर दिये हैं।

(प्रश्न संख्या 529)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट।

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि हेतु भूमि की नीलामी

530. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्षेत्र में सरकारी भूमि हर साल नीलाम होती है ?

(2) अगर हां, तो कम से कम व अधिक से अधिक कितना रूपया फी बीघा तक बोली चढ़ जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार की नीलामी से भूमिहीन काश्तकारों को भूमि नहीं मिलती है ?

(4) यदि नहीं, तो कितने भूमिहीनों को नीलाम कराने से भूमि मिली है ?

(5) क्या यह सही है कि भूमि नीलाम करने में जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं है ?

(6) क्या इस प्रकार अकेले सरकारी अधिकारी द्वारा भूमि नीलाम कराने से भ्रष्टाचार की सम्भावना रहती है ?

(7) यदि नहीं, तो हर साल कितना बीघा भूमि नीलाम होती है और कुल रकम कितनी होती है ?

(8) इस सरकारी भूमि की राज रेट कितनी है ?

(9) क्या यह सही है कि इस प्रकार से भूमि नीलाम करने से हजारों बीघा भूमि हर तहसील में बंजड़ पड़ी रहती है ?

(10) यदि हां, तो इस बंजड़ भूमि को भूमिहीनों को राज रेट पर क्यों नहीं दिया जाता है।

(11) क्या सरकार अधिक अन्न उपजाओ अभियान को सफल बनाने के लिए पड़त भूमि भूमिहीनों को राज रेट पर अलाट करने पर विचार करेगी ?

उप मंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) जी हां।

(2) हर साल हर तहसील के गांव व चक्का मुरब्बेदार नीलाम किया जाता

(श्री मनफूलसिंह)

है। माननीय सदस्य का किस साल विशेष एवं तहसील के आंकड़ों से भूमि का अभिप्राय है प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि नीलाम रकबा मालिकाना एवं राजस्व को मिला कर राज रेट से ऊपर किया जाता है। आज तक कुल औसत फी बीघा नीलामी में कम से कम 336 व अधिक से अधिक 615 रुपये अब तक हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) सालवार नीलामों में एक साला आदिकाश्त पर भूमि प्राप्त करने वालों की संख्या निम्नप्रकार है :

1963-64	4,427
1964-65	6 808
1965-66	6 980
1966-67	7,888

(5) जी यह सही है। राजस्थान आरजी काश्त नियमों में एडवाइजरी कमेटी का प्रावधान नहीं है।

(6) जी नहीं।

(7) सालवार उपनिवेशन विभाग राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के वास्तविक नियन्त्रण क्षेत्र जो भूमि नीलामी में दी गई है, उसके आंकड़े तथा उससे प्राप्त रकम के आंकड़े सलग्न है। (कृपया देखिये परिशिष्ट सं० 3)

(8) नीलामी में सरकारी भूमि का राज रेटः—बाराना भूमि 1) फी बीघा, राजस्व नहरी 4) रुपया फी बीघा राजस्व है।

9) जी नहीं।

(10) इसका प्रश्न ही नहीं उठता

(11) इसका प्रश्न ही नहीं उठता

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आइटम नं 2 में यह जो कीमत बताई गई है यह स्पष्ट नहीं है, बोली बहुत ऊंची होती है और कहीं कहीं बिलकुल रिजर्व कर दी जाती है, यह स्पष्ट नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

नं० 3 में क्या यह सही है कि इसमें बोली जो होती है, उसमें लोगों को बिलकुल अन्धेरे में रखा जाता है, सही जानकारी नहीं दी जाती है।

नं० 6 में यह कहा गया है....

श्री मनफल सिंह : आप एक एक प्रश्न पूछें मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : ....कि प्रश्न ही नहीं उठता तो इसमें स्थानीय लोगों से मिल कर अच्छी जमीन राज रेट पर दे दी जाती है, बोली नहीं लगाई जाती, बोली के लिये जो गरीब आते हैं तो जमीन की रेट बहुत बढ़ा दी जाती है, इसलिये इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है।

श्री मनफूलसिंह : बात यह है अध्यक्ष महोदय 2 में जो पूछा है यह सही नहीं है।

Page No. 21

(श्री मनफूलसिंह)

यह नीलाम की रेट दी गई है वह परसेंटेज निकाल कर दी गई है कम से कम 3 रू० 36 न. पै. और अधिक से अधिक 6 रू० 15 न. पै. दी है।

नं. 3 में पूछा है क्या यह सही है कि इस प्रकार की नीलामी से भूमिहीन काश्तकारों को भूमि नहीं मिलती है ? यह गलत है, । सबको भूमि मिलती है, सबके आंकड़े नीचे दिये है।

नं. 6 में पूछा है: क्या इस प्रकार अकेले सरकारी अधिकारी द्वारा भूमि नीलाम करने से भ्रष्टाचार की सम्भावना रहती है ? यह गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : 9 वें प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया है कि जमीनें बजड़ नहीं हैं। यह गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि रावतसर आदि गांवों में हजारों बीघा जमीन अभी बंजड़ पड़ी है, किसी को नहीं दी जा रही है जब कि मन्त्री महोदय का उत्तर है कि प्रश्न ही नहीं उठता यानि बंजड़ जमीन नहीं है।

श्री मनफूल सिंह : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कोई दूर का रहने वाला नहीं हूं, मैं वहां की एक एक इंच जमीन को जानता हूं, ऊंचे टीबों की जमीनें बंजड़ है खालों की जमीनें बंजड़ हैं, बाकी जमीनें बंजड़ नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज रेट पर आज भी लोग लेने को तैयार हैं, आपने कहा सही नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : इसकी नीलामी होती है, दूसरा नीलामी बोली देने वाला नहीं हो तो राज रेट पर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, आप सप्लीमेंटरी नहीं पूछने देते।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ प्रोफेसर पूछते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : एडवाइजरी कमेटी के द्वारा यह तय कराने में क्या दिक्कत है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा): एक साल के लिए आरजी जमीन दी जाती है, ऑक्शन होता है इसमें एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी ? परमानेन्ट के लिये सोच सकते हैं पर आरजी और ऑक्शन पर दी जाती है वहां एडवाइजरी कमेटी का सवाल नहीं आता।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो जमीनें पड़ी हैं उनको लेने के लिए लोग तैयार हैं। मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। इन जमीनों को बांटने की तजवीज की जाय। मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी।

Page No. 22

श्री मनफूलसिंह : अगर जमीनें पड़ी हैं, दूसरा बोली देने वाला नहीं है तो सरकारी रेट पर सरकार देने को तैयार है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : 11 वें का उत्तर दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता तो क्या यह सरकार का ढोंग मात्र है 'अधिक अन्न उपजाओ' एक तरफ तो जमीनें बंजड़ पड़ी हैं किसी को दी नहीं जाती हैं.........

श्री अध्यक्ष : श्री रावत ।

श्री विजयसिंह रावत : नं० 3 के उत्तर में कहा है जी नहीं । इसमें लिखा है कि क्या यह सही है कि इस प्रकार की नीलामी से भूमिहीन काश्तकारों को भूमि नहीं मिलती है ?

नीलाम पर भूमि दी जाती है तो सरकार कैसे मालूम करती है कि यह भूमिहीन है या भूमि सहित हैं ?

श्री मनफूलसिंह : यह हमारे पास रेकार्ड है ।

श्री विजयसिंह रावत : कैसा रेकार्ड है ? कैसे मालूम करते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : हमारे पास रेकार्ड है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : नीलामी में बड़ी गड़बड़ होती है आश्वासन दिया जाय कि कमेटी इसके लिए होगी या नहीं इस प्रकार की व्यवस्था होगी क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 531 ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका उत्तर नहीं दिया अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : फिर देंगे । श्री मदन सिंह ।

मैसर्स केमिकल लाइम्स, मूण्डवा को कर्ज

531. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नागौर जिले के ग्राम मारवाड़ मूण्डवा की फर्म मेसर्स केमीकल लाइम्स को आज तक कितने रुपये कर्जे के रूप में दिये गए और उनकी वसूली हुई है या नहीं; (1) अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि इस फर्म को मजदूरों के क्वार्टर बनाने के लिये भी रकम कर्ज के रूप में या अनुदान के रूप में दी गई है ? अगर हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि इस फर्म पर आज से कुछ समय पूर्व छापा मारा गया था और फर्म के बही पानड़े पकड़े गए थे ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि फर्म ने अपने यहां घाटा बताने और सरकारी रकम को अदा नहीं करनी पड़े इस गरज से अपनी फर्म को एक बैंक के पास मोरटगेज कर रखी है ?

खनिज मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सरकार द्वारा कोई कर्ज नहीं दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार के किसी विभाग ने इस फर्म पर कोई छापा नहीं मारा। भारत सरकार के सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी करीब 4 वर्ष पहले इस फर्म का रिकार्ड ले गये थे, लेकिन बाद में वापिस लौटा दिया गया क्योंकि उनमें कोई आपत्ति जनक बात नहीं पाई गई और उस केस को खारिज कर दिया।

(4) इस फर्म की कोई प्रापर्टी बैंक के पास मारटगेज नहीं है। उनकी जो कुछ प्रापर्टी वगैरह है वह बैंक के पास प्लेज की हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

कारें खरीदने हेतु अग्रिम

532. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान मिनिस्टर्स (एडवान्सेज फार परचेज आफ मोटर कार्स) रूल्स 1965 के अन्तर्गत किस किस मन्त्री व उप मन्त्रियों को कब कब कितना कितना रुपया एडवांस दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त एडवांस में से कितनी कितनी रकम वापिस जमा हुई है और कितनी बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) राजस्थान मन्त्री (मोटर कार क्रय हेतु अग्रिम) नियम 1965 के अन्तर्गत 7 मन्त्रियों व 3 उप मंत्रियों को 1 56,785 रुपये का अग्रिम स्वीकृत किया गया। मंत्रीवार तालिका संलग्न है।

(2) उपरोक्त अग्रिम में से 72,226.02 वापिस जमा हो चुका है और 84,558.98 रुपये की राशि ब्याज के अतिरिक्त बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है। मंत्रीवार तालिका सलग्न है।

(कृपया परिशिष्ठ संख्या 4 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इन नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व मन्त्रियों का रुपया कब तक जमा करा देना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस रोज अपने आफिस को रिलिन्क्विश करें।

श्री भैरोंसिंह : अब तक क्यों नहीं जमा कराया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसीलिये नोटिस दिये जा रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जमा हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यदि नियमों के अनुसार समय पर जमा नहीं कराये तो नियमों में पैनल्टी इम्पोज करने का प्रावधान है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायगी । वह नियम आपके भी पढ़े हुए है ।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री फूलचन्द बाफना !

सादड़ी, जिला पाली में बिजली

533 **श्री फूलचंद बाफना** (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि गत ग्राम चुनावों के ठीक पहले सादड़ी (जिला पाली) में वाछरियों के कुए में बिजली हेतु खम्भे डलवाये गये हैं ? ये खम्भे कब खड़े किये जायेंगे व इन पर कब तक लट्टू (बल्ब) लग जायेंगे ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : खम्भे खड़े कर दिये गये हैं । लाइन कुओं को बिजली देने के लिये है । अतः इससे रोड लाइट चालू नहीं की जायेगा ।

श्री फूलचन्द बाफना : रोड लाइट नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं ।

श्री फूलचंद बाफना : जो खेती के लिये दी जा रही है यह कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : केवल एक आदमी ने पूरी फोर्मेलिटीज पूरी की हैं, उसका काम काम पूरा किया जा रहा है । बाकी को परस्यू किया जा रहा है कि कार्यवाही पूरी करें ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 534 ।

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थित – कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 535 ।

श्री शंकर लाल !

प्रश्न संख्या : 536 ।

रटलाई में प्राईमेरी हेल्थ की स्वीकृति

536. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि रटलाई, जिला झालावाड़ में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के लिये रकम जमा हो चुकी है फिर भी अभी प्राइमरी हेल्थ सन्टर नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रटलाई में डिस्पेन्सरी खोल दी गई है ? यदि हां तो उसमें स्टाफ, दवाइयों व अन्य साधन की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

(3) जब रटलाई में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर नहीं खोला जा रहा है तो रकम जो जनता द्वारा जमा कराई गई है वह रकम वापिस क्यों नहीं दी जा रही है ?

उप मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धोरसिंह) : (1) जी हां रटलाई की जनता ने दिनांक 7-10-64 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खोलने हेतु 10001 रु. पंचायत समिति ने दिनांक 22. 7 65 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम अकानी में खोलने का

(राव श्री धीरसिंह)

निर्णय लेकर इस कार्यालय को उनके पत्र क्रमांक 558-618 दिनांक 22 7. 65 द्वारा भेजा है। पंचायत समिति के प्रस्ताव अनुसार ही राज्य सरकार से इसकी अनुमति ले ली गई थी, अतः रटलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी हां। ग्राम रटलाई में डिस्पेन्सरी 15 8 66 को खोल दी गई यह पंचायत समिति द्वारा दिये गये भवन में चल रही है यहां पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :

स्वीकृत स्टाफ		मौजूदा स्टाफ
कम्पाउन्डर ग्रेड II	1	1
ए. एन. एम.	1	1 नर्स दाई काम कर रही हैं।
ए. एच. डब्लू.	1	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3

दवाईयां व इक्विपमेंट बजट के आवश्यकतानुसार भी सप्लाई कर दिये गये हैं। गत वर्ष का दवाइयों एवं इक्विपमेंट का बजट 4000) रुपये का है।

(3) पंचायत समिति के निर्णय अनुसार बकानी डिस्पेन्सरी ग्राम रटलाई में शिफ्ट की गई है। प्रस्ताव में यह स्पष्ट है कि जो धनराशि रटलाई निर्माण कमेटी द्वारा 11001 रुपये अमानत पंचायत समिति में जमा कर रहे हैं वह डिस्पेन्सरी शिफ्ट करने हेतु दे दिये जायं। डिस्पेन्सरी के भवन का निर्माण पंचायत समिति करेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि रटलाई में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने के लिए वहां की जनता ने 10 हजार रुपया दिया है पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर रटलाई में न खोलकर बकानी में खोलने का निर्णय लिया है तो क्या 10 हजार रुपये की रकम रटलाई की जनता को लौटाई जायगी।

राव श्री धीरसिंह : वह रकम जो वहां डिस्पेन्सरी खोली जा रही है उसके भवन निर्माण के लिए काम में ली जायेगी। यह पंचायत समिति के प्रस्ताव में सरपंच ने एग्री कर लिया है, यह एग्री किया है कि डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण के लिए 10 हजार रुपया दे दिया जाय।

श्री रामप्रसाद बोहरा : पंचायत की तरफ से करायेंगे या पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से ?

राव श्री धीरसिंह : पंचायत कराएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

सांचोर तहसील में भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन

537. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में पिछले तीन सालों में हजारों बीघा काश्त की भूमि का आवंटन भूमिहीन काश्तकारों को किया गया है ? अगर हां, तो किस साल में कितनी कितनी भूमि का आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) आवंटित भूमि की सनदें अब तक कितने काश्तकारों को नहीं दी गई हैं और क्यों ? अब कब तक पूरी सनदें दे दी जावेंगी।

(३) क्या यह सत्य है कि कई काश्तकारों को आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो कितने काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया ? अब कब्जा कब तक दे दिया जायेगा।

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (१) जी हां। सम्वत् 2021 में 566 व्यक्तियों को 3059 एकड़ भूमि, संवत् 2022 में 1322 व्यक्तियों को 7412 एकड़ भूमि व सम्वत् 2023 में 1271 व्यक्तियों को 7289 एकड़ भूमि आवंटन की गई है।

(2) सम्वत् 2021 में जितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी उन सबको सनदें जारी की जा चुकी हैं सम्वत् 2022 ये 134 व्यक्तियों को व सम्वत् 2023 में 82 व्यक्तियों को सनदें दी जा चुकी हैं।

(3) सम्वत 2023 में जिन 1271 व्यक्तियों को आवंटन हुआ था उनमें से 678 व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया क्योंकि अकाल की वजह से आसामियान बाहर चले गए हैं और कब्जा लेने नहीं आये। आसामियान बाहर से वापिस आने पर वर्षात के पूर्व उनको कब्जा दे दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : संवत् 1921 और 1922 के बाकी व्यक्तियों को सनदें क्यों नहीं दी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : 1921 और 1922 में बहुत से लोग अकाल की वजह से बाहर चले गए थे उनसे वसूली स्थगित की गई थी, वसूली न होने की वजह उनकी सनदों की फीज जमा नहीं हुई होगी और इसलिए नहीं दी जा सकी, परन्तु जल्दी की जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये चारों काश्तकार देते हैं जिनको एलाटमेंट कर दिया गया है परंतु वास्तविक कब्जा नहीं दिया जा रहा है। दो दो, तीन तीन साल से इस तरह की रिपोर्ट कर दी है और सरकार ने कहा है कि एलाटमेंट अगर हो गया तो उनको रेग्युलराइज करेंगे। कब तक कब्जा दिया जाएगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बार बार आदेश दिए जा रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को एक नम्बर की भूमि एलाट की है और वह दूसरे के कब्जे में है तो जो भूमि जिसके कब्जे में है उनके नाम करके रेग्युलराइज करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब्जा कब तक दिया जायगा ? वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है। दो दो, तीन तीन साल से....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो खाली जमीनें हैं उनमें तो कब्जे का सवाल नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एलाटमेंट हो गया लेकिन कब्जा नहीं मिला। जब तक कब्जा नहीं देंगे तो कैसे करेंगे ?

श्री बृजसुंदर शर्मा : इस बारे में आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : मंत्री महोदय ने कहा कि बार बार आदेश दे दिए गए हैं। कितनी बार आदेश देने के बाद आदेश लागू होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित)

श्री विजय सिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सवाल पूछने दिया जाय।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अगर इनको मूंछें नहीं होतीं तो आप पहचान नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : मैं मजबूर हूं, आपने....

श्री विजय सिंह : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

राज्य में गुण्डागर्दी

538. **श्री विजय सिंह** (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत की ओर से) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि राज्य भर में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है ?

2. यदि हां, तो पुलिस गुंडागर्दी को क्यों नहीं दबाती है ?

3. पुलिस इसे दबाने में असमर्थ है या मौजूदा परिस्थितियों अथवा नियम इस कार्य में बन्धक हैं ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास):

1 जी नहीं।

2. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

3. पुलिस इस प्रकार की हरकतों पर नियंत्रण पाने में सक्षम है व कानूनी प्रावधान भी पर्याप्त है।

श्री विजयसिंह : मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : इतना ही पर्याप्त है।

श्री विजयसिंह : भीम क्षत्र में गुन्डागर्दी के कितने केसेज रजिस्टर हुए ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 539

श्री महेन्द्र सिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री प्रमीलाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मजलिस खां !

कामां पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

541. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल में किसानों की भूमि ली गई है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों की और कितने किसानों की कितनी कितनी भूमि ली गई है और उसका कितना कितना मुआवजा बनता है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि मुआवजा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने क्लेमेन्टस को मुआवजा दे दिया गया है और कितनों को देना बाकी है, और बाकी का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन किसानों को मुआवजा दिया जाता है उनको चेक दिये जाते हैं और किसान लोगों का बैंक में खाते न होने के कारण वे चेक्स को लेकर मारे मारे फिरते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस परेशानी को शीघ्र से शीघ्र हल करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) (1) जी हां, 23 ग्रामों के 458 खातेदारों (किसानों) की कुल लगभग 515 एकड़ भूमि ली गई है। कुल मुआवजा 2,14,013 रुपये का है जिसकी सूचि संलग्न है।

(2) जी हां, अब तक 89 क्लेमेंट्स को मुआवजा दिया जा चुका है और शेष 369 क्लेमेंट्स को मुआवजा देना है जो करीब दो माह से चुका दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। जो किसान नकद रुपया चाहते हैं उन्हें नकद दिया जाता है और जो किसान चेक द्वारा भुगतान चाहते हैं उन्हें चेक दे दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल शाह !

गांव कुंकड़ वाली के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में डाक्टर की नियुक्ति

511. **श्री किशनलाल शाह** (नावां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील नावां के ग्राम कूंकड़ वाली में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कब से कार्य कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सेन्टर में डाक्टर गत चार वर्षों से नियुक्त नहीं किया गया है और न उक्त सेन्टर में वांछित नर्स, दाई, कम्पाउन्डर, जीप आदि की व्यवस्था है ? यदि हां, तो अभाव की पूर्ति

Page No. 29

(श्री किशनलाल शाह)

अब तक क्यों नहीं की गई है और अब इन अभावों की पूर्ति किस सीमा तक और कब तक कर दी जावेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कूकड़वाली में दिनांक 28.2 60 से कार्य चल रहा है।

(2) इस केन्द्र पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :

1. कम्पाउन्डर श्रेणी द्वितीय 1
2. दाई 1
3. एस आई 1
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5

उप केन्द्रों पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :

1. दाई 2
2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2

अभी तक उपरोक्त केन्द्र क्वालीफाइड नहीं हुआ है, यूनीसेफ की सहायता मिलने पर जीप दी जाती है। राज्य में वर्तमान समय में 716 डाक्टरों की कमी है, अतः उपरोक्त केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में डाक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

श्री किशनलाल शाह : आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स में डाक्टर जरूर रखे जायेंगे तो इसमें 4 साल से क्यों नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था कि ऐसी इच्छा है कि रहें। हम डाक्टरों के अभाव में मजबूर हैं।

श्री किशनलाल शाह : पहले जब डाक्टर नियुक्त किया गया था उसको हटाए कितना समय हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बार बार सदन को बता चुका हूं कि डाक्टर के हटाने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो एक के हटने के बाद दूसरे को भेजने में दिक्कत पैदा हो जाती है।

प्रश्न संख्या 512

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री जयनारायण सालोदिया !

निवाई तहसील में सवाई चक भूमि का आवंटन

513. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील निवाई में गत पांच सालों में सवाई चक भूमि अलाट कराने के लिये कितने प्रार्थना पत्र पेश हुए और उनमें से कितनों को भूमि अलाट की गई और कितने प्रार्थना पत्र खारिज किये गये ? हर साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) उक्त वर्षों में जितनी भूमि अलाट की गई उसमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को कितनी जमीन अलाट हुई और इन जातियों के लोगों के कितने प्रार्थना पत्र खारिज हुए ?

(3) उक्त वर्षों में हर साल ऐसे कितने लोगों को जमीन मिली जिनके पास पहले से ही जमीन थी और ऐसे कितने लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील निवाई में गत पांच वर्षों में सिवाय चक भूमि आवंटन कराने हेतु 6714 प्रार्थना पत्र पेश हुए उनमें से 2333 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई और 4381 प्रार्थना पत्र खारिज किये गये, जिनका सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) गत पाच वर्षों में कुल 10931 एकड़ भूमि आवटन की गई जिसमें से अनुसूचित जाति वालों को 3034 एकड़ तथा अनुसूचित जन जाति वालो को 1386 एकड़ भूमि आवंटित की गई । अनुसूचित जाति वालों के 792 व अनुसूचित जन जाति वालों के 540 प्रार्थना पत्र खारिज किये गये ।

सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये हैं ।

(3) गत पांच वर्षों में से किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं की गई जिसके पास पहले से ही भूमि थी एवं इन वर्षों में 2333 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है जिनके पास पहले भूमि नहीं थी । इस सम्बन्ध का सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि सन् 1964 में सिर्फ 70 आदमियों को जमीन एलाट की गई जबकि उस तहसील के क्षेत्र में 32 पंचायतें थीं इसके क्या कारण हैं ? सिर्फ 70 आदमियों ने दरखास्तें दी थीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिन्होंने दरख्वास्तें दी उनमें से जो नियमानुसार थीं सब स्वीकृत कर दी गई हैं बाकी खारिज की गईं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कैसे बताया कि नियमानुसार दरख्वास्तें नहीं थीं ? 70 आदमियों को दरख्वास्तों पर जमीन एलॉट की है । उसका हर पचायत हैडक्वार्टर्स पर जमीन एलाटमेंट का कार्यक्रम होता है तो एक एक दरख्वास्त हर पंचायत को दी है ।

श्री गंगाराम चौधरी : जिन 474 को अस्वीकृत हुई थी उनके डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं कि किस तरह से खारिज हुईं या तो ये भूमिहीन नहीं होंगे या दरख्वास्त नियमानुसार नहीं दी होंगी ।

Page No. 31

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न नम्बर तीन के उत्तर में आपने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि नहीं दी गई जिसके पास पहले ही भूमि हो। मैं एलाटमेंट कमेटी का सदस्य हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने हर जमीन वाले को जमीन दी है। मेरा जानकारी करने का मतलब यही था किसी के पास 7, बीघा किसी के पास 10 बीघा थी। मैंने पूछा था कि ऐसे आदमी कितने हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी ? जिनके पास जमीन थी उनको कितनी दी ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी सूचना के आधार पर यह बात सही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पहले ही जमीन थी, उसको दुबारा दी गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने इस आधार पर दी है कि भूमिहीन की परिभाषा है कि जिसके पास 15 बीघा से कम है लेकिन मैंने प्रश्न इस आधार पर पूछा है कि ऐसे कितने आदमी थे जिनके पास पहले से जमीन थी और ऐसे कितने थे जिनके पास बिल्कुल नहीं थी ?

(12 मध्याह्न)

कैप्टेन ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दोनों मन्त्री महोदय............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर देने दीजिये।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कितने आदमियों को भूमि दी गई है और कितने आदमियों पास भूमि थी। जो भूमिहीन थे और भूमिहीन की परिभाषा में आते थे उनको भूमि दी गई है। जो उस परिभाषा में नहीं आते थे उनको देने का क्या सवाल था।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो मैं भी जानता हूं। ऐसे कितने आदमी हैं जिनके पास पहले से जमीन थी और ऐसे कितने आदमी हैं जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

कैप्टन ठाकुर श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय के सम्बन्ध में एक बात कह रहा है मुझे। जहां तक अलॉट-मेंट का सवाल है दोनों मन्त्री महोदय इतने गलत जवाब पेश करते हैं आपने 4 हजार बताया और सी. एम ने दो हजार बताया। सदन के सामने बगैर देख कर लिस्ट पेश कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 515 ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : लुप्त हो गया आपकी अनुपस्थिति में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्नकर्त्ता, अध्यक्ष महोदय और जवाब देने वाले तीनों ही मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : जब जवाब देने का समय आया तो विलीन थे ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : 515 नम्बर का प्रश्न बड़े महत्व का है और मजदूरों से मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 515 ।

श्रमिकों के मंहगाई भत्ते के बारे में माथुर कमेटी का प्रतिवेदन

515. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार ने मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में माथुर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किन्हीं निजी उद्योग में यह निर्णय लागू करवाया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से उद्योगों में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) राजस्थान में ऐसे कितने उद्योग हैं जिनमें अभी तक इस निर्णय को लागू नहीं किया गया है ?

(4) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों को इस निर्णय से बाध्य करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? यदि हा, तो क्या ?

(5) क्या सरकार माथुर कमेटी की सिफारिशों को कानूनी शक्ल देगी ? यदि हां तो कब ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां, सरकार ने महगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचांकक से जोड़ने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । जिस रूप में माथुर कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है उसका विवरण दिनांक 12 जून, 1966 को जारी किये गये सरकारी वक्तव्य में बताया गया है । प्रतिलिपि सलग्न है ।

(2) इस सिफारिश के अनुसार यह निर्णय निजी क्षेत्र में उन उद्योगों में लागू करवाया है जिनके सबंध में केन्द्रीय वेज बोर्ड कार्य नहीं कर रहे हैं तथा जो फैक्टरी अधिनियम के अथवा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और जिनमें 50 अथवा 50 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं । यातायात उद्योग के सम्बन्ध में निर्णय 20 अथवा 20 से अधिक वाले संस्थानों पर लागू किया गया है । अब तक 26 संस्थानों में इस सिद्धान्त को लागू किया गया है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) लगभग 60 संस्थानों में इस निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में विवाद उठा है तथा व्यवस्थापकों ने माथुर कमेटी पर हुए सरकारी निर्णय को लागू करने से इन्कार किया है ।

(4) इनमें से 26 संस्थानों के मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिये गये हैं ।

(5) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो इस निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं उनके सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया है। सरकार सिवाय इसके कि ट्रिब्युनल में रेफर करे इसका कानूनी शक्ल क्यों नहीं देना चाहती हैं ताकि पाबन्द कर सकें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तक सरकार ने जो नीति रखी है वह यह है कि औद्योगिक विवाद आपसी बातचीत से हल हों और जिसका आपसी बातचीत से हल नहीं निकल सके तो आरबिट्रेशन से हो और आरबिट्रेशन से भी हल नहीं निकल सके तो एडज्युडिकेशन हो। सरकार अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि एडज्युडिकेशन के अलावा कानून बना कर माथुर समिति के निर्णय को लागू कराये। हम इस प्रयत्न में हैं कि उद्योगपतियों को इस बात के लिये तैयार करेंगे कि किस तरह से वे इसको मानने के लिये तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि एडज्युडिकेशन में समय काफी लगता है और मंहगाई भत्ते के मामले में समय एक कुशियल बात है। आज मंहगाई को देखते हुए मजदूरों को मंहगाई भत्ता उसके मुताबिक नहीं मिले तो श्रमिक और मालिकों के सम्बन्ध खराब होंगे और इन्डस्ट्रियल पीस कायम नहीं रखी जा सकेगी। इन्डस्ट्रियल पीस कायम रखने के लिये एडज्युडिकेशन के अलावा इस सिद्धान्त को कानूनी शक्ल देने में क्या एतराज है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई उद्योगों में नये बोर्ड बैठे हुए हैं और कई जगह फैसले होने बाकी हैं। इसलिये मुनासिब समझते हैं कि एडज्युडिकेशन के साथ फैसले होने देने का मौका दिया जाना उचित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आलनिया बांध हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

512. **श्री कृष्णकुमार गोयल** – क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आलनिया बांध के निर्माण के लिए भूमि अवाप्त की गई थी ? अगर हां, तो कितनी व कब ?

(2) क्या अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा अदा किया जा चुका है ? अगर हां, तो कितना ?

(3) क्या अभी भी मुआवजा चुकाना बकाया है ? अगर हां, तो कितना व क्यों ?

(4) उक्त बांध की कुल ऊंचाई कितनी है ?

(5) उक्त बांध से अभी तक कब अधिकतम कितनी भूमि डूब में आई है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(6) क्या यह सही है कि सरकार इस बांध को और ऊंचा करवा रही है ? अगर हां, तो क्यों व कितना उस पर अनुमानित व्यय होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, आलनिया बांध के निर्माण के लिए 1433.91 एकड़ भूमि व 234 मकान सन् 1961-62 में अवाप्त किये गये थे।

(2) जी हां, अब तक कुल रुपया 4,45,434.58 मुआवजा चुका दिया गया है।

(3) जी हां, अभी 83-43 एकड़ भूमि का मुआवजा चुकाना बाकी है जो भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा से एवार्ड प्राप्त होने पर चुका दिया जायेगा।

(4) उक्त बांध की नदी की सतह से अधिकतम ऊंचाई 37॥ फुट है।

(5) अभी तक सन् 1961 में अधिकतम 2650 एकड़ भूमि डूब में आई है।

(6) इस बांध को 1॥ फुट और ऊंचा किये जाने की योजना विचाराधीन है जिससे और अधिक भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध की जा सकें। अनुमानित व्यय 2,00 000) रु. होंगे।

सुखानियां बांध के डूब क्षेत्र में आई भूमि के बदले किसानों को भूमि

523. **श्री विट्ठल** (पीपलाखूंट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा में सुखानियां बांध के अन्दर जिन किसानों की जमीन डूब में आ गई है उन किसानों को जमीन के बदले जमीन सबको दे दी गई है।

(2) डूब में किस किस किसान की कितनी जमीन गई और कितनी कितनी उनको मिली और कितने ऐसे हैं जिनको अभी तक जमीन नहीं मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

काली सिंध से लिफ्ट द्वारा तहसील सांगोद में सिंचाई

527. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सलोनिया तहसील सांगोद में काली सिंध से लिफ्ट द्वारा बड़े रकबे पर सिंचाई की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस काम को जल्द शुरू करने का आश्वासन देगी ?

(2) सांगोद तहसील में किन किन स्थानों पर कितने कितने रकबे में लिफ्ट से सिंचाई की जा रही है और उस पर सरकार का कितना खर्च पड़ता है।

(3) क्या बिजली के नजदीक वाली लिफ्ट स्कीम्स पर सरकार बिजली दिलवाने

(श्री जुझारसिंह)

का प्रबन्ध करेगी जिससे कृषि उपज कम खर्चे पर बढ़ाई जा सके ?

उत्तर

(1) सर्वेक्षण किया जा रहा है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

(2) सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(3) यथासम्भव

(कृपया परिशिष्ट सं. 5 देखिये)

पाली तहसील के इन्डस्ट्रियल एस्टेट के उद्योगों को कोटा

529. **श्री मूलचन्द डागा (पाली)**: क्या उद्योगमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के इन्डस्ट्रियल एस्टेट में कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज चालू हैं और उनको राज्य सरकार की ओर से किस किस आयातित वस्तु का कितना कितना कोटा मिलता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पाली शहर में जो औद्योगिक संस्थान बना है उसमें कितने शेड अभी खाली हैं और क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि पाली शहर के अन्दर लोगों ने उद्योग लगा रखे हैं ? यदि हां, तो किन किन ने और उनको कितना कितना कोटा किस किस आयातित किस वस्तु का मिलता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह सत्य है कि शहर में उद्योग चलने से नागरिकों के सामान्य जीवन में असुविधाएं पैदा होती हैं ? यदि हां, तो उन असुविधाओं के निराकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 7 शेडस खाली हैं। इनमें से एक का अलॉटमेन्ट किया जा चुका है। शेष के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। इन उद्योगों को औद्योगिक बस्ती में जाने के लिए कहा गया है और इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

तहसील प्रतापगढ़ में अकाल राहत कार्य

534. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़)** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में अभाव ग्रस्त गांवों में राहत कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? उसमें

Page No. 36

(श्री हरलाल मीणा)

से अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(2) प्रतापगढ़ तहसील में राहत कार्य चलाने बाबत कुल कितना काम हाथ में लिया गया था ? उसमें से कितनी जगह काम चल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई जगह राहत कार्य आदिवासी एरिया में नहीं चलाया गया है जिस से गरीब आदिवासियों को काफी मुसीबत उठानी पड़ रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 66-67 अर्थात खरीफ सं० 2023 में तहसील प्रतापगढ़ में विभिन्न राहत कार्यों पर 5, 62, 523 रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान था। जिनमें से 37, 895 रु० व्यय हुए। चालू वर्ष में 5, 51 626 का अनुमान है। इसमें से माह मई के अन्त तक 12,011 का व्यय हुआ है।

(2) गत वर्ष सन् 66-67 में वन विभाग द्वारा एक कार्य गोमदा से मेहूदीखेड़ा सड़क, सिंचाई विभाग द्वारा 7 राहत कार्य वसाड़ा तालाब पखावा तालाब, गाडांलिया फूट तालाब पटेलिया तालाब, खेराट तालाब, सांतला तालाब, एवं सुहागपुरा तालाब तथा भवन एवं पथ के दो कार्य पहला अरनोद से पिपलोदा सड़क दूसरा प्रतापगढ़ से घरियावाद सड़क एवं भू-संरक्षण विभाग के तीन कार्य मोखमपुरा करमदी खेड़ा और छकेटो बम्बोरी के क्षेत्रों में चालू किये गये। चालू वर्ष में उपरोक्त सभी कार्यों पर काम चल रहा है। तथा इनके अतिरिक्त भवन एवं पथ के दो कार्य प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी सड़क पर एवं भू-संरक्षण के गोरधनपुरा छोटी लोक के क्षेत्र में काम चालू कर दिये हैं।

(3) जी नहीं, वास्तव में अधिकतर कार्य जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, आदिवासी क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं। प्रतापगढ़ तहसील में से पंचायत समिति प्रतापगढ़ का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र में ही अकाल राहत कार्यों को ही अधिक महत्व दिया गया है।

काश्त की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन के प्रस्ताव

535. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिले की किन किन पंचायतों के प्रस्ताव काश्त की भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने हेतु जिलाधीश अथवा उप जिलाधीशों के समक्ष विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन प्रस्तावों पर आखिरी निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ? अब तक निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जिन जिन पंचायतों के प्रस्ताव काश्त की भूमि को आबादी

(श्री राजस्व मंत्री)

में परिवर्तन किये जाने हेतु उप जिलाधीशों के समक्ष विचाराधीन है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

जिलाधीश कार्यालय में एक भी मामला विचाराधीन नहीं है।

2. इन मामलों का आखरी निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है। अब तक निर्णय नहीं लिये जाने का कारण सूची में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम अनगोरा व सुमेरगंज मण्डी के किसानों को बिजली

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम अनगोरा व सुमेर गंज मण्डी के कुछ किसानों ने कुंओं पर पावर कनेक्शन दिये जाने की मांग की है।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किसानों में से कुछ किसानों ने तो कुछ धन-राशि कनेक्शन हेतु विभाग में जमा भी करा दी है। यदि हां, तो कितनी तथा कितने व्यक्तियों ने ?

(3) यह धनराशि किस किस तारीख को जमा हुई तथा आज तक कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि लोगों ने बिजली की मोटरें अपने कुओं पर फिट करवा दी हैं परन्तु कनेक्शन न देने के कारण वे बन्द पड़ी हैं।

उत्तर

जी हां।

जी हां, केवल एक आदमी ने 155.75 जमा कराये हैं।

7-6-66 को जमा की है। उसने अभी तक 'एल' फार्म नहीं दिया है।

इस प्रकार की इस विभाग को जानकारी नहीं है।

पब्लिक हैल्थ सेंटर के भवन निर्माण हेतु ग्राम मांजरा डमरोली आदि की जनता द्वारा अंशदान

540. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जिला अलवर, तहसील बहरोड़ के ग्राम मांजरा डमरोली, हुड़िया जेतपुर की जनता ने पब्लिक हैल्थ सैन्टर के भवन निर्माण हेतु पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन मुबलिग तीन हजार तीन सौ चालीस रुपये जमा कराए है। यदि हां तो कब ?

उत्तर

जी हां उप केन्द्रों के निर्माण हेतु तीन हजार तीन सौ तैंतीस रुपये दिनांक 31-7-64 को डूमरोली के लिए जमा कराये हैं तथा जैतपुर व मांजरा केन्द्रों के 3333) रु. प्रति ग्राम के हिसाब से पारटी-

(श्री चिकित्सा मंत्री)

सीपेशन के विकास अधिकारी पंचायत समिति नीमराना के कार्यालय में माह फरफरवरी 1965 में जमा हो चुके हैं।

ये उपकेन्द्र निम्नलिखित तारीखों से चालू हैं—

क. सं.	उपकेन्द्रों के स्थान के नाम	चालू होने की तिथि
1—	जैतपुर	20-12-66
2—	मांजरा	21-12-66
3—	डूमरोली	21- 3-67

उपरोक्त उपकेन्द्रों पर एक दाई व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और यह सार्वजनिक भवनों में चल रहे हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बूंदी के जुडीशियल लॉकअप में चिकित्सालय

32 **श्री केशरी सिंह** (हिन्डोली)-क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी के जुडीशियल लॉकअप में क्या डिस्पेन्सरी है? यदि हां, तो इसका सालाना बजट क्या है? क्या यहां पर डाक्टर और कम्पाउन्डर दोनों तैनात हैं?

(2) डाक्टर को व कम्पाउन्डर को कितना कितना भत्ता मिलता है, और वे दिन भर में कितने घण्टे की ड्यूटी देते हैं?

(3) क्या यह सही है कि मुलजिमों के सोने के चबूतरों में गड्ढे पड़े हुए हैं यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब की गई थी और उन पर कितनी रकम खर्च हुई थी?

(4) क्या इस लॉक अप की कभी मरम्मत की गई थी?

(5) क्या यह सत्य है कि मुलजिमों को टट्टियों की सफाई के लिये एक हरिजन रखा हुआ है? यदि हां, तो उसको वेतन क्या दिया जाता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। बन्दियों के इलाज इत्यादि के लिये 100) रु. सालाना का बजट अवश्य है जो कि संचालक, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के बजट में शामिल रहता है और दवाइयां उन्हीं के स्टोर से प्राप्त होती हैं। सरकारी अस्पताल के डाक्टर व कम्पाउन्डर बन्दियों के स्वास्थ्य इत्यादि की देखभाल के लिये तैनात हैं।

(2) डाक्टर को 25) रु माहवार तथा कम्पाउन्डर को 7) रु. माहवार भत्ता मिलता है। जितना समय आवश्यक होता है ठहरना पड़ता है।

(3) जी नहीं। सोने के चबूतरों की मरम्मत गत वित्तीय वर्ष 66-67 में की गई और 500) रु. व्यय हुआ।

(4) लॉकअप की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रायः सालाना की जाती है।

(5) जी हां। 20) रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है।

कोटा नगर में चोरी, डकैती, कत्ल आदि

33. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा)-क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में दिसम्बर, 66 से अब तक कुल कितनी व कब कब चोरी, डकैती, छुरा बाजी, एक्सीडेन्ट व कत्ल की घटनाएं हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

( ) उपरोक्त मामलों में से कितनों के चालान कब कब किन किन के विरुद्ध कौन कौन से अपराधों के अन्तर्गत पेश किए?

(3) कितने मामलों में अभी तक अपराधी का पता नहीं लगा ? सूची देने का कष्ट करें ।

उत्तर

1. कोटा नगर में सन् 66 के दिसम्बर से अप्रेल 67 तक एक अपराध डकैती दो अपराध कत्ल, एक सौ सेंतालीस अपराध चोरी, ग्यारह अपराध छुरावाजी (धारदार व नुकेले हथियारों द्वारा) तथा 27 अपराध एक्सीडेन्ट के हुये जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

2. इन अपराधों में से 60 अपराधों का चालान जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन तिथियों में विभिन्न धारा के तहत किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

3. 13 अपराधों में मुलजिमों का पता नहीं लगा जिनका में सूची तारांकन कर दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले में पंचायतों को आबादी भूमि का आवंटन

34. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में स्थित किन किन पंचायतों को आबादी भूमि अलॉट हो चुकी है ?

(2) उनका कितना क्षेत्रफल है ?

(3) यह खेतों को काटकर बसायी गयी है या बन्जर भूमि का उपयोग किया गया है ?

(4) क्या पंचायतों को इस आबादी भूमि को विक्रय करने के अधिकार दिये गये हैं ?

(5) विधान सभा के कोलायत क्षेत्र की कितनी पचायतों को आबादी भूमि एलॉट हो चुकी है ।

उत्तर

1—तहसील बीकानेर के 3 ग्रामों को तहसील नोंखा के 2 ग्रामों को व तहसील कोलायत के 143 ग्रामों को आबादी भूमि अलॉट हो चुकी है ।

(श्री राजस्व मंत्री)

2—तहसील बीकानेर में लगभग 100 एकड़ (267 बीघा 16 बिस्वा) भूमि, तहसील नोखा में 71 एकड़ व तहसील कोलायत में 7725 एकड़ भूमि।

3—राजकीय भूमि जो बंजर पड़ी थी उसका उपयोग आबादी भूमि हेतु किया गया है।

4—आबादी भूमि पंचायतों को सौंपने के बाद उस भूमि को विक्रय करने का अधिकार कानूनन ग्राम पंचायतों पर निहित है मगर राजस्थान नहर योजना के लिफ्ट व फ्लो (Flow) क्षेत्र के गांव में पंचायतों को आबादी भूमि विक्रय करने के अधिकार नहीं हैं।

5—विधान सभा के कोलायत क्षेत्र में तहसील बीकानेर व तहसील कोलायत का क्षेत्र आता है। तहसील बीकानेर की तीन ग्राम पंचायतों को व तहसील कोलायत की 17 ग्राम पंचायतों को जो इस विधानसभा क्षेत्र में आती हैं आबादी भूमि सौंपी जा चुकी है।

न्यू केमिकल इन्डस्ट्रीज, जयपुर को जिन्क का कोटा

35. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) न्यू केमिकल इन्डस्ट्री, जयपुर को अब तक किस वर्ष में कितने कितने जिन्क का कोटा दिया गया है।

(ख) इस इन्डस्ट्री में किस वर्ष में कितना कितना उत्पादन हुआ ?

(ग) क्या इस इन्डस्ट्री के विरुद्ध माल के दुरुपयोग की जानकारी विभाग को मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

न्यू केमिकल इन्डस्ट्री, ठोलिया सर्किल, जयपुर को वर्ष 61–62 में 10 टन जस्ते का तदर्थ कोटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त अप्रेल सितम्बर 63 व अक्टूबर–मार्च 64 में आठ आठ टन जस्ते का और आवंटन किया गया किन्तु इस उद्योग ने पेंट फैक्ट्री नहीं लगाई अतः उक्त कोटा निर्मुक्त नहीं किया गया।

इस उद्योग ने 18-4-63 से 31-1-64 की अवधि में 9 टन जिंक आक्साइड का उत्पादन किया था।

माल के दुरुपयोग की सूचना इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

कोटा जिले में कृषि योग्य नोतोड़ भूमि

36. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां)–क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिला के प्रत्येक तहसील क्षेत्र में किस किस गांव में किस किस खसरा नम्बर की कितनी कितनी कृषि योग्य भूमि नोतोड़ पड़ी है जो कि भूमिहीन किसानों को

(श्री देवीदत्त गाडिया)

वितरित की जा सकती है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजस्थान में उद्योग बस्तियां

37. **श्री शंकरलाल** (जैतारण)—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी जगह कहां कहां उद्योग बस्तियों की स्थापना की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन उद्योग बस्तियों में किस किस प्रकार के कितने धन्धों के कार्य किन किन आसामियों द्वारा प्रारम्भ कब कब किये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस उद्योग बस्तियों में क्या क्या कमियां है और यह कब और कैसे दूर होंगी?

उत्तर

राजस्थान में निम्न 13 स्थानों पर औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं।

(क) राज्य सरकार द्वारा निर्मित

1) जयपुर
2) मालपुरा
3) भीलवाड़ा
4) उदयपुर
5) पाली
6) सुमेरपुर
7) जोधपुर
8) बीकानेर
9) श्री गंगानगर
10) भरतपुर
11) कोटा

(ख) सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्तियां

1) रानी
2) फालना

सूची संलग्न है।

सूची संलग्न है।

कमियों को पूरा करने के लिये आयोजना व्यय के लिये उपलब्ध धन-राशि के अनुसार कार्यक्रम बनाया गया है व क्रियान्वित किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान के गांवों में सिंचाई हेतु बिजली सप्लाई

38. **श्री शंकर लाल** (जैतारण)—क्या विद्युतमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने और कौन कौन से गांवों में सिचाई हेतु बिजली उपलब्ध

(श्री शंकरलाल)

की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन गावों में बिजली दे दी गई है उन गांवों में कितने काश्तकारों को बिजली उपलब्ध हो गई है और कितने काश्तकारों की मांग के बावजूद अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है ?

(3) सब काश्तकारों की मांग कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अध्यक्षीय घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा में स्वतन्त्र पार्टी को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा उक्त पार्टी के नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंह को प्रतिपक्ष नेता मान लिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि संयुक्त दल की क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल सके इसलिए इस सदन को यह जानकारी देना जरूरी है कि विरोधी दल संयुक्त रूप में है या अभी जैसा आपने फरमाया कि स्वतन्त्र पार्टी को विरोधी दल के रूप में मान्यता दी गई है, वैसी स्थिति में जनसंघ, समाजवादी दल आदि की क्या स्थिति रहती है। या इसको इस रूप में देखना होगा कि अलग अलग पार्टीज अलग अलग ढंग से हैं तो ग्रुप लीडर्स अलग अलग होंगे और पोजिशन अलग होगी। जो सूचना आपने सदन को दी है उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन सदन यह जानना चाहेगा कि दूसरी पार्टीज की क्या स्थिति है। सयुक्त दल एक रूप में है अथवा अलग अलग ग्रुप में है और माननीय विरोधी दल के नेता सम्पूर्ण विरोधी दल के नेता हैं अथवा स्वतन्त्र पार्टी के नेता के रूप में विरोधी दल के नेता हैं या यूनाइटेड फ्रन्ट नेता के रूप में हैं। क्या पोजीशन है इसको स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : जहां तक मेरा प्रश्न है मैं तथ्यों के परे नहीं जा सकता। पार्टी के नेता के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं उसी आधार पर स्वतन्त्र पार्टी की ओर से उन नियमों के अनुकूल मेरे पास पत्र आया और उन नियमों के आधार पर ही यहां घोषणा की गई। इससे यह प्रश्न स्वयं हल हो जाता है कि जिनको मान्यता इस आसन से नहीं उनकी स्थिति पर गौर करने की आवश्यकता नहीं। वह ग्रुप के रूप में हो सकते हैं।

दूसरा प्रश्न है संयुक्त दल का। यह प्रश्न भी मेरे सामने नहीं है। इसी पर में मौन रहता हूं।

Page No. 43

श्री पी. के. चौधरी : गवर्नर के एड्रेस के समय भी संयुक्त दल के नेता के रूप में श्री लक्ष्मणसिंह जी ने एड्रेस किया था। संयुक्त दल के रूप में स्वतंत्र पार्टी अलग है, जनसंघ अलग है, एस. एस. पी. अलग है यह हम जानना चाहेंगे। आज तक युनाइटेड फ्रन्ट के रूप में ही यह जाना जाता था।

श्री अध्यक्ष : जो दल हैं उनकी इस आसान से घोषणा कर दी जाती है। जिनकी घोषणा नहीं है उसका प्रश्न स्पष्ट है। संयुक्त दल के नाम से सम्बोधन पूर्व हुआ था। यह प्रश्न उस रूप में उठा लिया हो तो बात और है वैसे संवैधानिक स्थिति मेरे सम्मुख वही है।

श्री मुकुट बिहारी लाल (बयाना) : यह पत्र स्वतन्त्र पार्टी की ओर से कब आया?

श्री अध्यक्ष : यह बाद में सूचना ले लीजिये।

(कई माननीय सदस्य खड़े होने पर)

आॅडर आॅडर। विरोधी दल के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं विविध पार्टीयों के जो नेता हैं उनसे परामर्श करके आपको पुनः निवेदन कर सकूंगा कि विरोधी पक्ष की क्या स्थिति है इतना में अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक समस्त विरोधी पक्ष के विधायकों की स्थिति है कांग्रेस के उन विधायकों के सम्बन्ध जिस प्रकार कांग्रेस दल से है उसी प्रकार कांग्रेस दल के विरोध में समस्त सदन का विरोधी पक्ष एक है और वह संयुक्त दल के रूप में कार्य करेगा।

संयुक्त दल के अन्तर्गत जो दल हैं उनके बारे में सबजेक्ट टु करेक्शन दूसरे नेताओं से बात करूंगा। विविध पार्टीयों की विचार धारा विविध है, वे मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। विरोधी पक्ष वर्सेज कांग्रेस पक्ष का सवाल है उसमें संयुक्त दल एक है और मैं आशा करता हूं हमेशा एक ही रहेगा।

श्री पी. के. चौधरी : आप संयुक्त दल के नेता हैं या विरोधी दल के।

श्री अध्यक्ष : मैंने संवैधानिक जो स्थिति थी वह सदन के सामने रख दी है। दलों के पारस्परिक सम्बन्ध और मान्यताओं का सम्बन्ध है वह संविधान के अन्तर्गत नहीं है और न पार्टी विशेष से ही सम्बन्धित है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह तो इनको भी पता है।

स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नहर परियोजना के कर्मचारियों की छटनी करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय पर श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सिचाई विभाग से सम्बन्धित मांग कल

(श्री अध्यक्ष)

सदन में विचारार्थ ली जा रही है। श्री अग्रवाल इस मामले को कटौती प्रस्ताव द्वारा उठा सकते हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं देता हूं।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

श्री खाद्य मन्त्री।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ सब डिवीजन में दो तहसील व चार पंचायत समितियां हैं। इन दोनों तहसीलों की सरहद गुजरात व मध्यप्रदेश से मिलती है। 10 माइल के बेल्ट भी इन दोनों तहसीलों में हैं।

इन दोनों तहसीलों में 44 सस्ते अनाज की दुकानें हैं। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार दोनों तहसीलों की आबादी 1,73,551 है। इस प्रकार लगभग 4000 व्यक्तियों पर एक सस्ते अनाज की दुकान है। अब तक की अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर भी 5000 व्यक्तियों पर एक दुकान है। पंचायत समिति बागीदोरा क्षेत्र में 12 व गढी में 20 दुकानें हैं तहसील कुशलगढ़ में अप्रेल 1967 में 11649 बोरी माइलो व 9 94 बोरी गेहूं कुल 12643 बोरी खाद्यान्न बिक्री हुआ।

जो आंकड़े आउट एजेन्सी व व्यापारियों से प्राप्त हुए हैं उनसे जाहिर होता है कि जिले में गल्ला लगातार आ रहा है। इजाजत लेने की आवश्यकता केवल बेल्ट वाले एरिया में रहती है। खाद्यान्न लाने के लिये अप्रेल 1967 में मई में 7 परमिट दिये गये। क्रमशः 2030 बोरी मक्का 1035 बोरी ज्वार व 615 बोरी चना दाल के परमिट दिये गये। माह जून में अब तक एक परमिट जारी हुआ है। इससे जाहिर है कि मोतबिर व्यापारियों को परमिट दिये जा रहे हैं व जिलाधीश ने इन लोगों से बात कर तय कर लिया है कि ये लोग भी लाए हुए ज्वार व मक्का को परिचय पत्र पर ही बेचेंगे।

जिले में इस समय स्टाक पोजीशन इस प्रकार है :

गेहूं	17200 बोरियां
माइलो	21410 बोरियां
कुल	38610 बोरियां

इसके अलावा माह जून के लिये इस जिले को 2800 टन माइलो (28000 बोरी) व 686 टन गेहूं (6860 बोरी) आवंटन किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के भूखे मरने का अंदेशा नहीं रहता है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय जो आपने प्राईवेट व्यापारियों के सम्बन्ध में कदम उठाया वह बात हो सकती है परमिट दिया हो अनाज ले लिया गया हो और अपने अपने गल्ले में छिपा दिया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे को परमिट देने के लिए तय कर दिया है आज या कल इस बारे में तो मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि तमाम

Page No. 45

(श्री हीराभाई)

जितने भी व्यापारी थे उन्होंने पाव भर भी अनाज देना बन्द कर दिया था। वह इसलिए बन्द कर दिया था मध्य प्रदेश में बीस पचीस रूपये मन को मक्का थी इसलिए व्यापारियों ने मक्का को इधर उधर भेज दिया, गुजरात को भेज दिया और यहां के लोग एक एक रुपये की मक्की के लिए मारे मारे फिरे। व्यापारियों ने अपना गल्ला ऊंचे भाव पर गुजरात, मध्य प्रदेश भेजने के लिए छिपा दिया।

श्री अध्यक्ष : यह आपका एक प्रश्न हो गया माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जो कहा गया, क्या वह स्थिति ठीक थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में दो शब्द निवेदन कर दूं ताकि मंत्री महोदय सब का साथ उत्तर दे दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मत्री ने जो ब्यौरा दिया उसमें उस मक्का का जिक्र नहीं किया जो आपके द्वारा मक्का दी गई, उस मक्का के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। या तो मन्त्री महोदय और सरकार इन बातों से अनभिज्ञ है। अगर अनभिज्ञ नहीं तो बतायें वह कहां गया। भावों में आपके यहां के यानि बांसवाड़ा के भावों में और गुजरात के भावों में कितना बड़ा भारी अन्तर है यह आप जानते हैं। बांसवाड़ा की सब मक्का गुजरात में जा रही है आप इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार को क्यों नहीं लिखते। गुजरात कोई स्वतन्त्र देश तो नहीं वह भी हमारी तरह भारत का एक राज्य है। केन्द्र है गुजरात भी केन्द्र के अधीन है हम भी केन्द्र के अधीन हैं आप भावों के सम्बन्ध में कोई न कोई तालमेल स्थापित करने के विषय में विचार करें। यह दीर्घकालीन और संकटापन समस्या है कोई अल्पावधि और इमरजेन्सी का प्रश्न नहीं है। आप इसको दीर्घकालीन और संकटापन समस्या मानकर के चलेंगे तब तो इसका कोई समाधान प्राप्त कर सकते हैं नहीं तो यहां दिन ब दिन भूखमरी बढ़ेगी। आपने स्वयं ने माना है पाच हजार व्यक्तियों के अन्दर एक दुकान है यह नगर व्यवस्था है, यह व्यवस्था का मखोल है। आप ही विचार करें बांसवाड़ा का स्टेपल फुड मक्का है, मक्का वहां उत्पन्न होता है। बांसवाड़ा के लोग मक्का खाने से वंचित रह जांय और उनको माइलो खिलाया जाय जो अमेरिका में चौपाये खाते है, और उनको वहां के मक्का से वंचित रखा जाय। यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है आपको बांसवाड़ा में उत्पादित मक्का के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये इस मामले का हल निकालने के साथ साथ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मक्का बांसवाड़ा बोर्डर के इस 10 मील के बैल्ट में देने के लिये व्यापारियों को दिया। 23 सौ बोरी ले गये। उस पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाई गई थी कि वे मक्का जाकर उस 10 मील के बैल्ट वाले एरिया में डिस्ट्रिब्यूट करेंगे। राशन कार्ड या परिचयपत्र के बिना पर करेंगे।

(12.21 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पादसीन)

Page No. 46

(श्री परसराम मदेरणा)

यह बैल्ट इसलिये बनाया है कि यहां से लगने वाले गुजरात एरिया में न जाने पावे विपक्ष के नेता जानते हैं कि वहां राजस्थान और गुजरात की बोर्डर लगती है। और राजस्थान और गुजरात का अन्न जोन भी अलग अलग है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह जोन की आपकी व्यवस्था ही घातक है। स्वतन्त्र राज्य में जोन ही भुखमरी का कारण है साहब।

श्री परसराम मदेरणा : भुखमरी का कारण अनाज की कमी रह सकती है। कोई डेफिसिट स्टेट है और कोई सरप्लस है। जैसे राजस्थान में चने का भाव 70) क्विन्टल है बाजार में तो गुजरात में उससे बहुत ऊंचे हैं। तो कुछ खाद्यान्नों में कोई सरप्लस हैं तो कोई डेफिसिट है और यह सब जलवायु और जमीन की कन्डीशन पर निर्भर है। व्यापारियों को परमिट दिये गये थे इस लिये कि बोर्डर एरिया में इन्टर नल एरिया में ले जा सकें यह माइलो। और खरीदने वाले इसे खरीद सकें।

स्टेपल फुड मक्का है बांसवाड़ा का। फिर यह माइलो अमेरिका के जानवर खाते हैं यह बात ठीक है, वे सोच सकते है पर आज खाद्यान्न की कमी को देखते हुए आप माइलो पसन्द नहीं करते, बाड़मेर जैसलमेर साइड में उनको नहीं पसन्द करते पर इस इलाके के लोग गेहूं कम पसन्द करेंगे। माइलो ज्यादा पसन्द करेंगे। डेजर्ट एरिया में बाजरे के बाद ज्वार खाना पसन्द करते हैं।

मैं सदन के विरोधी पक्ष के नेता को यह आश्वाशन देना चाहता हूं कि इन्डीजीनस मक्का हमारे पास है, उसे जल्दी ही बांसवाड़ा में पहुंचाने की व्यवस्था 8-10 दिनों में कर दूंगा ताकि बरसात की वजह से आवागमन के साधन जब उधर अवरुद्ध हो जाते हैं तो फिर तकलीफ न हो। वहां की आवश्यकता को देखते हुए 2800 मन की आवश्यकता है वहां 686 टन ज्यादा अलाट करवाया गया है। ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां बरसात की वजह से आवागमन के साधन रुक जाते हैं। 38600 बोरियां हमारे स्टाक में हैं। यह $1\frac{3}{4}$ महिने का अनाज हो सकता है।

इसके बाद मक्का जो हमारे पास है मुझे पूरी स्थिति तो उसकी मालूम नहीं, करीब 2॥ हजार 3 हजार या 2 या 3 के बीच में है। जितना भी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्टों में उनकी डिमाण्ड को देखते हुए जितना अलाट किया जाना चाहिये उतना दस दिन के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था हो जावेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बीज के लिये रखिये। बीज का मक्का खिला देंगे इससे तो माइलो ही खिलाइये तो अच्छा है।

जो कुछ मैंने कहा सबसे सर्व प्रथम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीज को आप प्रायरिटी दीजिये। बीज के लिये मक्का रिजर्व स्टाक में रखिये। फिर खाने के लिये सिर्फ माइलो ही खाना पड़े भले ही।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बीज का मक्का खिला देंगे तो फिर खैर सल्ला है।

श्री परसराम मदेरणा : यह खाद्यान्न की स्थिति है जो मैंने अर्ज कर दी। माइलो ज्वार भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद एल्टरनेटिव दूसरा न होने से जो मक्का है बीज के लिये वह रिजर्व रखकर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर तहसील हैडक्वार्टर पर वहां से सब जगह सुविधापूर्वक वितरित किया जा सके अगले दस दिनों में मक्का वहां पहुँचा सकेंगे।

श्री हीरा भाई : बांसवाड़ा में जो मक्का पैदा हुई थी वह तो आपने गुजरात में निकाल दी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बिल्कुल ठीक है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) पर समय पर माइलो भी नहीं मिलता है। इसके लिये मै निवेदन करता हूं कि खाद्यान्न के लिये व्यवस्था जल्दी होनी चाहिये। खाने के अलैर बीज के लिये भी व्यवस्था जरुरी होनी चाहिये। लोग भूखों मर रहे हैं। अभी वर्षा उधर शुरू नहीं हुई है, जल्दी से जल्दी इस लिये व्यवस्था होनी चाहिये, यह निवेदन है।

आज भी सड़कें नहीं है गांवो में इस लिये अन्न लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. लोग भूखों मर रहे हैं, यह व्यवस्था की खामी है वहां पर।

श्री हीराभाई : दूसरा यह जानना चाहूंगा कि वहां पर प्रति व्यक्ति पांच से 6 किलो किया है अब। शहर के लोग अनाज के साथ दूसरी चीजें खाकर भी अपना दिन निकाल लेते हैं। पर यहां के लोग तो सिर्फ अनाज ले जाकर उसकी रोटी बनाकर पेट भरते हैं। तो क्या उनके लिये महीने में छः किलो पर्याप्त है? अगर आप पर्याप्त नहीं मानते है तो इसके बारे में अर्ज है कि कम से कम हमारे वहां के लोग जो हमेशा मेहनत करने वाले लोग हैं इसलिये 20 किलो हर महीने की उनकी प्रति व्यक्ति की खुराक है उतना मिलना चाहिये। पर यहां पर अकाल है इसलिए अकाल समझकर अर्ज यह कर रहा हूं कि कम से कम 15 किलो तो मिलना ही चाहिये। यह मात्रा तीन महीने के लिऐ भी बढा देंगे तो लोगों की भूख की समस्या हल हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जब खाद्यान्न की बहस 25-26 तारीख को सदन में हुई थी तो उस समय मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान को भारत सरकार 38 हजार टन इम्पोर्टेड व्हीट देती है और उसको इसी तरह से वितरित किया जाता है। सबसे ज्यादा 27 हजार के आसपास स्केअरसिटी एरिया को दिया जाता है जिसकी पापूलेशन 45 लाख 33 हजार के लगभग है। इसको देखते हुए एक स्टेण्डर्ड निर्धारित किया था हमने कि छ किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह हो ज्यादा स्टाक हमारे पास नहीं था। लोग बाजार से ले सकते हैं। वह बोर्डर एरिया है, और 10 मील का बैल्ट एरिया है इसलिए हमने यह छूट दी है

Page No. 48

(श्री परसराम मदेरणा)

कि 20 किलो तक अपने डोमेस्टिक परपज़ के लिए ला ले जा सकता है उस एरिया में। इस तरह की छूट दे रखी है। बोर्डर एरिया के लिये व्यापारियों को परमिट भी इसीलिये दिया था ताकि ओपन मारकेट से भी उनको अनाज मिल सके।

इसके बाद भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दस मील के बेल्ट एरिया के लिये जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वह इसलिये लगा रखी है कि पास ही नेबरिंग स्टेट में जिन खाद्यान्नों के भाव ज्यादा हैं वहां हमारे यहां से स्मगल की ज्यादा पोसिबिलिटी है, वह बन्द हो जाय। दस मील का बेल्ट एरिया नहीं रखते हैं तो स्मगलिंग की पोसिबिलिटी को कम नहीं किया जा सकता। तो भी राजस्थान सरकार विचार कर रही है और दो तीन दिन के बाद हम अपने कन्जम्शन के लिये 25 किलो तक अनाज इधर से उधर ले जा सकता है। एक बात। बैल्ट एरिया का कानून भारत सरकार का है इसलिये उसे तोड़ तो हम नहीं सकते। भारत सरकार से हमने इसके लिए बातचीत की है, एक दो दिन और बातचीत करके दो तीन दिन में सदन में मैं एक्सप्रेस करूंगा कि जो बोर्डर एरिया में या दस मील के बैल्ट एरिया में जो खाद्यान्न खरीदने में मण्डियां जो आउटवर्ड हैं गांवों में लाने में ले जाने में तकलीफ होती है उनको राहत मिलेगी इससे। ऐसा स्टेटमेंट मैं दो तीन दिन में दूंगा। फिर जो डिफिकल्टी है वह ज्यादा हद तक ठीक सोल्व हो जावेगी।

श्री हीराभाई : भारत सरकार से प्रति व्यक्ति राशन की मात्रा बढाने के बारे में बात करेंगे या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : इजरायल और अरब की लड़ाई के बाद पत्रों में आपने हमने पढ़ा है उससे अन्दाज लगा सकते हैं। हमारे जहाज स्वेज कैनाल से आते थे अब हिन्द महासागर में से होकर आना पड़ेगा। इसमें दिनों की देरी भी हो सकती है और फ्रेट भी बढ़ सकता है।

तो इस लड़ाई के बाद खाद्यान्न की हमारी पोजीशन क्या रहेगी यह मैं नहीं कह सकता। भारत सरकार से बात करके ही कुछ कह सकेंगे। आज भारत सरकार शिप टू माउथ डिस्ट्रिब्यूट कर रही हैं पर इस लड़ाई के कारण जो असर पड़ेगा उससे राजस्थान की सप्लाई भी डिसलोकेट हो सकती है। तो इस खाद्यान्न की स्थिति को देखते हुए और अपनी सप्लाई लाइन को देखते हुए यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि आज के राशन की मात्रा में बढोतरी किसी प्रकार की की जा सके।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। यह सही है कि जो आंकड़े आपने बताये कि 38 हजार टन अनाज मिला और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वास्तव में लोगों को 6 किलो से ज्यादा नहीं मिल सकता। यह तो सही है लेकिन राज्य सरकार की ओर से ज्यों ही इस प्रकार की बात कही जाती है कि हमारे पास अनाज नहीं है और आया नहीं और हम

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कैसे वितरण करेंगे तो उसका परिणाम यह होता है कि जिनकी होर्डिंग की इन्क्लीनेशन है वह होर्डिंग करते जा रहे हैं और यह मानकर चलना पड़ेगा कि जो आप अनाज देते हैं उसमें कन्ज्यूमर्स का कुछ परसेन्टेज ऐसा भी है कि जो उनको कन्ज्यूम नहीं करता और काम में नहीं लेता है और जो गांव में किसान हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं उनको राशन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिये, खाने को मिलना चाहिये तो आपको इस व्यवस्था में परिवर्तन करके यह करना चाहिये कि 'फोर दी टाइम बोइंग' आप उनको पूरा राशन खाने के लिये दें और ऐसा न करें कि अभी तो आप भूखों मार दें और आइन्दा के लिये स्टोर करके रख लें। जो गरीब लोग हैं उनको बराबर आप गल्ला देते रहेंगे तो वह अपना पेट भर सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं उनकी आज क्षमता नहीं है कि वह मार्केट से गल्ला खरीदें और अपना पेट भरें और अगर गरीबों के लिये यह गल्ला ज्यादा मात्रा में आप बढ़ा सकते हैं तो उनके लिये बड़ी सुविधा की बात होगी। राज्य सरकार को सोचना चाहिये और मैं राज्य सरकार की इस पालिसी को कन्डेम करता हूं कि जब कमी होता है तो राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास अनाज नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर सकेंगे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसका परिणाम यह होता है कि होर्डिंग शुरू हो जाता है और अनाज मिलने में लोगों को मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा कुछ तबका ऐसा है कि जिसको राशन के अनाज की कोई चिन्ता नहीं है और वह होर्डिंग कर लेते हैं। इन दोनों पालिसीज पर राज्य सरकार विचार करे और इस दृष्टिकोण से सोचकर कोई रास्ता निकाले।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 6 किलो का राशन हमारे यहां राजस्थान में स्केयरसिटी एरियाज में है और जिन शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है वहां पर यह राशन 5 किलो है। जयपुर में जो किया गया है वह 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया है। रहा सवाल गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मिले तो इसमें तो दो राय नहीं है। सरकार भी लोगों को सस्ते दामों पर अनाज देना चाहती है लेकिन सरकार के पास जो स्टाक है उसको देखते हुए इससे ज्यादा हमारे पास में खाद्यान्न नहीं है और इसलिए उसे उपलब्ध करने में हमारी मजबूरी है। राज्य सरकार ने कई बार सोचा है कि शहरों के अन्दर जो ऊंचे तबके के लोग हैं इनका राशन हटा दिया जाये, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको कम देकर और दूसरा जो ग्राम वगैरह का स्टाक है वह उनको दिया जाये लेकिन ये बातें कहने के लिए अच्छी हैं और जिस समय में इन्कम के बेसिस पर शहरों में राशन का रिडक्शन करेंगे तो यहां कुछ ऐसा भी एलीमेंट है जो इसके लिए हल्ला कर सकता है और ला एण्ड आर्डर की प्राबलम पैदा हो सकती है। इसलिए जिस पालिसी को हम क्रियान्वित कर रहे हैं उसमें कोई रद्दोबदल करने की सरकार कुछ नहीं सोचती है।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी। आपको जितने प्रश्न पूछने थे वह पूछ लिए और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। अब इससे ज्यादा चर्चा की इस पर गुंजाइश नहीं है।

श्री हीराभाई : ऐसा है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरी जो मांग है वह पूरी नहीं मिल सकी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मांग का मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि 6 किलो से ज्यादा अनाज देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है। अब उसको आप दो दफा कहें या चार दफा कहें स्थिति वही है। उसके अलावा बात हो तो पूछ लीजिए, उन्हीं बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जब चुनाव के पहले पचायतों के एरिया में आपकी सस्ते अनाज की दुकानें कायम थीं और चुनाव के बाद कम से कम आपने 20 परसेन्ट दुकानें बन्द कर दीं तो मैं उस जंजाल में पड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन बरसात का टाइम है और दस-दस, पांच-पांच मील का एरिया होने के कारण वहां के किसान लोग खेती नहीं करके अनाज के लिए रोज भटकते रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कमीशन बेसिस पर अनाज की दुकानें देना चाहती है तो फिर जो सस्ते अनाज की दुकानें पहले खुली हुई थी वह प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कमीशन बेसिस पर खुलनी चाहिए और क्या उनको खोलने की आप मेहरबानी करेंगे, एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं यह मानकर चलता हूं कि जो व्यापारी परमिट लेने के लिए आयेंगे तो क्या आप व्यापारियों को परमिट्स दिलाने की तजबीज करेंगे ? तीसरी बात यह है कि क्या आप यह बात महसूस नहीं करते हैं कि आप उसको खुद बोर्डर एरिया मानते हैं और दूसरी जगह से अनाज नहीं लाया जा सकता है, यहां तक कि गठरी तक पकड़ी जाती है तो क्या 6 किलो हिसाब से देखें तो 100 ग्राम से आदमी पेट भर सकता है। अगर भर सकता है तो मैं निवेदन करूंगा कि आज से तमाम आप प्रतिज्ञा करके जायें कि हम रोजमर्रा कुदाली, हल चलायेंगे और खेती करेंगे और 100 ग्राम अनाज से भी पेट भरकर टाइम निकालेंगे। यह आप मे विश्वास हो तो......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिये लेकिन उसके बाद में और प्रश्नों के लिए आज्ञा नहीं मिलेगी क्योंकि नहीं तो चर्चा बहुत लम्बी हो जायेगी। जितने प्रश्न पूछने हों एक बार में पूछ लें।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपीटीशन होता ही रहेगा। इनकी समस्या यह है कि 6 किलो वाली बात कह दी लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जो रेस्ट्रिक्शन्स आपने लगा रखी हैं उनकी वजह से

(श्री रामकिशन)

दूसरी जगह से अनाज नहीं पहुँच सकता है तो प्राईवेट एजेन्सी कैसे अनाज पहुँचाये उसके लिए क्या क्या सुविधायें आप दे सकते हैं उसकी जानकारी सदन को दें ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय प्राईवेट परमिट लेने का जैसा मैंने निवेदन किया कि तीन हजार बोरियों के परमिट अप्रेल और मई में दिये गये थे। इस पर रेस्ट्रिक्शन इसलिए रखी है ताकि पास के नेबरिंग स्टेट्स हैं एक तरफ तो इस सदन के माननीय सदस्य कह रहे थे जो चीज वहां जाती है वह आगे भेज दी जाती है और मैं कहता हूं कि इससे स्मगलिंग की पासीबीलिटी ज्यादा होगी । जहां तक परमिट्स दिऐ जाने का सवाल है राज्य सरकार की कतई इच्छा नहीं है कि परमिट देने के बाद यदि वहां अनाज मिल सकता है तो आज किसी को परमिट्स नहीं दिए जायें लेकिन परमिट्स उन व्यापारियों को दिए गये हैं और मैं इस प्रकार के आदेश भी कलेक्टर, बांसवाड़ा को दे रहा हूं कि वहां पर जिस आदमी की यह पासीबिलीटी हो कि वह स्मगलिंग नहीं करेगा जिसके करेक्टर और एन्टीसीडेन्ट्स से कलेक्टर सेटिस्फाइड हो कि यह आदमी आगे जाकर स्मगलिंग नहीं करेगा उसको परमिट हम देंगे । लेकिन दस मील के एरिया में लोगों को राहत मिल सके तो परमिट के लिए लीनियेन्सी बरती जाये ऐसा मैंने कलेक्टर बांसवाड़ा को लिखा है । बैल्ट एरिया के सम्बन्ध में क्या उसका एरिया रखना चाहते हैं इस बारे में मैं एक विस्तृत स्टेटमेन्ट दो तीन दिन में सदन में देने वाला हूं क्योंकि यह जो कानून है यह भारत सरकार द्वारा प्रामलगेट किया गया है । इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेन्ट हो उसको भारत सरकार नहीं मानेगी । लेकिन एसेन्शल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा 3 के नीचे इस प्रकार के आर्डर्स प्रामलगेट भारत सरकार करती है और यह सभी स्टेट्स के लिए किया है । केवल राजस्थान के लिये ही नहीं है । इसके अलावा जहां उन्होंने जोन्स बनाये हैं और जो जोन्स का क्षेत्र हैं उसकी ज्यूरिस्डिक्शन के लिए उन्होंने किया है·······

इसलिए उसमें जो कुछ किया जा सकता है वह स्थिति तब आपको मालूम होगी जब मैं दो तीन दिन में इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटेन्शन नोटिस था ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में आयेगा ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ मिस अन्डरस्टेन्डिंग हो गई है ।

दो स्टेटमेंट आज थे, एक तो माननीय हीरा भाई का और दूसरा रामानन्द जी का । इसकी तो मेरे को सूचना नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कार्य सूची में यह आया हुआ है ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इसलिए इसको कल या परसों ले लीजिये ।

श्री रामकिशन : कौनसा ।

श्री हीरा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, on a point of order इसकी सूचना पांच सात दिन पहले दी जा चुकी है जब यह प्रस्ताव आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका वाला नहीं है, जैसलमेर वाला है ।

श्री हीरा भाई : इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका आ रहा है ।

एक माननीय सदस्य : जैसलमेर वाला मामला है इसमें गवर्नमेंट कल परसों कर रही है, यह बहुत जरूरी मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें कल !

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैंने वैसे इसकी तैयारी कर ली है l लेकिन मैं यह सोचकर आया कि आज दूसरे सवाल आयेंगे, उसके कागज नहीं लाया । मैं कल दे सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर कल वक्तव्य दें ।

श्री भैरोंसिह : आज क्यों नहीं जब कि एजेन्डे पर है ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माफी चाहता हूं । क्योंकि बातचीत के आधार पर मैंने यह सोचा कि हीरा भाई वाला और रामानन्द जी वाला प्रश्न आयेगा और यह मामला कल आयेगा ।

श्री रामकिशन : बातचीत किससे हो गई–इसके बारे में बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल सहायता मन्त्री !

श्री बृज सुन्दर शर्मा (अकाल सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 5–6–67 को कुशलगढ़ क्षेत्र में कोई सड़क बन्द नहीं की गई । पर चूंकि इन सड़कों पर अधिकतर काम पूरा हो गया है और शेष कुछ ही काम बचा है अतः थोड़े से मजदूर रख कर शेष काम वन विभाग, भू–संरक्षण विभाग व सिंचाई विभाग को भेज दिये जाने का प्रयास किया गया है । जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्थगन प्रस्ताव में स्वीकार किया है कि उनसे जंगल के पहाड़ों में खाई खुदवाने का काम करवाया जाता है । सरकार मजदूरों को कार्य देने के लिए कृत संकल्प है । यह कार्ड सड़कों का, वन विभाग का भू संरक्षण विभाग का या सिंचाई विभाग का हो सकता है। वन विभाग के अधिकारियों व जिलाधीश को निर्देश दे दिये गये हैं कि सामान्य पी. डब्ल्यू. डी दर से 25 प्रतिशत अधिक, जैसा कि फैमिन कोड में प्रावधान है मजदूरों को भुगतान करवा दें । जहां मिट्टी सख्त है वहां काम कम लिया जावे–यह भी निर्देश दे दिए गये हैं ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चूंकि मजदूरों ने कई जगह काम कम किया है। अतः फेमिन कोड की धारा 79 के अनुसार उनकी मजदूरी में तदनुसार कमी की गई। औजारों की व्यवस्था करने के लिए 2 लाख रु. की राशि वन विभाग को स्वीकृत कर दी गई है।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें आपने आदेश तो दे दिए हैं लेकिन एक बात यह है कि जब पहली तारीख से मजदूरों को काम में लिया जा रहा था तो उसके बाद में पांच तारीख को कलेक्टर ने जाकर मजदूरों को हटा लिया और हाजिरी का मस्टर रोल वगैरह देने से रोक दिया। और तीसरी बात यह कही कि जो इन मजदूरों की पगार चढ़ी हुई है, वह खत्म, वह नहीं दी जायेगी। अगर तुमने दे दी है तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्यवाही करके तुम्हें हटा देंगे। तो जो मस्टर रोल नहीं दिया गया है उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिसने काम किया है और जिसकी हाजिरी दर्ज है उसका पेमेंट किया जायगा। यदि कलेक्टर ने यह चीज की है तो वास्तव में गलत की है और इसको सुधारा जायगा।

श्री हीरा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, किस आधार पर मजदूरों की मजदूरी लगेगी, वहां पर सड़कों पर काम बाकी है, उसके हिसाब से लगेगी या नहीं? दूसरी बात यह है कि मजदूरों को रोकने का एक कारण यह है कि उत्पादक कार्य जो हैं, इमारत की व्यवस्था या दूसरे निर्माण कार्य हैं उनमें गवर्नमेंट को फायदा है। और मेढ़ बन्दी के सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि उनमें एक घण्टा भी काम नहीं चल रहा है। वह कहते हैं कि क्योंकि ट्रेन्ड आदमी नहीं हैं इसलिए इनको काम पर नहीं लिया जायगा। इसके अलावा जो सिंचाई वगैरह का, तालाब वगैरह का काम चल रहा है, उसमें दो सौ, पांच सौ आदमियों को रखने की लिमिट है और उसके अनुसार ही इन्जीनियर मजदूरों को लगाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाते हैं। उसके बारे में जब तक मजदूरों को भर्ती करने और उनको काम पर लगाने के आदेश नहीं देंगे तब तक टेम्प्रेरी तरीके पर मजदूरों को दूसरे काम में लगाइये। तालाब के काम में तो एक लिमिट से ज्यादा मजदूरों को लगाते नहीं और मेड़ बन्दी के बारे में स्थिति मैं आपको बताऊं कि दो तीन जगह पांच दस आदमियों को लिया गया है और यह कह दिया है कि अब नहीं लिया जायगा इसका नतीजा यह होगा कि मजदूर लोग रोते रोते मर जायेंगे या फिर भूखे-प्यासे रह कर जो लोग जंगलात में गये वहां पर उनसे छः छः दिन तक काम लिया गया लेकिन मजदूरी के ढाई रुपये, किसी को तीन और किसी को डेढ़ रुपये दिये गये। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक मजदूर भूखे-प्यासे रहें और पेट की ज्वाला से जलते रहें तब तक वह दिन भर काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके पास में औजार नहीं हैं, वैसे इस काम पर अगर

(श्री हीराभाई)

गवर्नमेंट मजदूरों को पांच रुपये रोजाना भी दे तो भी कोई मजदूर नहीं आयेगा लेकिन वह खुद की परिस्थितियों के कारण काम पर जाते है। लेकिन उनसे काम पूरा नहीं होता हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की जमीन राजस्थान के इस इलाके में है उसके लिए आपने रखा है कि वह 100 फीट का काम पूरा कर दें। अब वह सौ फीट का काम पूरा नहीं कर सकता है तो उसको यह कहा जाता है कि तुम काम नहीं करना चाहते हो, तुम सब मिल कर गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हो और इस तरह उनको दुत्कार कर और धक्के मार कर वापिस भेज दिया जाता है। इस तरह की सरकार की कार्यवाही को जो भी सुनेंगे तो वह गवर्नमेंट को बुरा कहेगे। तो आप यह आश्वासन दें कि जंगलात की व्यवस्था के बारे में आप आदेश देंगे और दूसरे उनकी रेट भी निर्धारित करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि जो मेड़ बन्दी का काम चल रहा है, वह जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में चल रहा है वहां के जो सोइल कन्जर्वेशन अधिकारी है, वह ग्राम सेवक लोगों के आधार से काम कराने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे माथुर साहब हैं वह यह नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि ग्राम सेवक के आधार पर नहीं, जो लोग मेड़ बन्दी की ट्रेनिंग लेकर आये हैं, जो इस काम को समझते हैं वह इन काम को करेंगे। इस तरह गवर्नमेंट की ढिलाई के कारण मजदूरों का गला घोंटा जा रहा है और उनको भूखा मारा जा रहा है। उसके लिए क्या आप तुरन्त व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई है वह इस महिने के शुरुआत में अवश्य थी क्योंकि जो सीलिंग लगा दी गई थी उसके अन्तर्गत जो कलेक्टर थे, वे यह कहते थे कि हमारे पास इतना रुपया है, इसलिए इतने मजदूरों को काम में लेंगे। दूसरे स्टडी टीम आई थी, जिसके बारे में इस सदन को बता दिया गया है, उसने यह निर्णय लिया था कि प्राडक्टिव वर्क्स पर फेमिन रिलीफ का रुपया खर्च किया जायेगा। उसके बाद में कलेक्टर्स की कान्फ्रेन्स जब यहां हुई तो निश्चित रूप से यह निर्णय लिया गया कि जहां तक हो सके वहां तक प्राथमिकता प्राडक्टिव वर्क्स को दी जाय लेकिन किसी क्षेत्र में साइल कन्जर्वेशन स्टाफ नहीं है और साइल कन्जर्वेशन के वर्क की ठीक व्यवस्था नहीं हो पाती है तो सड़क का काम चालू रखा जा सकता है और जो मजदूर आयें उनको काम पर लेना पड़ेगा। जहां तक दर का ताल्लुक है, यह बात सही है कि उतना काम नहीं हो सकता है क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़े का पहाड़ी इलाका होने की वजह से मजदूर उतना काम नहीं कर सकता है। उसके लिए स्पष्ट आदेश हैं कि मजदूरों को पी-डब्ल्यू डी. की रेट्स से पच्चीस प्रतिशत बढ़ा कर इस व्यवस्था के आधार पर मजदूरी का पेमेन्ट किया जाय। दस बाई दस का जो गड्ढा है उसके लिए जो पैसा मिलता है उसमें 25 प्रतिशत बढ़ा कर इस बारे में पेमेन्ट किया जायगा। औजारों का जहां तक ताल्लुक है, माननीय सदस्य

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ने कहा कि औजार नहीं है। कलेक्टर को दो लाख रुपये औजार की खरीद के लिए हमने सेंक्शन करके भेजे हुए हैं। अभी तक आपने जैसा फरमाया है, वहां कलेक्टर से और अधिक रकम की मांग नहीं आई है। फिर भी औजारों की कमी है तो उसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

और मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक फेमिन का ताल्लुक है जो मजदूर आवेंगे उनको काम पर लगाया जायेगा और उनको मजदूरी दी जावेगी जो मजदूरी दी जावेगी वह फेमिन कोड के अनुसार दी जावेगी। यदि किसी को मजदूरी नहीं चुकी हो उसके लिये माननीय सदस्य ने बताया, उनके लिये मजदूरी देने का आदेश दे दिया गया है। और भी कोई दिक्कत हो तो माननीय सदस्य आकर कह सकते हैं और मैं तुरन्त उसका प्रबन्ध करूंगा।

एक माननीय सदस्य : मजदूरों को आधी मजदूरी नहीं चुकी है और पी डब्ल्यू. डी. के मजदूरों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में ध्यान देंगे और कोई प्रबन्ध करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे माननीय सदस्यों ने सूचित किया है मैं उसकी वजह मालूम करूंगा। माननीय सदस्य कहते हैं उसके लिये मैं नेसेसरी एक्शन जरूर लूंगा।

श्री हीराभाई : मैं आपका काट करना नहीं चाहता। मैं यह कहूंगा कि जब कलेक्टर के पास आपके आदेश ले जाते हैं तो कहते हैं कि इनको रद्दी के कागजी टुकडों में रहने दो यहां तक कह देते हैं। इसलिये आपके आदेशों का पालन नहीं होता। आप आदेश तो दे देते हैं। आज हमारे उधर मजदूर मर रहा है और ऐसे लोगों को खुशी होती है और आराम होता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिये आप व्यवस्था करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो मजदूरों की सवाई मजदूरी का आधार रखा है वह सही आधार क्या है? आपने चट्टान और मुलायम जमीन में फर्क है, इसलिये उसकी पूर्ति आपके इससे कैसे होगी?

दूसरा प्रश्न यह है कि जहां सरकारी अधिकारियों का रवैया है और वो लोग ठीक तरह से काम नहीं करते हैं उसके लिये आपने कहा कि आपको सूचना दें। हर मामले में माननीय सदस्य आपको सूचना दें तब आप कार्यवाही करेंगे। आपका और आपकी सरकार का भी यह कर्तव्य होता है कि अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है और अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है तो सरकार को खुद को देखना चाहिये और केवल सदस्यों की शिकायत पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत : जैसा हीरा भाई ने कहा कि मंत्री महोदय के आदेश फायलों में ही पड़े रहते हैं और अमल में नहीं लाये जाते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो स्टेटमेंट है। अगर कोई आदेश मंत्री द्वारा दिया गया हो और उसका पालन नहीं किया गया हो तो आप कहें।

श्री विजयसिंह : मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूं कि 13 तारीख को अकाल राहत कमेटी मुकर्रर की गई। माननीय मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट आफीसरों को यह आदेश देकर गये कि जहां अकाल ग्रस्त एरिया हो वहां काम खोल दिये जावें और जल्दी खोल दिये जावें। मैं आगे के फरदर आर्डर कर देता हूं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि एक महिना और दो दिन हो गये मगर अभी काम नहीं खोले हैं। वहां के इरिगेशन इंजीनियर का पता नहीं कि वे कहां हैं उनका पता लगाया तो मालूम हुआ उनका रवैया डूंगरपुर में भी ऐसा ही था। इसलिये सरकार की तरफ से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। गांव की जनता के पास मजदूरी के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं। मंत्री ने कह दिया कि सेंक्शन कर दूंगा। मगर काम चालू नहीं हुए इसलिये सरकार को इस पर जरूर कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री विट्ठल : कोई भी मजदूर सड़कों पर जावे उसको नहीं रखा जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि जब आपने एक क्षेत्र बना रखा है कि 10 मील के पास में कोई मजदूरी के लिये कार्य नहीं खुलेगा और उनको नहीं लिया जावेगा। मजदूरी करने वाली औरतें जिनके पास एक बच्चा होता है वे अपने बच्चे को ले कर जाती हैं और मजदूरी करके शाम को घर पर जा कर अपना खाना खायेगी तो वह 10 मील चल कर बच्चे को लेकर कब मजदूरी पर जावेगी और कब वापिस घर जाकर खाना खायेगी ? इसलिये बीच में मजदूरी खोलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जहां आपकी मंजूर शुदा सड़कें हैं वहां पर रिलीफ के लिये कमेटी ने मंजूरी दे रखी है मगर मस्टर रोल नहीं लिये जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 50 मील का ऐसा क्षेत्र है जहां पर मजदूरों को नहीं लगाया जाता है : मैंने कहा कि क्यों नहीं लगाते तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को कहो। वहां पर कोई काम नहीं चलाते और दूसरे उनको लेते नहीं। जब 20 मील पर बांसवाड़ा जाते हैं तो कहते हैं कि क्लर्क के पास जाओ और जब क्लर्क के पास जाते हैं तो वह कहता है इंजीनियर के पास जाओ। इसलिये मैं कहूंगा कि यह आपके विभाग की ढिलाई है उसको मजबूत बनाया जाय। बाकी जहां पर काम चल रहे हैं वहां पर जो भी मजदूर आस पास का आ जाए तो उनको लगाया जाना चाहिये जो नहीं लगाये जा रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि दो तीन महिनों की बात है आप उनको लगा दीजिये बाद में वर्षा हो जावेगी और मजदूर बहुत कम हो जावेंगे। वर्षा होने वाली है इसलिये अब भी आप भलाई लेना चाहें तो ले लीजिये। उनको इस समय मजदूरी की जरूरत है। इसलिये उनको मजदूरी इस समय मिल जानी चाहिये ताकि ये अपना पेट पाल सकें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय इस सदन के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्री ने मुझे यह आश्वासन दिया कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अकाल राहत कार्यों में कोई कमी नहीं की जावेगी। मुख्य मंत्री ने यह भी बात सदन में कही कि बांसवाड़ा जिले में एक लाख 10 हजार आदमी काम कर रहे हैं। उसके लिये मैंने अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में 50 हजार से ज्यादा आदमी राहत कार्य पर नहीं लगाये गए है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि यह एक कठिन समस्या है और थैंकलेस जॉब है, लेकिन इस पर सरकार की जो कमियां है उनकी तरफ इधर की तरफ से और उधर की तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी जानबूझ कर भ्रष्टाचार करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि आसपुर में 10-10 मील से लोग आए हुए थे जो अपने साथ खाना बांध कर लाये कि उनको 15-20 दिन की मजदूरी का पैसा है वह ले आयेंगे। जो किसी को तीन-तीन सप्ताह की मजदूरी नहीं दी गई थी वे लोग उसे प्राप्त करने के लिए आये। उनको मजदूरी नहीं दी गई जब मैंने यह सुना और भी सुना कि कर्मचारी मजदूरी नहीं देते हैं तो मैं स्वय वहां पर गया और उसके 10 मिनिट के बाद से मजदूरी शुरू हो गई। मैं वहां पर 8 घंटे बैठा रहा। मैंने उनसे कहा कि आप इनको मजदूरी क्यों नहीं देते हैं ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करीब 20 हजार रुपयों का चकारा 8 घंटों में कर दिया गया। जब मैं वहां पर गया तब यह हुआ। उसके पहले तीन दिनों से वे लोग बैठे थे मगर उनको पैसा नहीं मिला। मैं यह कहूंगा कि एक कड़ी सरकारी अधिकारियों की जुड़ी हुई है जिसमें ओवरसीयर वगैरह को काफी रकम जाती है और आधी रकम लोगों को चुकाई जाती है। यह तो एक आम शिकायत है।

दूसरी आम शिकायत यह है कि मस्टर रॉल के फार्म उपलब्ध नहीं होते। अगर मजदूर आते हैं और मजदूरी करते हैं और उनकी हाजरी वगैरह छपे हुए फार्म पर लिखी जाती है तो सरकार उनको मान्यता नहीं देती है और उसका चुकारा नहीं करती। सरकार को इस बारे में गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये। इसके साथ-साथ सरकार ने जो भी काम जिला भीलवाड़ा में राहत कार्य के लिए खोले हैं उसके लिए मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रखा है। उसकी जानकारी दो दिन बाद होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो पीपलदा खोड़ से आये हैं और उन्होने कहा कि 10-10 मील से चलकर औरतों और बच्चों को आना पड़ता है और एक आदमी को एक रुपया दो आना और औरत को 12 आना दिया जाता है। जो औरतें अपने बच्चों को टोकरियों में सिर पर रख कर ले कर आती हैं और मजदूरी करती हैं तो सरकार को इस सम्बन्ध में मेरे ख्याल से विजिलेन्ट रह कर ऐसे स्थानों पर राहत कार्य खोलने चाहिये जहां 5 या 6 मील से ज्यादा किसी मजदूर को चल कर नहीं आना पड़े।

(1 म प.)

मैं मानता हूं कि मन्त्री महोदय का मन साफ है, वे अधिक से अधिक इसमें लोगों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को फायदा पहुँचाना चाहते हैं पर जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आपके जरिये व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार की व्यवस्था करें कि तुरन्त जानकारी प्राप्त हो जाय। विरोधी पक्ष की तरफ से कई बातें कही जाती हैं तो मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारीगण बिल्कुल ही अवहेलना करते हैं पर यह तो दीपक वाला है, यह झंडे वाला है, झोपड़ी वाला है उसके पास जाओ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। यह तो जनता का प्रश्न है। जनता में कांग्रेस सोशियलिस्ट, जनसंघ, स्वतन्त्र सभी हैं। चुनावों के पश्चात उदारता से जनता के प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिये, जनता का अधिक से अधिक हित हो वह व्यवस्था करनी चाहिये।

यह भी मैं निवेदन करता हूं कि चाहे आदिवासी हों, चाहे अन्य लोग हों, वे अगर मजदूरी चाहें तो उनको मजदूरी देनी चाहिये। नहीं तो अकाल राहत का कोई मतलब ही नहीं रहता। पढ़े-लिखे लोगों को कहा जाय कि तुम तो पढ़े-लिखे हो, तुमको यहां पर काम नहीं दिया जा सकता, तुम तो जाओ अहमदाबाद, वहां मिल में काम करो, तो यह अशोभनीय है। इस प्रकार का प्रचार भी बन्द होना चाहिये। राजस्थान सरकार को एक तरह से डबल चेकिंग से इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। जो मेट हैं, सुपरवाइजर हैं, कर्मचारी हैं वे समय पर उजरत नहीं देते हैं तो उनको सजा देनी चाहिये। मैंने जिला कमेटी में बार-बार यह सुझाव दिए हैं कि कलेक्टर को यह तय करना चाहिये कि जो उजरत है वह पन्द्रहवें के पन्द्रहवें दिन दी जानी चाहिये। महीने-महीने तक चुकारा नहीं होता है। मस्टर रॉल नहीं मिलते हैं। इस सब में सुधार की व्यवस्था करनी चाहिये। इसी सुझाव के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि हर हालत में 7 रोज में मजदूरी मिलनी चाहिये।

दूसरा सुझाव यह देना चाहूंगा कि वीकली होली डे का प्रावधान रखा है तो यह क्या केवल मखौल है? आपने तो काम की एक निश्चित मात्रा तय कर दी है कि 100 फीट मिट्टी खोद कर सड़क पर डाल देगा उसको 1 रु. 2 आना मिलेगा। कमजोर आदमी है और वह 3 दिन में इतना काम करता है तो उसको 3 दिन की मजदूरी 1 रु. 2 आना मिलेगी। निश्चित मात्रा में मिट्टी खोदेंगे तो औरतों के लिए 87 पैसे और बच्चों के लिये 75 पैसे मिलेंगे। जब आपने यह निश्चित कर दिया कि निश्चित परिमाण में मिट्टी खोदने पर मजदूरी मिलेगी तो फिर छुट्टी का क्या सवाल? छुट्टी का रखा है तो यह कीजिये कि 6 दिन काम करने पर एक दिन की मजदूरी उसे बिना काम किये दी जायगी। वरना छुट्टी का रखना यह तो एक मखौल है!

मुझे तो ऐसा लगता है कि एक निश्चित मात्रा आपने तय कर दी है तो फिर यह

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

करिये कि एक ताकतवर आदमी एक दिन में आपके द्वारा निश्चित मात्रा से दुगुना काम करता है तो उसे दुगुनी मजदूरी दी जायगी।

आप सडनली विजिट करके मौके पर देखें। इससे थोड़ा इसमें सुधार आवेगा। विरोधी दल के नेता महोदय कह रहे थे कि एक सूचना मिलती है सदन में कि बांसवाड़ा में 1 लाख 10 हजार आदमी काम कर रहे है, पर उनकी सूचना के अनुसार 50 हजार ही काम कर रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि एक बार विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि धोतियां वल्द पोतिया के नाम से तनख्वाह लेते हैं। इस तरह केवल 50 आदमी काम पर लगा लिये जांय और धोतिया-पोतिया के नाम से 100 आदमी दिखा कर 100 की तनख्वाह हजम कर ली जाय, इस प्रकार की कार्यवाहियां अधिकारी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण न दें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं बस खत्म कर रहा हूं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मानवीय कार्यों में भी भ्रष्टाचार चलता है तो मंत्री महोदय केवल अपनी कुर्सी पर टिके रहने के दृष्टिकोण से ही कार्य न करें, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से रात में महनत मशक्कल करके मौके की फ्लाइंग विजिट करेंगे और नौजवान उत्साही अफसरों को प्रेरणा देंगे।

श्री दिग्विजय सह (उनियारा) : एक जानकारी मैं करना चाहूंगा। मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा।

आप जो मेट और सुपरवाइजर रोड्स पर लगाते हैं उनके लिये क्या आपने कभी देखा है कि आया कहीं दूसरी जगह से तो वे रेम्युनरेशन नहीं ले रहे हैं ! कई ग्राम पचायतों के, न्याय पचायतों के सेक्रेटरी हैं। उधर से भी तनख्वाह ड्रा करते हैं और रिलीफ वर्क पर लग जाते हैं, तो वहां से भी तनख्वाह ड्रा करते हैं। आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं। जो सुपरवाइजर हमारे यहां लगा हुआ है, उसको 80 रुपया तनख्वाह न्याय पंचायत से मिलती है और 60 रुपया रिलीफ वर्क से ड्रा करता है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था कि मजदूरों को दो महीने तक मजदूरी नहीं दी गई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन तमाम मजदूरों को बकाया मजदूरी मिल चुकी है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्यों ने इस बारे में जो सुझाव दिये हैं कई अच्छे हैं पर हम यह मानकर चलते हैं कि फेमीन का काम रेगुलर पी. डब्ल्. डी. का काम नहीं है। इनमें जो मजदूरी दी जाती है इतनी ही होती है कि फेअर सब्सिस्टेन्स हो, वे अपने परिवार का गुजर कर सकें, मुसीबत का समय निकाल सके।

Page No. 60

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

जहां तक काम का सवाल है जो आदमी जितना काम कर सकता है उसी पर टास्क बेसिस रबर बनाना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस प्रकार की हालत है, जहां काम चल रहा है वहां निश्चित रूप से कह सकता हूं कि काफी संख्या में लोग काम पर आते हैं। मैंने फिगर्स मगवाये है, 4:6:67 को बांस-में 86,158 व्यक्ति काम पर हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या माननीय मथुरादास जी ने 1,10,000 का नहीं कहा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 1 लाख 10 हजार का नहीं कहा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने सुना, मेरे कान खुले हुए हैं। एक मंत्री एक बात कहता है, दूसरा मंत्री दूसरी बात कहता है और मेरे पास सूचना है कि 50,000 से अधिक नहीं हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिगर्स मेरे पास आते हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : हर जगह यही स्थिति होती है। 50 व्यक्तियों की जगह अधिकारियों द्वारा 100 दिखाये जाते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैंने एडीशनल कमिश्नर को डूंगरपुर-बांसवाड़ा स्थिति को देखने के लिये भेजा, मालूम करने भेजा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आप और आपके अफसर जाते हैं तो हाथी पर बैठ कर जाते हैं, सडन 'विजिट' करिये तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उनके बारे में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वे हाथी पर नहीं बैठने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं।

श्री रामकिशन : हाथी से मतलब हाथी ही नहीं है। आपने तो सचमुच हाथी समझ लिया।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरे पास ब्रेक अप है कि किस काम पर कितने कितने आदमी लगे हुए हैं। सॉइल कन्जरवेशन बांसवाड़ा में 24 जगह पर काम चलता है। माइनर इरिगेशन में 117,98 आदमी काम करते हैं, फारेस्ट में 33 जगह काम चल रहा है 7,624 आदमी काम पर लगे हुए हैं।

श्री विजयसिंह रावत : सुनाई नहीं हैता।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कुल 213 काम हैं।

श्री विजयसिंह रावत : सुनाई नहीं देता।

श्री रामकिशन : कम से कम बोलें तो ऐसा बोलें जो सुनने में तो आए। आपके लिए तो अकाल नहीं है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इस तरह से कुल 213 वर्क्स हैं जिन पर 4-6-67 को 86,128 आदमी काम पर लगे हुए हैं। माननीय सदस्य जब यहां से जावेंगे तो शायद यह शिकायत उनको नहीं मिलेगी कि किसी व्यक्ति की बाकी निकलनी हो। मैंने 8 दिन पहले आदेश दे दिए हैं कि जितना रुपया बकाया है उसका भुगतान किया जाय और भविष्य में 15 वें दिन की 15 वें दिन पेमेंट की जाय।

श्री हीरा भाई : 15 दिन बहुत लंबा समय है। मिलेगा कितना ? 6 या 7 रुपये।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हमारे लिए नामुमकिन बात है।

श्री हीरा भाई : आपका रिलीफ कानून है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हीरा भाई, 15 दिन की 15 वें दिन में दें तो भी अच्छा है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : 15 दिन के लिए ही जब इतनी शिकायत आती है तो....

श्री हीराभाई : तो रिलिफ एक्ट का आप खुद हनन कर रहे हैं। एक तरफ तो आप महंगाई के जमाने में मजदूरी नहीं बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ पेमेंट करने का जो कानून है उस बारे में कहें तो आप कहें कि भारत सरकार कानून बनाती है, मजदूरों की कमी करनी है तब तो कानून बनाने का अधिकार आपका हो गया।

श्री रामकिशन : यह दुहरी बानी नहीं चलेगी।

श्री हीरा भाई : हम आपको पैसे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं करते। इस मंहगाई के जमाने में 1.50 रु० दें तो ठीक है लेकिन मजदूरी के लिए आप कहते हैं कि भारत सरकार कानून बनाती है लेकिन भारत सरकार के लिए कानून के अनुसार 8 दिन के अन्दर पेमेंट करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Is it not an open defiance of the law ? मन्त्री महोदय खुद ओपनली इस बात को कहें कि हम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। स्टाफ बढ़ाना है तो बढ़ाइए। कानून बना हुआ है उसके लिए सरकार कहें कि हम पाबन्द नहीं हो सकते, Is it not an open defiance of the law ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं मान कर चलता हूं कि कोई कानून की अवहेलना नहीं करता है। जो मजदूरी दी जाती है, कानून के अनुसार दी जाती है, यह फेमिन कोड के बेसिस पर है। जो मजदूर काम पर आना चाहते हैं सबको काम पर लिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब कोई इस बात की शिकायत नहीं हो सकती कि अमुक आदमी को काम पर नहीं लगाया। थोड़े दिन और बाकी हैं। जैसे श्री हीराभाई ने कहा 15-20 दिन में वर्षा हो जायगी तो हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि काम बन्द किए जायं और काम पर किसी को न लिया जाय।

श्री रामकिशन : 25 परसेन्ट बढ़ाने की बात करिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 25 प्रतिशत ज्यादा मिलता है ।

श्री रामकिशन : रॉक्स के लिए कहिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : रॉक्स की बात नहीं है । वहां मिट्टी खुदवाने का काम है तो ज्यादा पैसे हैं लेकिन जो मिट्टी मिली ककड़ हैं........

श्री रामकिशन : रॉक्स के लिए कहिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : राक्स का नहीं है । चट्टानों के लिए स्पेशल रेट्स मुकर्रर हैं ।

श्री हीरा भाई : जब तक आप सुरग का कानून नहीं लगायेंगे ।

श्री रामकिशन : बहुत जरूरी मामला हैं ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : कुछ वेतन काइंड में देने की व्यवस्था करेंगे, कैश के अलावा अनाज के रूप में ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक बात का तो मंत्री महोदय यह विश्वास दिलायें कि भविष्य में 15 दिन की 15 वें दिन मजदूरी बिला नागा दिलाई जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हां मैं विश्वास दिलाता हूं कि 15 दिन की 15 वें दिन चुकाई जायगी ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अगर नहीं चुकाई गई तो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: तो एक्शन लिया जायगा ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ये आश्वासन झूठे साबित होते हैं । अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार सख्त से सख्त कदम उठायेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो कायदा है उसको यदि कोई तामील नहीं करता है तो डिसिप्लनरी एक्शन अवश्य लिया जायगा ।

श्री रामकिशन: स्त्री और पुरुष के वेतनों में जो फर्क रखा है 87 पैसे और 1: 12), तो आप मानते हैं कि स्त्री कम खाती है ? स्त्री को भूख ज्यादा लगती है । हिन्दुस्तान की संस्कृति के अनुसार भूख और अकाल की मार औरत पर ज्यादा पड़ती है । वे पतियों को खिलाने के बाद ही खाती है । आप थोड़ा बहुत तो मानवीय बनो । मजदूरी तो बराबर दो । भूख और गरीबी की मार औरत पर ज्यादा होती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारतीय संस्कृति का नाम क्यों लेते हैं ? यह कहिये ना कि महिलाओं में आपकी रुचि है ।

श्री रामकिशन: मेरी रुचि तो हर महिला और पुरुष में है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: वर्क का एडजस्टमेंट किया गया है कि टोटल वर्क पर रुपया किस तरह बांटा जाता है। उसकी पत्नी तो ढोने का काम करती है। पुरुष, स्त्री और बच्चा तीनों को मिलाकर एडजस्टमेंट होता है। कोई खोदने वाला है, कोई ढोने वाला, सबका काम अलग अलग है।

श्री रामकिशन : आदिवासियों में बहुपत्नि प्रथा है। जब एक ही परिवार के सब लोग काम पर जाते हैं तो ऑफीसर्स उनसे पूछते हैं कि इतनी पत्नियां ? आप ऑफीसर्स को समझाइए कि यह प्रथा है।

एक माननीय सदस्य: यह जो आपने बात कही कि तीन-तीन चार-चार पत्नियां रखने की रिवाज है, यह अक्सर नहीं है, बहुत कम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय अलवर तहसील में रूंध मदारपुर में 400 बीघा जमीन का अनुचित तौर पर एलाटमेंट संबंधी मामले की ओर में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अन्तगत राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। उपाध्यक्षजी, अलवर तहसील में 400 बीघा जमीन पिछली 6 फरवरी 1967 को हमारे वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने के आर्डर निकले। आम तौर पर जो इस तरह की जमीन वन विभाग से राजस्व को ट्रान्सफर की जाती है वह कलेक्टर और तहसीदार के सुपुर्द की जाती है 'नारमली' जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 है उसके तहत जो नियम बने हुए हैं उनके तहत तहसीलदार और लैंड एलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी जिसमें प्रतिनिध चुने हुए भी होते हैं उस लड को एलॉट करती है। इसी रूल से इस आर्डर से पहिले जो 6 फरवरी को 400 बीघा जमीन के बारे में आदेश निकले, जून जुलाई के महीने में 125 बीघा जमीन और रेवेन्यू विभाग को हस्तांतरित की गई और वह उसी तरीके से राजस्व विभाग को दे दी गई और रेवेन्यू विभाग में तहसीलदार के द्वारा लैंड एलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी के जरिए उसे एलाटमेंट कर दी गई लेकिन यह जमीन जो अजीब हालत में आम चुनाव जब अलवर में 20 तारीख को होने वाले थे उससे 14 दिन पहिले इसका एलॉटमेंट हुआ और विशेष तौर से आदेश निकाले गए, उस ओर मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। 6 तारीख के ऑर्डर में यह कहा गया है कि यह जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हस्तान्तरित की जाती है उसमें यह बात जोड़ी गई कि यह जमीन ग्राम चान्दोली के हरिजनों को एलॉट करने के लिए हस्तान्तरित की जाती है। पहला वायोलेशन रूल का यह हुआ कि ग्राम चान्दोली उस जगह से 7 मील दूर है। शाहपुरा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है और यदि इसकी मंशा हरिजनों को ही यह जमीन अलॉट करने की होती तो ग्राम शाहपुरा, कालाडोरा, मलानपुर यहां के हरिजन जो काफी अर्से से इस जमीन को भूमिहीनों को देने के लिये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हस्तान्तरित करने की काफी अर्से से मांग करते आ रहे थे लेकिन उनकी मांग को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नजर अन्दाज करके 6 फरवरी को यह आर्डर निकाल दिया कि यह जमीन चान्दोली के हरिजनों को अलॉट की जाय। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को वन विभाग से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर कराने का अधिकार है लेकिन कोई स्पेशल सरकमसटान्सेज हो, जैसे इन्डो पाक और इन्डो चाइनीज वार हुई उनमें हताहत लोगों को फारी जमीन अलाट करनी है तो नामजद तरीके से अलाटमेंट के आर्डर किये जाय तो समझ में आ सकता है। लेकिन इस तरह की यहां कोई बात नहीं थी और तीन लाइन का आर्डर है, इसमें यह लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, 'राज्य सरकार 400 बीघा........शाहपुरा सब डिविजन अलवर.......

उसमें खड़ी हुई वन सम्पदा को नीलाम करने के पश्चात् ग्राम चान्दोली के भूमिहीन हरिजनों को आवटन करने हेतु राजस्व विभाग में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

जो टिम्बर खड़ी है उसको नीलाम करने के बाद वन विभाग उसको ट्रान्सफर करे ऐसे आर्डर थे। उस आर्डर में ग्राम चान्दोली का स्पेसिफिक नाम था और आगे नहीं था। जो लोग इन्ट्रेस्टेड थे या डिपार्टमेंट के मन्त्री महोदय या और भी कोई लोग किन्हीं व्यक्तियों को वह जमीन देने में इन्ट्रेस्टेड थे, समाज कल्याण विभाग जिसका अलाटमेन्ट से ताल्लुक नहीं था वहां 13 फरवरी को डाइरेक्टर सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट का एक डी. ओ. लेटर कलेक्टर अलवर के नाम जाता है और उसमें यह लिखा है कि चान्दोली के हरिजनों ने माननीय मन्त्री महोदय समाज कल्याण विभाग के पास अपनी दरख्वास्त दी है कि हमें अलाटमेन्ट दिया जाय और उन्होंने दरख्वास्त दी है उसकी जांच के लिये डिप्टी डाइरेक्टर को भेजा और डाइरेक्टर सहाब ने जांच के बाद 52 फेमिलीज को छांटा और 52 फेमिलीज के नाम डाइरेक्टर सहाब ने लिख कर कलेक्टर को आर्डर में लिख दिया कि इन 52 फेमिलीज को जमीन अलाट कर दें। सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के डाइरेक्टर साहब को तो क्या मिनिस्टर साहब को भी इस तरह अलाटमेन्ट करने का अधिकार नहीं है। 6 तारीख को जमीन ट्रान्सफर करने के बाद दो महीने के बाद डाइरेक्टर का कलेक्टर के नाम आर्डर जाय, यह सब इस बात को प्रकट करता है कि समाज कल्याण विभाग के मन्त्री उन 52 फेमिलीज में इन्ट्रेस्टेड थे, इसलिये स्पेशियली डिप्टी डाइरेक्टर का भेज कर किसी प्रकार जांच करके कलेक्टर को बांधने की कोशिश की कि वह जमीन उन्हीं व्यक्तियों को अलाट कर दें। कलेक्टर ने उस आर्डर को नहीं माना क्योंकि वह राजस्व डिपार्टमेंट से आर्डर नहीं था। 28 फरवरी को चुनाव खत्म हो जाने के बाद राजस्व विभाग से दूसरी चिट्ठी जाती है कि यह जमीन 52 फेमिलीज को समाज कल्याण विभाग से चिट्ठी आयी है उन्हीं को अलाट की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ओरिजनल लेटर में यह लिखा हुआ कि टिम्बर उठा कर उसको नीलाम करने के बाद जमीन का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कब्जा दिलाया जाय, जिन लोगों ने कमिट-मेन्ट किया हुआ था उनको अपना कमिटमेंट पूरा कराना था तो उसमें समय लगना था, तो दुबारा वो आता है। 4 मार्च को नये आर्डर राजस्व विभाग से जारी होते हैं और उसमें यह लिखा हुआ है कि 6 फरवरी लो आर्डर दिया है उसको हम केंसल करते हैं : बगैर टिम्बर के उठाये इस जमीन का फौरन कब्जा दे दिया जाय और टिम्बर वगैरहा का क्या किया जाना है यह बाद में किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है कि यह सारे का सारा अलाटमेंट हुआ है, जो शुरू में ट्रान्सफर आफ लैंड वन विभाग से रेवेन्यू को की उसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है, उस गांव के इर्द गिर्द हरिजनों को अलाट किया उसके लिए एतराज नहीं है, लेकिन जो हरिजन उसी पंचायत और उसी गाव के रहने वाले हैं, भूमिहीन हैं जो बहुत अर्से से मांग करते आ रहे हैं उनको एक्स्क्ल्यूड करके, उनको डिप्राइव करके, राजस्व मन्त्री को, गवर्नमेंट को सेक्शन 101 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो स्पेशल पावर रेसिड्युरी पावर गवर्नमेंट ने रखी है उस पावर को ज्युडिशियल तरीके से काम में लने के अधिकार हैं; आरबिट्रेरी करने के अधिकार नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा नम्बर 1 ओरिजिनल आर्डर राजस्व विभाग का है लेंड ट्रान्सफर करने के लिये चान्दोली ग्राम को अलाट की जाय इस में एड की जाय वह रिडन्डेन्ट है और इललीगल है और गवर्नमेंट इस तरह करने का कोई अधिकार नहीं था। नम्बर 2, उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय ने जो इसके अन्दर व्यक्तिगत हस्तक्षेप इसने पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिया है, यह बहुत ही सदेह उत्पन्न करता है कि यह लैंड ट्रान्सफर हो जाय। हरिजनों को ट्रान्सफर हुई थी, चान्दोली के हरिजनो को हुई थी, एक्स वाई जेड किसी को जाय, लैंड अलाटमेंट मशीनरी को जोड़ा है, जिनसे कमिटमेन्ट है उनसे पूरा नहीं हो सकता उसको पूरा कराने के लिये एक विशेष तरीका अपनाया गया जो तमाम असलियत को रिकार्ड पर रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, क्या जरूरत थी समाज कल्याण मन्त्री को इस बात की जांच कराने के लिये डिप्टी डाइरेक्टर को भेजने की, क्या जरूरत थी समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर को कलेक्टर को चिट्ठी लिखने की कि वह 52 फेमिलीज़ को वह जमीन अलाट करें। माननीय समाज कल्याण विभाग मन्त्री जो अनुसूचित जाति में विश्वास रख सकते हैं, हरिजनों को जमीन मिलें इसमें दिलचस्पी दिखायें, इसके लिये संघर्ष करें उस बात का मैं स्वागत करूंगा लेकिन मदारपुरा, कालाडेरा, ग्राम शाहपुरा के हरिजनों के हितों को डिप्राइव करके, एक्सक्ल्युजिवली चान्दोली के 500 हरिजनों में से 52 परिवारों के ही हितों की रक्षा करें, उनके बारे में लिखे यह मामला ऐसा है जो कानूनी नहीं बल्कि गैर कानूनी है और एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह का एक्शन माननीय समाज कल्याण मन्त्री ने लिया और डाईरेक्टर महोदय से चिट्ठी लिखायी वह सन्देह उत्पन्न करता है। उनके एक्शन के बारे में यह सारी की सारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार्यवाही किस दृष्टिकोण से की गई, कौनसा इन्टरेस्ट इसमें डिपार्टमेंट का था, कोई इन्टरेस्ट नहीं था पर्सनल इन्टरेस्ट लेकर के कानून की अवहेलना करके यह काम किया गया क्या आप इसे ठीक समझते हैं ?

उन 52 हरिजनों के बारे में मैंने जांच की है मेरी जानकारी के अनुसार चान्दोली के 52 हरिजनों में तमाम परिवार जेनुइन परिवार नहीं है। उनमें से काफी परिवार ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों के परिवार बनाकर यह संख्या बनायी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके का दौरा करने गया था वहां के हरिजनों में यह चर्चा थी और आम तौर पर यह बात कही जा रही थी कि उन हरिजनों से एक एक हजार रुपया फी परिवार लेकर बीस हजार रुपया लेकर के अलोटमेंट हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मुझे जब इस बात की सूचना मिली मंने मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखकर मांग की कि यह सारा का सारा मामला डाउटफुल है कानून की अवहेलना करके किया गया नार्मल तरीके की अवहेलना की गई है, जहां तक मेरी जानकारी है उस आर्डर को स्टे किया गया उस वक्त प्रेसीडेन्सियल रूल कायम था। उस रूल को खतम होने के साथ ही मेरी जानकारी के अनुसार भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री महोदय थे उन्होंने इस विभाग से ताल्लुक नहीं होते हुए भी अपने पास्ट कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिये डिपार्टमेंट में गये। और सरकार पर प्रेशर डाला कि आर्डर मंजूर होना चाहिये। मेरी जानकारी के अनुसार उस अलाटमेंट को बरकरार रखने के लिये गवर्नमेंट पर इस प्रकार का दबाव डाला गया जो अनकोस्टीट्यूशनल और गैर कानूनी है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा राजस्व मंत्री महोदय इस अलाटमेंट को तुरन्त जहां लेन्ड राजस्व विभाग को ट्रांसफर करने का ताल्लुक है वह सही है लेकिन उसके लिये परटीकुलर हरिजनों को ही क्यों चुना गया ? इसके लिये जो नोर्मल तरीका है तहसील के जरिये लेड अलोटमेंट एडवाईजरी कमेटी के जरिये इसका अलाटमेंट कराया जाय। और इसके बारे में भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री का और डाइरेक्टर समाज कल्याण विभाग का जिस तरह का एक्शन रहा है उसकी जांच की जाय और जांच के बाद जो तथ्य सामने आवें वे सदन के सामने रखा जाय।

श्री जयकिशन (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का सवाल है इसलिये मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से बहस का कोई अन्त नहीं होगा।

श्री जयकिशन (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा रूंध के अलाटमेंट के संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखीं उनमें कुछ बातें तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। लेकिन यह बात तो मैं भी मानता हूं कि उस अलाटमेंट के संबंध में बहुत बड़ी खामी है जिसको मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(श्री जयकिशन)

क्योंकि शाहपुरा रूंध है शाहपुरा में सत्तर अस्सी करीब हरिजन परिवार हैं उसके नजदीक में मदारपुर गांव है उसमें 25 फेमिलीज रहतीं है। उसके पास में डेरा गांव है उसमें मोस्टली हरिजन रहते हैं। इस तरह से 125 के करीबन हरिजन परिवार शाहपुरा गांव के आसपास में रहते हैं। उससे तीन मील की दूरी पर चांदोली ग्राम स्थित है। चांदोली के हरिजन को अलोट करना और शाहपुरा के हरिजनों को न करना यह उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। साथ ही यह भी बतला दूं हरिजन चांदोली ने शाहपुरां हरिजनों से आज से चार साल पहले उस जमाने में जगलात रेवेन्यू विभाग से ट्रान्सफर कराने के लिये दरखवास्त दी। चूंकि राजस्थान में एक अलाटमेंट कमेटी बनी हुई है जिसमें प्रमुख कलेक्टर और डी. एफ. ओ. बैठते हैं, उस समय अलवर जिला परिषद का मैं प्रमुख था चांदोली के हरिजनों ने शाहपुरा के हरिजनों से यह मांग रखी थी वहां के हरिजनों ने जबरदस्ती उस जमीन पर काश्त भी कर ली थी जिसका मुकदमा चला इस तरह से राज्य सरकार के सामने उनके कागजात उस समय के स्वायत्तशासन मंत्री श्री सम्पतरामजी के समय से बदस्तुर चल रहे हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिडूल्ड ट्राइब्ज को जहां तक प्रीफरेंस देने का सवाल है, इनको जरूर मिलना चाहिये। लेकिन जब शाहपुरा के हरिजनों के पास एक इन्च जमीन नहीं [illegible] के डोरी गांव के हरिजनों के पास एक इन्च जमीन नहीं उसके उपरांत चांदोली के हरिजनों को देदी जाती है तो उन लोगों के लिये कोई चारा नहीं रहता कि वे उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चलें जांय। इसके पीछे 1200 बीघा जमीने थी कुछ तो चाइना के आक्रमण के समय बहरोड़ के जो लोग लड़ाई में मारे गये थे उनके लिये रखी गई थी इसमें किसी को एतराज नहीं। कुछ पाकिस्थान से एग्रेसन के समय दे दी। लेकिन बाकी बची हुई जमीन को जो चाडोली के हरिजन परिवार को दे दी यह परम्परा ठीक नहीं है। माननीय रामानन्द जी ने चोरावास के अन्दर जहां गूजर बसते हैं जिनके बाप दादे पड़दादे वहां रहते आये है, उस समय के स्वायत शासन मन्त्री ने कोआपरेटिव चोरावस को वहां पर जमीन दिलाई। आज वहां के गूजर भूमि के लिये तड़प रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलाटमेन्ट कर दिया है।

श्री जयकिशन : जब राज्य सरकार को पत्र लिखे। राज्य सरकार को पिछली दफा एक पत्र लिखा गया उसमें यह लिखा इस गांव के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाय। राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस गांव के रहने वाले जो लोग हैं वे शाहपुरा के लोग हैं आप और भूमि निकाल दें हरिजनों को शिडूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को दें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन पहले जिन लोगों के बाप दादे वहां पैदा हुए हैं और उसी जगह मरने वाले हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाय। यही मेरा आप से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

श्री जयकिशन : कुछ बातें ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं, चांडोली के हरिजनों के लिये कहा गया कि उन्होंने हजार हजार रूपया इकट्ठा करके समाज कल्याण मंत्री को दिया होगा। यह बातें कही गई। रामानन्द जी ग्रौर वहां के सभी यह जानते हैं कि चांडोली ग्रोर शाहपुरा के हरिजनों को कोई एक हजार रुपया उधार देने के लिये तैयार नहीं है, यह जो इम्प्यूट किया गया वह तथ्य हीन हैं ग्राप भी ग्रलवर में रहते हैं ग्रौर हम भी रहते हैं। जो गलत काम हुग्रा है उसकी हमें निन्दा करनी चाहिये। किसी के लिये मौटिव इम्प्यूट करना जैसे सार्वजनिक कार्यकर्ताग्रों के लिये शोभा की बात नहीं है। इसके ग्रलावा ग्रापने जो बातें रखी हैं। उसके प्रति मेरी भी सहानुभूति है, राजस्व मंत्री इस पर विचार करेंगे। ग्राज नहीं जवाब दे सकते तो कल या परसों इस पर गौर ग्रवश्य करें। ग्रौर जिन लोगों के पास एक भी बीघा जमीन नहीं है उसको दो दो या चार चार बीघा जमीन ग्रवश्य दें।

श्री ग्रमृत लाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, हर सदस्य को यदि बोलने दिया गया तो यह परम्परा के ग्रनुसार नहीं होगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल जिस सदस्य द्वारा ध्यान ग्राकर्षित कराया जाता है वह बोलता है और उसके बाद मंत्री महोदय का जवाब हो जाता है।

श्री ग्रमृतलाल यादव : मेरा नाम व्यक्तिगत रूप से लेकर कहा गया! मुझे दो मिनिट देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : इनको मिलना चाहिये, एक एक हजार रुपये लेने वाली बात को बताना चाहते हैं।

श्री ग्रमृतलाल यादव : महरबानी करके दो मिनिट ही दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले भी निवेदन किया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल प्रस्ताव रखने वाले सदस्य बोलते हैं ग्रौर उसका जवाब मंत्री महोदय दे देते हैं। इसी तरह से मांग ग्राने लगी तो ग्रागे का काम कैसे होगा?

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : स्पष्टीकरण के तौर पर में कहना चाहते हैं इनको तो देना ही चाहिये।

श्री ग्रमृतलाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय माननीय रामानन्द जी के प्रति मेरे दिल में सम्मान ग्रौर ग्रादर था लेकिन उनकी ग्रोर से जिस प्रकार के ग्रारोप लगाये गये वह सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुग्रा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले के ग्रलॉटमेन्ट के विषय में....

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से तो यह डिबेट लम्बी हो जायेगी। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रामानन्दजी ने रखा है उस पर मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा व्यक्तिगत नाम लेकर कहा गया है। मैं ही उस वक्त समाज कल्याण मन्त्री था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। राजस्व मंत्री जवाब देंगे।

अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, महरबानी करके मुझे दो मिनिट का समय तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदस्य रखते हैं और वे अपनी बात को समझा देते हैं। इसके बाद में मंत्री महोदय जवाब पेश करते हैं। पर इस तरह से मांग आने लगेगी तो लम्बा रेफेरेन्स और आ जावेगा, और इसके आगे और आ जावेगा, इसका अन्त नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको स्पष्टीकरण का मौका देना इसलिए भी जरुरी है कि इनके लिये यह कहा गया है कि एक एक हजार रुपया लेकर अलॉटमेन्ट दिया गया है इसलिये मौका दे दिया जावे।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान और आदर था पर इस घटना को देखकर मुझे बहुत बड़ा दुःख होता है कि जो ये और मैं हरिजन सेवक संघ में साथ काम करते थे और मैं उनको हरिजनों का बहुत बड़ा हिमायती मानता था, वे आज इस तरह की बातें करते हैं।

इनको अच्छी तरह से मालूम है कि तीन साल पहले से जो लोग दर्खास्तें दे रहे थे और जिनकी दर्खास्तों पर जगलात से जमीन रिलीज हुई और अलाटनेन्ट कमेटी में गई और वह उनको नहीं मिल पाई। आप कल्पना करिये कि गरीब लोग अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर मारे मारे तीन साल फिरें और इसके बाद जब जमीन रिलीज हुई तो उनको नहीं दी जाकर दूसरों को दे दी गई। उनकी रक्षा करने और सहायता करने के लिये नहीं आये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको 125 बीघा अलॉट हुई थी। यह गलत कह रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इसके बाद उन्होंने समाज कल्याण मन्त्री के नाम दरखास्त दी और यह बताया कि यह जमीन हम रखते थे। पर ये गांव और गांव की जमीन अलवर के महाराज ने अपने शिकार के लिए उजाड़ दिये थे और इसकी वजह से यहां से आबादी हटानी पड़ी। यह जमीन पहले 216 बीघा रिलीज हुई पर इनको नहीं मिली। तो ऐसी हालत में मेरा फर्ज हो जाता था कि तीन साल से जो इस जमीन के लिए चक्कर खा रहे थे खर्चे के नीचे आ रहे थे उनकी दर्खास्तों पर मुकम्मिल जांच कराऊं और डिप्टी डाइरेक्टर को भेजकर मालूम कराऊं। यह गांव पहले आबाद था और यह जमीन उनको रिलीज

Page No. 70

(श्री अमृतलाल यादव)

की जा सकती थी । डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेन्ट कमेटी ने इस जमीन को अलाट किया, कोई समाज कल्याण मन्त्री ने ही नहीं किया । जब यह जमीन रिलीज होने की बात आई तो हमारा काम इतना ही था कि हम राजस्व विभाग में उचित जांच करके कार्यवाही के लिए भेज दें वह हमने किया । कोई समाज कल्याण मन्त्री ने अलॉट करने का ऑर्डर नहीं किया । न समाज कल्याण मंत्री ने उसे फोरेस्ट से रिलीज करने का ऑर्डर दिया समाज कल्याण मन्त्री का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं था ।

अब निश्चित तौर से आदिवासियों के लिये या कि हरिजनों के लिये यह विभाग सहायता देता है । जांच कराकर मामला सम्बन्धित विभाग को भेजना उसका कर्तव्य है और होना चाहिये और इसी के माफिक कार्यवाही इस में की गई । जांच के बाद कागज आगे भेजे गये और कहां से आगे की कार्यवाही हुई सारी की सारी ।

अब इसमें यह कहना कि गांव वालों के हजारों रुपये जमा किये गये वह कहां गये, और उनका क्या हुआ इसमें उनको बू आती हैं । अगर इससे उनका कोई भी इशारा मेरी तरफ है या किसी और इस तरह के कार्यकर्त्ता की तरफ है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरासर गलत है और शरारत है उनकी और इसलिये शरारत है कि वहांके उन लोगों ने कांग्रेस के लिये वोट दिये, कम्युनिस्ट पार्टी को वोट नहीं दिये । इसलिए उनको जलील करने के मोटिव से ये बदनाम करना चाहते हैं यह कह कर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला गम्भीर है उपाध्यक्ष महोदय ।

(शोरगुल: व्यवधान : दोनों एक साथ बोलने से अश्रव्य)

यह फेक्ट है कि रुपया इकट्ठा हुआ । यह कहा गया अब यह उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा या उसका क्या हुआ कहां गया इसकी तो वे जांच करावेंगे तब पता लगेगा पर आपने जिस तरह से इस जमीन का अलाटमेन्ट किया है उससे शंकाए पैदा होना स्वाभाविक है ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir. यह शरारत शब्द इस तरह से उपयोग करना आप पार्लियामेन्टरी समझते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अमृतलाल यादव से) आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह : जो माननीय सदस्य ने शरारत शब्द इस्तेमाल किया यह शब्द असंसदीय है उनको कार्यवाही में से एक्सपन्ज किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें कि यह शब्द असंसदीय किस तरह से है ?

श्री भैरोंसिंह : ये शब्द माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी के लिए उन्होंने प्रकटत: प्रयोग किया । रामानन्दजी ने कहा कि रुपया इकट्ठा किया गया, पर साथ ही यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसका

(श्री भैरोंसिंह)

क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वह वे नहीं जानते। उन्होंने अमृतलालजी यादव का नाम नहीं लिया और न उनके लिये कहा था। न यह कहा कि उन्होंने किसी को दिलवाया या कार्यकर्त्ताओं ने खाया।

इसके बाद में भूतपूर्व मन्त्रीजी ने जवाब दिया तो रामानन्दजी के बारे में यह कहा कि यह बात उनकी शरारतपूर्ण है। यह शरारत की गई है और इसके पीछे कारण यह बताया कि कम्यूनिस्ट पार्टी को वोट नहीं मिले और कांग्रेस को मिले। तो शरारत शब्द का प्रयोग रामानन्दजी के बारे में किया गया है और जिस सन्दर्भ और पृष्ठ-भूमि में इसका प्रयोग किया गया है वहां यह शब्द अपने आप में असंसदीय हो जाता है। जिसको इस कार्यवाही में से एक्सपञ्ज किया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य इस पर कहना चाहेंगे ?

श्री रामकिशन : शरारत पर कहने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वैसे यह शब्द असंसदीय नहीं है। पर जिस सन्दर्भ में यह यहां कहा गया है वह असंसदीय है। वैसे शरारत शब्द असंसदीय नहीं हो सकता, नटखट पन के अर्थ में यह आता है। बच्चों के लिए प्रयोग होता है अक्सर यह। उछल कूद नाच कूद और खेल कूद के अर्थ में आता है। पर जिस सन्दर्भ में यह यहां कहा गया है वहां भारी गड़बड़ी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह संसदीय है अथवा असंसदीय, इसका निरीक्षण आप करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह माननीय सदस्य की शरारत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस मामले में जरूर घोटाला है, अनियमितताएं हुई हैं और भूतपूर्व समाज कल्याण मन्त्री जी को यह बात बहुत चुभी है। इसके उपरांत वहां कांग्रेस को वोट मिले और कम्यूनिस्ट पार्टी को नहीं मिले, फारेस्ट की जमीन निकाली गई। वहां के बाशिन्दों को नहीं मिलकर दूसरों को मिली यह सब मेरे ख्याल में घोटाले से खाली नहीं है।

इसलिए इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में मैं सरकार का आवश्यक ध्यान आकर्षित करूंगा कि माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने जो गम्भीर आरोप लगाए हैं इस सम्बन्ध में वे तथ्यहीन नहीं हैं। वे आरोप, मेरे ख्याल में, मोहताजे जांच हैं और इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। यह मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : एक व्यवस्था चाहूंगा। यहां पर डिबेट होती है। विरोधी पक्ष के लोग बातें कहते हैं तो विरोधी पक्ष के नेता उन बातों को समेराइज करते हैं कोई नई बात कहते नहीं हैं ? इसके लिए क्या परम्परा है ?

श्री भैरोंसिंह : परम्परा वही है जो आप निभाते हैं। कई बातों के अन्दर केवल आप गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं। जो वे बोलेंगे वही आप कहते हैं। कोई नई बात आप नहीं कहते हैं ? फिर समय क्यों लेते हैं सदन का।

(श्री भैरोंसिंह)

श्री उपाध्यक्ष : शरारतपूर्ण शब्द असंसदीय तो नहीं है। बोर्डर लाइन पर है केवल इसलिए इसको एक्सपन्ज नहीं किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपने परम्परा चला दी है। इस प्रकार की शरारतें शासन पक्ष के लोग करें, भ्रष्टाचार करें, कुछ भी करें और उनके लिए उनको प्रोटेक्शन मिले। भ्रष्टाचारी लोगों का भ्रष्टाचार करना बड़ा शरारतपूर्ण है। इस भ्रष्टाचार को ही अपना चरित्र मानते हैं तो आप जरुर शरारती हैं और हमेशा ही शरारती रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और ऐसे शरारती भ्रष्टाचारियों की शरारत को और भ्रष्टाचार को हम खतम करके छोड़ेंगे। शरारत शब्द का प्रयोग जो इन्होंने किया है यही शरारतपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह : मूर्खतापूर्ण है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ये उछंखल और शरारती ही प्रतीत होते हैं।

श्री रामकिशन : यह जो रामानन्दजी ने सिलसिला बताया अलाटमेंट का। इसमें फारेस्ट कमेटी के नियम बने हैं, रेवेन्यू के नियम बने हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन विभागों ने जमीन के अलाटमेंट के लिए निकालने से पूर्व अपने उन तमाम नियमों की क्रियाओं को पूरा कर लिया था क्या?

........याने उसमें नियम यह बनाया हुआ है कि ब्लाक लेवल कमेटी बनी हुई है उस ब्लाक लेवल कमेटी में प्रधान, सरपंच, तहसीलदार, विकास अधिकारी होता है उसके बाद में वह जिला कमेटी को भेज देते हैं। यदि वह फैसला एक मत से हुआ है तो जिला कमेटी के फैसले के बाद मामला राज्य सरकार के पास नहीं आता है और यह मामला कलेक्टर और राजस्व विभाग को ट्रान्सफर कर देते हैं। और अगर एक मत से नहीं होता है तो फिर मामला राज्य सरकार के पास आता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि अब तक सारी कार्यवाही गैर कानूनी है लेकिन यह मामला राज्य सरकार के पास आ गया उस प्रक्रिया को कर लेने के बाद अगर वह प्रक्रिया कर ली गई है तो ब्लाक लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की जो रिकमन्डेशन हैं उस पर माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डालें।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्व मंत्री जी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, आधी मिनिट का एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि जब जांच की जाये तो यह मुद्दा भी रखा जाये कि मन्त्री महोदय की पहले माली हालत क्या थी और उनकी कोठी में कितनी लागत लगी है और वह सम्पति कहां से आई है...........

श्री अमृतलाल यादव: इस तरह की बातें करना कोई शोभा नहीं देता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। कल को तो आप यह भी कहेंगे कि 15 रुपया बीघा जमीन जयपुर के पास में उन्होंने कैसे ले ली ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति इस मामले में है, इस विषय पर में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस जमीन को जंगलात से निकलवाने के लिए कई वर्षों से चांदोली गांव के लोगों ने प्रयत्न किया और किसी व्यक्ति ने या किसी गांव के लोगो ने इस बारे में प्रयत्न नहीं किया....

एक माननीय सदस्य: + + + यह।

श्री उपाध्यक्ष : + + + यह शब्द कार्यवाही से हटाये जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : जब आप कह रहे थे तो मंत्री महोदय और दूसरे सदस्य आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। आप मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिए उसके बाद में कोई शंका रह जाये तो एक दो प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके बाद में उन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर उसी संघ में से 133 बीघा जमीन राजस्व विभाग को सौंपी गयी। चांदोली के रहने वालों की दरख्वास्त के ऊपर यह निर्णय हुआ लेकिन उस समय जो स्थिति बनी कि यह 133 बीघा जमीन तो कुछ अन्य लोगों को अलॉट कर दी गयी और फिर यह बराबर चक्कर लगाते रहे और इस बात के प्रयत्न करते रहे कि यह जमीन फारेस्ट में से रिलीज होनी चाहिए। उसके पश्चात् उन्होंने तारीख 29-11-66 को समाज कल्याण मन्त्री महोदय के पास यह प्रार्थना की कि 400 बीघा जो ग्राम मदारपुर में जमीन है वह उनको निकलवा कर दी जानी चाहिए। समाज कल्याण मंत्री अपनी हैसियत में और एक मंत्री की हैसियत में हरिजन उत्थान का उनका जिम्मा होता है और यदि कोई भूमिहीन उनके पास आता है तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसके ऊपर कार्यवाही करें। चुनाचे समाज कल्याण मंत्री महोदय की तरफ से उनके डिप्टी डाइरेक्टर उस दरख्वास्त पर गये। उस समय झगड़ा ही यह था कि यह जमीन निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए और वन विभाग का यह कहना था कि नहीं यह जमीन नहीं निकलनी चाहिए। तो समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर, फारेस्ट के रेन्जर और दूसरे अधिकारी वहां पर मौका देखने के लिए गए और वहां मौका देखकर उन्होंने इस बात की रिपोर्ट दी कि पहले यह गांव मदारपुर बसा हुआ था लेकिन अलवर के महाराजा श्री जयसिंहजी ने अपने शिकार के लिए इस गांव को बेचिराग करवाया और यहां के रहने वाले लोग चांदोली में जाकर बस गये और चांदोली वालों का यह कहना था कि क्योंकि हम यहां के रहने वाले थे और यहां से निकल कर इस गांव को बेचिराग किया गया इसलिए

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यह जमीन हमको मिलनी चाहिये। चुनाचे तारीख 17-1-67 को यह 400 बीघा रूंघ राजस्व विभाग को सुपुर्द करने के आदेश वन मन्त्री महोदय ने दिये और क्योंकि चांदोली के निवासी जहां मदारपुर के बेचिराग होने के बाद ही यहां से निकल कर गये थे और उन्हीं ने इसके लिए प्रयत्न किया था इसलिए गवर्नमेन्ट ने यह आदेश दिये कि इन्हीं को यह जमीन मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट के अख्तियारात इस बारे में बहुत वसीह हैं और जंगलात में से जो जमीन निकली वह रेग्यूलर अलॉटमेन्ट की शक्ल में नहीं आती है। दफा 12 जो अलॉटमेन्ट रूल्स की है उसमें गवर्नमेन्ट के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है और इन नियमों के आगे या ज्यादा जमीन गवर्नमेन्ट देती है उस पर गवर्नमेन्ट के ऊपर किसी तरह की पाबन्दी नहीं है। इसलिए यह गवर्नमेट का डिस्क्रिशन था कि धारा 101 के तहत जो लेण्ड अलॉटमेन्ट रूल्स बने हुए थे और उसी में जो एक्सेप्शन दिये हुए हैं उसके अलावा भी व्यक्ति को या किन्हीं भी व्यक्तियों को इसके अलावा भी वह जमीन दे सकती है और इस कारण से जब मैंने इसकी कानूनी स्थिति को बाद में एग्जामिन किया तो मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस कानूनी शक्ल में जैसा मामला है और जिन लोगों को जमीन अलॉट की गयी है उसमें गवर्नमेन्ट को अख्तियारात हैं कि उसको अलाट कर दे। चाहे वह 10 को करे या 5 आदमियों को करे या 50 बीघा करे या 30 बीघा करे।

इसी तरह से पहले जो 133 बीघा जमीन अलॉट की गयी है वह भी गवर्नमेन्ट के जरिये ही अलॉट की गयी है इसलिए इसके साथ दूसरे मसले भी मौजूद थे। लेकिन जैसी मेरे सामने दरख्वास्तें आई हैं कि कोई गलत तरीके से किन्हीं लोगों ने अपने नाम दर्ज करा ल हैं या किन्हीं माइनर्स की फैमीलीज दर्ज करा ली है तो यह आदेश दिया गया है कि फर्जी तरीके पर कोई भी आदमी जिसका नाम दर्ज नहीं है उसको अलॉट नहीं की जाये और जो आदमी वास्तविक रूप के काश्तकार है और भूमिहीन है चांदोली का उसी को यह भूमि दी जाये और बाकी सब तरह से प्रीकाशन्स लेकर यह जमीन चांदोली के ही भूमिहीन काश्तकारों को देने के आदेश मैंने भी इसके कायम रखे हैं और मैं मुनासिब भी समझता हूं। यदि कोई अड़चन हो या कोइ व्यक्ति कानून का सहारा लेना चाहता है तो ले सकता है........ ....

श्री भैरोंसिंह : जब आपने एक बार फॉरेस्ट को नीलाम करने के बाद में जमीन के अलॉटमेन्ट केआर्डर्स इश्यू किये थे कि और बाद में अलॉटमेंट किया जाय फॉरेस्ट खड़ा है उसको नीलाम किया जाये उस आर्डर को इमीडियेटली विथड्रा करने की क्या जरूरत है? फॉरेस्ट खड़ा रहे और उसका अलॉटमेन्ट कर दिया जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक रेवेन्यू विभाग की फाइल है उसमें नहीं है कि विथड्रा किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इस आर्डर में है।

श्री रामकिशन : पहले राजस्व विभाग को ट्रान्सफर किया गया, फिर उसके ऊपर वन खड़ा है और फिर सीधे ही अलॉटमेन्ट कर दिया। इसमें तीन-तीन गलत काम हुए हैं एक भी नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जंगल खड़ा है तो वन विभाग उसकी कीमत लेगा।

श्री भैरोंसिह : जब तक जंगल का क्लियरेन्स नहीं हो तब तक रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट उस पर अपना पजेशन नहीं कर सकता।

(2 म. प.)

श्री रामकिशन : यह साफ है लैटर!

श्री भैरोंसिह : फॉरेस्ट की भूमि उस समय आपके पजेशन में आयेगी जब फॉरेस्ट रिमूव कर लिया जाय, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को वह ट्रान्सफर हो जाय। जब कि फॉरेस्ट था, उस स्थिति में जमीन का एलाटमेंट किया है, उसके लिए आर्डर इश्यू किया है-उसके लिए कहा विथड्रा क्यों किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो लैटर है उसका नम्बर है :

श्री उपाध्यक्ष : (अन्य माननीय सदस्य के खड़े होने पर) माननीय रामानन्द जी लैटर पढ़ रहे हैं, उसके बाद!

श्री रामानन्द अग्रवाल : एफ 7/1 4/र क/67 दिनांक 4 मार्च, 1967।

आज्ञा

"इस विभाग की आज्ञा संख्या मम दिनांक 6-2-67 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार अलवर रेंज के मदारपुर-शाहपुरा, बंधों में से 400 बीघा भूमि काबिल ग्राम चान्दोली के भूमिहीन हरिजनों को जिनकी सूची इस विभाग की आज्ञा दिनांक 28-2-67 को प्रेषित की जा चुकी है, आवंटन करते हुए राजस्व विभाग को तत्काल हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करती है। जहां तक वन उपज का प्रश्न है मुख्य वन संरक्षक कृपया नियमानुसार उसके डिस्पोज़ल के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।"

जो ओरिजिनल आर्डर था, उपाध्यक्ष महोदय, वह है :

"राज्य सरकार 400 बीघा भूमि रूंध मदार के रेंज शाहपुरा सब डिविजन अलवर के खसरना नं. 8 व 7 में उस पर खड़ी वन सम्पदा को नीलाम करने के पश्चात ग्राम चान्दोली के भूमिहीन हरिजनों को आवंटन करने हेतु राजस्व विभाग में हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान करती है।"

पहले आर्डर था, उसमें फॉरेस्ट को डिस्पोज आफ करने के बाद, रेवेन्यू को हस्तान्तरित करने के बाद और फिर अलॉटमेंट। उसमें संशोधन करके पहले अलॉटमेंट, फिर कब्जा और फिर डिस्पोजल करने की बात हुई।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी ने जो यह बात

Page No. 76

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कही है कि ग्राम चान्दोली के हरिजन हैं, वह पिछले तीन वर्ष से इस जमीन के ट्रांसफर करने के प्रयत्न कर रहे थे। यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। ग्राम चान्दोली के अतिरिक्त ग्राम शाहपुर, बलाडेरा और दलालपुर–इन गांवों के हरिजनों के 70 परिवारों ने एक कोपरेटिव सोसाइटी बनाई और वह इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। पहले जब सम्पत राम जी उप मन्त्री थे उन्होंने अपने हुक्म से जबरन जमीन पर हल चलवा दिया था। इस कारण से इन लोगों के ऊपर मुकदमा चला। और उसके बाद में इनको सजा हुई और सारे लोगों को वहां से निकाल दिया गया। फिर दुबारा लोगों ने हिम्मत की, चान्दोली ग्राम के लोग हिम्मत वाले हैं, वह कहने लगे कि कुछ पैसा खर्च होगा, करो हिम्मत। लेकिन बालाडेरा और शाहपुरा ग्राम के लोगों ने पैसे के लिए इन्कार कर दिया और चांदोली वालों ने अकेले दरख्वास्त की और कहा कि यह हमें दे दीजिये। इस बुनियाद के ऊपर यह बात सही हो सकती है कि बाद में दरख्वास्त चान्दोली वालों ने दी है। लेकिन शुरू में जो शामिल थे वह इसलिए नट गये कि पिछली बार सम्पतराम जी ने उन पर मुकदमा चलवा दिया था। अब अमृतलाल जो शायद अपने कमिटमेंट के बारे में पक्के मालूम होते हैं। सम्पतरामजी का कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया, और वह चुनाव में भी हार गए हैं। चुनाव के मौके पर ज्यादा कमिटमेंट होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नम्बर एक सही नहीं है कि शुरू से चान्दोली वाले ही कोशिश करते आ रहे हैं, यह बात आप समझ सकते हैं यदि मुकदमे के मामले को सामने रखा जाय, और जो 70 परिवारों ने कोपरेटिव बनाई थी उसको सामने रखा जाय। इसलिए बालाडेरा शाहपुर और दलालपुर के हरिजनों से भी माननीय मन्त्री महोदय को हमदर्दी होनी चाहिये। तो यह पक्षपात क्यों हुआ, इसका उत्तर आप दें।

दूसरे 133 बीघा जमीन जो पहले रिलीज हुई, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसका एलाटमेंट गवर्नमेंट ने किया। यह सही नहीं है। इसका एलाटमेंट तहसीलदार और एडवाइजरी कमेटी के जरिये किया गया चूंकि उसमें अलवर के पास की 90 बीघा जमीन, जो एक्शन में मारे गए थे, पाकिस्तान की लड़ाई में, उन लोगों को उस जमीन का एलाटमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, और क्योंकि पाकिस्तान से हुई लड़ाई में मारे गये लोगों के प्रति सबकी हमदर्दी है इसलिए उसका एतराज हरिजनों ने नहीं उठाया। बाकी जो जमीन बची वह हरिजनों को दी गई पूरी की पूरी और उसमें से एक बीघा जमीन भी किसी को नहीं दी गई। इसलिए यह कहना कि जो भूमि हरिजनों को एलाट की गई वह हरिजनों को नहीं दी गई, सही नहीं है। माननीय मन्त्री जी को पाकिस्तान की लड़ाई में मारे गए सिपाहियों के प्रति हमदर्दी उतनी अवश्य होगी जितनी हरिजनों से है, इसलिए किसी की आपत्ति यह है कि हरिजनों को जमीन एलाटमेंट कमेटी नहीं देती—ऐसा आरोप किसी का नहीं होगा। और अगर किसी का आरोप है तो जो तथ्य हैं उनके अनुसार वह आरोप

Page No. 77

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सही नहीं है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय यह जो स्टोरी बनाई जाती है कि मदारपुर को उजाड़ कर यह चान्दोली में बसाया । यह इतिहास सही नहीं है । मैं इस इतिहास को चैलेंज करता हूं । अगर यह बात एस्टेब्लिश चुपचाप कर लें, यदि एक डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग चुपचाप कर ले तो यहतो एक इक तरफा तरीका है इस बात को एस्टेब्लिश करने का । वैसे वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजाओं ने कई गांव उजाड़ कर दूसरी जगह बसाये........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! थोड़े में कह दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन मदारपुर के उजड़े हुए लोग ही केवल चांदोली में जाकर बसे हों, यह तथ्य सही नहीं है । अगर उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना चाहती है तो मुझे कोई इन्कार नहीं होगा, लेकिन न कोई इन्क्वाइरी की जाय और न पूरी जांच पड़ताल की जाय, और शाहपुरा. बालाडेरा और दलालपुर–इन गांव के लोगों को अपने क्लेम प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए । इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने आर्डर को इतना अमेंड किया है कि जो नाबालीग हैं, उनको भूमि न दी जाय, वहां तहसील और कलेक्टर को भी आप एसोसियेट कर सकते हैं। उनके पास जो भी सूची है उसमें केवल चांदोली वालों को ही इन्क्लूड कर लिया जाय, वैसे मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है कि चांदोली वालों का न मिले, बल्कि शाहपुर, बालाडेरा और दलालपुर को भी शामील करके जिन लोगों प्रायर क्लेम है उनको आप भूमि दीजिये । प्रायर क्लेम चांदोली के उन कई व्यक्तियों का हो सकता है जो मदारपुर से उखड़ कर बसे हैं, मै खुद इस बात को मानता हूं कि उनको मिलनी चाहिए । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सत्य नहीं है और इसलिए इसकी जांच पड़ताल की जाय उसके बाद किया जाय । इसलिए राजस्व मंत्री इस आर्डर को इस रूप से अमेंड करके, एलाटमेंट कमेटी और दूसरे रिप्रजेंटेटिव्स हैं उनको एसोसियेट करके इस बुनियाद पर जिनके नाम प्रायोरिटी पर आते हैं उनको एलाटमेंट करने का आर्डर दें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर वाद विवाद !

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्व मंत्री के विचार इस बारे में आने चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी को जो उत्तर देना था वह स्पष्ट दे दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तथ्यों के बारे में बताया ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी राय और उनकी राय में मतभेद है । अब मंत्री महोदय कोई नई बात कह दें या नया तथ्य दें-ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का अधिकार था उसके अनुसार और अन्डर आर्डर्स प्रोसीजर अपनाया गया है। अब

(श्री उपाध्यक्ष)

वह दूसरी बात कह रहे हैं कि चांदोली के हरिजन है वे शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं वह उस गांव के रहने वाले हैं। आपने कोई नई बात कही हो, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह चीज है कि चांदोली के लोगों ने शुरू से कोशिश की है तो फिर 70 परिवारों र आदमियों की जो कोपरेटिव थी वह चांदोली के अलावा है, यह गव दूसरे हैं. इनके काश्तकार दो तीन साल, पांच सात साल से कोशिश कर रहे हैं इसके लिए इस चीज को मैं मंत्री महोदय के नोटिस में ला रहा हूं तो वह दुबारा फाइल मंगा कर सारी चीजों की शुरू से जानकारी करें तो उसमें तथ्य मिल जायेंगे। अभी तक एकतरफा बात हुई है। जब तथ्य सामने रखे जा रहे हैं तो कम से कम एक्स पार्टी जजमेंट तो उनको नहीं देना चाहिए। दूसरे लोगों की बात सुननी चाहिए। इसलिए उत्तर दें माननीय राजस्व मंत्री।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह जमीन एक्वायर हुई उसको गवर्नमेंट को देने का अधिकार है और जब गवर्नमेंट स्पेसिफिक इन्सट्रक्शन्स देती है तो नीचे के अधिकारियों को उसे मानना होगा। आवंटन के लिए यह है कि चांदोली के लोगों को ही जमीन दी जावे लेकिन कलेक्टर इस बात की जांच कर लेगा कि वे भूमिहीन नहीं हैं या हैं। या माइनर के नाम से दी जावेगी। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के अधिकार में है। जो जांच कराई गई उसके अनुसार मदारपुर से बेचिराग होने से जो लोग चांदोली में बसे थे आपका कहना है कि एक एक को दिलाई जावे यह उचित नहीं होगा। आप कहते हैं कि शिकायत हमेशा रहेगी। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की शिकायत तो हमेशा रहेंगी। यदि किसी 10 आदमियों को दी गई तो दूसरे 10 आदमी कहेंगे कि यह जमीन हमें दी जानी चाहिये थी इनको क्यों दी गई। इसलिए इस प्रकार की शिकायत तो हमेशा रहेगी।

श्री रामकिशन : आपने कहा कि गवर्नमेंट को अधिकार है और नियम बने हैं। आपके नियम और अधिकार तो हैं मगर आप उनका उपयोग कब करेंगे? आप हर बात में अधिकारों की बात कहते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उन्हीं नियमों में एक राइडर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका अलॉटमेंट कलेक्टर करेगा। Collector will make the allotments

आपने कहा कि गवर्नमेंट को डाइरेक्शन देने का अधिकार है लेकिन उस भूमि को कलेक्टर जांच करके अलॉट करेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : आवंटन तो उनका होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिए अलॉटमेंट कमेटी बनी है उसको अधिकार हैं अलॉट करने का और कलेक्टर के पास लोग अपील में जाते हैं। कमेटी बनी है और सरकार का काम है उसके अनुसार अलॉटमेंट का काम कमेटी नहीं करे और कलेक्टर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करे तो जिसकी पहली अपील कलेक्टर के पास हो सकती है वह कहां होगी । मैं समझता हूं कि अपीलेट अथोरेटी के पास यह रखना उचित नहीं होगा । गवर्नमेंट इन्स्ट्रक्शन के अनुसार अलॉटमेंट हो तो वह काम आपको अलॉटमेंट कमेटी के पास देना चाहिये जिससे यह हो सके और यह काम जिलाधीश के मार्फत नहीं होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलेक्टर के जिम्मे होगा और वह तहसीलदार को देगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप यह जानकारी कर लें । जांच करा ली जावेगी कि माइनर को नहीं दी जावेगी । इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जिन 52 परिवारों को जमीन देने के लिए निकाली है उसमें गवर्नमेंट को खुद को विश्वास नहीं है कि वे लोग जमीन प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं । इससे ऐसा लगता है कि 52 परिवारों के सम्बन्ध में जांच नहीं कराई गई है । आपने लिस्ट में तो उनको जमीन दे दी । मगर इस बात की जांच नहीं कराई कि वाकई में वे माइनर हैं या कांश्त कराने वाले हैं या नहीं है या कोई मरा तो नहीं है । इसलिए गवर्नमेंट इस पोजिशन में नहीं है कि एलॉटीज जमीन पाने के अधिकारी थे तो क्या जिन लोगों को गलत अलॉट होगी तो उस जमीन में आस पास के गांव हैं उनके बारे में कुछ विचार करेंगे या नहीं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां से आर्डर दे दिया वह ऑर्डर इस बात का दिया गया है कि चांदोली के 52 परिवारों को जमीन दे दी जावे और जब जमीन देने के आदेश की पाबन्दी होगी और 52 फेमिलीज को दिया जावेगा उसमें यह राइडर लगा दिया है कि इसकी जांच की जावे कि उसके पास भूमि है या नहीं । इसको कलेक्टर जांच करके कहेगा कि भूमि नहीं है तो दी जावेगी और बाकी जमीन बचती है चांदोली वालों के देने के बाद तो उस जमीन को दूसरे भूमिहीन लोगों में दे दी जावेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अलॉटमेंट कमेटी करेगी या और कोई करेगा ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अगर कोई लिस्ट में नाम आवेगा और कोई कहेगा कि यह फर्जी नाम है तो इसको कलेक्टर ही डिसाइड करेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जैसा सतीश चन्द्रजी ने कहा कि कलेक्टर तो अपीलेट कोर्ट है इसलिए पहले अलॉटमेंट कमेटी के पास से अलॉट होना चाहिये और फिर अगर किसी को ग्रीवेन्स हो तो अपीलेट कोर्ट जो कलेक्टर है उसके पास जाना चाहिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : गवर्नमेंट आर्डर हैं । This allotment is being made under orders of the Government and not under the Land Allotment Rules.

एक माननीय सदस्य : गवर्नमेंट के ऑर्डर्स किस रूल के मातहत है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : सेक्शन 101 के अनुसार है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लैंड अलॉट-मेंट में रूल 12 लागू नहीं होगा । जिसमें कहा गया है कि एसेस होगा तो गवर्नमेंट कर सकती हैं । अभी तो एक्सेस है । 15 बीघा एक परिवार को देते है तो 50 परि-वार को उस हिसाब से नहीं आती है ।

एक माननीय सदस्य : इनडिविजुअल क्यों करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : 52 परिवारों में 400 बीघा जमीन बांटने को कहा है । उस हिसाब से एक एक परिवार को 8-8 बीघा जमीन मिलेगी ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह प्रश्न इसमें नहीं आता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आपने अभी 101 रूल बताया उसके तहत तो यह नहीं आता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब गवर्न-मेंट अपने लेवल पर 25 बीघा से ज्यादा करे । आप इस तरह से नहीं कर सकते है ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यहां तो 400 बीघा देने का प्रश्न है । एक एक को देने का सवाल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 15 बीघा एक एक व्यक्ति को देने का प्रश्न है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : "In excess of the prescribed land" हैं ।

आपका इन्टरप्रेटशन अलग हो सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I don't rgaee.

तमाम जुडिकेशन में जावेंगे और गरीब लोगों को नहीं मिलेगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको इसको कोई प्रेस्टीज पोइन्ट नहीं बनाना चाहिये कि चूंकि अमृत-लालजी ने इसको कमिटमेंट कर लिया इसलिये इसको चेन्ज नहीं किया जाए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप खुद एडवोकेट हैं और आप जानते हैं कि 52 व्यक्तियों के नाम हैं । ये अगर किसी सोसा-इटी में इनकारपोरेटेड होते या रजिस्टर्ड होते तो एक हो सकते थे । मगर ये ऐसा नहीं है । इसलिये माननीय मन्त्री का यह कहना कि 400 बीघा एक व्यक्ति को एलॉट हो जो 52 हैं एक नहीं है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि मन्त्री महोदय जिस प्रकार वका-लत में किसी गलत केस में भी वकालत करनी पड़ती है और वीक केस को भी लेना पड़ता है वह तो वकालत की बात अलग है और यह अलग बात है । यहां तो 52 फेमिलीज को बराबर बांटने का प्रश्न है । किसको आप अलॉटी मानेंगे ? यहां तो 1/52, 1/52 । होगा How they will do it ? It is impossible. This is not one family,

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आप गवर्नमेंट के लिये स्पेशल पॉवर का मूव

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर रहे हैं वह 400 बीघा कलेक्टर के पास नहीं हो कर अलॉटमेंट कमेटी के पास होना चाहिये । रेस्ट एस्योरड कि वो हरिजनों का हो । मदारपुर से जो बेचिराग हुए हैं उनको अलॉट होनी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

2.20 म. प.

अनुदान की मांगों पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार ।

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 11 करोड 33 लाख 34 हजार तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या करोगे इतनी का ?

श्री अमीनुद्दीन : नहीं चाहते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मन्त्री !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 8 श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 60,04,000 तक की राशि प्रदान की जाये ।

(उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

मांग संख्या 27

1. **श्री रामकिशन** (वैर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बिना योजना के खर्च किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण हुई सड़कों की बुरी स्थिति पर चर्चा के लिए ।

3. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चुनावों के समय महुआ क्षेत्र में सड़कों पर हुए फिजूल खर्च पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 23

4. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रुपया कर दिया जाए (सरकार की पक्षपात पूर्ण श्रम नीति के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

(श्री रामकिशन)

5. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या: 27

6. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सीमा सड़कों के निर्माण में हुई अनियमितताओं एवं ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या: 23

7. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (लोकवाणी के प्रकाशन को बन्द करने और श्रमिक पत्रकारों को देय राशि के भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या: 27

9. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

10. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कृषि श्रमिकों के बारे में श्रम विभाग की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या: 27

11. **श्री देवीलाल** (सराड़ा): मांग संख्या 27, मुख्यशीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण काय आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सराड़ा से भारी कुण्डा सड़क को पक्की कंकरीट की बनवाने पर चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु, कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा रेल्वे स्टेशन डीगरी जसमन्द रोड, डीगरी गांव से सलाड़ा बसी सड़क को पक्की कंकरीट की बनवाने पर चर्चा के लिये)।

13. **श्री रतन लाल** (चौरासी): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में डूंगरपुर से सरथूना तक अधूरी सड़क को पूरी कराने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(श्री रतनलाल)

14. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में बने सरकारी भवनों की दुर्दशा एवं मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में ओवरी सरथूना सड़क पर मजदूरों को मजदूरी न चुकाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

16. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38- श्रम और नियोजन में से 100) रू. कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में Daily wages पर रखे मजदूरों को निश्चित वेतन से कम मिलता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

17. **श्री सहदेव** (आमेर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रू कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों एवं भवनों की स्थिति दयनीय एवं अत्यधिक मरम्मत तलब है, इस पर चर्चा के लिये)।

18. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रू कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों में शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बरती जाने वाली असमानता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (मनोहर थाना आयोग रोड गत 10 वर्षो से अपूर्ण पड़ी है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : 20. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100) रू. कम कर दिया जाय (मोखमपुर, बिचून, फुलेरा, दूदू, मोजमाबाद रोड़ की देखभाल नहीं करने व पुलिया नहीं बनवाने, पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (मोजमाबाद में तहसील बिल्डिंग जो दो लाख रुपयों की कीमत की है, इसकी मरम्मत कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (मोखमपुरा से बिचून व दूदू से धमाना पक्की रोड़ पर डामर बिछाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

(श्री सुवालाल चौधरी)

23. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (बिचून से फलेरा रोड पर पुलिया नहीं बनाने से यातायात में बाधा पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (राहत कार्य में खर्च किये गये पैसे का सही उपयोग हेतु पड़ोशोली से साखून क्षाग से मोजमाबाद सड़क को पक्का बनवाने पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (नरेना से भरवा—सड़क का निर्माण नहीं होने से यातायात की परेशानी पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 — सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (राजस्थान में जो मौजूदा भवन व रोड्स हैं उन्हीं की मरम्मत कराने का नया कार्य उस समय तक नहीं लेने जब तक सिचाई हेतु योजना सफल नहीं हो, इस पर चर्चा के लिए)।

27. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण के कार्यों पर इंजीनियर्स व उच्च अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से लिए जाने वाले कमीशन की प्रथा को खत्म करने पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (P. W. D.) विभाग के रोड्स के मरम्मत करने वाले मजदूरों (बारहमासियों) को उचित वेतन तथा दवा का प्रबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

29. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जालोर से बागोड़ा रोड़ निर्माण कार्य में शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

30. **श्री रामसिंह** (जायल) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले की खाट—कठौती डेह नागौर व नागौर—मेड़ता सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

31. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से

Page No. 85

(श्री नाथूराम)

100) रु॰ कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें, पुलिया आदि के जो कार्य चल रहे हैं, वे असन्तोषप्रद हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग सख्या 23

33. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में नियोजन विभाग के कर्मचारियों की उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 27

34. **पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : मांग संख्य 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा की मौजूदा सड़कों में डामर डालने हेतु चर्चा के लिए)।

35 मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय (कालावाड़ से जोबनेर तक सड़क–निर्माण हेतु चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय (भोजपुरा से मंडा, भैंसलाना होते हुए त्योद तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 23

37. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रुपया कर दिया जाय (Emplomyent Exchange) की उपयोगिता के बारे में नीति का अननुमोदन)।

38. मांग सख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय (Sambhar Salts Ltd द्वारा दिये गये ठेकों में private ठेकेदारों द्वाराश्रम कानून तथा Minimum Wages Act का पालन न करने के बारे में चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय (Sambhar Salts Ltd कर्मचारी संघ के 1959 से 1964 तक के Bonus के विवाद को arbitratlon के देने हेतु चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100)रु॰ कम कर दिया जाय (Sambhar Salts Ltd के daiiy wages) मजदूरों के लिए Minimum Wages revise करने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 27

41. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100 रु0 कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में

Page No. 86

(श्री केदारनाथ)

बोर्डर क्षेत्र में सड़कों की स्थापना के बारे में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

42. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा मजदूरों की बुनियादी मांगों को स्वीकार करने व मजदूरों के बहुमत प्राप्त यूनियनों को मान्यता देने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर कर दिया जाय (श्रमजीवी पत्रकार कानून की अवहेलना दैनिक लोकवाणी के प्रकाशक द्वारा की गई, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 27

44. **श्री गिरधारी लाल व्यास** (आसीन्द): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50- ।र्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (National High-way No.8 को ब्यावर से बदनौर होकर भीम में मिलाये जाने पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में 100) रु० कम कर दिया जाय (बदनौर से भीलवाड़ा सडक पर दो नदियां नेखाड़ी और खारी नदी पर पुलिये नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

46. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (श्रम विभाग की श्रमिकों की कठिनाइयां दूर करने की असफलता के सम्बन्ध में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 27

47. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के सबंध में सरकार की अनिश्चितता पर चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रू. कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में आड़ापारा से ढ़ढ़ कर की घाटी होती हुई हाजीपुर तक सड़क-निर्माण कराने पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में सीलीसेढ़ से गुरुआली तक सड़क निर्माण कराने हेतु)।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

50. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में आदर्श नगर में आचार्य कृपलानी रोड़ की मरम्मत करवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 23

51. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की नीति मजदूर-विरोधी और मालिक-परस्ती के कारण मजदूरों में व्याप्त असतोष पर चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों और मालिकों में शान्ति बनाये रखने की नीति की असफलता के बारे में नीति का अननुमोदन)।

53. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा त्रिदलीय सम्मेलनों में लिये गए फैसलों को सही तौर पर लागू न करने पर चर्चा के लिये)।

54 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा श्रम संगठनों को मान्यता देने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलवर माचिस फैक्टरी के मजदूरों को वेतन दिलाने में श्रम विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज कोर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों पर की जा रही ज्यादतियों को रोकने में श्रम विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

57 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मजदूर वर्ग में बढ़ती हुई छंटनी इत्यादि के संबंध में श्रम विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान विद्युत् मण्डल के कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति श्रम विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर के बीड़ी मजदूरों की मांगो के प्रति श्रम विभाग की दुर्लक्षता पर चर्चा के लिये)।

Page No. 88

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

60. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रेलवे स्टेशनों पर लोडिंग अनलोडिंग के कार्य में लगे मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट लागू करने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्रम अदालत से ट्रान्सपोर्ट विभाग का कार्य हटाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु कम कर दिया जाय (श्रमिकों के मुआवजे के केसों के तय होने में अनुचित देरी लगने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा सहकारी बंक के कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिये अन्य सहकारी विभाग के कर्मचारियों का प्रयोग करना, मजदूर विरोधी कार्य है श्रम विभाग द्वारा इसे रोकने में असमर्थता पर, चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पब्लिक सेक्टर के मजदूरों के विक्टिमाइजेशन को रोकने में श्रम विभाग को असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (इंजीनियरिंग वेज बोर्ड की अन्तरिम रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के संबंध में श्रम विभाग के उपेक्षा पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्रम विभाग की कन्सोलीएशन मशीनरी द्वारा समय पर काम करने में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (स्टेंडिंग लेदर कमेटी के निर्णय कि एग्रीकल्चर, पी. डब्लू. डी. सिंचाई विभाग, रोडवेज बिजली बोर्ड में केज्युअल और वर्कचार्ज कर्मचारी नही रखे जावेंगे, इसे श्रम विभाग द्वारा लागू कराने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 27

68. **श्री जसराज** (भिनाय) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भिनाय क्षेत्र में निर्माण कार्यों की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

69. **श्री महेन्द्र सिंह** (पीपिल्दा) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले के सिंचित क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले की तहसील दीगोद व पीपल्दा में प्रमुख नदियों पर पुलियाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण में बरते गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

72. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) :मांग संख्या27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय(सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक भवनों आदि की दशा पर ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

73. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

74. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु कम कर दिया जाय (भरतपुर शहर की नहर के चारों ओर की सड़क की जीर्णशीर्ण दशा पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर शहर की ब्यूटीफिकेशन योजना को क्रियान्वित न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

76. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (लोकवाणी के प्रकाशन को बन्द करने और श्रमिकों व पत्रकारों को देय राशि के भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 27

77. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीरा-बाद) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत व अन्य सार्वजनिक सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं हो पाती है, इस पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अधूरी सड़कों के काम को बन्द कर देने से राज्य

(श्रीविजयसिंह रावत)

सरकार की धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कामों का निरीक्षण कलेक्टर एवं जिले के समस्त विधायकों द्वारा गठित कमेटी द्वारा कराया जाये तो भ्रष्टाचार समाप्त कराने में सहायता मिलेगी, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

80. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (एम्प्लॉयमेंट एक्सेचेंजों में व्याप्त भ्रष्टाचार से योग्यतानुसार नौकरी नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मजदूरी में वृद्धि न होने से आज का श्रमिक परिवार भरण-पोषण मे असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा होटलों एवं रेस्टोरेन्टों में काम करने वालों को बीमा सुविधा दिलाई जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 27

83. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बौंली से निवाई (जिला–सवाई माधोपुर) सड़क-निर्माण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

84. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान, विशेषकर जिला सवाई माधोपुर में बेरोजगारी की समस्या का उचित समाधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा श्रमिकों को बोनस न दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 27

86. **श्री गोकुलचन्द** (खैरथल) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खैरथल से इस्माइल (अलवर) तीन मील की सड़क बनायें जाने पर चर्चा के लिये)।

87. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्व-निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय। (सड़कों की लम्बाई व भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा maintenance खर्च नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री जुझारसिंह)

88. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सड़कों से अलग बनी हुई पुलियाओं की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

89. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया (कांवली-जोजावर रोड निर्माण में विलम्ब किये जाने पर चर्चा के लिये)।

90. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर बोली सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर चर्चा के लिए)।

91. **श्री नाथूलाल करोल** (जमवा रामगढ़) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर-देहली रूट पर करीब 20 माइल के फासले से जो कच्चा रूट ताला धोला होता हुआ प्रतापगढ़ जाता है उसको पक्का बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

92. **श्री रावतराम** (छापर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सीकर से चुरू वाया फतेहपुर, रामगढ़ सड़क को पूरा करने पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चूरू से सरदार शहर वाया रासदेवरा घोघलिया सड़क का निर्माण कार्य चालू पर चर्चा के लिए)।

94. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मण्डी कमेटी कोटा व नगर परिषद् कोटा में समन्वय पर चर्चा के लिए)।

95. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डौली): मांग संख्या, 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आजादी मिलने के पश्चात बून्दी जिले में एक भी नई सड़क का निर्माण न कराने पर चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी इमारतें B. & R. के पास हैं उनकी मरम्मत के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

97. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पाली में जो मानपुरा पहाड़ी की ओर सड़क जाती है उसकी मरम्मत के बारे में चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से

(श्री मूलचन्द डागा)

100) रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर में बांडी नदी पर पुल बांधने हेतु चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (श्री जयनारायण व्यास की मूर्ति से लेकर बस स्टेंड तक सड़क को चौड़ी करने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (पाली शहर में स्टेशन से लेकर बांडी नदी तक की सड़क चौड़ी करने हेतु चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गैहठ से माद्राजन जाने वाली सड़क पक्की करने हेतु चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नगर पालिकाओं को जो रोड रोलर्स दिये जाते हैं, उसके प्रोसीजर पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पाली में अधिशासी अभियन्ता के ऑफिस के न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या, 23

104. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (छोटे-छोटे नाबालिग बच्चों को फालना और रानी आदि फैक्ट्रियों में काम करवाने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिलास्तर पर एम्पलॉयमेंट ऑफिस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

106. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्रथम पंचवर्षीय योजना की सड़कें आज दिन तक पूर्ण नहीं की गई है, खास तौर पर टोंक से सवाई माधोपुर तक की, उस पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें अभी तक पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

108 **श्री डूंगाराम राजौरिया** (दौसा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (श्रम सहकारी सोसाइटियों को अधिक ठेका देने व उनको सुविधा देने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

109. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दौसा, में सड़कों की कमी व अधूरी सड़कें पूरी कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

110. **श्रीमती गौरी पूनियां** (डेगाना): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (डेगाना से पुष्कर तथा डेगाना से तरनाऊ रोड्स को जीर्ण–शीर्ण हालत पर चर्चा के लिये)।

111. **श्रीमती सुमित्रा** (झून्झुनू): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (इस विभाग के अधीन विभिन्न जिलों में होने वाले खर्चे में भारी असमानता पर चर्चा के लिये)।

112. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1)रु० कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान के बारे में नीति का अननुमोदन)।

113. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में 1000) रुपये कम कर दिये जायें विभाग द्वारा खरीद किये जा रहे औजार और स्थिर संयन्त्र में व्यय में मित्तव्ययता)।

114. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में 1000) रुपये कम कर दिये जायें (कोटा जिले में कोटा–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्गों में व्यय में मित्तव्ययता)।

115. मांग संख्या 27. मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निमाण कार्य में से 100) रु० कम कर दिये जायं (कोटा जिले में बारां–मांगरोल, मांगरोल–सीसवाली एवं सीसवाली-अन्ता सड़क की मरम्मत के नाम पर धन का खुलकर दुरुपयोग हुआ, इस पर चर्चा के लिए)।

116. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जीर्णोद्धार मद के अन्तर्गत धन का कोटा जिले में सड़कों की मरम्मत पर खुला दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)।

117. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कोटा से शिवपुरी तक राष्ट्रीय सड़क मार्ग की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

118. **श्री हीरालाल** (कुम्भलगढ़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100)रु० कम कर दिया जाय (प्रथम पचवर्षीय योजना से जिन सड़कों का कार्य चल रहा है, अब तक पूर्ण नहीं हो पाया, उस पर चर्चा के लिए)।

119. **श्री शिवचरण माथुर** (मांडल): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को phased programme के आधार पर पूरी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

120. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 में परिवर्तन अजमेर से ब्यावर-भीलवाड़ा होकर उदयपुर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

121. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा क्षेत्र में अभ्रक की खानों तथा फैक्टरीज में मजदूरों के वेतन को चुकाने में अप्रत्याशित देरी तथा विभाग की इस सम्बन्ध में निष्क्रियता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

122. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (P. W. D. द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की quality के checking हेतु technical aid की व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

123. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण विभाग के समस्त कार्य ठेकेदारों के मारफत न करवाकर विभागीय तौर पर कराने पर चर्चा के लिए)।

124. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (छानी रानी खैरवाड़ा से सोम. तहसील खैरड़ा खैरवाड़ा, जिला उदयपुर की सड़क को कंकरीट की सड़क बनाने के सम्बन्धों में चर्चा के लिए)।

125- **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर धन का बटवारा उचित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

126. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य करने की कार्य-प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (श्रम नीति के बारे में नीति का अननुमोदन)।

128. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु०

(श्री शिवचरण सिंह)

कम कर दिया जाय (श्रम नीति का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न होने पर चर्चा के लिये)।

129. **श्री मनोहर मेहता** (मांडलगढ़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय कार्य में तत्परता लाने पर चर्चा के लिए)।

130. **श्री अमीलाल** (बहरोड़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सड़क-निर्माण के बारे में राजनैतिक हितों की दृष्टि से कार्य करने पर चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुत्तीना से मोहनपुर approach road तथा माजरी-कलां से नारनौल 18 मील के टुकड़े की सड़क का कार्य चुनाव के दिनों में जारी रहा और अब बन्द कर दिया गया उसे पुनः चालू कराने पर चर्चा के लिए)।

132. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बगड़ से मण्डेला व अरड़ावता से सुल्तान जिला झुन्झुनू में सड़क न होने से जनता की अत्यधिक कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

133. **श्री सांवरमल** (नवलगढ़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिला क्षेत्र में सड़कों की दुर्व्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

134. **श्री हंसराज** (भादरा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के कार्य सुस्ती से चल रहे हैं तथा कार्य समय पर और मजबूत नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

135. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नोहर-सहावा सड़क पक्की बनने से और गंगानगर से जयपुर का रास्ता 30 मील कम हो जायगा, यह सड़क पाकिस्तान के बोर्डर पर सुरक्षा के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के कस्बा रावतसर से हनुमानगढ़ टाउन तक सड़क मई से जुलाई तक गर्मियों में रेगिस्तान होने से सड़क पर भूड़ा आ जाने से आवागमन बन्द हो जाता है, इस पर चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नोहर से

Page No. 96

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पलू जाने वाली सड़क 5 मील पक्की व 10 मील अकाल सहायता कार्य से बनी है, उसको पक्की बनवाने हेतु चर्चा के लिए)।

138. **श्री चुन्नी लाल** (नोखा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों तथा तहसील मुख्यालय को एक दूसरे को सड़क द्वारा जोड़ने पर चर्चा के लिए)।

139. **श्री कल्याण मल** (जहाजपुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जहाजपुर क्षेत्र में कई अधूरी रोड्स को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

140. **श्री रामचन्द्र** (खन्डेला) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सड़कों पर समय पर डामर न डालने से सड़कें टूट जाती हैं व बाद में निर्माण का खर्चा अधिक आता है इस पर चर्चा के लिए)।

141. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पलसाना से खंडेला सड़क की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी थी परन्तु आज तक इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है, इस पर चर्चा के लिए)।

142. **श्री नन्दलाल** (पाटन) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बूंदी रोड से लाखेरी तथा बूंदी से लखेरी रोड की चिन्ताजनक हालत पर चर्चा के लिए)।

143. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पचपदरा तहसील में कोरना से माडपुरा जाने वाली सड़क पर तारकोल न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

144. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा दिये जाने वाले ठेकों के कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, इस पर चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बालोत्तरा से सिवाणा सड़क का डामर करने पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाये (बाड़मेर से जोधपुर सड़क पर सिणदरी एवं जसोल के पास में लूणी नदी का पानी बहता है, उस पर पुलिया बनाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

147. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सार्वजनिक निर्माण द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसमें पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

148. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले में आवश्यक सड़कों का निर्माण कार्य न होने पर चर्चा के लिए)।

149. **श्री बृज प्रकाश** (हनुमानगढ़): मांग संख्या 27, मुख्य शीषक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़, फतेहगढ़ व हलोल नगर, कालीबंगा, पंडतावाली, बड़ोपल होती हुई सूरतगढ़ तक की सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए)।

150. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ से टीबी व सतीपुरा से सूरेवाला, सादूल शहर से पक्कासारनान व सादूल शहर से गंगानगर की सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

151. **श्री मोतीलाल** (खेदर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सिरोही से जसवन्तपुरा वाया कालन्दरी सड़क को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

152. **श्री विट्ठल** (पीपलखूंट): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सावजनिक निर्माण कार्य में अधूरे कार्यों को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

153. **श्री मोहनलाल** (नीमका थाना): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—(सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय सार्वजनिक निर्माण कार्यों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

154. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता): मांग संख्या 27, मुख्य लीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण की धीमी गति व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

155. **श्री रोशनलाल** (सलूम्बर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रथम पंच वर्षीय योजना में जिन सड़कों को प्रारम्भ किया गया वे पूर्ण नहीं की गई, उस पर चर्चा के लिए)।

(श्री रोशनलाल)

156. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन मे से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला नियोजन अधिकारियों के कार्यालय की व्यवस्था ठीक न होने पर चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग की लापरवाही के कारण कांट्रेक्टरों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी पूरी नहीं दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

158. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100)रु० कम कर दिया जाय (लाडनूं डीडवाना सड़क का ठेका देने के बाद भी लम्बे समय तक कार्य पूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

159. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ठेकेदारों को जीपें खरीदने के लिए एडवान्स पेमेंट बिना ब्याज के देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं से निम्बी जोधा सड़क की हालत नहीं सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

161. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं सुजानगढ़ रोड खराब बनी है और अधिकारियों द्वारा गलत रूप से उसे पास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

162. **श्री रामनारायण** (मंडावा): मांग संख्या 27. मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में अधूरी पड़ी हुई सड़कों को पूर्ण न करने पर चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (डूंडलोद से चूरू वाया मंडावा जाने वाली सड़क अधूरी छोड़ देने पर चर्चा के लिए)।

165. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

166. **श्री बृजबल्लभ** (दीगोद) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से.100) रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में खेड़ा सूलपुर की नदी पर स्थित पुलिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के खुले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

167, मांग संख्या 27. मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों आदि पर काय करने वाले कर्मचारियों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिए) ।

168. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा बूठादीत सड़क की दुरावस्था एवं उस क्षेत्र को पुलियों की खराब हालत पर चर्चा के लिए) ।

169. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में ;से 100) रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ - बूंदी रोड कर डामर डालने में देरी होने के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

170. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा–मंगलवाड़ रोड के निर्माण कराने पर चर्चा के लिए) ।

171. मांग संख्या 27, शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़–प्रतापगढ़ रोड के निर्माण में देरी होने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (अन्य जिलों के मुकाबले में चित्तौड़ जिले में सड़कों, भवनों पर कम धन–राशि दिए जाने के बारे में चर्चा के लिए) ।

173. **श्री शंकर लाल जाट** कपासन) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में चल रहे निर्माण कार्यों में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 23

श्री किशनलाल शाह (नावां)

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर)

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

Page No. 100

174. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (लोकवाणी के प्रकाशन को बन्द करने और श्रमिकों व पत्रकारों को देय राशि के भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर मेरे तीन चार कटौती प्रस्ताव हैं, मैं सार्वजनिक मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार करें।

हमारे यहां सड़कों की दशा कितनी खराब है यह सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य जानते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार की आर्थिक क्षमता है उससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते पर जितना रुपया हमें मिलता है उसका सदुपयोग कर के योजना के अनुसार सड़कों पर व्यय किया जाता तो आज राजस्थान में जो हमें सड़कों की दुर्दशा देखने को मिलती है वह नहीं मिलती। आज राजस्थान में पांच–चार जिलों को छोड़ कर सब जगह सड़कों की कमी है। राजस्थान सरकार के टाइम में हमारे यहां तो सड़कें बनी नहीं स्टेट के टाइम की बनी हुई है। राजस्थान जो सड़कें बनती हैं उनकी स्थिति यह है कि पत्थर डाल दिये जाते हैं तो मिट्टी नहीं डाली जाती मिट्टी डाल दी जाती है तो मिट्टी नहीं डाली जाती और इसके परिणामस्वरूप सारे राजस्थान में आज सड़कों की स्थिति यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर उन सड़कों का इन्स्पेक्शन कर के लौट भी नहीं पाते तब तक वे सड़कें टूट जाती हैं, राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस प्रकार बरबाद किया जाता है। यह स्थिति देख कर कहना पड़ता है कि राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों के निर्माण की बजाय सड़कों का विनाश करता है। राजस्थान की जनता पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जिन मार्गों को पुरानी स्टेटों के समय में बनाया गया और जिन सड़कों का राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया इन दोनों का मिलान करें तो कहना पड़ेगा कि राजस्थान का लाखों करोड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है। शायद इन्जीनियर साहब कहेंगे कि ट्रेफिक ज्यादा बढ़ गया है, पर यदि आज गाड़ियों की संख्या, चलने वालों की संख्या यह सब कुछ देखें तो भी एक सड़क साल भर से ज्यादा नहीं चलती है, चाहे वह तारकोल की हो। मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस पर विचार करें।

हमारे राज्य में 19 हजार मील सड़कों की लम्बाई है, हमारी सड़कों की संख्या तो बढ़ती जा रही है पर उनकी सारसम्हाल बिलकुल नहीं की जाती है। राजनैतिक हित–साधन की दृष्टि से हमारे यहां सड़कों का निर्माण किया जाता है, चुनाव जीतने के लिये हर एक मंत्री देखता है कि चलो दस, पन्द्रह गधे मिट्टी तो डलवा दो और लोगों कह दिया जाता है कि तुम्हारे यहां सड़क बन रही है। इस सदन में

(श्री रामकिशन)

रोजाना सवाल उठते हैं कि इस सड़क का क्या हुआ, उस सड़क का क्या हुआ। प्रथम पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में 6 करोड़ रुपया इस तरह की सड़कों पर बरबाद कर दिया गया। मिट्टी डलवा दी राजनैतिक कारणों से पर उस पर मिट्टी नहीं डलवाई। इसके लिये राज्य सरकार को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय को राजस्थान की जनता माफ नहीं कर सकती।

इन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में हम राजस्थान में देखते हैं कि यहां नीति नाम की कोई चीज नहीं हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण चलता है। सड़कों की संख्या-सड़कों की लम्बाई हर जिले में देखते है तो पता चल जाता है कि इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण चलता है। राजस्थान बनने पर भरतपुर के श्री जुगलकिशोरजी पी डब्लू. डी के मिनिस्टर बने तो भरतपुर में सड़कें बननी शुरू हुई, उनके बाद अलवर के भोलानाथजी पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर बने तो अलवर में सड़कें बननी शुरू हुई और उसके बाद झालावाड़ के महाराज हरिश्चन्द्र जी पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर बने तो झालावाड़ मे सड़के बननी शुरू हो गई पर किस किस जगह सड़क की जरूरत हैं इसे नहीं देखा गया। गैर जरूरी समय में भरतपुर में सड़कें बनाई गई। राजनैतिक दृष्टिकोण से सड़कें बनाई गई इसलिये जहां सड़कें बनाना परम आवश्यक था वहां पर सड़के नहीं बनाई गई। अरावली के दक्षिणी हिस्से में आबादी ज्यादा है वहां सड़कें बन जानी चाहिये थीं पर इस दृष्टि से सड़कें न बनाकर राजनैतिक कारणों से, चुनाव जीतने के लिये सड़कें बनाई जाती हैं। इस तरह से सड़कें बनाने से न राज्य की आवश्यक सड़के बन पाती हैं न राज्य की उनसे आमदनी बढ़ती है, न राजस्थान के उद्योगों का विकास होता है और न लोगों को यातायात की सुविधा ही मिल पाती है। आज स्थिति यह है कि नई सड़कें बनती चली जाती हैं और पुरानी सड़कों की सार सम्हाल का ध्यान नहीं रखा जाता। पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये उनकी सार सम्हाल के लिये आवश्यक धनराशी नहीं रखी जाती। 1960 में जब कि हमारे यहां सड़कों की लम्बाई 15 हजार मील थी उस समय जितना पैसा इन सड़कों के मेन्टेनेन्स के लिये रखा था उतना ही आज रखा गया है जब की आज सड़कों की लम्बाई 19 हजार मील है, इससे इनका मेन्टेनेन्स पूरा नहीं हो सकता। यह मेन्टेनेन्स का रुपया मेन्टेनेन्स मे लग जाय तो मेंटेनेन्स थोड़ा बहुत हो सकता है पर यह पैसा मेन्टेनेन्स में नहीं लगाया जाता। महुवा क्षेत्र से राज बहादुरजी हार गये, मेरी उनके साथ सहानुभूति हैं पर उन्होंने दस, बीस, 50 हजार रुपया विभाग से खर्च करवा कर मिट्टी डलवा ही दी और गांवों के लोगों को बहका दिया कि तुम्हारे यहां सड़क बन रही है। यह मैं मानता हूं कि राजनीति का सरकारी तन्त्र पर प्रभाव हमेशा रहेगा पर लोकतन्त्र सरकार के लिये मै चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक जनता के पैसे को इस तरह से बरबाद करते रहेंगे।

(2.25 म. प.)

(श्री रामकिशन)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजो से कहना चाहता हूं कि पहले जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे श्री माथुर वे तो बहुत चतुर हैं खासे कलाकार हैं पर आप मत फंस जाना। योजना के आधार पर राज्य को बनाने की कोशिश कीजिये। सड़कों का इतना बड़ा अमला, विभाग के खर्चे को देखें तो चीफ इन्जीनियर के आफिस का 10 लाख का खर्चा, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के आफिस का 924 हजार का खर्चा, एग्जोक्यूटिव आफिसर्स के ऊपर 7567 हजार रुपया खर्चे हो जाता हैं। आप कहेंगे कि गैंग्स शामिल है, पर गैंग कितना काम करते हैं उनके काम को दिखाने का तरीका बजट में होना चाहिये कि जो गैंग रखते हैं उनका कितना काम होता है। हम जानते हैं कि उन गैंगों से जितना सरकारी काम नहीं लिया जाता जितना कि उनसे व्यक्तिगत काम लिया जाता है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों पर खर्चा तो करें पर योजना के अनुसार सड़कें बनायें। इन सड़कों की दशा को सुधारने के लिये दो तीन काम करने पड़ेंगे। करप्शन और भ्रष्टचार को बन्द करना इस सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिये मैंने इस पर कहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस और भ्रष्टाचार साथ साथ जन्मे हैं, इसलिये मै इस पर नहीं बोलता। कई ठेकेदार आये और उन्होंने कहा कि हमारा पेमेन्ट इसलिये रुका हुआ कि विभागीय अधिकारी हमसे कहते हैं कि हमारा कमिशन बढ़ाओ, मंहगाई की रेट बढ़ गई है तो हमारे कमिशन की भी रेट बढ़ानी चाहिये। इसमें मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उनको एक परिपत्र भिजवा दीजिये कि यह सही है कि मंहगाई बढ़ गई है पर योजना में अलोकेशन ज्यादा होने से तुम्हारे पास तो उतना ही आ जाता हैं। इसलिये ठेकेदारों का पेमेंट ठीक समय हो सके इसके लिये एक परिपत्र भेज कर उन्हें चेतावनी दे सकते हैं।

भरतपुर में स्टेट के टाइम में सड़कें थीं, वहां एक समस्या है, राजस्थान का एक हिस्सा अनावृष्टि से पीड़ित है तो दूसरा हिस्सा भरतपुर बाढ़ की वजह से पीड़ित है और राजस्थान सरकार 20 साल से यह तमाशा देख रही है। मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग दोनों विभाग मिल कर वहां काम करें, वहां की सड़कों को सुधारने के लिये विभाग के पास सुझाव भी आये हैं। भरतपुर में जो सड़कें बनी हुई हैं वे बांधों पर बनी हुई है वहां जमीन सिल्ट-अप होती जा रही है हर बरसात से पहले सड़क बनती है और बरसात होने पर बह जाती है। हर साल चार पांच लाख रुपया इस तरह से व्यर्थ ही बरबाद होता है। मैं चाहूंगा कि बाढ़ ग्रस्त सड़कों के लिये स्पेशल प्रोविजन किया जाय, एक बार उन सड़कों का लेवल ऊंचा उठाया जाय, यह सिंचाई विभाग और पी. डब्लू. डी. के सम्मिलित प्रयास से हो सकता है। एक बार 15-20 लाख रुपया खर्च कर दें तो हर साल जो चार, पांच लाख रुपया खर्चा करते हैं, वह बरबादी बचाई जा सकती है। दूसरे जब मैंने इस बजट को देखा है तो 5 शहरों के लिए 5 लाख रुपये अलग रखे हैं।

(श्री रामकिशन)

उसमें शायद बड़े बड़े कैपीटल्स होंगे । क्योंकि सरकार ने जो पुरानी रियासतों से समझौता किया था उसमें यह था कि इनकी सुन्दरता कायम की जायगी । सुन्दरता तो आपके द्वारा इन राजधानियों की बढ़ेगी नहीं लेकिन पुराने शहरों में कुछ ऐसे काम थे जैसे भरतपुर के पास सुजान कैनाल है । जबसे ही रियासत का शासन खतम हुआ, उस नहर के पास वाली सड़क पर थोड़ी सी मिट्टी भी नहीं डलवाई गई । निर्माण विभाग कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है । नगरपालिका कहती है कि यह हमारा काम नहीं है । वह सड़क इस तरह से टूट गई है कि हर साल एक दो बच्चे साइकिल से गिरकर उसमें पड़ जाते हैं और मर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है लेकिन विभाग और नगरपालिका अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि सड़क पर कौन पैसा लगाएगा ? जब तक राजबहादुरजी संचार मन्त्री थे, तब भरतपुर जिले के लिए 12 लाख रुपया भरतपुर की ब्यूटीफिकेशन के लिए रखे । जब तक वह थे तब तक काम होता रहा । सुपरिन्टेंडिंग इन्जीयर्स और एगजीक्यूटिव इंजीनियर्स जीप लेकर जाते रहे लेकिन ज्यों ही चुनाव का एलान हुआ लाइनों को खोदकर पाइपों को भी ले गए । अगर आपसे सुन्दरता नहीं हो सकती है तो भरतपुर को बिगाड़ो भी तो नहीं । चर्चा चल रही है कि राजबहादुरजी हार गए तो पैसे भी वापस चले गए । 20 साल के अन्दर कांग्रेस का आदमी हरेक हारेगा तो कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां कांग्रेस का आदमी न हो । क्योंकि ये लोग हारेंगे तो कहेंगे कि सड़क को उखाड़दो । जाने वाले शासक अपनी यादगार छोड़ते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के शासक ऐसे है जो जाने के बाद यादगार के लिये गड्ढे खोद रहे हैं । हिन्दुस्तान के शासक राजनैतिक बदला लेते हैं या गड्ढे खुदवाते है या काम अधूरे छड़वाते हैं । मैं शासकों के लिए ज्ञान की बात करूंगा कि आप अपने यादगार को मजबूत करो । आप समझते हैं कि वाटर्स इसी से बह जायेंगे ? मैं इसी सम्बन्ध में तीन सुझाव देना चाहता हूं :

एक तो आप नई सड़कों को तब तक हाथ में न लें जब तक पुरानी सड़कों को ठीक न कर दें । दूसरा जहां जहां सड़कें बना चुके हैं और मोरी और पुल नहीं बनाई तो पहले पुल बनाने का काम पूरा करें । अब पंचायत समितियों के चुनाव आने वाले है अगले साल फिर आपको कांग्रेस वाले तंग करेंगे । तो आप मंत्री महोदय इस चक्कर में न पड़ें । तीसरा मेरा सुझाव है कि जब उत्तर प्रदेश में चरणसिंह मुख्यमंत्री बने तो दो इंजनीयरों को बरखास्त किया, किस बात पर ? एक छोटी बात है । हमारे इलाके में खास तौर से भरतपुर, आगरा और मथुरा के आसपास जहां सड़कें निकलती हैं तो वहां खेत के कुछ हिस्सों में कुओं से किसान पानी लेना चाहते हैं । लेकिन विभाग जिसमें सिर्फ दो ढाई सौ का खर्चा होता है पाइप डलवाने पर वह काम नहीं करते । हजारों मन का अनाज एक एक गांव में नुकसान हो जाता है । तो तीसरा सुझाव है कि जहां सड़कें बनाई गई हैं और किसान का कुआं दूसरी तरफ है तो काटकर आप पाइप डालें । आज हालत यह है कि भरतपुर–जयपुर नेशनल हाईवे है, किसान चाहता है कि और कम से कम

(श्री रामकिशन)

भरतपुर जिले के 70 किसान इस बात के लिए कहते हैं कि पानी जाना बन्द हो गया है, तीन साल से लिखा-पढ़ी हो रही है। असिसटेंट इंजनीयर कहता है कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनीयर को अधिकार है जब वह मंजूरी देगें तब पाइप डाला जायगा। 250) की मंजूरी का भी सहायक इंजीनीयर को अधिकार नहीं. तो यह हालत है। उत्तरप्रदेश में चरणसिंह ने दो इंजीनीयरों को केवल इसी बात पर बरखास्त किया कि यह मामूली विवेक की बात है आप पाइप नहीं डलवा सके। तो मेरा पहला सुझाव है कि नई सड़कें न बनाएं, दूसरे जहां सड़क बन चुकी है, वहां पुल बनाया जाय। तीसरा जहां खेत आ गया किसानों का वहां पाइप डलवायें। अगर नए क्षेत्र लेने हैं तो पहले खानों से मिलाने वाली सड़कों को लें, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों से मिलाने वाली सड़कों को ले और सुरक्षा की सड़कों को लें। सुरक्षा की सड़कों के विषय में शायद भारत का यह पहली सरकार है जहां जिस तरह से सुरक्षा सड़कों का काम चल रहा है इसमें 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन डिफेंस के मामले में बहुत घोटाले हैं। आप पुराने निर्माण मंत्री से पूछें। उन्होंने सड़कें बनाने की चिन्ता नहीं की। पाकिस्तान फौजी तैयारी कर रहा है लेकिन राज्य के भूतपूर्व निर्माण मंत्री थे, उनके लिए चीफ इंजीनीयर भटनागर साहब चंदा वसूल करते थे। एक परसेन्ट पहले और आधा परसेन्ट बाद में। पी. डब्लू. डी. को चाहिए था कि वह देखे कि बोरडर पर लोगों को मजदूरों को पानी मिले, बाडमेर में लोग मर गए, समय पर सहायता नहो पहुंची लेकिन पी. डब्लू. डी. की ट्रकें चुनाव में बीकानेर में काम कर रही थीं। कोलायत में निर्माण विभाग काम में लग रहा था, आप शायद कहेंगे कि नहीं। मैं आपके जवाब से सन्तुष्ट नहीं होऊंगा और आप उस बात को सत्य नहीं मानेंगे लेकिन इन सारी घटनाओं से लोगों का विश्वास टूट जाता है। अगर नहीं टूटेगा तो बिहार में कांग्रेस वाले क्या आरोप लगा रहे हैं विरोधी दल की सरकार पर ? जो आपके भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं विधान सभा में कह रहे हैं कि हमारे अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में काम नहो कर रहे हैं। तो यहां भी जो सरकार दूसरी आएगी वह इतनी गलत आ सकती है इसलिए परम्परायें स्थापित करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आपका बड़ा दल है। हमको आपसे ज्यादा आशायें थीं लेकिन आपने गलत परम्परायें डाल दीं। सरकारी मशीनरी को आम चुनाव में डाल रहे हैं, इन्जिनियरों के मारफत जब चुनाव के लिये चन्दा ले रहे हैं तो दूसरे दल की सरकार आयेगी वह तो सीधे इन्जिनियरों की तनख्वाह से काटना शुरू करेगी। हम आपके कर्मों से नहीं डरते हैं लेकिन यह देश बनाने की बात है आगे आने वाली संतान आएगी तो आपने लिया एक परसेन्ट और वे 100 परसेंट लेंगे। आपके इन्जीनीयर भी आपको खुश करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि प्रमोशन मिल जाय कन्फर्म हो जायं, भटनागर साहब की भी शिकायत चलती रहती है उसको भी खयाल है कि किस तरह निर्माण मन्त्री को खुश करें। जीपें जो खरीदी वह चुनाव के काम आई बारडर रोड्स की जीपें। 50 जीपें खरीदी गई बारडर रोड्स के लिए वे बारडर के चुनाव क्षेत्रों में काम

(श्री रामकिशन)

आई। आप सड़क बनाना चाहते हैं या शमशान। अगर शमशान बनाना चाहते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे। अगर आप सड़क नहीं बना सकते तो गलत परम्परा तो स्थापित नहीं करें। बोरडर रोड्स पर घपले हुए हैं, क्योंकि इन्जीनीयर्स के मारफत चन्दा लेते हैं। जो मजदूरों के आवास के लिए पैसा आया था। उनके क्वारटर्स के लिए वह इंजनीयर्स अपने आवास के लिए महल बनाए। केन्द्रीय सरकार ने इसलिए पैसा दिया कि मजदूरों के क्वार्टर्स बनें लेकिन वहां इन्जीनीयर्स के लिए क्यों महल बने ? हम चाहते हैं कि एक परसेन्ट चन्दे वाले मामले में इन्कुवायरी हो। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग है जो ईमानदारी चाहते होंगे लेकिन दल के स्वार्थों की वजह से इन सारी बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

(2.38 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

तो मेरा यह कहना है कि भरतपुर की दशा सुधारें। महुआ में गलत ढंग से जीपों का प्रयोग हुआ बारडर रोडस पर जीपों के मामले में और तीसरे आप सड़कों के बारे में नीति बनायें और उस नीति के अनुसार काम करें।

मैंने बजट देखा है कि इसमें रीजनल ट्रांस्पोर्ट सर्वे यूनिट के लिए 1,17,000 रखे हैं। मुझे पता नहीं सर्वे क्या है, कहां काम किया है, कौनसी सर्वे चलती है। आपके विभाग के पास क्या काम है आप छटनी कर रहे हैं, इस सर्वे यूनिट को भी तोड़ दें।

आपने पंचायत समितियों के लिए 3 लाख रूपया रखा है। 232 पचायत समितियों के लिए सड़कों के लिए 2,90,000 रखे हैं और भवनों के लिए 79,200। मेरी समझ में नहीं आता कि इस रुपये से पंचायत समितियां कैसे तो अपने मार्गों को ठीक करेंगी और भवनों को ठीक करेंगे। अगर अनुदान देना हो तो ढंग से दो नहीं तो बंद कर दो। इस तरह से तो ये संस्थायें बदनाम होंगी। मैं प्रमुख हूं, मैं जानता हूं। 300) रुपए एक एक पंचायत समिति को आएगा तो इससे सड़क ता नहीं बन सकती, सरपच के लिए मिठाई आ सकती है। तो सारी रकम को आप वापिस लीजिये और सारी रकम वापिस लेने के बाद इस पैसे को बढाइये।

बाढ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये निवेदन करना चाहता था। वहां से कोई मन्त्री नहीं है। जब होगा तो भरतपुर का चीफ मिनिस्टर होगा। मन्त्री वगैरा तो जाते रहते हैं। अधिकारी तो रहेंगे। वृजसुन्दर जी तो दस पन्द्रह दिन में जाने वाले हैं। आपका काम हम देखेंगे और ठीक नहीं है तो भगा देंगे। उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार हैं। राजस्थान में भी इसको आने में क्या दिन लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब ही माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरों-सिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग पर पिछले वर्ष के जो अनुमान रखे गये थे उनसे अधिक इस वर्ष खर्चा हुआ है । और उसके कारण हैं । राज्य सरकार को राजस्व व्यय में और राजस्व आय में बहुत बड़े असन्तुलन का मुकाबला करना पड़ता है । यह दुर्भाग्य की बात है कि जो एक बहुत ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है सारी चीजों का सर्वे करने के बाद निर्माण कार्य अपने हाथ में लेता है जिनकी स्वीकृति में काफी समय लगता है उस विभाग का बजट काफी मात्रा में असन्तुलित हो जाय लेकिन जैसी चर्चा यहां हुई है कि इस विभाग का बजट असन्तुलित होने का कारण पिछला आम चुनाव है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है कि गांवों में आज मतदाता इस बात की प्रतिक्षा अवश्य करता है कि हमारे यहां सड़क बने या सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ भवनों का निर्माण हो । और जब किसी पक्ष की ओर से कोई कागज में स्वीकृति बता दी जाय या कुछ अधिकारियों को वहां सर्वे करने के लिये भेज दिया जाय या कुछ पत्थर वहां डाल दिये जांय या किसी चीज का शिलान्यास वहां कर दिया जाय तो जो वोट मिलने वाले होते हैं तो उनमें निश्चित रूप से असर पड़ता है और इस-लिये यदि यह कहा जाय कि पिछले वर्ष के अनुमान के उपरान्त इस विभाग में खर्चा हुआ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसके पीछे चुनाव का एक बहुत ही बड़ा कारण था ।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, सीमा क्षेत्र की चर्चा पहली बार ही हुई है । राजस्थान सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती इलाका होने के कारण हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं । उन जिम्मेदारियों के नाते हमने भारत सरकार से भी पिछली बार प्रार्थना की कि सीमा क्षेत्रों की सड़कों के लिए भारत सरकार हमें सहायता दे, भारत सरकार उन निर्माण कार्यों का खर्चा वहन करे । यह सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने उस बात को स्वीकार किया और सन् 1965 में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का संघर्ष होने के पश्चात् राजस्थान की सरकार ने और भारत सरकार ने महसूस किया कि सीमा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण बहुत ही आवश्यक है सुरक्षा की दृष्टि से जितने जल्दी निर्माण कार्य पूरे हों उनको पूरा कराया जाय लेकिन भारत सरकार को यह पता नहीं था कि राजस्थान की सरकार में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो केवल चुनावों को सामने रखकर सुरक्षा के प्रश्न को कोई महत्व नहीं देते । भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को लगभग 5 करोड़ 92 लाख रुपयों की इस बात की स्वीकृति दी कि सीमा क्षेत्रों में जिन सड़कों का निर्माण हो उन सड़कों के लिए आवश्यक मशीनरी पर्चेज की जाकर जो विभाग के नियम हैं उन नियमों के अनुसार कान्ट्रेक्टर्स को उधार दी जाय, किराये पर दी जाय । उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर और इस सदन को जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले वर्ष 88 लाख की मशीनरी खरीदी । उस 88 लाख की मशीनरी खरीदने पर आज कोई समझ कर चले कि 88 लाख की मशीनरी खरीद कर गवर्नमेंट ने अपने

(श्री भैरोंसिंह)

स्टोर में जमा कर दी या गवर्नमेंट के कानून के अनुसार या विभाग के नियमों के अनुसार किराये पर दे दी यह ऐसी बात नहीं है बल्कि कान्ट्रैक्टर्स को ये सारी की सारी चीजें हायर पर्चेज बेसिस पर ट्रान्सफर कर दी गई । यह पी.डबल्यू डी. का कोई नियम नहीं है । नियमों के ऊपर यह चीज की गई और हायर पर्चेज सिस्टम में उनसे कीमत लेते हैं कीमत लेने में भी सरकार ने चालाकी से काम लिया । कान्ट्रैक्टर्स की ओर से अरनेस्ट मनी जमा हुई उसके अगेंस्ट में इस सारी मशीनरी को सिक्योरिटी के एवज में जमा कर ली । इतना ही नहीं मुख्य मन्त्री और भूतपूर्व निर्माण मन्त्री यहां सदन में इस समय मौजूद नहीं है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व निर्माण मन्त्री ने उन कान्ट्रैक्टर्स से कांग्रेस पार्टी के लिए चन्दे के रूप में लाखों रुपये वसूल किए और किसी व्यक्ति को मशीनरी नहीं दी जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाकर चन्दे के रूप में रुपया जमा नहीं करा दिया गया ।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम)

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात करते हैं जैसा माननीय रामकिशनजी ने कहा पी. डब्ल्यू. डी. अपने नियमों को देख ले अपने सरकुलर्स को देख ले कहीं सरकुलर और नियमों में मशीनरी के अन्दर जीपें नहीं आती है । जीपें उनको खरीदवायी गयीं और उनके नाम पर ट्रान्सफर की गयी । कई मामलों में ट्रान्सफर नहीं हुई तो सरकार ने ली । जब पूछा कि यह कहां से आई तो कहा गया कि बीकानेर के कान्ट्रैक्टर्स की है, जोधपुर के कान्ट्रैक्टर की हैं, और बाड़मेर के कान्ट्रैक्टर की है । उन कान्ट्रैक्टर्स को जीपें ट्रान्सफर करने से पहले पिछले आम चुनाव में कांग्रेस पक्ष के लोगों ने काम में लीं । वे जीपें 88 लाख के अगेन्स्ट खरीदी नहीं जा सकती थीं वे खरीदी गई । कान्ट्रैक्टर्स के नाम पर बोगस रूप में ट्रान्सफर की गई । डब्ल्यू. जी. एम. लाल अक्षरों में लिखा हुआ था उन पर जो आम चुनाव में राजस्थान में घूमती थीं । राजस्थान सरकार के भूतपूर्व निर्माण मंत्री श्री मथुरादास माथुर ने यह नेशनल क्राइम किया है इसकी जांच होनी चाहिये कि इतनी जीपें खरीदीं क्यों खरीदी? कान्ट्रैक्टर से कितना पैसा लिया और उसके लिए कितना दबाव डाला गया ? उस बात की उनको चिन्ता नहीं थी कि सड़के बनती है या नहीं बनती । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार सामान खरीदती है तो कई चीजों पर और कई आइटम्स पर सरकार को सेलस टैक्स नहीं देना पड़ता है । उन आदमियों से सेल्स टैक्स नहीं लिया, राज्य सरकार को सेल्स टैक्स का घाटा हुआ, जिन कान्ट्रैक्टर्स को सामान दिया उनसे सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया और लाखों रुपया सेल्स टैक्स का उन सामान की पर्चेजेज में सरकार को मिलता, उसका कान्ट्रैक्टर्स को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से और कांग्रेस पार्टी के लिए चन्दा लेने की दृष्टि से उससे वह पैसा नहीं लिया और वही सेल्स टैक्स का पैसा कान्ट्रैक्टर्स से चन्दे के रूप में कांग्रेस पार्टी के खाते में जमा हो गया । कांग्रेस पार्टी के मुख्य मन्त्री कहते हैं कि हमारे लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आसान है । मैं मुख्य मन्त्री जी को

(श्री भैरोंसिंह)

चुनौती देना चाहता हूं सदन में प्रमाण लेना चाहें तो सदन में प्रमाण दूंगा और सदन से बाहर प्रमाण लेना चाहे तो बाहर दूंगा। कान्ट्रेक्टर्स से उन्होंने पैसा लिया है, सामान दिया गया उसका सरकार का सेल्स टैक्स का घाटा पहुंचाया सेल्स टैक्स न लेकर वैसे दिया गया और सीमा की सड़कों के निर्माण में जो काम होना चाहिये था उसमें कान्ट्रेक्टर के साथ मिल कर नेशनल फ्राड किया गया इससे बढ़कर क्राइम और कोई हो नहीं सकता। राजस्थान की सरकार ने यह बड़ा क्राइम किया है।

क्रिमीनल्स के साथ में क्रिमीनल्स की तौर पर व्यवहार होना चाहिये। इस तरह के ये साधन बटोरकर भ्रष्टाचार को फैलाते है। इन डाकुओं का मुकाबला किया जायगा। जो सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया केन्द्र से मिलता है उसको भी ये लोग डकारना चाहते हैं इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे। 6 करोड़ रुपया खर्च किया गया, 6 करोड़ का प्रावधान रखकर चलते हैं। आज भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना रुपया इसके लिये रखा गया है उससे इन नेताओं ने अपने चुनाव का काम किया। उनके कन्ट्रेक्टर आज भी निश्चल भाव से काम पर लगे हुए है। अगर वहां की सड़कों की हालत ईमानदारी से देखी जाय. मैंने बाड़मेर से चोहटन सड़क का जो निर्माण हुआ है उसको मैंने देखा है, वह सड़क ऐसी बनी है कि एक इंच बारिश से ही वह खत्म हो गई। बाड़मेर और जैसलमेर में जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण हो रहा है वहां बरसात नहीं होगी यह तो मानकर नहीं चला जा सकता। एक बरसात के साथ वे सब सड़कें गायब हो जायगी। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, उन ठकेदारों से भी बातचीत की है मैंने उनसे कहा यह नेशनल प्रोपरटी है आपको इसमें बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिये। वे कहते है एसी ईमानदारी गई भाड़ में जितने रुपय का कन्ट्राक्ट लिया है उसमें से कुछ सेव करवायेंगे या नहीं कम से कम कांग्रेस के फन्ड में जो पैसा दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, हमारे ये नये मंत्री आये हैं ये मथुरादासजी माथुर के खिलाफ किस प्रकार से इन्क्वायरी करेंगे मैं नहीं समझ पाता। किस प्रकार वे ट्रेक्टर्स का ट्रालीज का और बाकी चीजों का जवाब दे पायेंगे। इन सब चीजों के खरीद के अन्दर हमारी राज्य सरकार ने उनको ओबलाइज किया है, उनके परामर्श से सामान खरीदा उनको पैसे मिले और उसका उपयोग चुनाव में कर लिया। ऐसा मालूम पड़ता है यह सरकार इस विभाग को चुनाव विभाग मानकर चलती है इसमें जो खर्चा होगा वह सब उन्हीं के माध्यम से होगा। 200 रोड रोलर खरीदे गये और करीब 88 लाख रुपये को मशीनरी खरीद की गई और इस साल उसके लिये पचास लाख का प्रोवीजन रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या यह सब मशीनरी खरीद के लिये कोई ओरगेनाजेशन है। दवाई खरीदें तो उसके लिये हाई पावर कमिटी है और कोई चीज खरीदे उसके लिये हाई पावर कमिटी बनी हुई है लेकिन इस इतनी बड़ी चीज की खरीद के अन्दर कोई हाई पावर कमिटी नहीं। जब कभी इसके लिये कहा जाता है तो कहते हैं कि डी जी एस डी की जो रेटस है उन्हीं के अनुसार खरीदी

(श्री भैरोंसिंह)

जाती है उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। डी. जी. एस. डी. के अन्दर कमीशन का भी तो बड़ा प्रोवीजन है आप एक आइटम ट्रोली या ट्रेक्टर ले लें सभी के ऊपर कमीशन का प्रोवीजन है। मैंने इस प्रकार के बिजनेस करने वाले सब लोगों से पूछा है वे कहते हैं हमें एक आइटम पर 150 से लेकर 500 रुपया तक कमीशन का देना पड़ता है। आज जब कहीं पानी व्यवस्था के लिये कहते हैं तो पानी का इन्तजाम नहीं, गरीब जनता के लिये दवाइयां नहीं लेकिन भारत सरकार से प्लान के जरिये लाखों रुपया मिलता है उसको हजम करते हुए शर्म नहीं है।

यही नहीं सड़कों के लिये जो पैसा मिलता है उसका बटवारा तो देखिये। आखिर इसमें भी रेशनल बेसिस तो कुछ होना चाहिये। मैंने आपकी किताबों से ही आंकड़े इकट्ठे किये हैं पिछले वर्ष प्लान एक्सपेंडीचर लीजिये उसमें 11.70 हजार रुपया खर्च एक आइटम पर किया गया। उसमें से 5.50 हजार रुपया केवल उदयपुर के लिये और बाकी छः लाख में सारा राजस्थान आ गया। अगले साल के बजट में 14 लाख का प्रोवीजन है उसमें से 5.89 हजार केवल उदयपुर क्षेत्र के लिये है। इससे हम यह मानकर चलते हैं सारा राजस्थान एक तरफ और उदयपुर डिवीजन एक तरफ। मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर का विकास नहीं हो लेकिन उदयपुर के विकास के नाम पर सारे राजस्थान का विनाश तो न हो। इसमें रेशनल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये। आप उपदेश देते हैं कि हमें मोरल निर्माण करना चाहिये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया जहां से चुनाव जीतकर आये वहां उदयपुर की सड़कों का निर्माण कार्य पी. डब्लू. डी. के हाथ में और जयपुर की गलियां जिनका निर्माण बहुत आवश्यक है वह म्यूनिसिपेलिटी करे यहां का विकास मंडल करे। चुनाव के दिनों में वहां सब कार्य पब्लिक वर्क्स विभाग द्वारा कराया गया। आज जयपुर राजधानी है, यहां की सड़कें भले ही टूटी रहें, गलियों की मरम्मत का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग लेना नहीं चाहता।

सड़कों के लिये लम्प-सम रुपया रखा हुआ है उसमें कितना किस सड़क पर खर्च होता है वह पता नहीं चलता। एक लाख की लागत से कम लागत जिस पर आती है उन सड़कों का काम के लिये अलग से प्रोवीजन रख दिया है इससे निश्चित रूप से यह चीज सामने आती है 80 प्रतिशत रुपया एक ही क्षेत्र के लिये खर्च होता है।

छोटी मोटी सड़कों के लिये 1 करोड़ 70 हजार रुपया खर्च हुआ। उसमें से 37 लाख रुपया गंगानगर प्रोजेक्ट एरिया में सड़कें बनाने के लिये किया गया। इसमें किसी को एतराज नहीं लेकिन 1 करोड़ 34 लाख रुपया जो शेष बचा उसमें से 34 लाख रुपया उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इन पांच जिलों पर खर्च किया। इन पांच जिलों में अकाल के नाम पर काफी खर्चा किया गया, और रोड्स के नाम पर भी सबसे ज्यादा खर्च किया गया।

(श्री भैरोंसिंह)

इसी प्रकार बाड़मेर की रोड्स के लिये केवल 49 हजार रुपया खर्च किया गया जो सीमावर्ती इलाका है । जालौर में अकाल है जैसलमेर में अकाल है बाड़मेर में अकाल है– इन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कम प्रावधान रखते हैं । लेकिन उदयपुर चले जाइये वहां उदयपुर में 8 98 हजार खर्च हुआ, चित्तोड़ 5 67, भीलवाड़ा 5 15, बासवाड़ा 8.64, डूंगरपुर 6.16 । आज हालत यह है कि उदयपुर डिवीजन एक तरफ बाकी सारा राजस्थान एक तरफ, इस तरह से ये खर्चा करते हैं । आज जब कि सारे राजस्थान की जनता टेक्स-पेयर के नाते आपको पैसा देती है उसका मतलब यह नहीं कि सुखाड़िया जी केवल अपने क्षेत्र के लिये खर्च कर दें । आज जनता के पैसे से आप अपने क्षेत्र की उन्नति करें यह शोभा की बात नही है । कांग्रेसी नेता अपने घर से खर्च करें हमें उससे कोई एतराज नहीं लेकिन जनता के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग कियाजाता है वह यदि नहीं रुकता है तो यह दुर्भाग्य की बात है । इतना ही नहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में आप चाहे किसी को पूछ लें पब्लिक का इम्प्रेशन यह है कि इस विभाग के अन्दर गड़बड़ी होती हैं ।

(3 म. प.)

सड़क बने या भवन बने, छोटे से छोटा काम भी क्यों नहीं चलता हो इन कामों पर लोगों की आलोचना चलती है कि इस सीमेन्ट में मिट्टी मिली है, सीमेन्ट खराब उपयोग में लाया जा रहा है, पत्थर अच्छा उपयोग में नहीं आ रहा है, चूना खराब है । पर मैं ध्यान इस विभाग की मोटी बुराई की ओर दिलाना चाहता हूं । आप नये आदमी हैं इस विभाग के लिए । आप इन्जीनियर नहीं हैं और ऐसी हालत में इन्जीनियर जो कि खाने पीने वाला होगा आप पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा । आप अगर इस प्रभाव से बचना चाहते हैं और उनको ठीक करना चाहते हैं तो एक बार एक बात की जांच कर लीजिये कि कितने ठेकेदारों का पेमेन्ट बकाया हैं । कितनों के बिलों को एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने पेनेलाइज करने की की सिफारिश की है और चीफ इन्जीनियर तक पहुंचते पहुंचते वह सारा रुपया एडजस्ट हो जाता है पेनल्टी के नाम पर । यदि मिनिस्टर बैठकर इस बात का हिसाब बना लें कि एग्रीमेन्ट के अनुसार काम नहीं किया तो पेनल्टी क्यों नहीं इम्पोज की गई, ओवर पेमेन्ट कितनों को किया गया, ड्यूज अनावश्यक रूप से क्यों रोके जाते हैं, छः महीनों तक साल भर तक चल रहा है जब तक पेट की पूर्ति न हो जावे पेमेन्ट नहीं होता । अगर इस विभाग के करप्शन को रोकना है तो एक स्टेटमेन्ट इस विधान सभा में इस तरह का पेश कर दिया जावे वार्षिक रूप से कि अमुक ठेकेदार का काम अमुक तारीख को खत्तम हुआ, अमुक तारीख को बिल आये और अमुक तारीख को पेमेन्ट किया गया । पेमेन्ट अगर देर से किया गया तो देर के अमुक कारण है । पेमेन्ट बिल देने और काम पूरा हो जाने के इतने दिन बाद कर दिया जाना चाहिए था, पर नहीं किया गया तो उसका कारण क्या है । जिनको

(श्री भैरोंसिंह)

पेनल्टी देना है उनके लिये एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने यह इम्पोज की और चीफ इन्जीनियर ने यह कटौती उस में की है। अगर इस लाइन पर इस विभाग को कन्ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं कह सकता हूं कि इसमें सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में पिछली बार भी इस बात की चर्चा हुई अजमेर के भवन को बनाने के प्रश्न को लेकर मीरसाली के मामले में। उसकी जितनी एन्क्वायरी होनी चाहिये थी, हो गई। इसके बाद लोगों को दोषी पाया गया। दोषी पाकर दण्ड देने की व्यवस्था के लिये सिफारिश की गई। पर भगवान जाने क्यों चीफ इन्जीनियर महोदय नहीं चाहते कि उन इन्जीनियरों, को जिन्होंने गड़बड़ी की है, सजा दी जावे और जब चीफ इन्जीनियर नहीं चाहते तो मन्त्री चाहे या नहीं, मन्त्री की आवाज की कोई वकत नहीं होगी। नये मन्त्री कहें हिम्मत करके तो उनके कथन पर कोई विश्वास नहीं हो सकता। पहले मन्त्री अपनी आवाज की कीमत बता सकते थे, पर चीफ इन्जीनियर के खिलाफ नहीं जा सकते। आज के मन्त्री खिलाफ जाने की हिम्मत करेंगे तो यह विभाग किसी दूसरे मन्त्री को दे दिया जावेगा और लड़ने झगड़ने का मौका मिल जावेगा। आप देख लीजिये, गुंजाइश हो तो करके देख लीजिये। यह हैड आफ दी डिपार्टमेंट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर हैं उनसे कोई मंत्री लड़कर देख ले। उनको अपनी हिम्मत का पता लग जावेगा। राजस्थान में यह चलता है। अगर आप लड़े तो सावधानी से होशियारी से लड़ना और इस जिद्द प लड़ना कि जब तक इस विभाग को आप अंकुश में नहीं लें तब तक पी. डब्लू डी. नहीं छोड़ेगे। तब कुछ चेन्ज सामने आवेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हां, बद्रीप्रसादजी ने याद दिलाई है। एक बार इन्होंने हिम्मत की थी। 5-6 इन्जीनियरों को सस्पेण्ड कर दिया। विभाग ने लिया गया उनसे वापिस यह तो कांग्रेस की परम्परा है। इस राज की परम्परा है। इसलिये कहना चाहता हूं कि विभाग के अन्दर भवन बने या कोई भी चीज का यदि निर्माण हो भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टचार को समाप्त करने की यदि किसी मिनिस्टर ने कोशिश की तो वह विभाग ही उससे निकल जावेगा, वे विभाग से भ्रष्टाचार नहीं निकाल सकते। अजमेर से नसीराबाद की सड़क बनी दस लाख रुपये में। 6 लाख तो अजमेर से नसीराबाद तक खर्च हो गये और दो चार लाख नसीराबाद शहर में खर्च हो गये केवल इस बात के लिये कि हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बालकृष्णजी कौल के चुनाव में प्रचार करने को नसीराबाद आ रही हैं। उनकी सड़क साफ होनी चाहिये, उनके लिये लाल मिट्टी बिछी होनी चाहिये, नसीराबाद में जगह जगह खडडे भरे होने चाहिये। फिर वह भले ही सड़कों पर चलें या न चलें, पर हवाई जहाज से भी चमचमाती हुई सड़कें दिखनी चाहियें। उसके लिये दस लाख खर्च कर दिया और आज मैं देखता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

उस फाइल को गायब कर दिया गया है। इसलिये कि उस पैसे की सेंक्शन नहीं थी। आज फेमिन का पैसा पी. डब्लू. डी. के नाम पर खर्च कर दिया। फेमिन न नसीराबाद में, न फेमिन नसीराबाद की सड़कों पर, पर दस लाख खर्च कर दिया। केवल एक मन्त्री को जिताने के लिये। अकाल के नाम पर खर्च कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि फिर भी वे जीते नहीं। मुझे अफसोस यह है कि उन की जमानत कैसे बच गई। जो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसी बेहयाई और निर्दयता से खर्च करता है भगवान उसको दण्ड देते हैं। दण्ड मिला, और ऐसा मिला कि आजकल आते हैं, बैठे रहकर यहां, मुसंकरा कर चले जाते हैं। न उनको वे अफसर पूछते हैं न विधायक उनको पूछते हैं। सब उनके लक्षणों से परिचित हो गये। सभी जगह धीरे धीरे यही हालत बनती जा रही है।

एम्पलोयमेंट का क्वेश्चन आता है। राजस्थान की तीसरी योजना फेल हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। बाकी का निर्माण का काम पूरा हो या न हो, बाकी और जो खर्चा करना चाहते थे किया या नहीं, पर सबसे मोटा प्रश्न यह आता है कि राजस्थान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारी राजस्थान सरकार कह रही है कि स्टेट के लाखों शिक्षित बेकार होते जा रहे हैं। शिक्षित ज्यादा बढ़ रहे हैं। अशिक्षित ज्यादा बढ़ रहे हैं जनसंख्या के कारण से। राजस्थान सरकार इस बुरा मान कर चल रही है। उनको भार मानकर चल रही है। इस भार को समझ कर तीसरी योजना में सरकार ने कहा था कि 9 लाख नौजवानों को रोजगार देगी वह। पर इसकी योजना तीसरी योजना के फेल होने के साथ ही समाप्त हो गई।

चौथी का एक वर्ष निकल गया, चौथी का दूसरा वर्ष निकल रहा है। न तो उन नौ लाख लोगों को रोजगार दे पाई है यह सरकार, न देगी. न आगे प्रावधान किया है। कहते हैं हम इस बात का इन्तजाम करके अब नहीं चल सकते। मैं पूछता हूं फिर आपने योजनाएं बनाई किस बात की? लोगों को रोजगार अगर नहीं दे सकते तो फिर क्या केवल योजनाओं का आकार खड़ा करने के लिये योजनाएं बनाई हैं क्या ?

राजस्थान में जिस प्रकार की बेकारी बढ़ रही है, गांवों में बेकारी, शहरों में बेकारी। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के रूप से कहता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा सुबह से शाम तक की जब कम से कम दस शिक्षित युवक इस बात के लिये मेरे पास नहीं आते हों कि हमारे पास शाम को खाने को रोटी नहीं है, कोई रोजगार पर लगाया जावे।

यदि ये योजनाएं और विकास के आपके कारनामे ऐसे ही फेल होने वाले नहीं हैं तो मैं पूछना चाहूंगा एक बात आपसे कि तीसरी योजना में 9 लाख लोगों को आपने रोजगार देने का टारगेट तय किया था तो उसको अभी तक भी पूरा क्यों

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं किया ? कैसे पूरा किया जावे। लेबर का जहां तक प्रश्न आता है हमारी राज्य सरकार छटनी नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कल तो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान छटनी के लिये कमर कस कर बैठे हैं। जयपुर स्पिनिंग और विविंग मिल बन्द हो गई। बहाना है उनके पास। पावर नहीं है। बेशक वे यह बहाना बनावेंगे। कहेंगे जितना चाहिये उतना नहीं मिलता। मजदूर काफी बेकार हो जावेंगे इस तरह। चलने चलाने की उनको चिन्ता नहीं होगी। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े संस्थान, कोटा में जाइये जयपुर में चले जाइये, वे सस्थान धीरे धीरे बन्द हो रहे हैं। हम यहां लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था का गुणगान करके चल देते हैं, पर उनको तो वहां दिया ही नहीं। बल्कि जो रोजगार में आलरेडी थे वे चौथी योजना में कमी करने से छटनी करने से अलग हो रहे हैं। छोटे छोटे संस्थान धन्धा न होने से बन्द पड़े हैं जयपुर में। जहां 25 मजदूर काम करते थे वहां पांच आदमी रख छोड़े हैं, जहां सौ थे वहां पचास को काम पर रख छोड़ा है। धन्धा नहीं पावर नहीं।

अब दुर्भाग्य की बात यह है कि लेबर मिनिस्टर जब मिनिस्टर नहीं रहते हैं तो लेबर का काम करते हैं। मिनिस्टर बन जाते हैं तो कैपिटेलिस्ट बन जाते हैं। बाहर निकलेंगे मिनिस्ट्री से तो सवाई माधोपुर पहुंच जावेंगे, मजदूर लोगों में बोलेंगे, कहेंगे कि मैं तुम्हारा हित-चिन्तक हूं। जब मिनिस्टर नहीं थे, केवल विधायक थे, तो विधान सभा में मजदूरों की वकालत करते थे। पर मिनिस्टर बनने पर जैसे जबान को ताला लग गया ऐसे बैठ जाते हैं। जब से मिनिस्टर बन गये बड़े बड़े सेठों के पीछे रहते हैं। मन्त्री नहीं रहते हैं तो लेबर में अपनी दुकान जमाने के लिये सीधे उनके बीच में लाखेरी पहुँचते हैं, सवाई माधोपुर में पहुचते हैं वहां भाषण दिया, लाखेरी में भाषण दिया। कहने लगते हैं मैं तुम्हारा नेता हूं। पर उन्हीं से यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि माथुर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं कर सकते। तो इससे बढ़कर उनके लिये शर्म की चीज नहीं हो सकती। राजस्थान की सरकार यह कहे कि माथुर कमेटी की सिफारिशों के लिये समझौते की बात करें। ये पानी बिजली हमसे सस्ती दर पर लेते हैं। रॉमैटीरियल हमसे लेते हैं पर वे ही श्रम कानून हमारे पालन नहीं करते। लेबर के हित में हम उनको नहीं दबा सकते। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह तो एक बात कहकर अपना पिण्ड मजदूरों से छुड़ाते हैं कि लेबर ट्रिब्यूनल में मामला गया। ट्रिब्यूनल से ऐसा लगता है अब तो सब कुछ होने वाला है। पर आज महंगाई का प्रश्न लेबर ट्रिब्यूनल में भेजा गया पर वहां फैसला होने तक तो मजदूर पिस जावेगा। आज इस महंगाई का असर और प्रभाव जो मजदूरों पर पड़ रहा है उससे लेबर को कैसे बचाया जावे हमारी सरकार इसकी चिन्ता नहीं करती। उसको चिन्ता है रामनाथ पोद्दार की। रामनाथ पोद्दार जयपुर स्पिनिंग मिल को बन्द करके बैठा है। मिनिस्टर की तो

(श्री भैरोंसिंह)

विचारे की क्या हिम्मत और किसी की भी हिम्मत नहीं है हो सकती। हमारी पूंजी उस मे लगी है, हमारे शेयर थे, हम भी उस कम्पनी के पहले मालिक थे, बात भी करते थे, पर अब तो उनकी भी बात करने की हिम्मत नहीं हैं। रामनाथ पोद्दार, सरकार को दिखता है, जैसे कोई शेर बैठा है। कोई मन्त्री हिम्मत करके जाता भी हो तो उसकी शक्ल देखकर नमस्कार करके वापिस आ जावे। यह हालत है आज। वृजसुन्दर जो भी जोरों से कई बार एन. वी. सी. के मामले में, मान इन्डस्ट्रीज के मामले में; कई बार उदयपुर के मजदूरों के मामले में बातें करते थे और कहा करते थे कि मजदूरों का यह नहीं हुआ तो यह कर देंगे और यह नहीं हुआ तो यह कर देंगे और मैं आपको बताऊं कि आपका डिपार्टमेंट और लेबर कमिश्नर का आफिस उनके लिए कहना चाहिए कि इतने इनकाम्पीटेन्ट हैं कि लेबर की शिकायतों को वह रफा नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और सुनकर उनको रफा नहीं कर सकते और इन्डस्ट्रीज के ऊपर अपना प्रभाव दिखा नहीं सकते। यह सरकार न शिकायतें सुनना चाहती है, न शिकायतों पर मनन करना चाहती है, न शिकायतों को रफा करना चाहती है और यह सरकार कर भी नहीं सकती है। कोई आदमी राजस्थान में या और कहीं भी इन्डस्ट्री लगाता है तो पहले गणेश जी की पूजा करता है भारतीय संस्कृति के अनुसार और उस समय सब को इतना सा गुड़ देकर खुश कर दिया जाता था लेकिन यह जो मोटे पेट वाले गणेश जी बैठे हैं इनको यदि पूरी सम्पत्ति से खुश नहीं किया जाए तब तक तो यह गणेश जी प्रसन्न नहीं होते और जब हो जाते हैं तो नाराज नहीं होते। अब लोगों को आदत पड़ गई इनको खुश करने की और जान गये कि क्या क्या इनको सामग्री चाहिए, अगर इनको वह सामग्री मिल जाये तो इस बात का इनको लाइसेन्स मिल जाता है कि मजदूरों का गला काटा जा सकता है। एक तरफ सरकार का पैसा खाते हैं, एक तरफ मजदूर का पैसा खाते हैं और इसके कारण उपाध्यक्ष महोदय मजदूरों में असन्तोष बढ़ता है और असंतोष बढ़ने से उनको काम में रुचि नहीं रहती और इससे प्राडक्शन गिरता है। उस प्राडक्शन की कमी के कारण राज्य की आय पर असर पड़ता है और देश की आय पर असर पड़ता है लेकिन हमारी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी कर ले यह बिलकुल असम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव लोकवाणी सोसाइटी के बारे में है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है और इसके जितने भी साझीदार लोग हैं वह हमेशा मुझे इस बात के लिए परेशान करते रहते हैं कि सोसाइटी पहले किसी दूसरे नाम से चलती थी फिर इ। सोसाइटी ने घाटा बता दिया और फिर अब दूसरे नाम से चलने लगी है। इसमें जिन लोगों की रकम थी वह घाटे के नाम पर जमा हो गयी और जो सरकारी लोन था उसके चुकारे की कोई व्यवस्था नही की गयी, यह सोसाइटी दूसरे नाम पर कैसे

(श्री भैरोंसिंह)

आ गई ? मैंने कहा कि इसमें बड़ी बात नहीं है, इस राज्य सरकार की तो परम्परा है कि कोई भी आदमी कभी गड़बड़ करे– पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है लोग दिवाला निकालते थे और दिवाला निकालने के बाद वह फर्म खत्म हो जाती थी और उसकी एक ईमानदारी थी कि वह व्यक्ति फिर किसी दूसरे फर्म के नाम से वर्षो तक काम नहीं चलाता था लेकिन जब से यह सरकार बनी और इस सरकार ने दिवाला निकालने का सिस्टम भी बदल दिया। दिवाला आज निकला और उस दिवाले के प्रोग्राम में ही शामिल कर दूसरा बोर्ड लगा दिया। उसकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई और असेट्स दूसरे नाम पर ट्रान्सफर हो गये। लेबर का पैसा, बाकी प्रेस वाले लोग रोते हैं, उनकी बकाया का भुगतान नहीं किया जाये तो इसमें मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इतना कहने में समझ लेंगे और इस सदन में इस प्रश्न को लेकर जो भी चर्चा है उस पर ध्यान देंगे। मैं और नहीं चाहता सरकार का पैसा मिले या नहीं यह सरकार जाने। बाकी के काम हों या नहीं सरकार जाने लेकिन जिन लोगों का एम्पलायमेन्ट और उसकी सिक्योरिटी थी उन लोगों को एम्पलायमेंट क्यों नहीं मिला? जिन लोगों की बकाया है उसका भुगतान क्यों नहीं कराया जाता है ? इन दो प्रश्नों को लेकर मैं श्रम मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सोसाइटी के बारे में भी जिसकी कि जानकारी आपको भी खूब है, डिटेल्स में आप जानते हैं लेकिन जिस प्रकार से इस सारी स्थिति को रखा है उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सोसाइटी भी आपके क्षेत्र में आती है तो आप पूरी जानकारी नही दे रहें हैं। सदन को भी तो पूरी जानकारी दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सबकी जानकारी के लिये यह लोकवाणी काण्ड नाम का एक पर्चा सदन की मेज पर रखता हूं आप पढ़ लीजिए।

(सदन की मेज पर एक पर्चा रखा गया)

श्री रामकिशन : आप तो दोनों ऐसे शरमा रहे हैं जैसे कि दो नई बहुऐं शरमाती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को शिकायत नहीं रहेगी अगर वह पर्चा टेबल पर गया तो यह दूसरा आपको भेज देता हूं।

(एक पर्चा माननीय मंत्री महोदय को दिया गया)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं अपनी एक मांग और पेश करना चाहता हूं कि बोर्डर रोड्स के संबंध में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराई जाये। जांच के लिये मैं राज्य सरकार से यह नहीं कहता कि जुडिसियल इन्क्वायरी हो कोई, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहता

(श्री भैरोंसिंह)

हूं कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री मेरे 3 प्रश्नों का जवाब अवश्य दें। क्या जीर्ण मशीनरी में आती हैं? जितना भी सामान खरीदा गया क्या आपने उसको हायर परचेज पर दिया - क्या इसके लिये आपके कोई रूल्स हैं? क्या यह सही नहीं है कि पी. डब्लू. डी के रूल्स के अनुसार केवल आप किराये पर दे सकते हैं और कीमत के ऊपर नहीं दे सकते? क्या यह सही है कि उसकी सिक्योरिटी के नाम से आपने अरनेस्ट मनी का उपयोग किया है और उस खाते में जमा किया है? यह चारों बातें होने के साथ क्या यह भी सही है कि बीकानेर रोड्स में कान्ट्रेक्ट्स बिना टेन्डर्स इनवाइट किये ही दे दिया और यह सामान एडवान्स में दे दिया गया? इन चारों बातों का आप जवाब दें और इसका जवाब देने में, मैं तो मानकर चलता हूं कि जो आरोप लगाये हैं वह इससे सही सिद्ध होंगे और यदि सही सिद्ध होते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं है यह सदन भारत सरकार से निवेदन करे कि इतनी सड़कें बनाने के लिए इतना पैसा दिया और उस पैसे के अन्दर यह गड़बड़ी की गई। यदि इसी प्रकार की गड़बड़ें होती रही तो सीमा सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसलिए भारत सरकार इसके प्रति भी सावधान रहे। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई!

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी; मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय का जालोर में सड़क निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में जालोर व बाड़मेर ऐसे जिले हैं जहां सड़क का निर्माण अभी पिछले 20 सालों में बहुत कम हुआ है। सड़क निर्माण में जालौर जिला सबसे पीछे है। पिछली साल पूरे जिले में सिर्फ 25 मील मील डामर की सड़क थी और अब 20 मील और हुई है इस तरह से कुल मिलाकर 45 मील ही सड़क बन पाई है। उसके अलावा दूसरी कान्क्रीट रोड्स हैं वह बरसात के समय में बहुत खराब हो जाती हैं और बरसात में सारे आवागमन रुक जाते हैं और जालोर जिले में प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं और प्रोडक्शन के हिसाब से यह जिला बहुत ही उपयुक्त जिला है। लेकिन रोड्स के आवागमन नहीं होने की वजह से राज्य सरकार के जो भी इस एरिया में प्लान्स हैं वह सक्सेसफुल नहीं हो पाये हैं। जालोर जिले को एस० डी० ओ० हैड-क्वार्टर्स और तहसील हैड-क्वार्टर्स को भी जोड़ने वाली सड़क नहीं बन पाई है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कि बजट का अलाटमेन्ट होता है तो ऐसे जिले जो कि पहले ही रोड्स के मामलों में और दूसरे मामलों में अविकसित हैं विशेष तौर से इन जिलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और रोड्स के लिए पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरे बाड़मेर और जालोर जिला सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं। जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि सांचोर के पास होकर रानीवाड़ा होकर बाकासर की ओर डिफेन्स रोड जा रही है....

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मैंने इस रोड को देखा है। इस रोड में जितना अर्थ वर्क होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अभी जो रोड का काम अन्डर कन्स्ट्रक्शन है, उस बीच में बरसात में, यह रोड कई जगह से टूट गई है। यह शायद चीफ इन्जीनियर को मालूम है या नहीं, लेकिन एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को यह अनुभव हुआ है कि अगर यह रोड तीन-तीन फीट जमीन से ऊपर नहीं ली गई तो बरसात के दिनों में यह बेकार हो जायगी और आवागमन बंद हो जायगा। मंत्री जी का ध्यान इस ओर मैं विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस रोड का एलाइनमेंट पहले तो लिया गया था इसलिये यह रोड कई जगह से टूट गई और कई जगह पुलिया बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यह नई बात अगर मालूम पड़ गई है तो सरकार को चाहिए कि इस रोड का तीन-तीन फीट अर्थ वर्क होकर इसका निर्माण होना चाहिए, नहीं तो यह रोड बेकार हो जायगी और सुरक्षा की दृष्टि से यह बात ठीक नहीं रहेगी।

दूसरे जो गान्धवा से बाखासर तक रोड बन रही है, उसके सम्बन्ध में वहां के सरपंच ने प्रार्थना पत्र दिया था और मैंने भी राज्य सरकार को इस के बारे में आगाह किया था कि जो मेटिरियल डाला जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है। अगडावा में नीचे जो पत्थर है उसको इसमें काम में लाया जा रहा है। मेरी दृष्टि से वह कच्चा पत्थर है और थोड़ा कूटने से ही वह खराब हो जायगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार जो पत्थर काम में लाने की आवश्यकता थी वह काम में नहीं लाया जा रहा है। अभी जिस पत्थर से यह रोड बनाई जा रही है, उसके कारण यह बेकार हो जायगी। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय। अगर इस रोड में कच्चा पत्थर काम में आयेगा, जो कॉन्ट्रेक्ट के अन्दर नहीं था, जो नजदीक में पत्थर मिल गया तो सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा-इस ओर दुबारा ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी को इस रोड को चीफ इंजीनियर को साथ में ले जाकर देखने की आवश्यकता है वरना यह रोड बन गई तो सुरक्षा की दृष्टि से यह काम में नहीं आयेगी और एक जबर्दस्त समस्या बन जायगी। इसलिए माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा इस रोड को और भी काफी इधर-उधर चेंज करके, कई जगह पर ज्यादा घुमाव डाल कर बनाया जा रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में यह रोड बन्द नहीं हो, इसका भी राज्य सरकार को इन्तजाम करना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दांता से सांचोर जाने वाली रोड है, वह डिफेन्स रोड से मिलती है। यह 10 मील का टुकड़ा बाकी है, जिसमें से पूरी सड़क में से 20 मील बन गई है और दस मील बाकी है। इस रोड को प्रॉयोरिटी दी जाकर इसको कम्प्लीट नहीं कराया जायगा तो जो 20 मील बन गई है वह भी काम में नहीं आयेगी। इसलिए इस रोड को प्राथमिकता देने की ओर ध्यान देकर पूरी करने की आवश्यकता है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जालोर में फेग्रर वेदर रोड है, ग्रेवल रोड और तार रोड के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जालोर से सायला–बागोड़ा तक मिलाने वाली सड़क प्लान में है परन्तु पैसे की कमी की वजह से रोड नहीं बनाई जा रही है। ऐसी गम्भीर समस्या के होते हुए अगर रोड कन्स्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं की तो अगले बीस, पचास वर्ष तक भी मैं जो नई रोड का भविष्य देख रहा हूं वह बहुत अन्धकारमय दिखाई देता है। इस पर राज्य सरकार विशेष तौर से विचार करे और जो एलॉटमेंट आफ फण्ड रोड्स के लिए हुआ है वह ज्यादा होना चाहिये। जो फेग्रर वेदर रोड है वह बरसात और आंधी के जरिये खराब हो जाती है और इस कारण आवागमन का रास्ता रुक जाता है। इसलिए जो फेग्रर वेदर रोड है वह डिपार्टमेंट की तरफ से साल में एक दफा जरूर साफ कर दी जाय तो ठेकेदारों को भी मोटर लगाने में सहूलियत मिल सकती है, वरना वे मजदूरों के जरिये यह रोड साफ नहीं करा सकते हैं और चार–पांच महीने तक रास्ता बन्द पड़ा रहता है। ऐसी हालत में लोगों को आवागमन की असुविधा नहीं हो, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, राज्य सरकार का विशेष तौर पर इस ओर ध्यान आकर्षित कराना उपयुक्त समझता हूं।

दूसरे श्रम और नियोजन के अन्दर जो एग्रीकल्चर लेबर है उसके बारे में राज्य सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। एग्रीकल्चर लेबर की वहां समस्या है। जो व्यक्ति बड़े काश्तकार हैं वह मजदूरी के बेसिस पर इनमें काम करा रहे हैं—उन मजदूरों के लिए राज्य सरकार की स्कीम नहीं है, वह दूसरे मजदूरों की तरफ तो ध्यान दे रही है। एग्रीकल्चर लेबर की समस्या दिन पर दिन भयंकर रूप से उपस्थित होती जा रही है। इसलिए राज्य सरकार एग्रीकल्चर लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने के सिलसिले में ध्यान दे। यह लेबर, जो गांवों में अस्सी परसेन्ट जन–संख्या होती है उनके पास जमीन बहुत कम है और ऐसे लेबर का बहुत ज्यादा पर्सेन्टेज है। इसके बावजूद भी इस लेबर को एम्प्लॉयमेट देने के बारे में, या उनकी क्या हालत है उस हालत को देखते उनको कुछ सुविधाएं देने के बारे में डिपार्टमेंट ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। भविष्य में राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये वरना थोडे अर्से के बाद यह समस्या ऐसी उपस्थित होगी जिस पर राज्य सरकार को नियन्त्रण करना मुश्किल हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल !

श्री देवीलाल (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं....

श्री मूलचन्द डागा : दो–दो मिनट सब को दे दें।

श्री देवीलाल : सराड़ा तहसील में सड़कों के बारे में। वहां एक सराड़ा से सीमारी सड़क है, यह सड़क काफी मात्रा में बन चुकी है, लेकिन इस सड़क को प्लानिंग में ली जाकर पक्का कंकरीट कराया जाय।

(श्री देवीलाल)

दुसरा कलादड़ा–सराड़ा तक इसका कुल 14 मील का टुकड़ा है जो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक सड़क चलता आ रहा है । इस सड़क को पक्की बनायी जानी चाहिये थी दूसरी पंच वर्षीय योजना तक, लेकिन सड़क पक्की नहीं बन पाई । आज चौथी पंचवर्षीय योजना तक 14 मील का टुकड़ा सराडा से पसेदड़ा तक की सड़क का कार्य चला आ रहा है लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच तक, आज तक सड़क पूरी तरह से नहीं बन पायेगी ।

सराड़ा से सेमारी रेल्वे स्टेशन और कुण्डा तक सड़क का करीब 20-25 मील का टुकड़ा है । यह तहसील की आम सड़क है । इस सड़क के बन जाने से रेल्वे स्टेशन सीमारी और कल्याणपुरा स्टेशन तक यह रास्ता पहुंचता है । यह खेरवाड़ा–सराड़ा तहसील को भी आपस में जोड़ता है, इसके अलावा सलूम्बर तहसील को भी जोड़ता है ।

दूसरी सड़क है जो रेल्वे स्टेशन सराड़ा से लेकर रल्वे स्टेशन जयसमन्द रोड और डिंगरी तक का है—यह चार मील का टुकड़ा है । यहां पर नई रेल्वे लाईन निकल जाने से अहमदाबाद से कई यात्री आते हैं जय समन्द देखने के लिए वह डिंगरी रेल्वे स्टेशन पर उतर जाते हैं । वहां से जयसमन्द तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है । यह सड़क का टुकड़ा पूरा नहीं होने की वजह से और कोई जाने के लिए साधन नहीं मिलने की वजह से यात्री वहां पड़े रहते हैं, और बहुत तकलीफ उठाते हैं । यह चार मील का टुकड़ा रेल्वे स्टेशन तक है, यह सड़क इसलिए पक्की बन जानी चाहिये ।

सड़क का 15 मील का दूसरा टुकड़ा रेल्वे स्टेशन डिगरी से सराड़ा–बसी–सलूम्बर तक जाता है । सलूम्बर का कनेक्शन रेल्वे स्टेशन डिगरी से रहता है और वहां से रेल्वे गाड़ी में बैठने के लिए यात्री आते हैं । यह अभी कच्चा बना हुआ है, इसको कंक्रीट डाल कर पक्का बनाया जाय तो काफी यातायात के साधन प्राप्त हो जायेंगे । यह सड़क कच्ची होने की वजह से इस पर कोई गाड़ी चलाने को तैयार नहीं होता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह दो–तीन–चार मील का टुकडा तैयार हो जाय तो फिर इस तहसील में सड़कों की हालत सुधर सकती है ।

गिरवा तहसील की सड़क है, वह उदयपुर से लेकर, नाई, सिसाना, नाई फलासिया होकर झाडोल तक जाती है । यह सड़क काफी अहमियत की है । इसकी हालत इतनी खराब है कि बस चलती है तो भी यात्रियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है । इसकी ओर ध्यान दिया जाकर इस सड़क को पक्की बनायी जाय ।

माननीय जनसंघ के नेता ने उदयपुर के लिए कहा कि वहां पर काफी रुपया खर्च किया गया है । उनको पता नहीं है कि उन तहसीलों में काफी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं । केवल खेरवाड़ा तहसील में 100 में से 80 मजदूर हैं, सराड़ा में सौ में से

(श्री देवीलाल)

साठ मजदूर हैं, गिरवा में सौ में से साठ मजदूरी करने वाले हैं। सारी तहसीलों में 60–70 परसेंट लोग मजदूरी पर निर्भर रहते है। उ के पास खेती के लिए जमीन नहीं है, दो तीन बीघा उनके पास ज़मीन है। अच्छी वर्षा होती तो वहां साल भर का नाज पैदा हो जाता और वर्षा नहीं होने से उनकी यह हालत हो रही है।

श्री मदनसिंह दांता : आपने सुना नहीं। उन्होंने बाड़मेर के लिये कहा है।

श्री देवीलाल : उन्होंने कहा कि वहां पर इतना ज्यदा रुपया खर्च हुआ है। मैं यह कहूंगा कि इतना रुपया खर्च हुआ फिर भी लोग वहां भूखें मरते हैं। अगर इनके हाथ में राज आ जाता तो वे लोग तो भूखें मर जाते और ये लोग उनके गले में छुरी भौंक देते। आपने अपने राज्य में क्या किया? आपने हममें से किसी एक को भी नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ाते तो हम भी आपसे मांग करते। मैंने आपके समय में देखा था उस वक्त में एक भी सड़क नहीं बनी थी। मोहनलालजी सुखाड़िया जो अभी सदन के सदस्य और मुख्य मंत्री हैं भोगीलाल पड्या और माणिक्यलालजी वर्मा आदि सभी उस समय प्रजामंडल में काम करते थे।

श्री मदनसिंह दांता : उन्होंने कितने छत्तर लगाये हैं।

श्री देवीलाल : ये झुन्ड के झुन्ड बैठे हैं आज उनकी देन है कि उन्होंने हमें ऊपर उठाया है। और आज हम यहां पर बैठे हैं। राज की कुर्सी आपको नहीं मिलती। हमारा संगठन था और हमारा बहुमत था।

श्री मदनसिंह दांता : 19 तारीख के बाद में आप मन्त्री बनेंगे उसके बाद देखेंगे।

श्री देवीलाल : मैं यह जरूर कहूंगा कि उदयपुर में बहुत गरीब लोग रहते है और उन पर यह रुपया खर्च किया गया है और जो होता है वह उन पर होता है। वहां पर तीन-चार साल से अकाल पड़ता आ रहा है, और वहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है। आप देखें कि उनके पास खाने को दाना तक नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। नेता महोदय को मन्त्री महोदय को पूछ कर कहना चाहिये था। यह रुपया बेकार कैसे खर्च हो रहा है? यह तो गरीबों के राहत कार्य पर खर्च हो रहा है....

श्री मदनसिंह दांता : तभी हड्डियां निकल रही हैं।

श्री देवीलाल : आपके जमाने में कभी आपने हमको पढ़ाया लिखाया तक नहीं। अगर आपने हमको पढ़ाया लिखाया होता तो जागीरें कायम रखते। आपने पढ़ाया नहीं। अगर आप हमको पढ़ाते तो हम भी राज करते। इसलिये आपने हमको पढ़ाया तक नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : अभी भी आपके गुलामी लिखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह तो असैनिक मामला है। इसमें तो आपका दखल नहीं होना चाहिये।

श्री देवीलाल : एक-एक ग्रादमी ग्राप समझते थे कि ग्रगर पढ़ावेंगे तो ऊपर ग्राकर बैठेगा। डूंगरपुर ग्रौर उदयपुर में जो रुपया खर्च हुग्रा है वह सही हुग्रा है। वहां कई लोग भूखें मरते हैं। वहां पर ग्राज लोगों को तीन-तीन दिन तक खाने को नहीं मिलता। ग्रगर ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार पैसा खर्च करती है तो ग्राप कहते हैं कि यह पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है जैसा ग्रोपोजिशन के नेता कहते हैं। इसके लिये हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं यह कहूंगा कि 4 सड़कें बनेंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. !

श्री देवीलाल : वहां के लोगों की दशा खराब है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ग्रादिवासी एरिया है वहां पर सड़कें बननी चाहिये। जब तक सड़कें तैयार नहीं होंगी वहां के लोगों का विकास नहीं होने वाला है। कोई भी ग्रॉफिसर भी जब उनसे कहते हैं कि ग्राप जाकर देखें तो नहीं ग्राते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पर जीप जा सकती है या कोई मोटर जा सकती है। जीप या मोटर नहीं जाती तो ग्रफसर भी उधर नहीं जाते हैं। क्योंकि मोटरें तो सड़कों के रास्तों बगैर नहीं जा सकती। हम उनको फिर कैसे ले जा सकते है बगैर सड़क के ? इसलिये वहां पर सड़कें बनाई जावें। इसलिये मैं यह ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब तक ग्रधिकतर रास्ते नहीं होंगे ग्रौर सड़कें नहीं होंगी तब तक वहां पर विकास नहीं होगा।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट दी गई है वह पेन्डिंग रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल !

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है जिला डूंगरपुर में डूंगरपुर से सरथूना तक ग्रधूरी सड़क का पूरी कराने के बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि यह सड़क सन् 57 से बनाने का प्रावधान है। डूंगरपुर से सरथूना सड़क है 35 मील का टुकड़ा है, वह ग्रभी तक नहीं बन पाया है। यह डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की मुख्य सड़क है। यहां के लोग गुजरात में जाते हैं ग्रौर सवारियां भी डूंगरपुर से इसी लाईन पर जाती हैं। इस सड़क पर 9 लाख रुपया खर्च किया गया है। ग्रब 10 मील का टुकड़ा बाकी रह गया है। इसको बनाना बहुत जरूरी है। डूंगरपुर में कई सड़कें ग्रधूरी पड़ी हुई है। कोई भी सड़क 10 मील से ज्यादा डामर या सीमेन्ट की नहीं बनी है। ग्रभी तक डूंगरपुर से सागवाड़ा सड़क पर डामर किया जा रहा है, मगर उसका काम पूरा नहीं हुग्रा है। डूंगरपुर से ग्रासपुर सड़क बनना बहुत जरूरी है। प्रावधान है कि ये सड़कें बनाई जाएं मगर इन पर भी काम पूरा नहीं हुग्रा है। मैं यह कहूंगा कि वहां पर छोटे-छोटे टुकड़े हैं वे भी पूरे नहीं किये गये हैं। डूंगरपुर से सागवाड़ा तहसील है, ग्रासपुर तहसील है ग्रौर यह नियम है कि तहसील से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक सड़क होना

(श्री रतनलाल रोत)

. . .

जरूरी है इसलिए मेरा कहना यह है कि इन सड़कों का काम पूरा होना चाहिये। पिछले 10 वर्षों में काम पूरा नहीं हुआ जो पहली और तीसरी पंच वर्षीय योजना में पूरा कराना था और अब चौथी पंच वर्षीय योजना का पहला वर्ष भी गुजर गया है, मगर हमारे उधर 10-10 मील की सड़कों के टुकड़े हैं उनका काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिये उनका काम पूरा होना चाहिये। वहां जो बसें चलती हैं वे गर्मी और सर्दी में चल सकती हैं मगर चौमासे में बसें वहां पर नहीं चल सकतीं। इसलिये व्यौपार और धन्धे हैं जो नहीं हो पाते हैं।

अकाल की स्थिति है बहुत सारे मोखे और तालाब हैं उनकी मरम्मत कराना जरूरी है। डूंगरपुर और उदयपुर का एरिया ऐसा एरिया है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र होने से खेती यों ही बहुत कम होती है, और मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने उसको देखा होगा और नहीं देखा होगा तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का हिल्ली हिस्सा है उसे देखें। उसमें पिछले तीन वर्षों से लगातार अकाल हो रहा है। कभी रबी की फसल होती है तो कभी खरीफ की फसल होती है। मगर पिछले तीन सालों से तो लगातार ही अकाल हो रहा है। लोगों के पास जो भी जेवर थे उनको बेच कर खा गये और जिन्दा रहे मगर इस साल की स्थिति बहुत ही खराब है।

मेरे पूर्व यहां से पहले माननीय सदस्यों ने कुछ कहा और बोले हैं। मैंने उन्हें सुना है। मैं उनको बीच में रोकना नहीं चाहता था लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर जो काम हुए हैं, वह मानवीय दृष्टि कोण से हुए हैं और मनुष्यों को जिन्दा रखने के लिये किये गये हैं न कि किसी राजनैतिक कारणों से। विरोधी दल के नेता ने इस प्रकार की बात कही कि वास्तव में अकाल है और वहां आदिवासी रहते हैं उनकी स्थिति खराब है। जिला परिषद् की बैठक में कभी-कभी जिस विरोधी दल के नेता आते हैं हमारा भी उनसे मिलने का मौका मिला। पंचायत समिति के लेविल पर और जिला लेविल पर राहत कमेटी हैं। उसमें उन्होंने इस बात को मंजूर किया था कि जो काम चल रहे हैं वे काफी मात्रा में नहीं हैं, मगर संतोषप्रद हैं। इस प्रकार की कई बातें कहीं। डूंगरपुर में जब राहत कमेटी में भाषण करते हैं और विधान सभा में भाषण करते हैं उनमें अन्तर होता है। राहत कमेटी में भाषण किस प्रकार के होते हैं और यहां अन्य प्रकार के होते हैं। उनके भाषणों में फर्क होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल के कार्य मानवीय दृष्टि से हुए हैं। इसलिये उनका यह कहना शोभा नहीं देता है कि डूंगरपुर में राजनैतिक कारण से राहत कार्य हुए हैं।

यहां के माननीय विरोधी दल के जो-जो सदस्य बोले हैं, माननीय भैरोंसिंह जी बोले, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही थी। वह बात हर एक व्यक्ति कह सकता है। पर वास्तविकता वहां की है, उसके विपरीत

(श्री रतनलाल रोत)

बातें सुनते हैं तो बड़ा दुःख होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर एक छोटा जिला है, वहां 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। वहां 2.।। लाख आदिवासी हैं। आठ दिन पहले मैं वहां जाकर आया हूं। वहां आदिवासी दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मील की दूरी से लकड़ी का भार लेकर डूंगरपुर शहर में आते हैं। तीन-तीन दिन के भूखे होते हैं। औरतें गिर जाती हैं भूख के मारे। बनिये की दूकान से एक सेर अनाज लेकर किसी तरह जिंदा रहते हैं। इस प्रकार की वहां की स्थिति है। वहां पिछले साल काम हुआ था। उसी प्रकार वहां आज भी काम चालू करना चाहिये। बीच में वहां काम इसलिए रोक दिया था कि राष्ट्रपति का शासन हो गया था। सुना है कि दिल्ली से एक कमेटी जयपुर आई उसने कहा कि सड़कों का काम बन्द करें क्योंकि बरसात में मिट्टी बह जाती है। इस कारण वहां काम में ढिलाई आई। इसी कमेटी ने तालाबों के कार्य करने का सुझाव दिया, पर तालाबों के काम में कई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि तालाबों का काम शुरु करने से पहिले तालाबों की सर्व होनी चाहिये। इस कारण से न तो तालाबों का काम ही हो सका और न सड़कों का। वहां के आदिवासियों पर बड़ी बुरी बीत रही है। मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सड़कों का काम शुरु करके आदिवासियों को, गरीब लोगों को काम दें। जो पिछले तीन सालों में वहां पर सड़कें बनी हैं वे अच्छी बनी हैं, मजबूत बनी हैं, उन पर पुलिया बनाने हैं, नालियां बनानी हैं। उनके पुलियों और नालियों को ठीक किया जाना चाहिये। उन पर मिट्टी पड़ी है। वह साधारण बरसात से बह नहीं सकती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर से सरथूना, डूंगरपुर से सागबाड़ा, डूंगरपुर से आसपुर की सड़कें पिछले 20 वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं, उनको पूरा करना चाहिये। मैंने बजट को पढ़ा है, अगले वष में जो इन पर प्रावधान रखा है वह बहुत कम है। वहां का आदिवासी एरिया होने के कारण वहां के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान के दूसरे जिलों के समकक्ष करना चाहते हैं, वह शिड्यूल्ड एरिया है, वहां सड़कों पर पूरा पैसा नहीं देंगे, वहां पूरा काम नहीं करा सकेंगे तो किस तरह राजस्थान के और जिलों के समकक्ष उस जिले को पहुंचा सकेंगे ? इससे तो राजस्थान के दूसरे जिलों के समकक्ष उसे पहुंचाने में देर लगेगी। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां सड़कों के काम को इसी वर्ष शुरू करना चाहिये और ज्यादा नहीं तो वहां की स्थिति को देखते हुए अच्छी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाना चाहिये।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि पिछले समय में जिन लोगों ने वहां काम किया उनका पेमेंट बाकी रह गया है, इसके बारे में कई बार आपसे कहा स्थानीय अधिकारियों से बात की है, पर वहां के इन्जीनियर साहब कहते हैं कि जयपुर से आॅर्डर आने पर पेमेंट किया जायगा। लगभग वहां 10 हजार मजदूरों का पेमेंट बाकी है, उनको जल्दी से जल्दी

(श्री रतनलाल रोत)

पेमेंट कराना चाहिये, क्योंकि इस समय उनकी हालत बहुत खराब है।

श्री विजयसिंह रावतः पेमेंट ठेकेदारों का बाकी है या मजदूरों का ?

श्री रतनलालः मजदूरों का।

वहाँ जो सरकारी भवन हैं। पंचायत समिति लेवल पर उनकी हालत खराब है। पिछले 10 सालों से उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। दीवारें टूट गई हैं, चूना गिर गया है, फर्श टूट गये हैं। बरसात के समय ब्लाक लेवल के ऑफीसर्स वहां नहीं रह सकते। वहां समितियों का बजट सीमित है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन मकानों की मरम्मत करवानी चाहिये, और इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये। धन्यवाद।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सहदेव !

एक माननीय सदस्य : मैं भी खड़ा था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम भी ध्यान में है।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधनों के प्रसारण के प्रति सरकार की उदासीनता की नीति है उस पर विचार करने के लिए मैंने कट मोशन दिया है। मेरा यह मानना है कि गांवों में यदि आप गांवों के रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा लाना चाहते हैं तो गांवों के लोगों के लिये आवागमन के साधन उपलब्ध कराने होंगे, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने होंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रसार अवश्य करना होगा। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जहां औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां बिजली दी जानी चाहिये, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं पर इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं यदा-कदा हम सब लोग, शायद सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी तो भाषण देने की स्थिति में नहीं आये होंगे पर सभी मंत्री कहते हैं कि राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है; तो ग्रामीणों के आवागमन की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। आज गांवों की स्थिति से सदन के सभी माननीय सदस्य वाकिफ हैं। आज वहां रोजगार की क्या हालत है? आज गांव बिलकुल ढूंढार होते जा रहे हैं.......

एक माननीय सदस्य : ढूंढार ?

श्री सहदेव शर्मा : ढूंढार कहने से मेरा मतलब है कि गांव आज बिलकुल उजाड़ हो रहे हैं, गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब माननीय सदस्य अगर नहीं समझे हों तो समझा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय सिर्फ 7 मिनट का ही है, जल्दी फरमा दें।

श्री सहदेव शर्मा : मैं तो जल्दी ही कहना चाहता हूं पर कांग्रेस वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि गांवों के लोग शहरों में आते हैं तो शहरों में बिजली और सड़कें देख कर शहरी जिंदगी बिताने के लिये शहरों में ही आबाद हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार के साधन सीमित हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपका गावों से ज्यादा ताल्लुक है, जौहरी बाजार से जाने के बाद तिजारा के गांवों ने ही आपको आश्रय दिया है। उपाध्यक्ष जी, आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाना आवश्यक है। उनकी स्थिति दयनीय है। नवाब साहब लोहारू का झोटवाड़ा से कालवाड़ जाने वाली सड़क पर फार्म है।

शायद उस सड़क की हालत से भली-भांति परिचित होंगे। चुनाव के समय पर वहां एक मील पत्थरों की लेयर डलवा दी थी, कांग्रेस उम्मीदवार को राजी करने के लिए। इस प्रकार खातीपुरा वाली सड़क की हालत है।

दूसरे जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, वहां 2 लाख रुपए पचायत समितियों को बांटने के लिए दिया गया है। इससे तो आप नहीं दें तो वह ज्यादा अच्छा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके ये छोटी-छोटी रकमें देने से कोई लाभ नहीं होता। ज्यादा अच्छा हो कि आप यह रकम आवागमन के प्रोग्राम में लगायें। जिस प्रकार आपने 232 पंचायत समितियों के लिए 2 लाख रुपया दिया है इससे कोई सहारा नहीं मिलने वाला है मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जो पैसा केन्द्रीय सरकार से लिंक रोड्स के लिए पंचायत समितियों को आता है उसका आधा खर्चा आप पंचायत समितियों से लेते हैं और आधा वैसे हो आता है। लेकिन यदि आप इसमें अपनी तरफ से रुपया लगायें तो सही उपयोग हो सकेगा।

हमारे यहां पर पचायत समितियों के भवन हैं उनकी मेन्टेनैंस के लिए आज कोई प्रावधान पंचायत समितियों के बजट में आता हो, इसकी इंडीकेशन बजट में नहीं मिलती। इसलिए आप हमको कुछ विशेष राशि पचायत समितियों के भवनों को मैन्टेन करने के लिए दें। हाई स्कूल भवन हैं। इन्हें तो शिक्षा विभाग कन्ट्रोल करता है लेकिन उन भवनों की बहुत दयनीय स्थिति है। कहीं-कहीं छत बरसात के दिनों में गिर जाती हैं और विद्यार्थी बाहर बरामदों मे बैठते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि उन सब भवनों को या तो आप मरम्मत करायें, नहीं तो पंचायत समितियों में प्रवाधान करें। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स और दूसरे भवनों के लिए रुपया रखें। उसमें जन सहयोग भी है और लोगों ने भी दिया है श्रमदान में। श्रमदान से जो सड़कें बनाई गई हैं उनका मैन्टीनेन्स भी ठीक नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद भी जो सड़कें बनने वाली हैं उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय

(श्री सहदेव शर्मा)

आधार पर न लेकर आवश्यकता के आधार पर ही लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह ! (अनुपस्थित)।

श्री विट्ठलप्रसाद !

श्री विट्ठल प्रसाद (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, पूज्य महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा भारत गांवों की बस्ती है....

श्री पी. के. चौधरी : जो गैर हाजिर सदस्य हैं उनके नाम काटे जांय।

श्री विजय सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने 7–7 मिनट का समय मेरी पार्टी के सदस्यों को दिया है। बीच बीच में हस्तक्षेप होता है तो फिर आप 7 मिनट न मानें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की बात पर विचार करना चाहिए। 7–7 मिनट का समय देते हैं उसमें से 3 मिनट अगर आप खराब कर दें तो उचित नहीं होगा।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों की बस्ती है। जिस दिन ये गांव उठ जायेंगे उस दिन हिन्दुस्तान बदल जायगा। लेकिन सड़कों के निर्माण में जो सत्तारूढ़ दल है वह राजनैतिक आधार ढूंढता है, वह अशोभनीद हैं। जब देश में लोकतंत्र है प्रजातंत्र की पद्धति है, तो देश में राजनैतिक दल आयेंगे और राजनैतिक दल बदलेंगे। कभी सत्ता एक पक्ष के हाथ में आएगी, कभी विपक्ष के हाथ में आएगी। यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि सत्तारूढ़ दल, जहां से विरोधी चुनकर आए हैं, उन इलाकों की उपेक्षा करे और उन क्षेत्रों में काम नहीं करें। देश में जब प्रजातंत्र है तो इस प्रकार शासकों की अदला-बदली होगी, सत्ता की अदला-बदली होगी। यह बहुत ही बुरी परम्परा है। जैसे मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, सत्तारूढ़ दल इस प्रकार भेदभाव पूर्ण व्यवहार करता है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया जिस क्षेत्र से मंत्री चुनकर आता है उस क्षेत्र में काम करते हैं और दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं। पिछली बार महाराजा झालावाड़ सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, दुर्भाग्य से वह हमारे बीच आज नहीं हैं, अकलेरा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। उस क्षेत्र की सब से अधिक उपेक्षा हुई। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि मनोहरथाना मे चांचोड़ा की सड़क 1952 से बन रही है और आज 1967 तक 15 साल में कुल केवल 9 मील की सड़क पूरी नहीं हुई। किसी भी शासन के लिए, निर्माण मंत्री के लिए इससे अधिक निष्क्रियता और शर्म की बात क्या हो सकती है? 9 मील की सड़क 18 साल में पूरी नहीं हुई। वह सड़क जो चांचोड़ से अकलेरा जाती है वह आगरा रोड को कनेक्ट करती है और वहां आवागमन के साधन न होने से 7 मील का चक्कर लगाकर घूमना पड़ता है। तो निर्माण मंत्री को हंसने के बजाय इस बात

(श्री विट्ठल प्रसाद)

को स्वीकार करना चाहिए कि 17 सालों में 9 मील का टुकड़ा नहीं बन सका।

इसी प्रकार एक और सड़क मनोहरथाना से सालपुरा जिस पर 12 बसें चलती हैं उस सड़क को निर्माण विभाग ने आज तक रिपेयर नहीं किया। हर साल उस सड़क पर दुर्घटनायें होती हैं। अगर कोई गर्भवती महिला उस सड़क पर सफर करे तो उसका गर्भपात हो जाता है। मैंने परसों के दिन ही निर्माण मंत्री से पूछा था तो उन्होंने फरमाया था कि वह सड़क हमने पंचायत समिति को हैंड ओवर कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वह 40 मील की सड़क पंचायत समिति को हैंड ओवर कर दी, लेकिन पंचायत समिति को पैसा आपने कब दिया? उस सड़क की रोड टैक्स सरकार लेती है, लेकिन उसका मैन्टीनेन्स आप नहीं करते। उसी सड़क पर परेल गांव में एक पुलिया है, अगर आप बनायें तो एक लाख खर्चा करने के बाद बन सकती है। उस पुलिया को ठीक करने के लिए तीन साल से कह रहे हैं लेकिन इस अंधी बहरी सरकार पर कोई जूं तक नहीं रेंगती है। इसी मनोहरथाना-सालपुरा सड़क पर कोटा स्टेट के जमाने में पेड़ लगे हुए थे शीशम के और अच्छी लकड़ी उनसे मिलती थी। निर्माण विभाग कहता है कि हम मालिक नहीं हैं, पंचायत समिति कहती है कि हम मालिक नहीं है। तो वहां लाखों रुपए की लकड़ी काटकर लोग ले जा रहे हैं और इस तरह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है लेकिन विभाग मौन है।

इसी प्रकार झालावाड़ जिले में झालावाड़-कोटा-भोपाल लाइन पर एक कालीसिंध नदी पड़ती है। उसकी पुलिया के लिए भारत सरकार से करीब 80 लाख की मन्जूरी हुई थी। वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। सैकड़ों गाड़ियां और ट्रकें नदी के इस पार और उस पार खड़ी रहती हैं और भूखे-प्यासे रहते हैं। यह पुल आगरा बोम्बे रोड दो राजधानियों को मिलाने वाला मैन पुल है। उस ओर राज्य सरकार को तवज्जह देनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं आपको निवेदन करूं कि मनोहर थाना रोड पर पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पक्षपात नहीं करते हैं, निर्माण कार्यों में अनियमितता नहीं करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों मनोहरथाने में पी. डब्ल्यू. डी. ने गांव के अन्दर कॉन्क्रीट डालने के लिये डामर के ढोल डाल रखे थे। कांग्रेस केन्डीडेट वहां से हार गया तो वहां से डामर के ढोलों को उठा ले आये। यह एक राजनैतिक बलात्कार है व्यभिचार है कि डामर के ढोल तीन साल से पड़े हुए थे, रोड बनाने के लिये आये थे, पी. डब्ल्यू. डी. ने पता नहीं किन मिनिस्टर के आदेश से, उनको वहां से हटा दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! आपका समय समाप्त हो गया। श्री सुवालाल!

श्री सुवालाल (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के आधार पर कुछ सुझाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में निर्माण विभाग की ओर से फुलैरा और मौजमाबाद से दूदू इस तरह की सड़के बनी हैं, लेकिन आज सड़कों की हालत को देखा जाय तो सड़कें बन कर पूरी नहीं होती हैं उनके पहले ही उनकी बरबादी हो जाती है, क्योंकि पुलियाओं का उनके साथ निर्माण नहीं होता। सड़कों के निर्माण के साथ–साथ पुलियाओं का भी निर्माण होना चाहिये वरना उन सड़कों के बनाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि निर्माण विभाग सड़कें बनाये उनके साथ-साथ जहां-जहां आवश्यकता हो, वहां पुलियाएं भी बनायें। पुलियायें नहीं बनायेंगे तो लाखों रुपये सड़कें बनाने में खर्च होता है वह बेकार जाता है। उसका सदुपयोग होना चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह है खास तौर से मेरे क्षेत्र के लिये कि जहां निर्माण विभाग की ओर से सड़क बनती है या और कोई निर्माण का कार्य होता है तो किसान की जमीन उस कार्य के लिये ले ली जाती हैं, लेकिन उस गरीब किसान को मुआवजा नहीं दिया जाता। दस–दस साल पहले के ऐसे मुकदमें हैं कि किसी गरीब किसान की दो–चार–पांच बीघा जमीन थी उससे आधी जमीन निर्माण विभाग ने ले ली और उस किसान को मुआवजा नहीं मिला एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला। आज वह बड़ा भारी दुखी है। न तो उस आधी जमीन में कोई कमा कर खा सकता है और न कुछ। इसलिये इस प्रोसीजर को सरल करना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि जिस किसी की भी जमीन ली जाय तो उसके साथ साथ उसको मुआवजा भी दे दिया जाय वरना तो इधर रोड बनाने में जमीन लेते हैं और उधर किसान को बरबाद करते हैं। कलेक्टर या विभागीय अध्यक्ष कोई भी निर्माण आदि कार्यों के लिये किसान की जमीन लें तो किसान की तरफ से भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये। एक कमेटी बनाई जाय और उस कमेटी के मार्फत ही जमीन लेनी चाहिये ताकि मालूम हो सके कि उस जमीन की आवश्यकता है या नहीं। हमारा किसान बरबाद होता है, खेती बरबाद होती है, तो ऐसी सड़क की हमें आवश्यकता नहीं। कमेटी में खास तौर से तय होना चाहिये कि फलां निर्माण कार्य के लिये यह जमीन चाहिये।

दूसरा आज तक जमीन ली गई है उसका मुआवजा नहीं मिला है उनको वह पैसा फौरन मिलना चाहिये। इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जितने अकाल राहत कार्य हुए हैं, जो सड़कें अकाल राहत कार्य से बनी हैं, यदि सड़कें नई बनानी हों या पक्की आदि करनी हों तो उन सड़कों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये जिससे जो पैसा लगा है वह बरबाद न जाय। इसके साथ-साथ यह भी सुझाव है कि किसान अपनी गाड़ी से गल्ला वगैरा ले जाता है। सड़क चाहे आप पक्की न बना सकें तो कोई बात नहीं लेकिन आप पुलिया जरूर बनाइये, उन पर काम होना चाहिये।

आपकी योजना होनी चाहिये सड़कों की वह इस प्रकार होनी चाहिये कि एक पंचायत

(श्री सुवालाल)

हैडक्वार्टर से दूसरे पंचायत हैडक्वार्टर को सड़क से मिलायें। कितना ही इसमें टाइम क्यों न लगे। लेकिन यह हमारा लक्ष्य होना चाहिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि चूंकि ये सदस्य हमारे हैं और वे मांग करते हैं आवश्यकता नहीं होते हुए भी वहां उनके कहने अनुसार सड़कें बनाई जाती है और जहां वास्तविक रूप से आवश्यकता वहां नहीं बनाई जाती है। कहां और कब सड़कें बने इसके लिये एक नीति निर्धारित होनी चाहिये।

पी. डब्ल्यू. डी. के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बारहमासी कहलाते हैं, और जो सड़कों पर कार्य करते हैं, न तो उनको पूरी तनख्वाह मिलती है और न ही उनको दूसरे साधन मिलते हैं। उनके लिये दवा दारू का भी प्रबन्ध नहीं है। किशनगढ़ से लेकर जयपुर तक के लिये मैं अर्ज करूं कि कोई दवा दारू का प्रबन्ध नहीं है। अचानक कोई कर्मचारी बीमार हो जाय तो कोई दवा का प्रबन्ध नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दवा दारू का प्रबन्ध होना चाहिये, उनके वेतन की ओर भी ध्यान देना चाहिये और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर भी। लाखों आदमी ऐसे है जो निर्माण विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। उनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है, दवा का प्रबन्ध नहीं है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रबन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आईदानसिंह।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान एक उस इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं जो सर्वथा निग्लैक्टेड है और वह है जालोर क्षेत्र। जैसा मेरे पूर्व वक्ता सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। न वहां सड़कों का ओर न ही भवनों का निर्माण। जालोर हमेशा उपेक्षित है। दाहोद से गुढा होती हुई सड़क डिफैन्स रोड में मिल जाती है। 1957 में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सैंक्शन हो गई। 1960 में जालोर में केबिनेट मिटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया था कि ग्रेवल की सड़कें नहीं होनी चाहिये। केबिनेट मीटिंग में इस पर जोर दिया गया था। उसके बावजूद उस सड़क की हालत यह है कि 20 मील का टुकड़ा बना है। 15 साल के बाद 20 मील का टुकड़ा बन कर तैयार हुआ और उस टुकड़े पर भी जालोर से मरम्मत होनी शुरु होती है और दस मील के खम्भे तक जाने के बाद पीछे से टूट जाती है और इसी प्रकार 15 मील तक जाने के बाद आगे से टूट जाती है। कोई जाकर तो उसको देखे। सारी गाड़ियां पास होती हैं। यह सड़क डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से पचायत समिति, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सायला नन्दपुर पंचायत समिति, पुलिस स्टेशन आदि को मिलाती है। उससे भी आठ दस मील दूर है। एक पंचायत समिति तो ऐसी है जहां न तार टेलीफोन, बिजली हैं और न सड़क है न वहां पर कोई राजकीय कर्मचारी आना चाहता है, क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है।

Page No. 130

श्री मदनसिंह : फिर भी सड़कें उदयपुर में ही होनी चाहिये ।

श्री आईदानसिंह : यह सड़क जालोर डिस्ट्रीक्ट के उस एरिये से गुजरती है जहां सब से ज्यादा उत्पादन होता है । उस इलाके में किसी को चालीस पचास गैलन आइल लाना पड़े तो पच्चीस रुपया पर ड्रम खर्च पड़ता हैं वह इसलिये कि वहां पर आवागमन के साधन नहीं है, सड़कें नहीं हैं । वहां पर पानी इतना है कि पन्द्रह बीस फुट पर पानी निकलता है जो चालीस पचास हजार गैलन प्रति घंटे के हिसाब से निकलता है यह बी. डी. ओ. वालों ने साबित किया हैं इसी तरह की सड़क के अभाव में काश्तकार बीस ड्रम फ्यूअल आइल जलाता है तो कम से कम उसको पांच सौ रुपया किराये का देना पड़ेगा । अगर वह चार सौ बोरी अनाज बेचने आता है उसका दो हजार रुपया खर्च पड़ जाता है । फ्यूअल की कीमत ढाई हजार, अनाज के लाने का खर्चा ढाई हजार इस तरह से पांच हजार रुपया खर्च करना पड़ता हैं । यह सड़क 1957 में चालू हुई थी आजतक वह कम्पलीट नहीं हो सकी है यह मैं उस इलाके का दुर्भाग्य के सिवाय और कुछ नहीं मानता ।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा, जालोर एरिया को आप प्राथमिकता दें क्योंकि वह निगलेक्टेड रहता है । खास तौर से सड़क पर काम हो जायगा तो हम अपना अहोभाग्य समझेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह ।

श्री रामसिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं । राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो व्यवस्थायें हैं उन व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हैं जो गंभीर कमियां हैं जैसे सड़कों की मरम्मत आदि उस ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा हैं । हमारे जिले की सड़कों की हालत यह है कि जो बजट मरम्मत का होता है वह सिर्फ चुनाव के वक्त काम आता है और चार वर्ष मरम्मत का बजट खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

नागौर जिला बड़ा बदकिस्मत इस मामले में रहा है । नागौर जिले का दुर्भाग्य है कि दस पन्द्रह सालों मे उसके यहां की सड़कों की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । हमारे जिले के भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री रहे हैं लेकिन उन्होंने सारे राजस्थान का फिक्र किया है केवल इस जिले का नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस वालों का यही हाल है ।

श्री रामसिंह : हमारे जिले के साथ जो इस प्रकार का बरताव रहा है उसके बारे में उपालम्भ भी न दें यह ठीक नहीं है । राज्य सरकार इस जिले के लिये कम से कम यह तो व्यवस्था करे कि आप डामर की सड़क भले ही न बनायें, कितनी महत्वपूर्ण सड़क है कितनी आमदनी है उसको ध्यान में रखते हुए मरम्मत के लिये जो बजट रखा जाता है, उसको तो नियमित खर्च किया

(श्री रामसिंह)

करें, उसको तो व्यर्थ जाया न किया करें।

नागौर जिले की सबसे पुरानी सड़क है खाटू से कटोती। इस सड़क की गत बारह सालों से मरम्मत नहीं हुई। मुझे इस सड़क पर हर माह एक दो दफा गुजरना पड़ता है तहसील पंचायत के सरपंच के नाते और उस क्षेत्र की पंचायत समिति के प्रधान के नाते। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं खाटू से कटोती की सड़क की मरम्मत पिछले बारह सालों में कभी नहीं हुई।

नागौर और मेड़ता सड़क के बारे में निवेदन करूं कि इस सड़क से भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व कृषि मंत्री और हमारे वर्तमान वित्त मंत्री महीने में एक बार अवश्य गुजरते होंगे। उस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए है सरकारी अधिकारियों ने रवैया बना रखा है न मालूम वे उस सड़क का क्या करना चाहते हैं क्या उसको पूरी की पूरी को खोदना चाहते हैं। यदि ऐसा ही है तो अन्डर ग्राउन्ड बना दें।

एक माननीय सदस्य : रेत ज्यादा उड़ती है ?

श्री रामसिंह : जहां से वह सड़क गुजरती है वह रेत का इलाका नहीं हैं। उसमें मोटरों ने गड्ढे बना दिये।

इसी प्रकार से नागौर से डेटू जाने वाली सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है कोई भी गड्ढा छः इन्च से कम का नहीं होगा और हर फीट पर एक गड्ढा जरूर होगा। आप वहां छटे छटाये असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स भेजते हैं, उनको तो केवल इस बात की चिन्ता रहती है कि उनका प्रोमोशन हो इसलिये मिनिस्टर महोदय की सेवा में लगे रहते हैं ताकि ठीक ढंग से सेवा कर सकें एवं प्रोमोशन पा सकें उनको केवल इसी की चिन्ता रहती है उनको वहां की सड़कों की कोई चिन्ता नहीं है।

मैं तो यह चाहता हूं कि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के कामों का इसके एस्टेब्लिशमेन्ट का इवेल्युएशन हो। इसके लिये एक कमीशन बिठाइये जो इसका इवेल्युएशन करे। इसमें नाजायज नियुक्तियां होती है, नाजायज प्रमोशन्स होते हैं नाजायज काम होते हैं योजना को छोड़कर वहां सड़कें बना डालते हैं ताकि कमीशन द्वारा उनके कार्यों का पर्दाफाश तो हो सके। इससे अब तक तो सहन किया आगे तो कुछ काम हो सके।

अन्त में मैं एक अचम्भे की बात बताऊंगा जो नागौर जिला कांग्रेस के लिये महत्वपूर्ण जिला कहलाता है। वहां एक भी पुल नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वहां पुल की भी क्या आवश्यकता है ?

श्री रामसिंह : सांभर से आप रवाना होइये नागौर जिले में प्रवेश के लिये पुल की आवश्यकता है। उसके बिना आपको रुकना पड़ेगा। नागौर से परबतसर जाने से

(श्री रामसिंह)

पहले रुकना पड़ेगा। अजमेर से दोनों रास्तों से जायेंगे, तो पुल के अभाव में रुकना पड़ेगा पूरे जिले में पुलों के बनाने की आवश्यकता है।

अजमेर से थांवला जाइये। कई नदी नालों पर आपको रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो इन पर पुलों या पुलियाओं की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से नागौर से कांग्रेस के नुमाइन्दे का सफाया हो गया और यदि यही हालत रही तो कांग्रेस सरकार का सफाया होने में भी कसर नहीं रहेगी। सो आप कम से कम इतना यह काम तो उधर करावें।

श्री भैरोंसिंह : यह तो सफाया अभी हो ही गया था, ये तो पुलिया के नीचे से निकल गये।

श्री रामसिंह : आपके भूतपूर्व मिनिस्टर पी. डब्लू. डी. ने बिना किसी प्लान के जो चाहा सो करवा लिया और खड़े खड़े प्लान में उसको बढ़ा दिया। चुनाव में थे, लोग कहने लगे कुछ करो, करने के लिए पैसा चाहिए नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। तो यह सब किया। फर्जी मस्टर रोल बनाये; फेमिन नहीं तो फेमिन बनाया, प्लान नहीं तो भी काम कराया, मंजूरी नहीं तो भी पैसा लगवाया। मैंने कामों के लिये कहा तो मुझे कहा गया पी. डब्लू. डी. में पैसा नहीं है। सब खर्च हो चुका है। पर इसके बाद भी जनवरी में 9 सड़क डीडवाना में और 3 मेरे यहां बनवाई। पैसा नहीं होते हुए भी इधर उधर से निकाल कर बनवाई। अन्यत्र कितना काम हुआ यह मालूम नहीं। तो इन सबका इवेल्यूएशन होना चाहिये। इसका आडिट कराया जाना चाहिये। अभी तो सिम्पल आडिट होता है, जबतक पूरा न हो तो गलतियों को पकड़ेगा कौन इनकी ? इसलिये राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस विभाग के काम को, एस्टेब्लिशमेन्ट को देखे, इसका आडिट और जांच कराए, इवेल्यूएशन कराए इसके बाद इसमें सुधार लावें।

नये मन्त्री महोदय, आप सतर्क रहें इस विभाग से। फरजी कामों पर आपके दस्तखत न हो जावें कहीं, इसका ध्यान रक्खें। बहुत घोटाला है इस विभाग में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के दो प्रस्ताव है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में और श्रम नियोजन के बारे में।

बांसवाड़ा से लगने वाले प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात में सरहद पर बहुत सी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। डामर रोड हैं। और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में देखते है तो कहीं अच्छी सड़क नहीं है। सड़क कहीं हैं तो उस पर पुलियां नहीं हैं तो बरसात में वे सड़कें भी बेकार हैं।

इस भयंकर अकाल में वहां कितनी ही सड़कें बनी है अब। काफी मैटीरियल और पड़ा है गिट्टी बोल्डर वगैरह भीलों

(श्री नाथूराम)

तक पड़े हैं। अगर इस सामग्री को जल्दी ही सड़क बनाने के काम में पूरी तरह नहीं लिया तो लोग उसका नाजायज फायदा उठायेंगे और उस मैटीरियल को ले जावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ गुजरात से बांसवाडा तक एक सड़क थी। इसकी क्या हालत है। बीच में अणास नदी है, उस पर एक पुल बना था, वह टूट गया और दुबारा पांच साल से बन रहा है, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उस पुल को जल्दी नहीं बनाने से गुजरात बम्बई का सारा आवागमन रुक जाता है, वैसे बड़ी अड़चन आती है। इसलिये सरकार उसे जल्दी बनवाए। ठेकेदार को तकादा करे। इससे लोगों का व्यापार का लाखों का नुकसान हर साल होता है।

बांसवाड़ा में पहले अकाल राहत कार्य में 51 सड़कों का काम चल रहा था पर अब 8 पर ही रह गया है। जहां हजारों मजदूर काम करते हैं गढी बागीडोरा पर पी. डब्लु. डी का ए. ई. एन धमेन्द्रकुमार ने हजारों रुपयों का नाजायज फायदा वहां से उठाया है। फेमिन रिलीफ में जो सड़कें बनी पी. डब्लू. डी. का काम बना उसमें हजारों लाखों रुपया खाता है। इसकी जांच की जानी चाहिए और उसे कसूरवार पाया जाय तो सख्त सजा देनी चाहिए। उसने मजदूरों को भी कई बार पीटा है। उनको हटाया है। पांच पांच सौ को बन्द कर दिया है। मैं उसकी जांच के समय मौजूद रहूंगा। हजारों के बयान दिला सकता हूं।

सड़कें बनती हैं पर बीच-बीच में पड़ने वाली पुलियों के नहीं बनने से उनका उपयोग नहीं हो सकता तो इनका बनाना बहुत जरुरी है। जैसे गढ़ी से कुशलगढ़ मीना डूंगरी रोड़ काम चल रहा है। बीच बीच में पुलिया बना देनी चाहिये। रोड़ कम्पलीट कर देनी चाहिये।

गलिया कोट तीर्थस्थान है बोहरों का, बाहर से हजारों लोग वहां आते हैं तो पुलिया नहीं होने से बसें उलट जाती हैं। इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट कर देना चाहिये।

इसके साथ साथ टौंक से गढ़ी वाया बागीडोरा बागा और बालना सड़क को भी कम्पलीट कर देना चाहिये। प्लान में से लिया है पर मिट्टी डालकर काम पूरा नहीं होता हैं। तमाम सामग्री वैसे ही रह जाती है। केवल मिट्टी डालने से बरसात में बह जाती हैं। इसलिये मिट्टी पत्थर का उपयोग कर के ठीक से इस सड़क को पक्का कर देना चाहिये।

रतलाम से बांसवाड़ा सड़क है। मध्यप्रदेश के हिस्से में मेन रोड है बांसवाड़ा से सागवाड़ा लाखों यात्रियों पर टैक्स से पैसा सरकार को मिलता है पर यह सड़क सरकार नहीं सुधारती, इतनी खराब हो गई है कि वह फेयर वेदर रोड़ से भी खराब है। डामर पड़ा है, बरसात में बह जाती है और काफी नुकसान होता है। इसलिये इन दोनों सड़कों पर डामर कराकर कम्पलीट किया जाना चाहिये।

(श्री नाथूराम)

रिलीफ की सड़कें बनी है। उनको पी. डब्लू. डी. के अण्डर में लेकर पूरी करनी चाहिये। पंचायत समिति दस मील से कम की सड़कों को कराए और 10 मील से ऊपर की सड़कों को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये और ठीक कराना चाहिये।

श्रम नियोजन के बारे में शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिये जो व्यवस्था रखी है, उसका फायदा उनको नहीं मिल रहा है।

61 में 1995 आदमियों ने अपने नाम लिखाये जिनमें से 409 को काम पर लिया।

62 में 2764 ने नाम लिखाये जिसमें से 204 को काम पर लिया।

63 में 2138 ने नाम लिखाये जिनमें से 405 को काम दिया।

64 में 2364 ने नाम लिखाये और 313 को सर्विस मिली।

65 में 2548 ने नाम लिखाये और 312 को काम दिया।

1966 में 3031 ने नाम लिखाये और 303 आदमियों को सर्विस दी। तो इस तरह से हर साल आंकड़े घटते जा रहे हैं। बांसवाड़ा का उदाहरण दूं। दो साल पहले भी निवेदन किया था। राज की तरफ से एक मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि हम प्रयत्न करेंगे। पर वह उनका आश्वासन खाली कागजों में रह गया। पूरा नहीं हुआ। बांसवाड़ा में इस विभाग के आफिस में दो अफसर हैं चार बाबू हैं और चपरासी हैं। चपरासी तो वैसे ही रहते हैं। पर वहां इन बातों की खामी पाई जाती है। संक्षेप में बता देना चाहता हूं। वहां पर साल भर में जो नाम लिखवाये गये है उसमें प्रतिदिन का औसत 3 की उपस्थिति का है और नौकरी 50 प्रतिशत आदिवासियों में से 5 प्रतिशत को ही मिली है। कहने का मतलब यह है कि 95 प्रतिशत अन्य लोगों को नौकरी मिलती है और जिस क्षेत्र मे 80-90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं वहां 5 प्रतिशत पढे लिखे लोगों को नौकरी मिलती है। इस तरह से पक्षपात हो रहा है। बाबू लोग क्या करते हैं कि जिनसे उनको फायदा मिलता है उनका तो नाम पंचायत समितियों में भेजते हैं और बाकी का नहीं भेजते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं संक्षेप में बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो बाबू लोग बैठे हैं और जो आफिसर्स है उनका व्यवहार जो सर्विस मांगने के लिए जाते हैं और नाम दर्ज करवाने के लिए जाते हैं उनका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है। माननीय उपा-ध्यक्ष मोहदय, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं यहां मन्त्री जी नहीं लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि मन्त्री जी आराम करने के लिए गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : यहां [बैठे हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): मै निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी मन्त्री ट्रेजरी बेन्चेज पर नहीं है फिर भी मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि इस विभाग के अन्दर पक्षपात सरासर हो रहा है और अन्याय हो रहा है। वह आदिवासियों के हित में काम नहीं करते हैं और इतने लड़के मारे मारे फिरते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि डिवीजनल लेवल पर आफिस होना चाहिए और बाबू लोगों को हर महिने तारीख तय कर लेना चाहिए जब कि वह हर पंचायत समिति के अन्दर जायें और उनकी उपस्थिति यहां होनी चाहिए और दो रोज मुकाम रख कर जिनको नौकरी चाहिए उनके नाम लिखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इस तरह की सारी कार्यवाही करके उनको काम करना चाहिये और डिवीजनल लेवल पर उसका आफिस हो और उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नीचे लेवल के जो आफिस है वह बराबर काम नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ सक्षेप में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि गत पांच सालों में स्टेट एम्पलायमेंट एडवाइजरी कमेटी यहां जो बनाई गयी थी लेकिन पांच साल में एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है। क्या इसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का भला कर सकते हैं ? इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसकी साल में एक मीटिंग तो कम से कम बुलानी चाहिए। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, लेबर के ऊपर मेरे 4 कट-मोशन्स हैं। मै चाहूंगा कि श्रम मन्त्री जी भी सदन में हाजिर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सजेस्ट करूंगा कि आज चूंकि डिसकशन डिमाण्ड्स के ऊपर काफी देर शुरू हुआ है और अभी लेबर पर से पहले स्पीकर बोलना शुरू हुए हैं इसलिए सदन का समय कम से कम एक घन्टा डिसकशन के लिए बढा दें।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना अच्छा दिन है और बारिश भी हो रही है फिर भी आप समय नहीं बढायें तो दुर्भाग्य की बात है।

श्री पी. के. चौधरी : श्रम मन्त्री जी को बुलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय एक घन्टे के लिये बढाया जाता है।

श्री पी के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लेबर के 4 कटमोशन्स है। उसमें से एक कटमोशन है सांभर साल्टस

(श्री पी० के० चौधरी)

लि. के जो कर्मचारी हैं उनकी बोनस की मांग के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, सांभर साल्ट्स लि. में राजस्थान सरकार का 40 परसेन्ट हिस्सा है और वहां की यूनियन की तरफ से सांभर साल्ट्स लि. के कर्मचारी संघ की तरफ से बोनस की मांग काफी अर्से पहले की गयी थी। इसके लिए निगोशियेशन्स चलती रही और बाद में कहा गया कि 65 के बाद में फैसला करेंगे। इसके बाद में जब 65 में बोनस एक्ट आया और उस समय पहले का भी बोनस मांगा लेकिन 65 के बाद तक का ही बोनस मिला। उपाध्यक्ष महोदय, नेगोशिएशन्स चलीं और कन्सीलियेशन आफिसर जो था रीजनल लेबर कमिश्नर उन्होंने आज से एक साल पहले फेल्योर आफ कन्सी-लियेशन का रिपोर्ट सरकार को भेजा। यह रिपोर्ट 24 जून, 66 को उन्होंने भेजा है और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट की है उसमें कहा था कि :

"The payment of bonus was pending in the office since long but before the failure report was submitted to the Government, the Payment of Bonus Act came into force and a meeting of the Union representatives and the employers was convened on loth January, 1966 and it was agreed by the Union that Union will not press for bonus for the years 1959-60, and 1960-61, provided the management is prepared to pay the bonus for 1961-62 onwards. The management was therefore asked to pay bonus for the year 1961-62, 1962-63, and 1963-64 as per provisions of Section 30 of the Payment of Bonus Act, 1965. But in spite of my reminders, no action was taken to pay the same on one ground or other. The Union representatives now do not want to wait any longer and the entire bonus issue may be sent for adjudication."

यह फेल्योर आफ कन्सीलियेशन का रिपोर्ट कन्सीलियेशन आफिसर ने साल भर पहले भेजा है और साल भर के अन्दर हम एक्स-पेक्ट करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती। उपाध्यक्ष महोदय, हम इन्डस्ट्रियल पीस चाहते हैं अब इन्डस्ट्रियल पीस में लेबरर्स 59 से अपनी बोनस की मांग को लेकर आज 67 है 8 साल से उनके पास यह मांग चलती रही और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं है और फिर भी हम एक्सपेक्ट करें कि लेबर पीसफुली रहे, मैं कहता हूं कि वह ओवर-एक्सपेक्टेशन है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि बोनस की जो डिमाण्ड है 59 से 64 तक की उसको इमीडियेटली ट्रिब्यूनल में एडजुडी-केशन के लिए दे दी जाये। इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका। जो मैनेजमेन्ट था उन्होंने टेकटिक्स एडाप्ट करके

(श्री पी० के० चौधरी)

इस मांग को बहुत दिनों से खिसकाया और अब नहीं देते हैं। हालांकि लेबर की जो 1960-61 और 1959-60 की डिमाण्ड थी वह भी वह छोड़ने के लिए तैयार हो गये थे लेकिन वह राजी नहीं हुए और उसको टालते रहे और लेनदेन करते रहे और सुप्रिम कोर्ट का फैसला हुआ कि 65 का बोनस एक्ट उस पर लागू नहीं हो सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उनका जो बोनस का केस है उसको इमीडियेटली एडजुडीकेशन के लिए ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाए।

दूसरा मेरा कटमोशन वहां पर जो डेली वेजेज़ पर स्टाफ है उसके सम्बन्ध में है। वहां 62 में एक कमेटी बैठाई गयी मिनिमम वेजेज़ फिक्स करने के लिए उस कमेटी ने सिफारिश की और उसके ऊपर एक्शन हुआ 64 में। उन्होंने मिनिमम वेजेज़ रिकमन्ड किया था 64 से लेकिन उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, जो लिविंग इन्डेक्स 62-63 में था उसकी बेसिस पर मिनिमम वेजेज़ तय किए गये थे। उसके बाद से काफी चेन्जेज़ हुए हैं और सांभर साल्ट्स लि० कर्मचारी संघ ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट किया कि हमारी मिनिमम वेजेज़ रिवाइज़ होनी चाहिए। रिवीज़न के लिए गवर्नमेंट ने 66 में कोई कमेटी अपाइन्ट की लेकिन कमेटी अपाइन्ट किया या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यूनियन से रिप्रेजेन्टेटिव का नाम मांगा था कि तुम रिप्रेजेन्टेटिव का नाम सजेस्ट कीजिये जिससे कि मिनिमम वेजेज़ रिवाइज़ करने के लिए कमेटी बैठाई जाए। लेकिन आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और न मिनिमम वेजेज रिवाइज हुए हैं और पिछले पांच-सात साल से पहले जब मिनिमम वेजेज फिक्स की गयी थी-उसके बाद में 7 साल में लिविंग इन्डेक्स में काफी परिवर्तन आया है...

उपाध्यक्ष महोदय, सांभर साल्ट में जो लोग मन्थली पेड हैं उनको जो

(4.40 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

कि लिविंग इन्डेक्स बढ़ा है और लिविंग इन्डेक्स के अनुसार जो डीअरनेस अलाउन्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा है, उसी के अनुसार इन्क्रीज हुआ है। इसके अलावा जो डेली वेजेज का स्टाफ है, उनको पिछले पांच सालों में वेज इन्क्रीज होने से कोई लाभ नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिनिमम वेजेज कमेटी अपाइन्ट हुई है वह तो सारे डिटेल्स में जायगी और उसके बाद में मिनिमम वेजेज तय करेगी और उसमें काफी समय लग सकता है। इसलिए जो मिनिमम वेजेज एडवाइजरी कमेटी है, उससे सलाह लेकर स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेज में इन्टरीम रिलीफ देने की व्यवस्था करे।

तीसरी बात मेरी यह है कि आज सांभर साल्ट के अन्दर स्थिति यह है, वहां प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को ठेका दिया जाता है, जब कि वहां जो लोकल सर्विस सोसाइटी है

(श्री पी० के० चौधरी)

वह राजस्थान में 1923 में रजिस्टर्ड हुई थी, और वहां उस एक सोसाइटी में, जो लेबरर्स की एक चीज है, एक हजार मजदूर मेम्बर हैं और जब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था और साल्ट कमीशन का ऑटोनोमस बोर्ड नहीं बना था, तब तक गवर्नमेंट के अन्दर में सांभर साल्ट का वर्क था तब उस काम का उनको ठेका दिया जाता था और रेट्स को नेगाशियेट करने के बाद में ठेका दिया जाता था।

सांभर साल्ट का जब से प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को ठेका देना शुरू हुआ है उससे पहले इस सोसाइटी को मिलता था और उसके जो एक हजार लोग मेम्बर हैं, वह उससे तनख्वाह पाते थे और सोसाइटी को जो फायदा होता था उसमें से वह बोनस लेते थे। अब उनको काम्पीटीशन में डाल दिया गया है क्योंकि प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स हैं उनको ठेका दिया जाता है। इस तरह से सांभर साल्ट में गवर्नमेंट ने सांभर के इस नमक उद्योग में सोसाइटी को और प्राइवेट कन्ट्रेक्टर काम्पटीशन में डाल दिया गया है, जिसको रेट्स में भी काम्पटीशन होने लगा है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर सोसाइटी अपने मजदूरों को सण्डे पेड होलीडे वैसे देती है, साथ ही लेबर सोसाइटी को जो फायदा मिलता है उसमें से वह मजदूरों को बोनस भी देती है। लेकिन यह जो ठेकेदार है वह मजदूरों को न तो सण्डे पेड होलीडे देते हैं और न जो मिनिमम वेजेज हैं उनकी रेट्स से मजदूरों को तनख्वाह देते हैं। एक दफा राजस्थान सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की एक लेडी इन्सपेक्टर वहां गई थी और उनके सामने वहां की लेबर सोसाइटी ने सबूत कर दिया था कि जो प्राइवेट ठेकेदार है वह मजदूरों से लिखवा लेता है कि सण्डे की तनख्वाह मिली है लेकिन उनको दी नहीं जाती है। यह बात उनके सामने साबित कर दी थी और उन लेबर इन्सपेक्टर ने जाकर उसको रिकार्ड किया था और गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया था कि उसने मजदूरों से गलत लिखवाया है सण्डे की तनख्वाह देने के बारे में लेकिन उनको एक्चुअली नहीं दिया है। इस प्रकार एक तरफ तो सांभर साल्ट सोसाइटी है वह नुकसान बर्दाश्त करती है और दूसरी ओर जिस प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को वर्क दिया है, वह मजदूरों को कम तनख्वाह देता है, सण्डे की तनख्वाह नहीं देता है तो भी वह उनसे गलत दस्तखत कराता है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट का लेबर इन्सपेक्टर वहां पर सर्प्राइज चैकिंग करके देखे, वैसे एक दफा तो यह एस्टेब्लिश कर दिया है कि सांभर साल्ट का मैनेजमेंट है, उसके और ठेकेदार के सामने यह बात हुई है और उसकी लिखित में रिपोर्ट हुई है। इसके साथ ही सांभर साल्ट के अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट का 45 पर्सेन्ट शेयर है, ऐसी स्थिति में वह ऐसे ठेकेदार को कैसे बर्दाश्त करती है जो ठेकेदार एन्टी लेबर प्रेक्टीसेज करता है।

अध्यक्ष महोदय, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के सम्बन्ध में मेरा एक कट मोशन था। मैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को एक अननेसेसरी इन्स्टीट्यूशन मानता हूं। उसमें इतना करप्शन चलता है कि जब तक आदमी पैसा नहीं देता है तब तक उसका नाम फार्वर्ड

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं करते हैं। इस प्रकार लोगों को एम्प्लायमेंट मिलने में इसकी वजह से काफी असुविधा होती है। पहले तो वह अपना नाम दर्ज कराये, फिर कुछ पीरियेड के बाद में वह उसको रिन्यू कराये और उसको हर वक्त क्यू में लगना पड़ता है और इसके बाद भी उसका बिना पैसे दिये कहीं नाम फार्वर्ड नहीं होता है। इसलिए मैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को यूजफुल सर्विस नहीं समझता हूं, इससे कोई यूजफुल सर्विस नहीं मिलती है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से सिर्फ इतनी सर्विस मिलती है कि हमको एम्प्लाएमेंट के स्टेटिसटिक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई यूजफुल सर्विस यह नहीं करता है। इसके अलावा जो जोब सीकर्स हैं उनके लिए यह डिफीकल्टी ही क्रियेट करता है और रुकावटें डालता है। जो नौकरी ढूंढते हैं वह सीधे एम्प्लायर से सम्पर्क करना ज्यादा पसन्द करते हैं. अगर वह लोग एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के मार्फत जायं तो चाहे कोई प्राइवेट इन्डस्ट्री हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो तो एक तरफ तो वह एम्प्लाइंग आथोरिटी की खुशामद करें और फिर इन्टरव्यू दे दूसरी तरफ इस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से इन्टरव्यू कार्ड निकलवाने के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को जो एजेंसी है यह यूजलेस है और इसको निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट पी. डब्ल्यू.डी. की जो डिमाण्ड है उसमें मेरे जो कट मोशन हैं, उन पर मंत्री महोदय डिमाण्ड का जवाब देते हुए जवाब दे देंगे क्योंकि वह काफी स्पेसिफिक और क्लीअर कट मोशन हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जयपुर में जो रोड पर्सेन्टेज आता है वह राजस्थान में सबसे कम है। राजस्थान का एवरेज है वह पांच हजार की पोपुलेशन के ऊपर रोड माइलेज आता है 1.3 किलोमीटर, जब कि जयपुर थिकली पोपूलेटेड है, यहां रोड पर्सेन्टेज .9 किलोमीटर आता है। जब कि जैसलमेर–बाड़मेर का रोड पर्सेन्टेज 1.3 किलोमिटर आता है तो जयपुर में तो पोपूलेशन के हिसाब से रोड पर्सेन्टेज डबल–ट्रिबल होना चाहिए। इसलिए मैं पी. डब्ल्यू.डी. के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रोड्स हैं वह रोड्स ज्यादा होनी चाहिए, रोड्स ज्यादा बनानी चाहिए, इससे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसमें फायदा पहुंचेगा और इकानामिक कन्डीशन भी यहां की काफी डवलप होगी, लोग अपनी प्रड्यूस को मंडी में ले जाकर ट्रान्सपोर्ट कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रोड के लिए जो मेरी डिमाण्ड है उसको आप सिम्पेथेटिकली कन्सीडर करें और काम शुरू करवाने की महरबानी करेंगे।

श्री अध्यक्ष–श्री केदारनाथ!

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अपने कट मोशन मूव करता हूं। फोर्थ जनरल इलेक्शन के बाद जैसे कि पालिटिकल पार्टीज ने अपनी सफलता और विफलता का

(श्री केदारनाथ)

एनेलेसिस किया वैसे ही जो मजदूरों में काम करने वाली ट्रेड यूनियन मूवमेंट है इन्डस्ट्रीयल वर्कर्स की यूनियन है उन्होंने एनेलेटिक स्टेटमेंट तैयार किया कि कुछ तब्दीली लेबर मूवमेंट में, यूनीयन के एप्रोच और अचीवमेंट्स के अन्दर इन्डीकेट हो रही हैं या नहीं। इन्टक ने बम्बई में कान्फ्रेन्स की और उसमें जाहिर किया, आहिस्ता आहिस्ता यह मजदूर वर्ग लेबर कम्युनिटी यह इन्टक के पीछे क्यों नहीं लग पा रही है, इसलिए कांग्रेस से अलग होकर इंडिपेंडेंटली मजदूरों में काम क्यों न करें। ऐसा एक फोसफुल सेक्शन उसमें कायम हो गया हैं। दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय जहां जहां पर नान कांग्रेस गवर्नमेंट में एस. एस. पी. और कम्युनिस्ट शामिल हुए है, वहां लेबर पालिसी के अन्दर बुनियादी तौर पर उनके पर्सपेक्टिव में बुनियादी फर्क हो रहा है और उन्होंने वर्क लोड और पालिसी मैटर के बारे में फैसले किये हैं। आज जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लायर सस्पेन्ड करे तो आज एम्प्लायर एक एडवान्टेजिअस पोजीशन में होता है उससे वर्कर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है और वह रेफर हो जाता है ट्रिब्यूनल में। चाहे आज एडजुडिकेशन का मामला हो, चाहे बार्गेन का मामला हो जब तक वर्कर्स में पालिटिकल बार्गेनिंग पावर नहीं होगा आज पन्द्रह सोलह साल के इतिहास में यदि गहराई से देखा जाय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मजदूरों के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया है कि पालिटिकल बार्गेनिंग की उनमें हैसियत हो, पालिटिकल बार्गेनिंग की उनमें शक्ति हो। आज मजदूर और मालिकों में इन्टरनल राइवलरीज इस गवर्नमेंट ने पैदा कर दी हैं और इन राइवलरीज के कारण मजदूर वर्ग अपने अन्दर सोलिड पावर पैदा नहीं कर सका है, जैसी कि उनमें होनी चाहिये थी। हम यह भूल जाते हैं कि कैपीटल फार्मेशन में उसका कितना हाथ है, इन्डस्ट्रियल एक्सपेंशन में उसका क्या रोल है। हम हमेशा से लेबर का अन्डर एस्टीमेट और अन्डरमाइन करते रहे हैं। दूसरी बात लेबर पालिसी के बारे में है कि एम्प्लायर और लेबर डिस्प्यूट्स के अन्दर पुलिस इन्टरवीन न करे, उसमें दखल न दे जब तक कि वालेंस न हो, ला एण्ड आर्डर की स्थिति न हो। आर एक केस नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप सब कैसेज में देख लीजिये कि किसी भी स्टेट में मजदूरों ने मूवमेंट किया है अपनी लेजिटिमेट डिमाण्ड्स के लिए तो पुलिस एकदम इन्टरवीन करती है, ला एण्ड आर्डर की समस्या बता कर जब कि मूवमेंट होती है वेजेज की, वर्किंग कन्डीशन्श की और वर्क लोड की बुनियादी मांगों के लिए जहां कहीं लेबर ने मूवमेंट किया कि पुलिस ने इन्टरवीन करना शुरू किया और फरदर काम्प्लीकेशन्स बना दिये और खुद पुलिस सामने आ गई और लेबर का जिससे झगड़ा है मालिक से वह मालिक साफ बच गया तीसरी बात, जहां तक पब्लिक सेक्टर की बात है, यह ठीक हैं. मैं सोचता था कि कांग्रेस की तरफ से घेराव आन्दोलन के बारे

(श्री केदार नाथ)

में भी कुछ आप पेश करते । क्योंकि यह भी एक गहरा विचारने का प्रश्न है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में कुछ नहीं हुआ इसलिये कांग्रेस की तरफ से कोई बात चलती तो ठीक था। क्योंकि हमारी सरकार की आस्था मजदूरों में है। आपने जोइन्ट मेनेजमेंट की बात चलाई। इसके द्वारा मजदूरों को मेनेजमेंट में शेअर दिया जाना चाहिये और आपने दिया मगर आपने उनका संचालन और एन्फोर्समेंट ऐसे आफिसरों के हाथ में दिये जो मजदूरों से मेल नहीं खाते थे इसलिये उसमें आपको बहुत लिटल प्रोग्रेस मिली। मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा कोआपरेटिव सेक्टर टर्न लेगा। क्योंकि जब तक लोगों के दिमाग में यह बात याद नहीं आती तभी तक है। आप सच समझें कि सरकार कन्जीनियल एटमोसफियर बनाने में सर्वथा फेलियोर रही है। अगर आप कहते हैं कि इन्टक ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, अध्यक्ष महोदय. अगर आप उनकी रैंक एण्ड फायल को देखें तो मालूम होगा कि वे कैसे लोग हैं, आपको खुद को मालूम हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि सारे ही लोग उसमें डिसग्रोनेस्ट है और डिसग्रोनेस्टी उनका मिशन है लेकिन मोस्टली ऐसे लोग उसमें है जो मजदूरों के मिशन की परवाह नहीं करते और मालिकों से मिल कर अपना बिलिंग बना कर मेन्योवर करते हैं और मजदूरों के हितों की कोई चिन्ता उनको नहीं रहती है।

इसके अलावा आपने यूनियनों को मान्यता देने के बारे में जो तय किया है और, अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा तरीका तय किया है कि कहीं किसी को आधे साल बने हुए हुआ हो फिर भी एम्पलाईमेंट में हर काम में मजदूरों की बात उनसे होगी। जिसके पीछे 60 परसेंट वोट हों वे वरडिक्ट दें। एक साल तक हो वहां रजिस्ट्रेशन कराना है। स्टेट उन यूनियनों से बात करेगी। हमारा इन्टेन्शन हमारी सरकार इस बात से नहीं लेती। हमारे डिस्प्यूट्स हों। अगर आप उसको सस्पेन्ड करें तो 90 परसेन्ट झगड़े हमारे तय हो जावें। अगर हमारी सरकार इस रिकग्नाशन के प्रिन्सीपल को मान लें। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको गियर अप किया जाय और निगोशियेशन का तरीका और वातावरण जैसे केरल, मद्रास और बंगाल के वहां पर कन्जीनियल एटमोश-फियर का तरीका अपनाया है वैसा ही यहां पर भी अपनाया जाय। हमारी सरकार आज मजदूरों में आस्था पैदा नहीं कर सकता। झगड़े होते हैं और फिर हमारी सरकार कहती है कि मजदूरों में आस्था पैदा करो।

इन शब्दों के साथ मैं यह इन्ट्रोड्यूस करता हुआ कि सरकार फोर्थ फाइव इयर प्लान में हमारा जो प्लानिंग हो वह लेबर पोलिसी के आधार पर हो ताकि नॉन कांग्रेस पार्टीज और सरकार की क्या क्या पोलोसीज हैं एडज्यूडिकेशन क्यों फेल होते हैं नेशनल कमीशन ओन लेबर में क्या क्या काम होते हैं उन सब के बारे में आपके यहां भी लेबर पालिसी में उनका दिग्दर्शन हो। उससे एक आपके यहां भी नेशनल लेबर पोलिसी कायम हो सकेगी।

(श्री केदार नाथ)

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो प्रतिशत ऑर्गेनाइज्ड लेबर है जिसको हम कह सकते हैं, जब कि दूसरे मुल्कों में ऑरगेनाइज्ड लबर हमारे यहां से अधिक है। इसके अलावा सब लेबर अनआरगेनाइज्ड हैं चाहे वे लोग खेती में काम करते हों या दुकानों पर काम करते हों या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हों। यहां तो शहरों में फिर भी लेबर लॉ लागू हैं और यहां के कुछ लोग और वर्कर्स क्लेटिद बारगेन के लिये कभी कभी मुवमेंट करते रहे हैं और अपने मिनिमम वेजज के लिये केसेज लड़ते रहे हैं और उनमें उनको रेस्पोंस मिलता है उनको राहत मिली है। लेकिन बहुत बड़े अहाते में जो अन-ओरगेनाइज्ड लेबर होती है उसके लिये कोई लॉ हमारे यहां पर नहीं है और कोई उनको सिक्योरिटी ओफ लाइफ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। सरकार कहती है कि हमने मिनिमम वेजेज कायम करने की बात की है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसके लिए एक निश्चित पोलिसी बना ले कि चाहे एवार्ड हो या कमीशन की रिपोर्ट हो, आप उसका फैसला होगा उसको हम लिगल टर्म देंगे। जिससे लोगों का मानस तैयार हो और फिर कानून बने उसके अनुसार लोगों को राहत मिल सके। मगर आपने जो तरीका अपनाया है वह आपका तरीका फैल हुआ। आज हम देखते हैं कि आप पर एम्पलायर्स हावी हैं। कोई इकोनोमिक करेक्टर नहीं। आज केपिटलिस्ट पोलिसी का पालन होता है और मजदूरों की कोई वोइस नहीं। मैं आपको इसके आंकड़े पेश नहीं करता मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनकी हालत आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उनकी हालत कितनी खराब है। इसके लिये आप सेकिन्ड इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखिये तो आपको मालूम होगा कि उनकी आर्थिक हालत कितनी चिन्ता जनक है। उस रिपोर्ट में उनकी आर्थिक हालत को बताया गया है।

अब आप कहते हैं कि हमारे यहां सोशियल लिबर्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे बेकवर्ड क्लास के और शिडयूल्ड कास्ट के लोग हैं और दूसरे भी कुछ लोग हैं जो 85 परसेन्ट हैं जो डेली वेजेज में काम करते हैं और साल में 200 दिन से ज्यादा कमाते नहीं। उनकी इकोनोमिक कन्डीशन खराब है, सोसाइटीज में उनकी प्रेस्टीज नहीं। आपका प्लानिंग क्या करता है? आपका जो प्लानिंग है वह उन लोगों के मानस को आज तक बना नहीं सका। आप उन मजदूरों में, जो बहुत गरीब हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनमें हिम्मत पैदा नहीं करा सके, उनकी स्थिति को सुधार नहीं सके और फिर आप यह कहते हैं कि हमारी लेबर पालिसी साउन्ड है। इसके बारे में एक बात फैली हुई है। बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गई हैं। मैं उन सब में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि दुकानों पर काम करने वाले हैं, खेतों पर काम करने वाले हैं, कन्स्ट्रक्शन में काम करने वाले हैं, और कान्ट्रेक्ट बेसिस पर काम करने वाले हैं उनके बारे में

(श्री केदार नाथ)

भी आपका ध्यान जाना चाहिये जो आज तक नहीं गया है। उनको कम से कम इतना वेतन तो मिलना चाहिये जिससे उनको सिक्योरिटी आफ लाइफ हो। उनकी सर्विस होना लाजमी है इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना लाजमी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक स्टेट लेबर डिपार्टमेंट है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उसकी क्या स्थिति है। अगर उसमें कोई केस रैफर हो कर चला जावे तो 21 दिनों में वहां से वह तय होकर वापिस आना चाहिये। मगर आज होता क्या है? वह केस वहां से वापिस समय पर नहीं आता मैंने यह 21 दिन का समय बताया है वह मैग्जिमम टाइम बताया है। वैसे आना तो 7 ही दिन में चाहिये मगर 6 : 6 महीनों तक वहां से कैसेज लौट कर नहीं आते। यदि कोई केस ट्रिब्यूनल में रैफरे हो जाता है तो उसके लिए कई बार भूख हड़ताल और स्ट्राइक्स लोगों को करनी पड़ती है तब जाकर उसका फैसला होता है। यह देश में मजदूरों की हालत है जिसको आप कहते हैं कि हमारे देश में मजदूर विकसित हैं। आपको सोचना चाहिये कि न मालूम कब मजदूरों का गुस्सा उफन आए उनकी एन्गर, अनरेस्ट है, न मालूम कब क्रीएट हो जावे, और वे क्या कर बैठे। आज हम देखते हैं कि घेराव मूवमेंट हो रहा है। उसके खिलाफ आज तक आपकी सारी सरकार की मशीनरी कॉन्सीट्यूशन को इनवोक करती है। आज मोरल फिलोसोफी की बात करते हैं कि मजदूरों ने मालिकों को घेर लिया। आपने यह नहीं देखा कि किस तरह से एम्प्लोयर उनको रिटोर्ट करते हैं और उनको अपने हकूकों से ले आफ रखते हैं और उनको लेबर डिस्प्यूट्स में 6 : 6 साल तक और 10 : 10 साल तक जीतने नहीं देते हैं। उनके लिए ये सारी बातें भूल जाते हैं। अगर मजदूरों ने इन दी वेक आफ मूवमेंट में जाकर शान्ति से घेराव आन्दोलन शुरू किया तो वहां सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इन्टक के सारे एम्प्लोईज कहते हैं कि यह वाइलेंस का तरीका है। इस सम्बन्ध में मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप डेमोक्रेटिक एपरेटस और इकोनोमिक मेलोडीज को देखें, सोशियल कन्डीशन को देखें यूनियन को मान्यता दी है उसको देखें, इन सारी चीजों को देखने के बाद घेराव आन्दोलन के बारे में आप अपना इनफरेन्स निकालें तो ज्यादा अच्छा हो और उसके बाद आप मेरी इस बात को मानेंगे कि मेरा कहना ठीक है कि मजदूरों की सारी लाइफ है उससे आपको दूर रहना चाहिये। आज हम जिस तरफ जा रहे हैं वह तरीका ठीक नहीं है। अगर आप मजदूरों को सही तरीके से समझेंगे तो आपको मालूम होगा, मगर आप मजदूरों को गलत समझ रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आखरी बात कहता हूं कि हमारी सरकार के सामने चाहे लेबर कोर्ट्स बहुत कम हैं फिर भी लेबर कोर्ट की बहुत अहमियत है। आवश्यकता के समय कोर्ट में मिनिमम वेजेज के केसेज लेबर एक्ट के अनुसार जाते हैं और उसमें एवार्ड या कोई डिग्री होती है तो मिनिमम वेजज एक्ट के तहत रिकवरी के

(श्री केदारनाथ)

लिए आप उनको पॉवर दीजिये कलेक्टर को जिससे कोई डिग्री हो जाए तो मजदूरों को एरियर्स के पैसे मिल जाएं। मगर देखा यह गया है कि लगातार कई महीने लड़ने के बाद भी और डिग्री हो जाने के तीन तीन महीने बाद भी उन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं।

(5 म. प.)

आप मन्त्री जी, बैंक बैंचेज पर बैठ कर लेबर पोलिसीज पर बोला करते थे। बहुत ऊंची ऊंची बातें करते थे कि यह मशीनरी खराब, इनकी मान्यता खराब, नियम खराब, मजदूरों को सस्पेन्शन पीरियड का अलाउन्स मिलना चाहिये। इस लिये ये बातें कह कर मैं आपकी मेमोरी को ताजा कर रहा हूं।

भीलवाड़ा में अगर इन्टरवीन कर लेते तो स्ट्राइक नहीं होती। यह प्रिन्सिपल आपको मान कर चलना पड़ेगा कि जिस यूनियन के पीछे ताकत है पोलिंग वर्डिक्ट है उसको मान्यता देनी पड़ेगी। मिनिस्टर साहब आपका वजूद इसी पोलिंग वर्डिक्ट के पास था। आप पोलिंग में जाते हैं तो यूनियन्स को भी पोलिंग में जाने दीजिये, ट्रेड यूनियन का चुनाव होना चाहिये और जिसके पीछे ज्यादा फोलोइंग हो उसको सरकार मान्यता दे तो सारे झगड़े तय हो जायंगे।

अध्यक्षजी, सरकार इन्टरवीन कैसी करती है? जहां जहां मजदूरों के चालान किये उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार किया गया, जहां देखा कि हमारी यूनियन के आदमी हैं उनके केसेज विथड्रा कर लिये। यह डिस्क्रिमिनेशन न्याय संगत नहीं है।

'लोकवाणी' लिक्विडेशन में गया, नाम बदल दिया पर आदमी तो वहीं के वहीं रहे। पी. एफ. देने का सवाल आता है तो कहते हैं कि नहीं देते, इन्श्योरेन्स का पैसा देने को कहते हैं तो कहते कि नहीं देते, हमारे पास फण्ड्स नहीं है। पर सरकार को उन मजदूरों के हित का कोई खयाल नहीं, उनमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं, वरना आप उसकी मंजूरी वापिस ले सकते हैं। आपके पास कैसे आयें लोग? उनमें आपके प्रति आपकी नीतियों के प्रति बड़ा असन्तोष है।

इन्हीं शब्दों के साथ कट मोशन आपके सामने मूव करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के सम्बन्ध में अभी माननीय विरोधी दल के सदस्य श्री केदारनाथ जी अपना प्रवचन दे रहे थे।

श्री रामकिशनः प्रवचन नहीं भाषण। प्रवचन तो विनोबाजी के होते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इन्टक के बारे में कहा कि वह सरकार के साथ साथ मिलकर मजदूरों के विरुद्ध काम करती है............

श्री अध्यक्ष : इतना स्पष्ट नहीं था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनका मतलब यही था । मैं आपके जरिये उनको बताना चाहता हूं कि इन्टक मजदूरों के साथ सहृदयता से उतनी ही उनके हितों की रक्षा करने वाली है जितनी कि दूसरी संस्थाऐं हैं। इन्टक का मुकाबला हिन्दुस्तान में और कोई नहीं करता । इसने हमेशा हिन्दुस्तान में मजदूरों को राहत दिलाने का काम किया है, राजस्थान में भी मजदूरों को राहत दिलाने का काम किया है । राजस्थान में जितने स्थानों पर इसे मान्यता दी गई है इसी आधार पर दी है कि उसके पीछे अच्छी फोलोइंग है ।

माननीय रामानन्दजी ने कहा कि वे लेबर यूनियन्स के चुनाव कराना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि चुनाव कराये जाये। चाहे स्पिनिंग मिल हो, चाहे मेवाड़ टेक्सटाइल मिल हो, चुनाव कराने के लिये आप बराबर व्यवस्था कर सकते हैं इसके लिये हम तैयार हैं । केदारनाथजी कह रहे थे कि वहां जो यूनियन्स हैं उनको मान्यता दे दी है, उन दोनों स्थानों में आप जब चाहें चुनाव लड़ कर देख लीजिये आपको पता चल जावेगा कि रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन किसकी है । कौन मालिक का पिठ्ठू बनी हुई हैं ? कौन मजदूरों का शोषण करवा रहा है । कौन सेठों की पप्पेट है ? यह आपको चुनावों से भली भांति मालूम हो जायगा । जब कि इन यूनियन्स की किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ मिलावट नहीं वह सीधे तरीके से मजदूरों के हित के लिये काम करती है, उस समय इस प्रकार की बातें करना कि हिन्द मजदूर सभा और कम्यूनिस्ट पार्टी की इन्टक है वह तो मजदूरों का भला करने वाली हैं, दूसरी सब सरकार की पप्पेट हैं, मालिकों की पिठ्ठू हैं, यह कहने से काम नहीं चलता । आपकी यूनियन्स किस किस की पिठ्ठू हैं कितने मालिकों की जेबों में बैठी हैं, यह हमसे छुपा हुआ नहीं है । भीलवाड़ा में आपकी यूनियन मालिक की जेब में बैठी रहती है, मालिक की पिठ्ठू है ।

श्री रामकिशन : इतनी छोटी है क्या ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : यहां श्रम विभाग के बारे में कहा गया, मुझे भी श्रम विभाग से शिकायत है। जिस प्रकार से यह विभाग काम कर रहा है उससे हमें संतोष नहीं है । क्योंकि श्रम विभाग के सम्बन्ध में जिस प्रकार कहा गया बोनस के मामले, महंगाई के मामले श्रम विभाग के सामने लाये जाते हैं, उनमें मजदूरों को राहत नहीं मिलती है, ट्रिब्यूनल में मामलों को भेजने के बारे में देरी होती है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय का जो कि हमारे लेबर लीडर रहे हुए हैं, अब लेबर मिनिस्टर हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इन सब चीजों की ओर ध्यान दें और दुर्व्यवस्था में सुधार करें ।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गिरधारीलाल)

अभी तो शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब तो एक प्रांगण पर आ गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माइका के मजदूरों का भीलवाड़ा में बहुत बुरा हाल है। हर कम्पनी का मालिक मजदूरों के पैसे को दबा कर बैठा है, उनका शोषण कर रहा है, उनके पैसों से अपना व्यापार चला रहा है, लेबर डिपार्टमेंट निष्क्रिय है, न उसने किसी का चालान किया है और न हो किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की है, इनके पेमेंट का सवाल है आठ दस मजदूर बिना पगार के बैठे हुए हैं। इसलिये मैं लेबर मिनिस्टर साहब का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्हें किसी न किसी प्रकार का प्रावधान करना चाहिये जिससे कि इनको पेमेंट जल्दी से जल्दी हो। 8-10 हजार मजदूर माइका माइन्स में काम करते हैं। लीज होल्डर्स पर सरकार का दवाव नहीं है। लीज होल्डर्स अगर मजदूरों को पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिये वे लोग मजदूरों का पेमेंट नहीं करते हैं। इसलिये कोई इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि जो लीज होल्डर अपने मजदूरों का पेमेंट नहीं करता है उसका लीज कैन्सिल कर देना चाहिये या उनका चालान करना चाहिये।

लेबर डिपार्टमेंट की निष्क्रियता के एक और नमूने की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कितनी ही लेबर कमेटीज बैठीं अलग अलग इन्डस्ट्रीज के लिये अलग अलग मिनिमम वेजेज तय किये पर आज तक कहीं पर लागू नहीं हुये हैं, कोर्ट्स के द्वारा उनको खत्म कर दिया, कहीं लागू नहीं हुए हैं। माइका, दाल मिल आदि आदि के बारे में राज्य सरकार ने मिनिमम वेजेज कमेटी मुकर्रर की पर वह सब असफल रही हैं। इसलिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बड़ी ही अहमियत की चीज है, इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो इन मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। दूसरी इन्डस्ट्रीज में यूनियन्स की वजह से फायदा हो रहा है लेकिन जो इस तरह की छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज हैं उनके मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ है, उनके सम्बन्ध में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिये इस ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है।

बहुत से मजदूर जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं कोई एग्रीकल्चर में और कोई दूसरों में। जैसे प्रोफेसर केदार नाथ ने कहा था कि खास तौर से एग्रीकल्चर में जिसमें कि मिनिमम वेजेज तय भी हैं, उनमें आज तक मिनीमम वेजेज नहीं देते। आपने कई तरह के इन्स्पेक्टोरेट्स कायम कर रखे हैं, मिनीमम वेजेज इन्सपेक्टर्स फैक्ट्री इन्सपैक्टर्स हैं वे जाकर यह नहीं देखते कि जो मजदूर काम करते हैं उनको मिनीमम वेजेज मिलते हैं या नहीं। जब प्रावधान किया है तो उनको क्यों नहीं मिनीमम वेजेज मिलते हैं ?

दूसरी बात जितनी भी लेबर वैलफेयर एक्टिविटीज हैं, हमारा कर्तव्य तो यह है कि

(श्री गिरधारीलाल)

जहां जहां पर उद्योग हैं और वैलफेयर एक्टि-विटीज चलती हैं वह इस प्रकार से चलनी चाहिये जिससे कि मजदूरों और उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। लेकिन श्रम विभाग निष्क्रिय है वहां पर इतने साधन उपलब्ध है तो भी मजदूरों के काम में नहीं आते बल्कि दूसरे लोगों के उपयोग में आते हैं। न मजदूरों के पढ़ने लिखने न क्रिड़ा की कोई व्यवस्था ठीक चल रही है।

जहां तक प्रोवीडेंट फंड का सवाल है, उसमें प्रावधान है कि मजदूरों को ऋण मिल सकता है मगर उसमें इस तरह की अड़चन लगा रखी है कि इतना रुपया जमा होने के बाद में प्रोवीडेट फंड से ऋण मिलेगा। इस शर्त की वजह से बहुत से मजदूर इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उससे वंचित रह जाते हैं तो इस शर्त को हटाया जाय।

ई. एस. आई. के संबंध में जितनी डिस्पेन्सरीज हैं उनका कर्त्तव्य तो यह है कि जितने मजदूर बीमार हो जायें और उनको मुआवजा देना हो समय पर दिया जाय और समय पर उनके लिये दवाइयों का प्रबंध किया जाय। मगर देखा गया है कि मजदूरों को ठीक प्रकार से राहत नहीं मिलती। मुआवजा भी ठीक तरह से नहीं मिलता। दवाइयां जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं वे पूरी तरह नहीं मिलतीं। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा जितने भी लोकवाणी के कर्मचारी है उनके वेजेज, प्रोवी-डेंट फन्ड बोनस इत्यादि का पैसा 80 हजार रुपए करीब हैं...

श्री अध्यक्ष : रिपीटिशन है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मौलिक सुझाव रखें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप स्वयं महसूस करते होंगे कि मजदूरों की न्यायोचित मांग पूरी होनी चाहिये। सर-कार, आशा है, इस प्रकार के आदेश देगी।

पी. डब्ल्यू. डी. के सम्बन्ध में दो सुझाव देने हैं। एक नेशनल हाईवे नं. 8 के संबंध में। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि एक सड़क अजमेर से ब्यावर होकर भीम जाती है। जसासेड़ा के पास जिगजिग रास्ता है। 10–20 आदमी हर साल मर जाते हैं। ब्यावर से आगे बदनोर होकर भीम से मिलाया जाय। न तो पहाड़ हैं और सीधा रास्ता है। पिछली बार जवाब दिया था कि नेशनल हाईवे केन्द्रीय सरकार से ताल्लुक रखता है। मगर आप केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में लिख सकते हैं। और यह सड़क बन जावेगी तो दुर्घटनाओं के खतरे से बचा जा सकेगा।

भीलवाड़ा से बदनोर जो सड़क चल रही है, पूरी नहीं हो पाई है। सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा करके एस. डी. ओ. के हेडक्वारटर्स से मिलाई जाय। वहां दो नदियां पड़ती हैं जिनकी वजह से रास्ते बंद

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हो जाते हैं । इनके लिए पुलिया बनाई जाय ।

अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों को समय पर पेमेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते और मस्टर रोल्स पूरे नहीं दिए जाते, सरकार का कहना हैं कि जितने मजदूर आयेंगे....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मस्टर रोल देने की हिदायत करें ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । पार्टी के आधार पर अगर आप समय देते हैं तो इनको ही मिलता है...

श्री अध्यक्ष : डिस्क्रेशन का प्रश्न है, व्यवस्था का नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : जैसे ये ही सब कुछ हैं, इनको समय मिल जाता है, हमको नहीं मिलता ।

श्री रामकिशन : कांग्रेस छोड़कर यहां आ जाओ तो पूरा टाइम आपको देंगे ।

श्री अध्यक्ष : सदस्य कम समय लेंगे, एक घण्टे का समय बढ़ाया है ।

श्री जसराज : मेरी पार्टी का समय नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : आ जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की आर्थिक समस्याओं के बारे में क्या दृष्टिकोण है उससे उसकी श्रम नीति तय होती है । जो तीन योजनाओं के जरिये हमारे देश में या राजस्थान में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें यह मानने से कोई इन्कार कर सकता कि लेबर और कैपीटलिस्ट के बीच एक भारी अन्तर्विरोध बढ़ता जा रहा है, उनके इन्टरेट्स में बुनियादी क्लेश तो है ही परन्तु वह क्लेश कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा हैं । मैं मानता हूं कि आज स्थिति यह है कि कुछ कारखाने बन्द पड़े हैं और कुछ बंद होने जा रहे हैं । कहते हैं कि मुनाफा नहीं होता इसलिए बन्द कर रहे हैं । कुछ मांग करते हैं कि छटनी का, रामबाण का प्रयोग किया जाय, तनख्वाहों को फ्रीज करने की बात करते हैं । आर्थिक समस्याएं आज भारत के पैमाने पर या राजस्थान में खड़ी हैं उनके लिए एक तरफ मांग की जा रही है कि तनख्वाहें फ्रीज की जायें या लेबर पर काम का बोझ बढ़ाया जाय और यह भी मांग की जाती है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए छटनी की जाय और दूसरी तरफ समाजवाद के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए समाज में जो शोषित वर्ग है उसकी इच्छा है कि उसका सामाजिक जीवन बढ़े, आर्थिक स्थिति बढ़े, और उनको ज्यादा रोजगार मिले । जब यह आर्थिक संकट देश के सामने है, ये कारखाने बन्द हैं या कुछ बन्द होने की स्थिति में जा रहे हैं, उत्पादन में ह्रास है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसके क्या कारण हैं ? क्या आज इन चीजों की देश में..

(श्री रामानन्द अग्रलाल)

आवश्यकता नहीं है ? मजदूर नहीं चाहते कि कारखाने नहीं चलें ? क्या उपभोक्ता नहीं चाहते की चीजें नहीं मिले ? तो क्या वजह है कि कारखाने बन्द पड़े हैं ? चीजों की आवश्यकता होते हुए भी आप कारखाना नहीं चला सकते ? चीजों की जरूरत होते हुए भी उनको रोजगार नहीं दिला सकते ? इसका बुनियादी कारण यह है कि आप पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करके चल रहे हैं, निजी सम्पत्ति का स्वामित्व निजी लोगों के हाथ में हो ऐसा आप चाहते हैं। वे उत्पादन इनसान की जरूरत के लिए नहीं करते, वे मुनाफे के लिए करते हैं। अगर उनको जहर से भी मुनाफा मिलेगा तो वह अनाज पैदा न करके जहर पैदा करेंगे। आपके पास उसका इलाज नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए आज किसी सरकार के लिए अपनी श्रम नीति तय करने के लिए बुनियादी दृष्टिकोण तय करना होगा आया वह अपनी नीति इनसानों की जिन्दगी बहतर बनाने के लिए, उन शोषित वर्ग का स्थिति को सुधारने के लिए बनाना चाहती है या अपनी श्रम नीति को इस पूंजीवादी समाज की सीमाओं को स्वीकार करके विवशताओं को जरूरी चीज मानकर और फिर बनाना चाहती है।

अगर इस पूंजीवादी समाज की आवश्यकताओं, उसकी व्यवस्थाओं को मान कर आप अपनी श्रम नीति अपनायेंगे तो आप लाजमी तौर पर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कारखाने चलाने के लिये छटनी मंजूर करनी पड़ेगी, वेज फ्रीज करने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज ये दो बुनियादी दृष्टिकोण हमारे देश में हैं। एक तो जो गवर्नमेन्ट्स सोशलिज्म का लक्ष्य लेकर चली हैं, चाहे वह केरल की सरकार हो चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो चाहे यू. पी. की सरकार हो या कुछ रूप में जो गवर्नमेंट चल रही है पंजाब में उनके दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर इसी नतीजे पर आये हैं। इस आर्थिक संकट को जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हमारे देश को आगे बढ़ाने में रुकावटें पैदा कर रहा है इसके रास्ते को खोलने का वही तरीका है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सोशलिज्म का रास्ता यह होना चाहिये कि बुनियादी तौर पर इन्सान का शोषण रोका जायगा, कम से कम मजदूरों को जो सुविधायें हैं उनके रीयल वेजेज में कट नही होने दिया जावेगा, उसमें आगे सुधार किया जावेगा, जिसका रोजगार है उसमें कमी नहीं की जावेगी और मैं समझता हूं इस तरह से उसमें आगे तरक्की होती चली जावेगी। यह बुनियादी दृष्टिकोण हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बहुत नम्रता से कि आज हमारी राजस्थान की सरकार ने इस संकट को हल करने के लिये यह सोशलिज्म वाला बुनियादी रास्ता नहीं अपनाया है। आज मैं पूछना चाहता हूं श्रम मन्त्रीजी से कि आप इंटक के लीडर हैं, इंटक की तरफ बोलते हैं, आपकी बातें अच्छी भी लगती रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं श्रम मन्त्रीजी से कि क्या आप घोषणा कर सकते हैं कि राजस्थान में किसी मजदूर के रीयल वेतन में कमी नहीं होने दी जावेगी ? क्या आप घोषणा कर सकते हैं कि किसी मजदूर वर्ग को जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रोजगार मिला हुआ है उसके अन्दर छटनी नहीं की जावेगी ? क्या आप घोषणा कर सकते हैं कि छटनी को रोका जावेगा और मौलिक इमाल्यूमैन्ट्स में तरक्की की जावेगी? मैं समझता हूं कि आज इस बुनियादी दृष्टिकोण का सवाल है। राजस्थान की सरकार ने इस बुनियादी दृष्टिकोण को स्वीकार न करके पूंजीवाद की चेरी बन कर, उसकी दासता स्वीकार करके इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो मांग पूंजी वादी मिल मालिक आज कर रहे हैं कि छटनी भी करनी होगी, काम भी बढ़ाना होगा और वेजेज भी कम करने होंगे, वेज फ्रीज भी करने होंगे आज राजस्थान सरकार की नीति वेजेज का बढ़ाने की नहीं है, आज राजस्थान सरकार की नीति वेज फ्रीज करने की है। राजस्थान सरकार की नीति एम्प्लोयमेन्ट को बढ़ाने की नहीं एम्पलोयमेन्ट को कम करने की है; राजस्थान सरकार की नीति छटनी करने की है, लोगों को नौकरी से निकालने की है। इसी वजह से, अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि हमारी सरकारी की नीति मजदूर विरोधी है मालिक परस्त है और इसलिये वह सोशलिज्म की तरफ जाने वाली नहीं है और पूंजीवादी हैं, पूंजी वाद जो उसने अपनी नीति में स्वीकार किया है उसके अनुसार वह चल रही है और इसका स्पष्ट रूप इस सरकार के कार्यों में अमली रूप में दिखाई दे रहा है। कोई छटनी नहीं करेंगे और आपसी बातचीत के बगैर युनिलेटरल तरीके से छटनी नहीं करेंगे यह जो घोषणायें और सिद्धान्त कायम किये गये हैं उनका वायोलेशन करने वाली यह सरकार ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठने वाली आज हजारों कर्मचारियों की एक कलम से छटनी कर रही है। 1. 6. 66 के बाद जो एम्पोलमेन्ट में रहेंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जावेगा। 55 साल के बाद रिटायरमेन्ट किया है उसका हमने समर्थन किया है। बजट की समस्या को हल करने के लिये आप सोशलिज्म की बात करें, आप यह रास्ता अपनायें यह आपको शोभा नहीं देता। हम उम्मीद तो यह करते थे कि देश स्वतन्त्रता के बाद लोगों को हमारी सरकार के अन्दर रोजगार मिलेगा। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिये हड़तालें की, ये वे ही लोग हैं जिन्होंने लाठी गोली खायी और ये वे ही लोग हैं जो जेलों में गये हैं। एक नया नक्शा था कि सोशलिज्म की देश में बुनियाद डालेंगे। बीस साल के बाद आज यह नक्शा दे रहे हैं कि हजारों लोगों को सड़कों पर बैठने केलिये नोटिसेज दे दिये हैं। जो इस प्रकार की छटनी करे, बिड़ला हो, टाटा हो, डालमिया हो, इस प्रकार लोगों की छटनी करके लोगों को रोजी से निकाले यही आपका सोशलिज्म है। आज आप का श्रम मंत्रालय सबसे बड़ा एम्पलोयर होने के कारण सबसे ज्यादा छटनी कर रहा है। आप उनकी छटनी पर रोक नहीं लगा सकते ? आप तो एक प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं। यह जो आपका मंत्रालय है यह केवल पूंजीवादी दासता का काम कर रहा है।

बहुत से सम्मेलन हुए, उसमें निर्णय किये गये, फैसले किये गये। उन फैसलों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस सरकार ने खुद ने लागू नहीं किया। मजदूरों से यह सरकार कहती है कि आप करते हैं। आप खुद फैसले करके लागू न करें। आखिर मजदूर क्या करें? बोनस का कानून बनाया। एडवाइजरी बोर्ड में बताया, 235 में बोनस अदा नहीं किया। सुबह माथुर कमेटी के बारे में पूछा गया था। आपने कहा माथुर कमेटी के फैसले स्वीकार कर लिये हैं और प्राइवेट उद्योगपतियों को कह दिया कि वह लागू करें। आपने 26 की संख्या बताई। 26 ने स्वीकार किया, कि लागू किया। जब कि राजस्थान में सैंकड़ों ऐसे उद्योग हैं जिन पर लागू होना चाहिये फिर भी आप कहते हैं कि कानून नहीं बनायेंगे। इसको कानून की शक्ल नहीं देंगे। क्योंकि पूंजीपतियों से झगड़ा मोल नहीं चाहते। लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते, उनसे बातचीत करके हृदय परिवर्तन की बात करके ज्यादा तनख्वाह की बात की जायगी। जब तक हृदय परिवतन न हो मजदूर चाहे मरे कुछ भी हो। माथुर कमेटी, जिसका बहुत ढोल पीटते हैं हिन्दुस्तान, में सबसे आगे का कदम उठाया है। माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह सही है इन्डेक्स नम्बर के सीलिंग को माना है माथुर कमेटी ने और इसका यह प्रोग्रेसिव कदम है। न्यूट्रेलाइजेशन मान लिया। 60 वालों को पूरा मिलेगा 120 वेतन पाने वालों को 50 परसेन्ट और 250 वेतन पाने वालों को 25 परसेन्ट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोक नहीं सकते। आप भी कहते हैं कि महगाई बढ़ती रही है। रोक नहीं सकते। 75 परसेन्ट खुद को भोगना पड़ेगा और 25 परसेन्ट एम्प्लीयर को भुगतना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से सरकार की जो नीति है उससे चाहे बोनस का मामला हो, चाहे वेजेज का मामला हो, चाहे रिट्रेन्चमेन्ट का सवाल हो, पब्लिक सैक्टर में भी मजदूर विकटमाइजेशन महसुस कर रहे हैं। एम्पलोयर होने के नाते सही दृष्टिकोण अपनाने की बात लागू नहीं हो रही है।

अब रोडवेज के अमले को लें। वहां पर करीब 200 कर्मचारी सस्पेण्ड पड़े हैं। उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे हैं जिनको 6 महीने से सस्पेण्ड किया हुआ है। इसका असर हमारे बजट पर पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार केवल जयपुर डिपो में 5 हजार रुपये माहवार उन सस्पेंडेड कर्मचारियों को देना पड़ता है और उनकी जगह पर लोग रक्खे गये हैं।

सारे राजस्थान में हम कम से कम 30 से 35 हजार रुपया माहवार सस्पेण्ड पड़े कर्मचारियों को दे रहे हैं। क्या यह तरीका है कर्मचारियों के साथ डील करने का?

श्री अध्यक्ष : Please conclude.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी 15 मिनिट हैं साहब। थोड़ा समय और दें। आपका नियम होते हुए भी कि इतने अरसे के बाद किसी को भी सस्पेण्ड नहीं रखा जावेगा उन को चार्ज शीट इस पीरियड में अवश्य दे दी जावेगी, और इतने अरसे के बाद फैसला कर दिया जावेगा, आप कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं कर सके हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। एक एक साल से लोग सस्पैण्ड पड़े हैं। आपकी यह हालत है तो फिर आप प्राइवेट लोगों से क्या करवा सकेंगे ?

यही आपकी कन्सीलियेशन मशीनरी की हालत है। आपने कहा और माना है कि सात दिन के अन्दर अन्दर कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी जावेगी और अधिक से अधिक एक महीने में, वैसे 15 दिन कहे थे, रिपोर्ट दे देंगे और फिर ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया जावेगा। आज हालत यह है कि सरकारी पब्लिक सैक्टर में तो कन्सीलियेशन अफसर जाने में ही हिचकिचाता है। यह तो सरकार की इन्डस्ट्री है और श्रम विभाग अपने आपको उसके मातहत समझता है। फिर ट्रिब्यूनल को रैफर करने का मामला तो पब्लिक सेक्टर में हो ही नहीं सकता। इसका तो वहां प्रश्न ही नहीं उठता। अगर लेबर विभाग से भी चला जावे तो सेक्रेटेरियेट में उलझ जाता है और वहां वर्षों लग जाते हैं।

इसी प्रकार की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चल रही हैं तो इस हालत में सुधार होने और मजदूरों को कुछ सहूलियतें मिलने का सवाल नहीं। वह मुमकिन ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड में यह निर्णय हुआ था कि मिनिमम वेजेज के लिये ट्रान्सपोर्ट वालों के लिए रिकमण्डेशन की थी सरकार ने उसके लिये दुबारा रेफर करने की बात कही थी, दो वर्ष हो गये पर निर्णय इस पर नहीं हुआ। लम्बा डालने में सरकार को फायदा होता है क्योंकि तबतक पुरानी रेट ही चलती है। और इस तरह से उनको फायदा होते रहता हैं।

इस प्रकार से हमारी सरकार की यह जो नीति है उसमें पब्लिक सेक्टर में विक्टीमाइजेशन और सभी तरह से उन लोगों का गला घोटने की बात चल रही है।

इसी तरह से वर्क चार्ज के बारे में, केजुअल लेबर के बारे में स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड में तय हुआ था कि किसी भी विभाग में चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रोडवेज हो, पी. डब्लू डी. हो, एग्रीकल्चर विभाग हो, वर्कशाप्स हो, गार्डन हो, वर्क चार्ज का सिस्टम केजुअल लेबर का सिस्टम नहीं रखा जावेगा। जो हैं उनको परमानेन्ट बनाकर एब्जोर्व कर लिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये, इस बात को वैसे ही टाला जा रहा है। आज भी उसी तरह से केजुअल और वर्क चार्ज लेबर सिस्टम चल रहा हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जब सरकार खुद इस तरह से ट्रिपार्टाइट मीटिंग में हुए फैसलों को लागू नहीं करती तो फिर कैसे यहां पर शान्ति रह सकती हैं।

गिरधारीलाल जी ने कहा कि इन्टक इस बात को मानने को तैयार है कि चुनाव हो जावें। मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पेश कदमी से। अगर मजदूरों के संगठन चाहे वह इन्टक हो, चाहे एच. एम. एस हो चाहे ए. आई. टी. यू. सी. हो अपनी रिप्रेजेन्टेशन की समस्या को उसके मसलों को वेलट पेपर के जरिये जिसकी मेजोरिटी हो उसे दे दी जावे मान्यता तो फिर गवर्नमेन्ट को हमें आपस में लड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हम में वर्ग संगठन की भावना पैदा हो रही है और किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस की सरकार ने मजदूर वर्ग को हैरेस किया है इसको वे महसूस करने लगे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं पूछ रहा हूं, आप सवाई माधोपुर गये थे चुनावों से पहले। वहां मजदूरों की भूख हड़ताल चल रही थी। आपने वादा किया था कि बोनस दिलवा दिया जावेगा। फैसला करवा दिया जावेगा। और आपके इस आश्वासन पर भूख हड़ताल तोड़ी थी। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, चुनाव खतम हो गये और उनका वह आश्वासन भी खतम हो गया। आज वहां के मजदूर रो रहे हैं।

एक दो बात और कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये। मुझे समय का खयाल है। 20 मिनिट हो चुके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी समाप्त कर ही रहा हूं अध्यक्ष महोदय कुछ बातें मुझे....

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं, एक ही बात कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच मिनिट और दे दीजिये।

एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं। लोकवाणी का प्रश्न कितनी ही बार यहां उठा है। जिस स्टेज पर उसे उठाया था और आज जिस स्टेज पर आया है अध्यक्ष महोदय यह बहुत सीरियस बात है कि कुछ लोग चैरिटेबल इन्स्टीट्यूट बनाकर उसका पैसा, जनता का पैसा लूटने का षड़यन्त्र करने का अखाड़ा बनाने का और गवर्नमेन्ट द्वारा उसे रोके जाने के बजाय खुद उसको फैसिलिटेट करने का, मदद देने का हथियार बनाया जावे, यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : Is it not a repeatation ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम इस सब की जांच की मांग कर रहे हैं। लोकवाणी जो आज निकल रही है उसका वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। न्यू इन्स्टीट्यूशन को मान्यता क्यों दी गई जब पहले का पैसा आज तक नहीं दिया गया ? मशीनें नीलाम कर दी गईं। मजदूरों की तनख्वाह पहले को क्यों नहीं दी गई ? इन्डस्ट्रियल चार्ज को क्यों नहीं लिया ? आज पहले चार्ज वर्कर्स का होना चाहिये। उनको पैसा मिलना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिये था। ऐसे लोगों को, शास्त्री परिवार को लगातार यहां पर मौका दिया जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से अखबार निकाल रहे हैं जिनके ऊपर मुकद्दमा चलना चाहिये, आज सरकार उनको बैक कर रही है।

तिजारा में, अन्त में, मै निवेदन करूंगा कि, जहां से मन्त्री जी खुद वाकिफ हैं किशनगढ़ कोट कासिम की सड़क बन्द हो गई, वहां से निकलना मुश्किल हो रहा हैं। वैसी ही हालत में पड़ी हुई है और उसे बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको ठीक कराने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण। (अनुपस्थित)

श्री जसराज।

श्री जसराज (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो नहीं मैं तीन दूंगा।

श्री जसराज : भिनाय जहां से मैं आया हूं भाग्य से या दुर्भाग्य से वहां आजतक विरोधी दल जीतता आया है और इस कारण सरकार की उधर पूर्ण उपेक्षावृत्ति बनी हुई हैं। पी. डब्लू. डी. की ओर से, न किसी और विभाग की ओर से, वहां कोई कार्य किया जाता है।

जहां तक सड़क का सवाल है, मैं निवेदन करू कि वहां जो सड़क है उसमें छः छः इन्च के गड्ढे हो गये हैं। इन गड्ढों को भरने के लिये आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। इन सड़कों के ठीक करने की यह हालत है तो नई सड़कों के निर्माण का तो सवाल ही नहीं आता।

माननीय मुख्य मन्त्री जी चुनाव से पूर्व उधर आये थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि आपका क्षेत्र आज तक विरोधी दल को जिताता आया है। तो जब विरोधीदल यहां से जीतते हैं तो आप यहां सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते है कि यहां कुछ कार्य हो। मैं इस ओर आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार एक विशाल हृदय लेकर के चले, उसके लिए विरोधी या सरकारी पक्ष दोनों कोई विशेष स्थान नहीं रखते। सरकार को सारे राजस्थान को सामने रखना चाहिए. उसके लिए सारा राजस्थान उनका क्षेत्र है। सरकार किसी एक क्षेत्र की नहीं है, सरकार सारे राजस्थान की है। अगर एक माननीय मुख्य मंत्री इस प्रकार के शब्द चुनावों से पूर्व कहे....

श्री अध्यक्ष : यह रैफरैन्स जिसका कोई कहीं पता न हो आप न दें।

श्री जसराज : मैं साबित करने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई आपके पास कटिंग होता अखबार का तो कोई बात थी।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अगर फोटो दी जाये तो कैसा रहे ?

श्री अध्यक्ष : फोटो भी अपर्याप्त है। आप पता नहीं कहां से लाये हैं।

श्री जसराज : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पी० डब्ल्यू० डी० विभाग एक सड़क जो कि भिनाय से राताकोट को जाने के लिए बनेगी उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को निवेदन किया था और और जिला परिषद ने भी इसको स्वीकार किया है अगर यह सरकार थोड़ी बहुत रकम उसके लिए रखे तो अच्छा रहेगा। यद्यपि आपके बजट में प्रावधान नहीं है फिर भी अगर कोई व्यवस्था कर सकें तो मैं विश्वास करके चल सकता हूं कि सरकार का उस क्षेत्र के प्रति कुछ न कुछ दायित्व है और सरकार की वफादारी है अन्यथा यही मानकर चलेंगे कि सरकार उस क्षेत्र को उपेक्षित करके चलना चाहती है।

राज्य सरकार की जो श्रम की नीति है शिक्षित और अशिक्षित दोनों के प्रति उपेक्षित रही है। सरकार ने यही प्रयास किया है कि जो श्रमिक हैं वह चाहे कितना भी चिल्ला लें, उनके नेता चाहे कितना ही चिल्ला लें लेकिन एक ही दृष्टिकोण सरकार का रहता है और वह है पक्षपात और यह यह इसलिए है कि वह आपको चुनावों के लिए पैसा देते हैं। जो कम्पनी लों हैं उसमें है कि वह आपको चन्दा भी दे सकते हैं और इसी दृष्टिकोण से यह सरकार चलती है। आज सरकार चन्दे से चलती है, सेठों का पैसा खाती है और उसको बचाने के लिए प्रयास भी करती है। श्रमिकों की ओर कभी सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं आपको महा लक्ष्मी मिल का उदाहरण बताऊं। इसके लिए पहले हाफ-एन-आवर डिस्कशन भी था और उसमें भी निवेदन किया था कि वहां के लोगों का बोनस नहीं दिया गया है, न पिछली बकाया तनख्वाह ही दी गयी है और मैं इसलिए भी निववेदन करना चाहूंगा कि श्रम मंत्री स्वयं एक श्रमिक नेता रहे हैं क्या मैं उनसे आशा करूं कि वह श्रमिकों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखायेंगे और महालक्ष्मी मिल के जितने भी मजदूर हैं उनकी कठिनाइयों को हल करने का का प्रयास करेंगे। आपकी जो व्यवस्था मजदूरों को दवाई आदि देने की है वह भी चालू नहीं है तो क्या सरकार उस ओर भी कुछ करने का प्रयास करेगी ? मैं आपसे और निवेदन करूं कि आज 20 साल हो गए हमारी शिक्षा का ढांचा ही ऐसा है कि हमने कभी इस ढांचे को बदलने का या उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। जो शिक्षित वर्ग निकलता है आप उनकी एम्पलायमेंट की परवाह नहीं करते। राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमने एक ही दृष्टिकोण रखा और हम बेरोजगारी को कम करने का प्रयत्न नहीं कर सके। जो सरकार रोजगार नहीं दे सके, रोजी नहीं दे सके। रोटी नहीं दे सके कपड़ा नहीं दे सके वह कैसी सरकार है, आप स्वय सोचें, आपको स्वयं को इसका फैसला करना है। रोजी के दृष्टिकोण से आपके एम्पलायमेन्ट के आंकड़े देखिये कितने लोगों को आपने एम्पलायमेन्ट दिया ? मैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री जसराज)

दृष्टिकोण से भी निवेदन करना चाहूंगा। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने एम्पलाईज हैं उनके अधिकारों पर आपने कुठाराघात किया है। जिस समय शुरू में बाबा अम्बेडकर और गांधीजी के बीच में पैक्ट हुआ था उस समय से लेकर आज तक उसी परिपाटी से आप चलते आ रहे हैं। किसी एक डिपार्टमेन्ट में 5 वेकेन्सीज हैं। अगर आपको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई सूटेबल केन्डीडेट अवेलेबल नहीं होता है तो आप दूसरे लोगों को रख लेते हैं लेकिन नियम यह कहता है, सिद्धान्त यह कहता है कि अगली साल वह टेम्पोरेरी अपाइन्टमेन्ट कन्सीडर किया जायेगा और उन्हीं 5 पोस्टों के लिए पुनः वेकेन्सीज निकाली जायेंगी। लेकिन सरकार ने आज तक इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया आज। सरकार स्वयं नहीं जानती कि किन किन विभागों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा हुआ है और किन किन विभागों में नहीं हुआ। मैंने इसी आशय का एक प्रश्न भी किया था लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब आज तक नहीं दे पाये हैं। इसके अलावा आपका डाइरेक्टर सोशियल वैलफेयर है उसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि आज 21 साल हो गए हैं लेकिन वहां भी अभी तक आपका ही आदमी बैठा हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि उनके द्वारा हम लोगों की भलाई होगी? आज हम अपने अधिकार मांगते हैं। वहां पर हमारे अधिकार सुरक्षित रहने चाहिये, और डाइरेक्टर सोशियल वैलफेयर हमारा आदमी होना चाहिए। आपके डाइरेक्टोरेट में सिर्फ एक सोशियल वैलफेयर आफिसर को छोड़कर कोई दूसरा सोशियल वैलफेयर शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं है। इसके अलावा आपकी सारी पलटन है। उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा। आपके सोशियल वैलफेयर आफिस में ही नहीं खादी विभाग में भी, जो कि हमारा विभाग है गरीब आदमियों का विभाग है जिसमें हमें एम्पलायमेंट मिलना चाहिए—उसमें आप हम लोगों को एम्पलायमेंट नहीं दे सके। आज यूनीवर्सिटी के अन्दर हमारा परसेन्टेज नहीं है, जहां जिन संस्थाओं में पैसा सरकार का जाता है वहां पर परसेन्टेज पूरा नहीं होता। मैं श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर थोड़ा सा ख्याल करें कि आप जिनके वोटों पर यहां जीत कर आ रहे हैं जिनके वोटों से यह सरकार बनी है उनके प्रति आप वफादार नहीं हैं तो आगे के चुनावों में आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि हम आपको मत दें या नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी गम्भीरता को सोचें। जहां शिक्षित वर्ग हैं उनके एम्पलायमेन्ट के लिए सोचना पड़ेगा। आपकी शिक्षा प्रणाली है वह सही नहीं है। मैं थोड़ा विषय से बाहर हूं....

श्री अध्यक्ष : विषय के बाहर नहीं जाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जसराज : जापान में 5 वीं क्लास का बच्चा स्टोव बनाता है, छठी क्लास का बच्चा थर्मस बनाता है और 8 वीं क्लास का बच्चा रेडियो असेम्बिल करता है और

(श्री जसराज)

यहां हमारी शिक्षा में कागज के फूल बनाते हैं, मिट्टी के ढेले बनाते हैं। उससे देश का निर्माण नहीं होगा।

-(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए यह एम्पलायमेन्ट समस्या सर बाये खड़ी है हमारी शिक्षा की प्रणाली गलत है और उसमें परिवर्तन होना चाहिये। इस अनएम्पलायमेंट की जड़ शिक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करेंगे तब तो इस समस्या का हल होगा अन्यथा इस समस्या का हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय चूंकि कम रहा है और इस पर बहुत कुछ बहस हो चुकी है इस प्रश्न पर इसलिए मैं माननीय पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वह रिप्लाई दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सा. निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग के ऊपर आज 128 कटौती प्रस्ताव आये और 14 माननीय सदस्य बोले। यह 128 जो कटौती प्रस्ताव आये हैं यह मेरे ख्याल में इस हाउस में सबसे ज्यादा एक ही मांग पर कटौती प्रस्ताव है और इसके यह माने हैं कि यह पी. डब्लू. डी. का महकमा कोई ऐसी अहमियत रखता है या ऐसी जरूरत रखता है या ऐसी इसमें कोई चिन्ता वाली बात है जिसमें कि इतने हमारे माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, सदन दिलचस्पी रखता है और मुझे उम्मीद है और मैं भी यह बात लेकर अपने साथ चलता हूं कि अगर सदन की यह दिलचस्पी पी. डब्लू. डी. विभाग में इसी तरह से रहे, अगर आपके सुझाव और कीमती सुझाव, आपका साथ, आपकी हिम्मत दिलाना मेरे साथ रहे तो मुझे यकीन है कि वह शक्ल जो आज सड़कों की राजस्थान मे है वह कतई बदलेगी, उसको बदलना चाहिए। आज हमको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि महज यह समझकर खुश नहीं हो सकते कि हमारे पास 18 हजार मील की सड़क है हमको यह देखना पड़ेगा, यह अठारह हजार मील सड़क है, यह सड़कों के नाम के साथ कायम रह सकें, इनको कायम रखा जा सके और आगे बढ़ने से पहले यह देखा जाय कि परपज इनसे सर्व होता है तो कितना होता है हमारी जरूरतें जो हैं वह किस प्रकार पूरी इन सड़कों से होती हैं और इनका ज्यादा कायम रहना किन बातों पर निर्भर है। तो जब कि इतने सुझाव आये हैं और इतनी बातें आई हैं, उन पर एक एक मिनट बाद में कहूंगा, तो मेरे ख्याल में मैं माननीय सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जवाब देना शुरू कर दूं तो जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने बताये हैं, उन मुद्दों को तमाम को मैं कवर कर लूंगा, जो कि आप जानते हैं 128 कटौती प्रस्तावों में मौजूद है। सबसे पहले भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा अपने इलाके के मुतल्लिक और उन्होंने यह जस्टिफाई करना चाहा कि उनका ही डिस्ट्रिक्ट मांगता है ज्यादा सड़क ज्यादा रुपया उनको बनाने के वगैरह वगैरह और इस प्रकार ब्यूटीफाइंग आफ भरतपुर का उन्होंने जिक्र किया। इस वक्त हमें जरूरत है वह यह देखने की है कि किसी तरीके पर राजस्थान के अन्दर ब्यूटीफाइंग को न देखते हुए हम ऐसा उसूल

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

बनायें, ऐसा प्रोग्राम बनायें, हर जिला हर जगह जहां सड़क कायम हों, उसका हिस्सा जो है उसके मुताबिक जो है वह पैसा . वहां सड़क रखने के लिये जरूरी है वह मिल सके। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, ब्यूटीफाइंग आफ राजस्थान का सवाल न होकर जो इस वक्त हमारे सामने सवाल है कि हम किस तरह सड़क कायम रख सकें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल-आप हंसे नहीं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद-इसके अलावा अगर ब्यूटीफाइंग कर लें तो इसके यह मायने होते है गोया यह आगे भी बनाना पड़ेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे ....

श्री विजयसिंह रावत-ऐसा करना पड़ेगा आपको।

श्री अमीनुद्दीन अहमद-माननीय सदस्य ने एक चीज और फरमाई जिसका ताल्लुक अफसरान की शिकायत से है, अफसरान की तनख्वाह से है। अफसरान के मुतल्लिक मैं कहना चाहूंगा कि जब तक अफसर के खिलाफ कोई खास शिकायत नहीं हो हमें आम तौर पर उनकी तनख्वाह और तरक्की पर इस लिहाज से कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि जितने काबिल आदमी को काम करने के लिए लायेंगे जितना काम लेना चाहेंगे उतनी रकम अदा करनी पड़ेगी वरना वह छोटी रकम में बड़ा काम अन्जाम नहीं कर सकता है........

श्री जयनारायण सालोदिया-बजा फरमाते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद-यह सारी बात करने के बाद जो तीन सुझाव मुझको दिये माननीय सदस्य ने उसकी पूरी कद्र करता हूं। उसमें पहला सुझाव आपका यह है कि इससे पहले कि हम कोई नया काम लें, हम अपनी सड़कों को कायम रखें। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरा भी यह प्रोग्राम है कि पहले हम अपनी सड़कों को कायम रखें और फिर आगे कोई नया काम चालू करें।

दूसरा सुझाव आपने दिया है, वह भी मुनसिब काबिले ख्याल है। आपने कहा कि जिस खेत के अन्दर से सड़क जाती है और उसमें नल डालने में ज्यादा तकलीफ होती है और जमींदार को दिक्कत उठानी पड़ती है और महकमाना कार्यवाही में दिक्कत होती है, मैं देखूंगा कि इस तरफ कोई तवज्जुह दी जाय जिससे काश्तकार को दिक्कत उठानी न पड़े।

तीसरा सुझाव आपने पुल का दिया। अब पुल का ऐसा सवाल है जिसका मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, कि पुल किस तरह बनावें। अभी सवाल यह है कि हम सड़क किस तरह कायम रख सकें। लेकिन घबराने की बात नहीं, पुल की बात आने वाली है.....

श्री जयनारायण सालोदिया-घबरा नहीं रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास—कैसे आने वाली है ?

एक माननीय सदस्य—सड़क में हमें भी याद रखें ।

श्री अमोनुद्दीन अहमद —आहिस्ता आहिस्ता आयेगी ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तकरीर की वह एक बहुत अहम् तकरीर है । उसका ताल्लुक प्रोजेक्ट रोड्स से है और मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं, एक नागरिक के नाते, और उस नाते जिसका ताल्लुक फौज से हैं और तीसरे उस नाते जिसका ताल्लुक जिम्मेदारी से है, आज हम उसको उस ध्यान से, उस एंगल से नहीं देखते हैं जिस एंगल के साथ उन्होंने तकरीर की जिसका ताल्लुक हमारे डिफेंस से है, जिसका ताल्लुक पूरी कौम से हैं, जिसके अन्दर आजादी की सारी भावना निर्भर है । हम नहीं भूल सकते, जो वाकयात चाइनीज अग्रेशन के ऊपर बोर्डर पर गुजरे, पाकिस्तान अग्रेशन में गुजरे । हम हमारे जुर्म को कबूल कर तसव्वर करेंगे । मैं इस चीज को उस नजर से देखता हूं । तो यह सुन कर मुझे बेहद दुःख होता है उसके मुतल्लिक कहा जाय, उसके मुतल्लिक सही तरीके से काम नहीं हुआ । मुझे अभी जाने का मौका नहीं मिला है । जल्दी से जल्दी मैं उधर जा रहा हूं क्योंकि मेरा सबसे पहला फर्ज उसे देखना है, जांच पड़ताल करना है उस नाते से देखना है जो फौजी और नागरिक के नाते होना चाहिए और फौजी नीति भी उसमें शामिल है । तो मैं यह कहूंगा कि इस किस्म की कोई चीज पेश आई जिसमें कि उससे बेजा फायदा उठाया गया हो, गलत काम हुआ हो, पूरा काम नहीं हुआ, ठीक से काम नहीं हुआ हो तो मैं सदन को यकीन दिलाता हूं कि मैं उस चीज को बहुत बड़ा जुर्म समझूंगा, राजस्थान के लिए जुर्म समझूंगा, देश के लिए जुर्म समझूंगा....

एक माननीय सदस्य—करेंगे क्या ?

श्री अमोनुद्दीन अहमद: अब इसके आगे चल कर आप सवाल करते हैं- करेंगे क्या ? करना क्या है ? करना वही है जो आपको आपका फर्ज बताता है कि आपको करना है । वह नहीं करना है जिसको फर्ज नहीं बताता है । आप दीजिये मुझे एलीगेशन, आप दीजिये मुझे सबूत, आप लाकर दीजिये मुझको कोई ऐसा नमूना जिससे मैं मुजरिम को आगे ला सकूं और जुर्म की सजा दिलवा सकूं । आप मुझको सहयोग दीजिये । आप मुझे लेकर चलें, सुबह लेकर चलें, शाम को लेकर चलें, रात को लेकर चलें चलिये किसी वक्त चलिये बताइये, फिर अगर यकीन न हो....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कन्धे पर लेकर चलिये ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं आपको लेकर चलूंगा । आप मुझसे कहिये, मैं लेकर चलूगा, जिस जगह कहेंगे उस जगह पहुंचूंगा और अगर हम इस चीज को महज मजाक समझें और खिलवाड़ समझें तो गलत है....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वाले समझते हैं ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसा कभी नहीं होगा । मैं यह आपको यकीन दिलाता हूं, जो काम बोर्डर रोड पर हुआ उसकी जानकारी किसी दर्जे तक मुझे है । पूरे दर्जे में हांसिल करना चाहता हूं और यह भी कोशिश करना चाहता हूं कि अगर हमारे प्राजेक्ट के अन्दर, प्रोग्राम के अन्दर कोई ढील आ रही है या ज्यादा उससे हमें फायदा पहुंच सकता है....

(6 म. प.)

हम और ज्यादा मिनिस्ट्री ओफ ट्रान्सपोर्ट से हांसिल कर सकते हैं तो हम उस नाम के साथ पूरा फायदा उठावें और हम न सिर्फ उनके प्रोग्राम पर चलें, अपने प्रोग्राम दें और अपनी जरूरत बतावें कि किस तरह यह ज्यादा हो जिससे डिफेंस में फायदा हो ।

मैंने करप्शन के बारे में अर्ज कर दिया है । अब मैं यह कहूंगा कि जैसा कहा कि पर्चेजिंग में बेजा कार्यवाही हुई । खरीदारियों में जो कार्यवाही हुई उसका मैं जवाब दूं कि वे सही हुई या सही नहीं हुई तो मेरा ऐसा खयाल है कि उस वक्त ऐसी जरूरत थी जहां–जहां सड़कें मौजूद नहीं थीं तो वहां पर जीपों की जरूरत थी और जीपों को देना जरूरी था इसलिये जितनी पर्चेजेज हुई हैं वे इसी तरह से हुई है जो गलत तरीके से नहीं हुई हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आप को जानकारी....

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न है कि भारत सरकार ने मशीनरी पर्चेज के लिये रुपये दिये उसमें जीप भी आती है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं आपको इसके मुतल्लिक लॉ डिपार्टमेंट से जानकारी करके जवाब दे दूंगा ।

श्री विजयसिंह रावत : इंजीनियर होने के नाते मैं यह कहता हूं कि जीप इम्प्लीमैन्टस में नहीं आती ।

श्री मदनसिंह दांता : लॉ–डिपार्टमेंट लोहारू में तो नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पहले हुआ करता था ।

तो इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि हर माननीय सदस्य ने और खास कर हमारे भैरोंसिहजी जब भी फरमावें उसके मुतल्लिक मुझे खुशी से कह सकते हैं और मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी मदद आ रही है और भी माननीय सदस्य प्रोजेक्ट के मामले में और करप्शन के मामलों में कोई चीज सुझाव के तौर पर लावेंगे उसका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा । जब तक कोई चीज सामने नहीं आवे क्या कर सकते हैं ? कितने मुकदमें चलें, कितने बरी हुए यह मैं कैसे कह सकता हूं । मैं यह निवेदन करूंगा कि महरबानी से मदद करें इसके अन्दर एलिगेशन वगैरा में...

श्री भैरोंसिंह : एलिगेशन लगाने में ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं बहुत ही

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

गुड इन्टेन्शन से बोल रहा हूं । सवाल इतना ही है कि मशीनरी में एक जीप भी आती है या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो पी. डब्ल्यू. डी. के रूल्स हैं मशीनरी देने के उससे ठेकेदारों को आपके मारफत पर्चेजेज करने से सैल्स टैक्स आदि का कितना फायदा हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : फायदा तो मैं नहीं बता सकता। मगर दो मालूमात मैं आपको बता दूंगा जानकारी करके।

श्री भैरोंसिंह : इस समय आप जवाब नहीं दे सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा कट मोशन 10 दिन पहले से आपके पास पहुंच गया और मैंने पंटीक्यूलर पाइन्ट पर अपना कटमोशन दिया था। आज माननीय मन्त्री यह भी नहीं बता सकते कि कितनी जीपें खरीदी गई और जिनको हमनें किराये पर दिया। किराये पर देने का रूल है उनकी जगह हमने उनको बेच दियां उसके लिये आप नहीं कहते। ऐसा लगता है कि आप के पास इन्फॉरमेशन तो है मगर मथुरादासजी माथुर को....

श्री अध्यक्ष : मांग के स्वीकार होने तक आपकी अनुमति से सदन का समय बढाया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहुंगा कि जीप मशीनरी में आती है।

एक माननीय सदस्य : एक जीप इनके पास भेज दी जावे।

श्री अध्यक्ष : यह रिलेवेन्ट प्रश्न नहीं है आप प्रारम्भ रखिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य को नोबल प्राइज के लिये रेकर्ड करना चाहियें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री भैरोंसिंह : इसका जवाब है क्या ? यह बहुत इम्पोर्टेन्ट इश्यू है। मैं समझता हूं कि सारा सदन इसकी जानकारी में इन्ट्रेस्टेड होगा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके लिये मैं तैयार होकर नहीं आया। मुझे भी 128 कट मोशन 8-30 बजे रात को मिले हैं और तमाम रात पढ़ते पढ़ते हो गया। पढ़ूं या इन्क्वायरी करूं।

श्री अध्यक्ष : आपके डिपार्टमेंट की तरफ से देरी हुई है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो राजस्थान विधान सभा के सैक्रेटेरियेट से देरी हुई हो ऐसा दिखायां है कि आपके पास 8-30 बजे असेम्बली से पहुँचा है। मगर ऐसी बात नहीं हैं। आपके पास यहां से समय पर पहुँच गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि जीप सही तौर से मशीनरी में आती है या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो सदन को जानकारी देने का प्रश्न है। आपको बताने का प्रश्न नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please ! मैं आपके प्रश्न का जवाब, मन्त्री महोदय पूरा जवाब नहीं दे दें, तब तक के लिये रिजर्व रखता हूं। आप जारी रखिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सांचोर से जाने वाले माननीय सदस्य ने सड़कों की खराब हालत के बारे में कहा और कहा कि ऐसी बहुत सी सड़के हैं उनके इलाके में जो 8 : 8 और 10-10 मील के हिस्से हैं जिनके नहीं मिलने के कारण सारी सड़कें बेकार हो जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना उचित समझता हूं कि मेरा प्रोग्राम में यह भी चीज है कि हम कोई नये कन्सट्रक्शन भले ही नहीं करें, लेकिन यह ध्यान रखा है कि जो छोटी छोटी सड़कों के टुकड़ें हैं, जो सड़कों को अलग रखते हैं चाहे और बचत या मेन्टीनेन्स से हो, उनकी तो जल्दी से जल्दी मरम्मत कराकर उनको उनसे मिलाने की कोशिश अपनी तरफ से की जावेगी। और खास कर सांचोर इलाके के अन्दर कि यह बुरा समझा जाता है कि जबकि इसका सम्बन्ध प्रोजेक्ट रोड़ से है मुझे उम्मीद है कि थोड़ा पैसा मिल गया तो जल्दी हो जावेगा। और हमारा भी यही काम है कि इस प्रकार की रोड्स को जल्दी से जल्दी मिलाने के लिए अपने प्रोग्राम में प्रबन्ध करें।

दूसरी तजवीज जो माननीय सदस्यों ने दी वह यह है कि मन्त्री को उस तरफ अवश्य जाना चाहिये और सड़कों को देखना चाहिये तो मैं कहता हूं कि वहां खूब आना जाना रहेगा, सड़कों का देखना रहेगा और उन जैसे मेजबान मिलेंगे तो, फिर तो जाने में दिक्कत ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अठारह हजार मील की सडकें हैं मन्त्री महोदय !

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोई बात नहीं, यह सब हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय इन सड़कों की लम्बाई आप बता रहे हैं वह तो सही है न ?

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड पर तो सही है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : श्री देवीलाल जी ने फरमाया कि हमारी प्लान्स बनती हैं और प्लान्स पर कोई अमल नहीं होता, फर्स्ट सकिन्ड और थर्ड प्लान हो चुकी और फोर्थ प्लान जारी है पर काम नहीं चलते। इसमें दिक्कतदारी यह है कि प्लान बनते हैं, मजूरियां होती हैं पर अमल होने लगता है मंजूरियां कट जाती हैं और इसलिये प्लान कट जाती है, किस्मत वालों की पूरी हो जाती है और दूसरी जगह रह जाते हैं।

(हंसी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : कट कैसे जाती हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं हिसाब लगा रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

(हंसी)

माननीय सदस्यों ने सड़कों की शिकायत की वहां यह भी कहा कि तहसील हैंड

(श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद)

क्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स से कनेक्ट करने वाली सड़कें नहीं। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिवीजनल हैड क्वार्टर्स, तहसील हैड क्वार्टर्स को जिले से मिलाया जा सके। यह पूरी कोशिश करेंगे।

श्री रोशनलाल : चौथे प्लान में ग्राज हम जा रहे हैं। सेकिन्ड प्लान में सरकार का निर्णय था कि तहसीलों ग्रौर सब डिविजनल हैड क्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स से मिला देंगे। तो जल्दी से जल्दी का मतलब 5 वीं प्लान से तो नहीं है ?

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय नोट कर लें ग्रापके भाषण के बाद उत्तर दे दें।

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों को रकम दी जाती है तो बेकार होती है, थोड़ी होती है, पर जितना पी डब्लू. डी के पास मिलता है वही तो दी जाती है। उन्होंने तजवीज की कि सड़कों का नाम रखा जाय, बिल्डिंग्स के लिये काम में लिया जाय तो 3।। लाख काफी होता है। बिल्डिंग्स में लगाया जाय, मैं उनकी राय से इत्तिफाक करता हूं बशर्ते कि पंचायत समितियां राजी हो जाय।

इकलेरा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्रपने जिले के मुतल्लिक कहा लेकिन उस जिले में जहां तक मैंने पिछले दिनों में देखा ग्रौर मैं 18 वर्ष से इस इलाके को देख रहा हूं। ऐसा पुल वहां बन गया जो ग्रौर जिलों में नहीं बना है, तो वह ग्रच्छी बात है। कनेक्शन इस तरह हो पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे फरायज इकलेरा के लिये ग्रौर दूसरे कस्बों के लिये क्या हैं। मैं यकिन दिलाता हूं कि उनके जिले की रकम ग्राती है उसी तरह ग्राती रहेगी, उनकी राय ली जायगी ग्रौर उनकी राय पर ग्रमल करने की कोशिश करेंगे।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : बोर्डर रोड्स को प्राथमिकता दी जायगी, रावतसर, हनुमान गढ़ की सड़क 3 महीने पड़ी रहती है........

श्री ग्रध्यक्ष : बोर्डर रोड पर बहुत कुछ कहा है, ग्राप स्थान ग्रहण करें।

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : दूदू से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि एग्रीकल्चर कम्पैंन्सेशन काश्तकारों को नहीं मिलने की शिकायत की, यह बड़ा तकलीफ देह सवाल है। इसके लिये एक ग्राफीसर खास तरीके से रखा गया है जो जल्दी से जल्दी जो जो लेंड एक्वायर की गई है उसका कम्पन्सेशन दिलाने की कार्यवाही करें, पुराने मामले पड़े हुए हैं उनमें एक्वायर करने के बाद रकम नहीं मिली है, कम्पैंन्सेशन नहीं मिला है वे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ग्राफ हो सकें।

इसी तरह की चन्द एक ग्रौर तजवीजें थीं जिनमें पुलों के बनाये जाने के मुतल्लिक गढ़ी से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ब्रिज न होने से कितनी तकलीफ होती है। मैं निवेदन करूंगा कि ब्रिजेज के मुतल्लिक जरूरी है कि कोई न कोई ऐसा फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

जो ऐसी चीज हो कि जो दरिया राजस्थान के किसी हिस्से को राजस्थान के किसी भी हिस्से से इस तरह तकसीम कर दे कि वहां आने जाने की दिक्कत महीनों रहे, या राजस्थान या पास वाले सूबों में इस तरह की सूरत है तो किस तरह उन दरियाओं पर ब्रिजेज बनाये जा सकें।

उन्होंने पी. डब्लू. डी. के ऐम्पलोइज के मुतल्लिक कहा कि कितने करप्ट हैं? उसके मुतल्लिक कहा कि वहां के इन्जीनियर, ओवरसीयर्स जो फेमिन रोड्स बनाते हैं, हालां कि इसका ताल्लुक फेमिन रिलीफ से है पर पी. डब्लू. डी. से भी इसका काम करवाने के लिहाज से ताल्लुक है इसलिये. मैं अर्ज करता हूं कि किसी तरीके से करप्ट है तो शिकायत भेजें। शिकायत पर जरूरत हो तो सबूत दें ताकि उनको सजा दिला सकें। हमको देनी हो तो हम दे सकें। हमसे ज्यादा सजा का मुश्तहक हो तो वह सजा अदालत से दिला सकें।

श्री पी. के. चौधरी ने कहा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम माइलेज सड़कों का है। यह देखने लायक चीज है। पर यह देखने में जल्दी इसलिए आ जायगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के स्टेटेस्टिक्स मैंने मांगे हैं कि कहां कहां क्या क्या रोड्स का माइलेज है ? फर्स्ट प्लान में, सेकिन्ड में और थर्ड प्लान में कितना कितना रुपया कहां कहां लगा है ? ताकि हमारे ध्यान में यह चीजें रह सकें कि किस इलाकों को कम से कम फायदा मिला है।

बाकी जो शिकायतें आई हैं, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ से नेशनल हाई वे के जिग्जेग होने के मुतल्लिक शिकायत आई। हम देखेंगे कि किस तरह वह सीधा हो सके क्योंकि नेशनल हाई वे के लिए जरूरी है कि सीधा होने पर हमारी तमाम प्लान का पूरा करना सेन्टर से पैसा आने पर ताल्लुक रखता है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोट कासिम, किशनगढ़ की सड़क का कहा, मैं उनका आभारी हूं क्योंकि यह मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी से भी ताल्लुक रखती है। अगर ऐसी कोशिश की जाती रहे तो आसानी रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे क्षेत्र से पहले इसे बना दें।

श्री अध्यक्ष : दोनों साझेवार हो जायेंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सड़कों के गड्ढों का कहा। मैं बताना चाहता हूं कि पहली चीज आते ही की, यह हुक्म दिया कि जितनी रोड्स हैं, मैं सफर करता हुआ जाऊं तो उनके बीच में कहीं गड्डा नहीं आये। कहीं गड्ढा नजर आ गया तो इन्जीनियर को जैसलमेर भेज दिया जायगा।

अगर आपके पास ऐसी शिकायत हो तो आप फरमा दें····

श्री अध्यक्ष : हमें खबर मिली है कि गड्ढे रफा हो गए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने गड्ढों को रफा करने का हुक्म दिया है ?

श्री अमीनुद्दीन मैंने हुक्म बहुत दिन पहले दिया है, अब रिपोर्ट मंगा रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह ; आप वहां गए है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: अब असैम्बली छुट्टी मिलेगी तो जाऊंगा। नहीं तो हफ्ते में तीन बार सुबह को 15-15 सवाल और मागें उसके अलावा 128 कटौती प्रस्ताव।

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आप इन गड्ढों को बन्द करने में मन्त्री मन्डल के सदस्यों का उपयोग करेंगे ?

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : यह गड्ढा तो हार्न बजाने से ही हट जाये ऐसी युक्ति लगाई जाय....

श्री अध्यक्ष : विचार किया जाय....

श्री अमीनुद्दीन अहमद: अब मैंने काफी वक्त ले लिया है और आखिर में समाप्त करते हुए यह अर्ज करूंगा कि जैसे मैंने कहा हमारी पालिसी इस साल कम से कम यह देखने की होगी कि हम बजाय नये काम शुरू करने के, नये कामों को रखते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी सड़कें हैं, उनका माइलेज बेसिस पर मैंन्टीनेन्स करें ए, बी और सी तरीके पर हर जिले में माइलेज बेसिस पर उसकी मेन्टीनेंस की रकम स्वीकृत करें ताकि किसी की शिकायत न हो कि हमारे इलाके में काम नहीं हुआ और वह मेन्टीनेंस की रकम के लिए देखा जायगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ वह रकम लगाई जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री ने इस सिद्धांत को मान लिया है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: उन्होंने अख्त्यारात दे रखे हैं। यह बात है कि मेन्टीनेंस के अन्दर महगाई इतनी हो गई है कि कायदे कानून इतने हो गए हैं कि जो रकम हमारे पास मौजूद है मेन्टीनेन्स के नाम से वह पौने दो करोड़ है उसके अन्दर दो तिहाई रकम गैंग्स में चली जाती है और हमारे पास एक तिहाई रकम रहती है। 18 हजार मील को मेंटेन करने के लिए, यह एक बड़ी समस्या है और जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा गैंग्स वालों के संबंध में, उसके लिए मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं मैं भी सफर करता हूं तो कहीं गैंगसमेन नजर नहीं आते हैं। यह सही है। इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह हमारी मेन्टीनेन्स की रकम से ज्यादा फायदा लिया जाय तो नए वर्क्स हम नहीं ले रहे हैं। नए वर्क्स के अन्दर कोशिश करेंगे कि दो-दो या डेढ़-डेढ़ के फासले पर शहर से हैं या मिसिंग लिंक हो तो उनको लिंक करके सड़कों को कायम करेंगे।

पुलों के संबंध में कहा गया। मैंने कहा है कि हम ऐसे दरियाओं पर पुल बनायें ताकि राजस्थान का कोई हैड क्वाटर अलग नहीं रह सके, राज्य का एक इलाका दूसरे राज्य के इलाके से अलग न रहे क्योंकि उसमें तिजारत के आनेजाने में दिक्कत आती

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

है, बड़ा नुकसान होता है, तो इसके लिए मैं तजवीज तैयार करके मन्त्री मंडल में रखूंगा कि ऐसे दरियाओं पर पुल जरूर बनने चाहिए, चाहे हमको एल. आई. सी. से भी कर्जा लेना पड़े और टोल वसूल करके कर्ज की अदायगी में लगाना चाहिए। यह काम सदन की मन्जूरी, कैबीनेट की मन्जूरी और आप लोगों की मदद से हो सकता है वरना नहीं हो सकता। जो कुछ पी. डब्ल्यू. डी. से मुताल्लिक था, मैंने कह दिया। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरह ये सड़कें आज इस हालत में आ जायं कि हिस्सेवार रुपया लगा सके, कल इस पर जोर दिया जाय, रकम नाकाफी है इनको मेंटेन करने के लिए और यही चाल रही तो 10–15 सालों में भी रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। 4 साल में ये सड़कें खतम हो जायंगी और फिर न कभी इस जाल को बना सकेंगे। इसलिए हर व्यक्ति कोशिश करे। 1500 पर मील मेन्टीनेन्स के लिए सरकार को मिल रहा है, तीन या चार हजार माइल के हिसाब से अगले साल रकम मन्जूर हो तब सड़कों का काम कर सकेंगे तब 4–5 वर्षों के अन्दर रिप्लेस होकर ठीक हो सकेंगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री महोदय ने कहा कि 128 कटौती प्रस्ताव आए हैं। जिन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला है उनको उत्तर आना चाहिए अलग अलग।

श्री अध्यक्ष : मिल जायेंगे।

श्री रघुनाथ बिशनोई : मैंने एक प्रोजेक्ट रोड के बारे में कहा कि अर्थवर्क तीन फीट के हिसाब से होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। बरसात में सारी सड़कें टूट जायेंगी, मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : उत्तर लिखित में मिल जायगा।

श्री रघुनाथ बिशनोई : यह तो सवाल मैंने यहां उठाया है, मंत्री महोदय का कोई जवाब नहीं आया। मैंने शिकायतें भी की थीं कन्सट्रक्शन के बारे में।

श्री रोशनलाल : मैंने निवेदन किया कि तहसील और एस. डी. ओ के हैड क्वाटर्स को जोड़ने के लिए दूसरी योजना में सरकार का यह लक्ष्य था किंतु चौथी योजना शुरू हो गई है और अभी भी आपने कहा शीघ्रातिशीघ्र। इसका समय निश्चित होना चाहिए कि तहसील हैड क्वाटर्स और एस. डी. ओ. के हैड क्वाटर्स को जिले से कब तक जोड़ दिया जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं कह चुका कि हूं जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है। मैं समय दे दूं और पूरा काम नहीं हो सके....

श्री अध्यक्ष : यह काफी है।

श्री रोशनलाल : तो मान लिया जायं कि पांचवी योजना के अन्दर....

श्री भैरोंसिंह : जब श्री रोशनलाल और मत्री का दिल मिल जायगा तब ये सड़कें भी मिल जायगी ।

श्री रोशनलाल : पहली योजना के अन्दर जो सड़कें बना रहे थे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उसके बाद उन सड़कों को इस साल के बजट से निकाल दिया है, पैसा कम है तो मत बनाइए लेकिन बजट में तो रखो जैसे उदयपुर से सालूम्बर है....

श्री शिवचरणसिंह : दूसरी योजना में मेरे क्षेत्र में दो सड़कें बनीं उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: मेरे जो विचार थे बता दिए फिर भी लिखित में पेश कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल ठीक है ।

श्री भैरोंसिंह : मैने स्पैसीफिक कट मोशन दिया था और इस आशय से दिया था कि जिस समय इस मांग पर बहस होगी, मंत्री महोदय कटौती प्रस्ताव में आने वाली बातों के लिए तैयार होकर आयेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि कटौती प्रस्तावों के सबंध में जितने भी मसले उठाए गए हैं, किसी एक मसले का भी मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया और उत्तर देने की स्थिति में वह हैं या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना मेरा निश्चित मत है कि जैसी उन्होंने अपनी भावनायें प्रकट की हैं, मिलिटरी में रहते हुए डिफेंस में जिस प्रकार का इन्टरेस्ट बताया है उन दोनों बातों को देखते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं मुझे विश्वास कम होता है। इसलिए मंत्री महोदय सब कुछ कहने के बाद भी उन सड़कों के सबंध में जो मशीनरी खरीदी गई उसके बारे में बिल्कुल मौन रहे और मौन रहने के पीछे केवल एक कारण यह है कि उस सारी खरीदी के अन्दर भयंकर रूप से गड़बड़ी हुई है। उक्त सारे कारणों के अन्दर भारत सरकार ने जो सुरक्षा के लिए पैसा दिया उसके अन्दर निश्चित रूप से दुरुपयोग हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय भी जानते हैं, सरकारी अधिकारी भी जानते हैं लेकिन इस विधान सभा में सूचना न देकर उस चीज की लीपा पोती करना चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सभव नहीं है कि आप यह कह दें कि आपको कतई भी पता नहीं है मशीनरी में जीपें शामिल होती हैं या नहीं। मुझे भी कहने का उतना ही हक है कि 1500) महीने की आपको तनख्वाह दी जाय वह किस बात की दी जाय आपको इतना ही पता नहीं कि मशीनरी में जीपें आती हैं या नहीं। आपको पता नहीं है मशीनरी खरीदो गई सेलसटैक्स कान्ट्रैक्टर्स से लिया या नहीं? आप यह भी नहीं कह सकते कि जिन कान्ट्रैक्टर्स को मशीनरी दी गई, वह पी. डबल्यू. डी. के जो रूल्स बने हैं उनका वायोलेशन करके दी गई? आपको यह पता नहीं तो फिर आप यहां किस लिये बैठे हैं? आप किस मर्ज की दवा हैं?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। प्रश्न का उत्तर देने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : वह उत्तर नहीं देते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : किस मर्ज की की दवा हैं यह अनपार्लियामेन्टरी है और इसको माननीय सदस्य को वापिस लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्कश जरूर है ।

श्री नत्थी सिंह : तथ्य भी कर्कश हैं ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद माननीय सदस्य का प्रश्न सही है । इसका जवाब कतई होना चाहिये । जैसा मैंने कहा जितने कटौती प्रस्ताव आये थे उनका मैंने उत्तर दिया, अब यह गलत है या सही है, मेरी जानकारी में इस वक्त है या नहीं या 1500) का मैं पाने का मुस्तहक हूं या नहीं, आपने सही कहा है । मैं यह छोड़ दूंगा आप अगर कह देंगे, । मेरी नीयत कभी बिगडी हुई नहीं होगी । आज मैं आपके सामने यह कह दूं कि यह सही है या गलत है तो मैं गलत कहूं जब मुझे पता नहीं है कानूनी तरीके से वह लीगल है या नहीं, मैं कैसे कह सकता हूं । जब मुझे मालूम हो जायगा कि यह मशीनरी के अन्तर्गत आती है या नहीं, जीप खरीदी गई, ट्रक्स खरीदे गये और चीजें खरीदी गई, बहुत सारा सामान खरीदा गया, मुझे मालूम हैं खरीदा गया, उस हैड में कानूनी तरीके से आता है या नहीं मैं बिना जानकारी के कमिट कर दूं यह उचित नहीं होगा ।

श्री भैरों सिंह : मुझे ताज्जुब यह है कि सारा विभाग यहां पर बैठा हुआ है । कानून-कायदों से सारे लोग परिचित हैं । बोर्डर रोड के इन्जीनियर यहां बैठे हुए हैं । आप एक मिनिट में उनके पास चले जाइये और पूछ लीजिये कि मशीनरी में जीपें आती हैं नहीं ।

श्री अध्यक्ष : यह मेन्डेट आपका नहीं हो सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे दुख है कि नवाब साहब सेना में कर्नल रहे हुए हैं, आरमी में रहे हुए होने के नाते इसका ज्ञान हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या स्थिति हो सकती है ? वे एक मिनिट में जाकर पूछ सकते हैं उसके लिये टालमटौल कर रहे हैं । पांच बार वे गये होंगे और उन्होंने निश्चित रूप से इस बारे में भी पूछा होगा लेकिन नवाब साहब इन्टेलीजेन्ट आदमी हैं...

श्री अध्यक्ष : आदमी नहीं माननीय सदस्य हैं । प्रयोग गलत है ।

श्री भैरों सिंह : मैं उनको महिला तो नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : आदमी कहते हैं वह यहां की परम्परा, शिष्टाचार उसके विपरीत पड़ता है ।

श्री भैरों सिंह : अन्यक्ष महोदय का प्रसंग यह था कि आदमी कह कर पुरुष क्यों बता रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप इम्प्यूट न करें । जैसा माननीय सयस्य ने कहा "लोगों (आदमी) से"

श्री भैरोंसिंह : मेरी यह गलती हुई, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : यह भी गलती हुई।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। मैंने मोटा प्रश्न पोज नहीं किया मैंने छोटा प्रश्न पोज किया। एक तो जीप मशीनरी में आती है या नहीं ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सवाल गलत है।

The question should be whether it comes under "Tools and Plants".

टैक्नीकल सवाल पूछना है तो पूछिये। जीप मशीनरी में आती है या नहीं यह कोई सवाल हुआ ?

श्री भैरोंसिह : सही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों मिल कर इसका क्वश्चन बना लीजिये।

श्री भैरों सिह : आवश्यकता पड़ी तो माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और इस सदन की जानकारी के लिये मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार से किस प्रकार की मशीनरी पर्चेज की जाय इसके लिये शिडयूल बना रखा है, आवश्यकता होगी तो शिडयुल पेश करूंगा। उसमें जीप नहीं आती है।

श्री पी के. चौधरी : टूल्स एन्ड प्लान्टस में यह आती है।

श्री भैरोंसिह : आप जरा हैड देखिये। उनको मुगालते में मत डालिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हैड हो तो देखें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे दुख है, अध्यक्ष महोदय, पिछले सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मथुरादासजी ने जो कारनामे किये उन पर लीपा पोती करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मोटिव माननीय मंत्री पर लगावें। उन्होंने विश्वास दिया है ज्योंही जानकारी होगी बता दी जायगी। आपने भी विश्वास दिया है। आप उसको जान बूझ कर ट्विस्ट न करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष, शुरू शुरू में विश्वास होने लगा था।

श्री अमोनुद्दीन अहमद: It is an item of tools and plants.

श्री विजयसिह रावत : I can challenge anybody. It does not come.

Hon Speaker : Order order. Don't challenge anybody here.

श्री भैरोंसिह शेखावत : सवाल यह नहीं है।

भारत सरकार से 5 करोड़ 92 लाख की सैंक्शन राजस्थान को दी उसमें से 88 लाख का राजस्थान सरकार ने खर्चा किया मशीनरी पर, उस मशीनरी में जीप शामिल हैं या नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : Jeep comes in tools and plants.

श्री अमीनुद्दीन अहमद: माननीय अध्यक्ष, इसलिये मैंने कहा कि यह जो लीगल इश्यू है यह मैं मालूम करके उसी तरीके पर जवाब दूं। जो इनफार्मेशन थी वह यहां पर दे दी। मैं इनकार नहीं करता जीपें खरीदीं गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी जीपें खरीदी गई ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: मेरे खयाल से 40 और....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : About forty or above forty; does not make any difference.

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह लीगल इश्यू है मालूम करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कौमन सैन्स का इश्यू है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कौमन सैन्स से इसका ताल्लुक नहीं हैं।

श्री पी. के. चौधरी : टैक्निकल मैटर है। Jeep comes under 'tools and plants'.

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी, नहीं है। It is a legal issue or a factual issue; but it is an issue.

श्री नत्थी सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो सड़क बनाने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत मशीनरी के अन्तर्गत जीपे खरीदी गई, 1 करोड़ की मशीनरी काम में नहीं ली गई, मिस यूज करने का सवाल है। मंत्री महोदय कहते हैं कि यह गलत है। सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में बजट के वाद-विवाद के समय भी यह प्रश्न उठाया गया है कट मोशन भी दिये, दुबारा आरोप लगाया जा रहा है कि दुरुपयोग किया गया है सार्वजनिक धन का दलगत पार्टी में उसको काम में लाया गया। कहां कहां जीपों का उपयोग हुआ है यह भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर से सम्बन्ध रखता है। आज यह कह कर चले कि सूचना नही है। इस प्रश्न को 19 तारीख तक दबा दिया जाय यह सोच कर चलते हैं तो आप को इस प्रश्न का आज ही साफ जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना प्राप्त करने का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सूचना प्राप्त करने का प्रश्न है और माननीय मंत्री महोदय के पास सूचना पर्याप्त रूप से नहीं है जिससे आपको संतोष दिला सकें। उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि सूचना प्राप्त करेंगे और माननीय सदस्यों को बाद में संतुष्ट करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर आप मंत्री महोदय से चाहते क्या हैं ? जो चीज

(श्री अध्यक्ष)

चाहते हैं वह मंत्री महोदय अभी नहीं दे सकते। जिस जानकारी से माननीय सदस्यों को सतोष मिल सके वैसी जानकारी माननीय मंत्री महोदय के पास अभी नहीं है और यह उनके अभ्यास में नहीं है कि अपर्याप्त जानकारी दें और असतोष पैदा करें।

श्री भैरोंसिह : अपर्याप्त भी तो दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस वक्त सूचना नहीं है। मंत्री महोदय गलत सूचना दें हम उसके लिये पाबन्द करें यह उचित नहीं होगा लेकिन मेरा यह निवेदन कि बोर्डर रोड़ की हम चरचा नहीं करते इस सदन में अगर थोड़े बहुत घोटालों की जानकारी करने का ही सवाल होता तो। पर यह राष्ट्रीय मार्ग है, इसका दैनिक महत्व है, हमारी सुरक्षा से यह सम्बन्धित है। भारत सरकार ने डिफेन्स के परपज से इन सड़कों को बनाने के लिये पैसा दिया है। इसमें अगर यह एलीगेशन है कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया तो यह अक्षम्य अपराध है। आल इण्डिया पेपर में इसका जिक्र आया है।

मेरा निवेदन यह है कि यदि इस समय उनके पास सूचना नहीं है और हम इसको दूसरे रुप में डिसकस करना चाहते थे और आपने यह कहा कि कट मोशन के रुप में डिसकस हो जावेगा और आज कट–मोशन के अवसर पर भी पूरी इनफोर्मेशन न होने की वजह से डिसक्स नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में आप यह व्यवस्था दें कि दूसरे मोशन के रुप में 19 तारीख तक इसे प्रेजेन्ट कर सकें और दूसरे मोशन के रूप में डिसक्सन के लिये टाइम अलाट किया जावे तब माननीय मन्त्रीजी भी तैयार होकर आवें और इस सदन को पूरी सूचनाएं दें।

भैरोंसिहजी को भी सूचना मिले। यहां इससे सन्तोष नहीं मिलेगा। हम इसमें इन्टरेस्टेड हैं पूरी जानकारी के लिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप व्यवस्था दें कि दूसरे मोशन के रूप में इस प्रश्न को ले लिया जावेगा इसी सत्र में।

श्री पी. के. चौधरी : जो विषय एक बार डिसक्स हो जाता है दूसरी बार वह उसी सदन में डिसक्स नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिह : यह तो चेयर पर रिफलेक्शन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जसराज, अध्यक्ष खुद खड़े हैं, आसन ग्रहण करें।

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। सुझाव दिया है माननीय सदस्य ने। माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी प्राप्त करने के लिये अध्यक्ष से जानकारी के लिये कमिटमेन्ट लेना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता इस प्रश्न पर। पर चूंकि जानकारी अपर्याप्त है माननीय मन्त्री महोदय भी उसको पूरी देंगे। अगर उससे भी सन्तुष्ट न हों तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी तरीके अन्य हो सकते हैं वे माननीय सदस्य उठा सकते हैं। मैं उस पर क्या निर्णय दूं क्या नहीं दूं इस सम्बन्ध में अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : पर आपका रुख सहानुभूतिपूर्ण रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष हर प्रश्न पर, हर समय सहानुभूतिपूर्ण रहता है। आक्रोश का समय होता है तब भी सहानुभूतिपूर्ण रुख रखते हैं।

(श्री पी. के. चोधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री पी. के. चोधरी, श्रम मन्त्री जवाब देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की बातों को लेकर कई मुद्दों पर कई नीतियों के सवालों पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है।

यदि मै उस थीसिस पर अपने विचार प्रकट करूं कि हमारी क्या नीति है और हमारी क्या खामियां है और आज क्या किया जाना चाहिए तो थोड़े समय में इतनी बातें नहीं कह सकूंगा और अपने आपको इतने कम समय में सही तौर से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा।

मैं सक्षेप में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है तो उनका कहने का एक तरीका है, वे अपने तरीके से से समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं और हम अपने तरीकों से समाजवादी समाज रचना के निर्माण की तरफ बढ़ना चाहते है।

हमने मजदूर आन्दोलन को अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। इससे उनके विचारों में क्रान्ति आई है। इनके एसपिरेशन्स जागे हैं, कान्शसनेस आई है। मजदूर आज बढ़ते हुए समाज के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। यह सब इस बात के लक्षण हैं कि किस तरह से इन्टक ने सफलता पूर्वक अपना काम किया है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधीजी ने किया। गांधीजी के नेतृत्व के कारण मजदूर आगे बढ़े हैं। आज के दिन उस निश्चय पर पहुंच पाये हैं कि उनको उनके आवश्यक अधिकार मिलने चाहिये उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिये वे समाज की बढ़ती हुई व्यवस्थाओं के अन्दर स्थान पा सकें इस दृष्टि से उनके साथ किसी तरह से भी भेद-भाव नहीं रहना चाहिये।

मिनिमम और मैक्सिमम का अन्तर अधिक नहीं रहना चाहिए। मजदूरों को अपने गुजारे लायक रोजगार मिलना चाहिये। मुनाफे में से उनको हिस्सा मिलना चाहिये। हमने इस समाजवादी समाज रचना का माध्यम है मोक्रेसी के मार्फत माना है। कलैक्टिव बारगेन के जरिये वे अपनी मागे पूरी करा सकते हैं। मैं मानता हूं कलैक्टिव बारगेन मजदूरों का अधिकार है, उनको अधिकार है, सत्याग्रह कर सकते हैं आन्दोलन कर सकते है हड़ताल कर सकते हैं, और आखिर दो लड़ते हैं तो उसका निर्णय होता हैं और इसमें हममें एडजुडिकेशन को सिद्धान्त रूप में माना है। तवालत इसमें मजदूरों को काफी पड़ती है, काफी खरचा होता है काफी देर भी लगती है इसलिये कम से कम समय में एडजुडिकेशन हो इसका प्रयत्न करते हैं। और कोशिश करते हैं कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जहां तक हो सके आर्बिट्रेशन के जरिये मसलों को हल करावें। त्रिदलीय सम्मेलनों के निर्णय पर अमल हो। हम मजदूर मालिक दोनों को आमने-सामने बिठाकर बात करना चाहते हैं एक टेबिल पर बैठकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी नहीं होता है तो निर्णय वास्तविक तौर पर अदालतों के जरिये होता है और बढ़ते हुए समाज में अदालतों के भी जो कानून बने हैं उनके अन्तर्गत सोशियल जस्टिस को मानते हुए मजदूरों को साथ इन्साफ करने का प्रावधान रखना पड़ता है।

मैं मानकर चलता हूं कि गये साल में कुछ महीनों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जरिये जो फैसले मजदूरों के विवादों में हुए हैं वे काफ़ी प्रगतिशील हैं और आज जो असन्तोष वास्तव में बढ़ता जा रहा है उसका कारण यह है कि समाज अपने को पलटना चाहता है समाज करवट लेना चाहता है। समाज में दबा हुआ गरीब आज आगे बढ़ना चाहता है पर प्रतिक्रियावादी तत्व ऐसे हैं जो मजदूरों के हितों का ध्यान न रखते हुए केवल अपने मुनाफे का ध्यान रखते हैं। उनकी नीयत यह रहती है कि मजदूरों को उनके श्रम का पूरा पैसा नहीं मिले।

जैसा रामानन्दजी ने कहा कि ऑटोमाइजेशन के सवाल को जिस तरह से ज्यादा मुनाफ़ाखोरी के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है और आज के समाज में जबतक इस तरफ की मनोवृति रहेगी तबतक मजदूरों में असन्तोष रहेगा। पर आखिर इसका इलाज क्या?

क्या सारी इन्डस्ट्रीज को घाटे में डाल दें और बन्द कर दें। या यह चाहते हैं कि इन्डस्ट्री चले और साथ-साथ मजदूरों को भी उनका यथार्थ हक मिलता रहे। इस दूसरी तरह की व्यवस्था से ही हम आगे बढ़ सकेंगे आज हमारी यह मान्यता है। वरना तो बहुत से विवाद उत्पन्न होकर झगड़ा बढ़ने की स्थिति हो सकती है और इससे इन्डस्ट्री के ठप्प होने का भी खतरा पैदा हो सकता है।

इसलिये दोनों तरफ का खयाल रखकर हमें चलना पड़ता है आज। इन्डस्ट्री भी बन्द न हो और मजदूरों का भी एक्सप्लॉइटेशन न हो।

कम्पलसरी लेजिस्लेशन बोनस के बारे में कानून भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है। पर अफसोस इस बात का है कि आज के दिन हमारे जो उद्योग वाले हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। वे यह नहीं समझते कि मजदूर आज आगे बढ़ता जा रहा है वह भी जिन्दगी अच्छी बसर करना चाहता है। पर आज श्रम एवार्ड्स होते हैं उनका परिपालन नहीं होता, वेज बोर्ड का परिपालन नहीं होता और इन कारणों से एक फिजा पैदा हो गई है जिससे मजदूर आन्दोलन की ओर प्रवृत होता है। पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम इस ओर जागरूक हैं। एवार्ड और वेज बोर्ड के मनवाने की कार्यवाही जो हो सकती है करते हैं। वहां मजदूर वर्ग से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपने बार्गेनिंग की शक्ति के प्रदर्शन में ऐसे तरीके न अपनावें कि जिससे खामखां के लिये उद्योगपति को प्रगतिशील

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नीति का शिकार बनाकर पुलिस और उसके बीच में मुठभेड़ हो। लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। आज के दिन जब हम बंगाल की तरफ नजर डालते हैं वहां पर यह कहा गया है कि ठीक है हम पुलिस को तुम्हारे झगड़े के बीच में नहीं भेजेंगे और वहां पर घेराव की प्रवृति को बढ़ावा दिया गया और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिनिस्टर्स तक भी उस घेराव की स्थिति में पड़ गये और उनको भी घेर लिया। मैं कहता हूं कि जिन–जिन मुल्कों में वह ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट चलता है वहां कोई दूसरा हथियार नहीं है सिवाय इसके कि घेराव को काम में लाया जाये। घेराव ऐसा हथियार है जो कि मजदूरों को गलत तरीके स आगे बढ़ाता है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका भाषण फिलॉसोफिकल ज्यादा है और इसमें घेराव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : अभी घेराव न डालें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : घेराव की नीति बिलकुल उचित नीति है और टिरेनी, अत्याचार और सामाजिक,जस्टिस प्राप्त करने के लिए मजदूरों के पास एक मात्र हथियार है और यही स्थिति रही तो यह राजस्थान में भी होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। घेराव को छोड़ दिया जाये.आगे बढ़ जाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इस प्रकार से मजदूरों को गलत तरीके से आगे लाकर उसकी हितों की रक्षा करने में हम सफल नहीं होंगे बल्कि उनको एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर देंगे जिससे मजदूर गलत चीज का शिकार होंगे।

यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय कई मुद्दे उठ ये गये हैं। मुझे इस बात का अफसोस है और व स्तव में मै खुद इसको फील करता हूं कि जहां मजदूरों को अन्ड वेजेज नहीं देते हों, जहां ई. एस. आई. का पैसा खाया जाता हो, प्रोवीडेन्ड का पैसा खाया जाता हो जहां किसी संस्था का नाम परिवर्तन करके दूसरी संस्था में नाम से काम शुरू किया जाता हो यह सब वास्तव में, मैं बेईमानी की प्रवृति मानता हूं....

श्री जयराज : मैंने महालक्ष्मी मिल का उदाहरण दिया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य सब आ जायेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी यह सवाल आया है कि क्या कोई एम्प्लायर अगर प्रोवीडेन्ट फण्ड की रकम को जमा नहीं कराये, अगर कन्ट्रीब्यूटरी प्रोवीडेन्ट फण्ड का पूरा हिस्सा नहीं दे स्टेट इन्श्योरेन्स की रकम को खा जाये तो क्या तरीके अपनाने चाहिए ? आज के जो कानून हैं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हम लैण्ड रेवेन्यू की तरह से उसकी वसूली कर सकते हैं लेकिन जब लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूली करने जाते हैं, उसके क्लेम फाइनल कराकर डिक्री करा लेते है तो उनके एसेट्स नहीं मिलते कि जिससे उनसे वसूली की जाये । यहां पर लोकवाणी सोसाइटी का सवाल उठाया गया । मैं समझता हूं मेरे मन में जहां तक इस संस्थान का ताल्लुक है मुझे किसी जमाने में एक आदर्श संस्थान मालूम पड़ता था और मुझे बताया जाता था कि लोकवाणी सोसाइटी बड़ी आदर्श संस्था है और उसमें बड़ी अच्छी तरह से अखबार चलता है और कर्मचारियों को अच्छी तरह से तनख्वाह वक्त पर मिल जाती है। लेकिन जो समस्या सामने आई जिस समय श्रम विभाग ने उसकी डिक्री करवाई प्रोवीडेन्ट फण्ड की और अर्न्ड वेजेज की और जब कुर्की कराई गई तो छोटी सी मशीन सामने रख दी कि बस यही मशीन हैं और कोई असैट्स लोकवाणी सोसाइटी के पास नहीं हैं । अखबार बन्द हो गया और आज के दिन वही अखबार फिर चालू हो गया । तो आखिर कौन से ऐसे असेट्स थे जिनके आधार पर यह अखबार फिर से चालू हुआ और शिकायत इस बात की है कि एक बोर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर जो बना हैं उसके सामने यह समस्या लानी होगी कि ई. एस. आई., पी. एफ. और अर्न्ड वेजेज की जो रकम एम्प्लायर खा जाते हैं उनके बारे में क्या फौजदारी मुकदमा चलाकर उनको सजा दी जाये या उसको एक चोर की तरह से मानकर उसको सजा दिलाई जायें या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानकर आई. पी. सी. के तहत मुकद्दमा चलाया जावे। यह ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर कानूनी तरीके से हमको इसके बारे में सलाह लेनी पड़ेगी और यह इतनी जल्दी के विषय नहीं है कि मैं यहां पर इस समय कुछ जवाब दे सकूं । हम कोशिश करेंगे और इस मसले पर कानूनी दृष्टि से विचार करेंगे और अगर फौजदारी मुकद्दमे चल सकते है तो वह चलाये जायें और जो भी रकम वसूल कर सकते हों वह वसूल की जानी चाहिये......

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसी आप जानकारी दे रहे हैं यह लोकवाणी अभी भी चल रही है। लोकवाणी सोसाइटी से नाम बदल कर राष्ट्र दर्शन सोसाइटी के नाम से चल रहा है और इसको डिक्लेरेशन प्राप्त करने के लिए एप्लाई किया है तो इस व्यक्ति ने जो ऑफेन्स कमिट किया है उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? इसने राष्ट्र-दर्शन सोसाइटी के नाम से एप्लाई किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राष्ट्र-दर्शन सोसाइटी के नाम से एप्लीकेशन कलेक्टर को दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : आप सदन को विश्वास दिलायें कि कलेक्टर के सामने जो डिक्लेरेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया हैं वह उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी मन्शा यह है कि केवल प्रोपराइटर शिप को बदलकर केवल जो मजदूर थे और जो उनके राईट्स थे, और जो क्लेम्स बाकी है वह मजदूर प्राप्त नहीं कर सकें ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : जैसे असेट्स हैं वह एग्जिस्ट होंगे और अब मजदूरों को बोनस और तनख्वाह मिलने के लिए असेट्स नहीं रहे तो ऐसी सूरत में लोकवाणी का जो टाइटल है उसकी जो गुडविल है क्या उसका नीलाम करवा कर मजदूरों के वेतन का भुगतान कराने का इन्तजाम किया जायेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें दो मसले हैं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कानूनी पोजीशन यह है कि जो सक्सेसर पुरानी संस्था की जगह आया हैं उसको मजदूरों को तमाम तनख्वाह पेमेन्ट करने की कानूनी रेस्पॉन्सीबिलिटी होती है। तो क्या आप आश्वासन देंगे कि यह जो नयी संस्था लोकवाणी वाले चला रहे हैं आप उसकी कुर्की करके उसके असेट्स से मजदूरों का भुकतान करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : These are legal complications.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कानून की किताब देखकर हम सेटिस्फाइड हो जायेंगे। यह लीगल क्वश्चन है लेकिन आप आश्वासन दीजिए कि लोकवाणी संस्था जिस सोसाइटी के नाम से चलती थी आज भी उसी सोसाइटी के नाम से अखबार चल रहा हैं और राष्ट्र दर्शन सोसाइटी के नाम का कोई डिक्लेरेशन कलेक्टर के यहां अभी तक मजूर नहीं किया गया हैं और वह पेन्डिग हैं। तो कलेक्टर को इतना तो कह सकते है कि यह मामला बड़ा सीरियस है इसलिये इसके डिक्लेरेशन के बारे में एक्सेप्टेन्स नहीं किया जाय और प्रोपराइटरशिप चेन्ज नहीं की जाये। और जैसी मन्शा आपकी भी मालुम पड़ती है कि आप इस मामले में सख्त कदम उठाना चहते हो तो हम निवेदन करना चाहते हे कि जिलाधोश को आप निर्देश दें कि राष्ट्र दर्शन सोसाइटी के नाम से डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाये और इस मामले में सारी इन्कवायरी कराई जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो डिस्प्यूट इस बारे में इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने पेन्डिंग हैं उससे यह मामला है कि whether the closure of 'Lokvani' is bonafide or malafide.

और इस प्रश्न के ऊपर ट्रिब्यूनल का फैसला हो जाता है कि यह मेलाफाइडी है तो जो एम्पलॉयर्स पहले थे वहीं रहते हैं। जो लोकवाणी सोसाइटी पहले थी वही की की वही रहती है, और उनके जो एम्पलाईज हैं और एम्पलायर हैं उन दोनों के रिलेशन्स भी वही कायम रहते हैं और ऐसी सूरत में कभी भी जाकर दूसरी सोसाइटी के असेट्स के ऊपर कुर्की करके वसूली कर सकते हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: पहले युगान्तर प्रकाशन लिमिटेड था।

श्री अध्यक्ष: आप (श्री बृजसुन्दर शर्मा) शुरु कीजिये। यह लीगल क्वेशचन्स हैं।]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इतना तो भरोसा दे दें कि आप कार्यवाही करने में चूकेंगे नहीं और लिहाज नहीं करेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जहां तक कलेक्टर को लिखने का सवाल है अभी लेबर कमिश्नर साहब मेरे भाषण को सुन रहे हैं और कल ही वह डिक्लेरेशन के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख देंगे कि इसमें इस प्रकार का फ्रॉड है और वह न दें। लेकिन जो डिक्लेरेशन का इंडिपेन्डेंटली जजमेंट करने वाला है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और केवल उसकी दृष्टि में इस बात को ला देना काफी है ।

रहा सवाल लोकवाणी अफेअर्स में कि यह दूसरी संस्था के नाम से चल रहा है तो इस बारे में दो कार्यवाही हो सकती है–एक तो स्वयं वर्कर्स कम्प्लेन्ट कर सकते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिस में ला सकते हैं । मैं समझता हूं कि वहां के वर्कर्स को चाहिये......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कल ही शिकायत हो जायगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इस आशय की शिकायत वह करें ।

श्री अध्यक्ष : Now in brief; the other points.

श्री बृजसुन्दर शर्मा–सांभर साल्ट के मामले के अन्दर हमारे माननीय पी. के. चौधरी ने कहा ......

श्री अध्यक्ष : धीरे से कह दीजिये, मैं इलाज बता दूंगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांभर साल्ट के मामले में मैं स्वीकार करता हूं कि सांभर साल्ट का मामला ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया जायगा। जहां तक मिनिमम वेजेज का ताल्लुक है, साल्ट की मिनिमम वेजेज, जो वहां के लेबर की हों, को तय करने के लिये मिनिमम वेजेज के बारे में एक कमेटी बैठा दी जायगी जो इस बारे में निर्णय करेगी । मिनिमम वेजेज के बारे में भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य गिरधारी लाल जी ने भी सवाल उठाया कि माइका और दूसरों की मिनिमम वेजेज तय कर दी गई । लेकिन कोर्ट से वह नल एन्ड वॉइड करार दे दी और मिनिमम वेजेज कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला हाई कोर्ट में तय हुआ है और उसने एक मुद्दे पर यह तय किया कि अमुक मेम्बर को जो कमेटी में मुकर्रर किया गया है, वह कमेटी की तारीफ में नहीं आता, इसलिये यह कमेटी वेल कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है । मैं सदन के अन्दर मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य उसको पास करने की कृपा करेंगे ताकि यह सारी क सारी समस्या का हल निकल जाय ।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रेक्ट लेबर के बारे में और दूसरे बारे में सवाल उठाये गये । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रेक्ट लेबर आज के युग में अस्तित्व में नहीं रहने चाहिए और कॉन्ट्रेक्ट लेबर सिस्टम बन्द होना चाहिए, और एम्प्लॉयर्स को डाइरेक्टली

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लेबर को एम्प्लोय करना चाहिए। कई दफा यह सवाल कान्फ्रेन्सेज में भी आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन-दी-इन्ट्रेस्ट आफ मेन्टेनिंग गुड रिलेशंस बिटविन एम्प्लॉयर्स एण्ड लेबर, कॉन्ट्रेक्ट लेबर नहीं लिया जायगा और लिया जायगा तो पी डब्ल्यू. डी. और दूसरों के कायदे हैं वह उन पर लगा दें और उनको पेमेन्ट उसी तरह से करें जैसे दूसरे लेबर्स को दिया जाता है।

कई मामले कन्सीलियेशन के अन्दर विलेज के बारे में, रेफरेन्स के बारे में यहां पर उठाये गये और खास तौर पर एक मुद्दा रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बारे में उठाया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बारे में एक तरीका राजस्थान में एडॉप्ट किया है, उसके लिए हमने एक्ट में अमेंडमेंट किया और लेजिस्लेशन किया और रजिस्ट्रेशन आफ यूनियन एक्ट के अन्दर उसको मान्यता देते हैं और घोषणा करते हैं अब यदि किसी डिसीजन में कोई कमी है तो उसकी अपील हो सकती है। और जगह पर यह तरीका नहीं हैं, हमने यहां पर यह तरीका अख्त्यार किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि हम उसको छोड़ कर डाइरेक्ट बैलट सिस्टम को अपना कर उसके अनुसार रिकगनीशन के लिए कदम उठायें तो उसका नतीजा यह होगा कि मजदूर आपस में लड़ेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्टक वाले इस सिस्टम को मानने के लिए तैयार हैं, बैलट सिस्टम को और एटक वाले मानने को तैयार हैं....

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इन्टक वाले मानने को तैयार हों तो भी मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे ज्यादा झगड़े बढ़ेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक रेफेरेन्स का ताल्लुक है, अब उसमें विलम्ब नहीं हो, इसके लिए हमें कन्सीलियेशन की मशीनरी को टाइटन करना जरूरी है। परसों ही कन्सीलियेशन ऑफिसर्स की हमने मीटिंग की है और इस बारे में निश्चित रूप से प्रगति करने के लिए हमने लिखा है।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इन मुद्दों के अलावा और कई छोटे मोटे मुद्दे हैं। बाकी पॉलिसी मेटर्स के बारे में, मेरा निश्चित रूप से मानना है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बोर्ड भारत सरकार ने एपॉइन्ट किया है, उस बोर्ड की सारी की सारी जो रिपोर्ट आयेगी और उस बोर्ड की रिकमन्डेशन्स पर ही आगे आने वाली हमारी लेबर पोलिसी है, वह डिपेन्ड करेगी। इसलिए जो परिस्थिति आज के दिन है, जो कानून आज के दिन हैं, और जो बने हुए हैं उनके अन्तर्गत यदि कोई और कमी होगी तो हम मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे और हम मजदूरों के हितों की रक्षा करते आ रहे हैं और मजदूर आगे से आगे प्रगति करते रहें, यह हम उनसे अपेक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या....

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं व्यवस्था चाहूंगा कि मांग पर वोट लेने से पहले जो उसमें कट मोशन्स हैं उनको रिजेक्टेड माना जायगा ? कट मोशन के ऊपर वोटिंग करते नहीं हैं तो क्या कट मोशन को रिजेक्टेड माना जायगा या फिर उन पर वोटिंग कराइये या फिर विथड्रा कराइये ।

श्री अध्यक्ष :They are deemed to have been rejected.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था का विषय नहीं है । जिन कट मोशन्स पर रिप्लाई नहीं हुआ है, उसका रिप्लाई रिटिन में मिल जायेगा, यह पहले व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : यह पहली मर्तबा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । प्रति वर्ष कट मोशन्स के सम्बन्ध में व्यवस्था दी जा चुकी हैं इसलिए मैं इसको रीओपन नहीं करना चाहता ।

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है, मैं आज सदन में नहीं था । लेकिन बिल्डिंग एण्ड रोड्स की मांग पर बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने इस विभाग के द्वारा कुछ जीप खरीदने के बारे में चर्चा की और मेरा नाम भी उस दौरान आया । क्योंकि मैं उस वक्त इस विभाग का मन्त्री था इसलिए इस बारे में चर्चा हुई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं माननीय सदस्यों के भ्रम का निवारण करना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कल । (कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए हैं ।)

ऑर्डर प्लीज ! पर्सनल एक्स्प्लेनेशन का प्रश्न है. It is just a question of personal explanation pertaining to certain things.

श्री मथुरादास माथुर : मैं आज सदन में था नहीं लेकिन यहां पर उस संबंध में कुछ चर्चा हुई ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : और मेरे पास में टेलीफोन से मैसेज आया था ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को इस चीज का कलेरीफिकेशन करने के लिए इन्काम्पीटेन्ट समझते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस कट मोशन के जरिये जीप के मामले को डील किया गया है इस पर तो हाउस ने अपना निर्णय दे दिया है । There can be no further discussion. उसके बाद में इसे ओपन करने का सवाल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। उन पर निर्णय हुआ उस वक्त माना जायगा जब डिमाण्ड पर वोट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कट मोशन के रिजेक्शन का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है....

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय...

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह एक विभागीय मामला है और विभागीय मंत्री ने इस मांग पर जवाब दिया है। मुझे खेद है कि मैं उस वक्त सदन में नहीं था। क्योंकि मेरे से सम्बन्धित बात कही गई इसलिए मैं पर्सनल एक्स्प्लेनेशन को करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि आप आज्ञा दें तो, क्योंकि मैं उस वक्त इस विभाग का मिनिस्टर था, इसलिए क्यों जीप खरीदी गई, वह टूल्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स में आती हैं या नहीं, इसके बारे में, गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या सरक्यूलर है कितनी उनकी कीमत थी, कितना पैसा दिया गया, कितना इन्ट्रेस्ट लिया गया—यह सब मैं बता दूंगा। और यह आज ही नहीं पहले से होता आया है। यह सब मैं यहां कहने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहने दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री महोदय को जो जवाब देना होगा, वह देंगे लेकिन मेरा पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने का हक है और मै उन सब बातों का जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अवसर को लेना चाहेंगे तो कल बिजनेस....

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir. रूलिंग देने से पहले मेरा निवेदन है वह सुन लीजिये। मेरा निवेदन है कि रूल्स आफ प्रोसीजर में प्रोवीजन है कि सदन में जिन मांगों के ऊपर होकर डिसीजन दे दिया गया है और उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया गया है, उस विषय में दुबारा इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती, चाहे वह मिनिस्टर के स्टेटमेंट के जरिये हो या किसी जरिये हो There cannot be any debate on that matter.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है कि जिस प्रश्न के ऊपर निर्णय दे दिया उसके सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं हो सकता। मेरा पहला निवेदन तो यह है कि अभी सदन ने इस संबध मे कोई निर्णय नहीं दिया है। जब तक मांग पारित नही हो तब तक न तो कट मोशन रिजेक्ट हुए हैं और न उन पर निर्णय हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मांग पारित होना कटौती प्रस्ताव स्वीकार होना या रिजैक्ट होना – यह निर्णय की तारीफ में नहीं आता। जो मुद्दे कटौती प्रस्ताव में आये हैं....

श्री पी. के. चौधरी : क्यों नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Never Never.

श्री पी. के. चौधरी : रिजेक्ट होने के बाद कैसे रीओपन हो सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसके सम्बन्ध में आर्गूमेंट पेश कर सकता हूं। कटौती प्रस्ताव में जो मुद्दे उठाये गये हैं, उन कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार कर दे यह हाउस तो बाई इम्प्लीकेशन वह डिसीजन की तारीफ में नहीं आता है। डिसीजन वह होता है जब कोई सब्स्टैंटिव मोशन हो हाउस के समक्ष डिसीजन करने के लिए। क्योंकि कोई सब्स्टेंटिव मोशन नहीं है, यदि कोई सब्स्टैंटिव मोशन होता और उस पर यह हाउस कोई डिसीजन ले लेता तो उसका मतलब यह होता कि वह मामला इस वर्ष में दुबारा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन कटौती प्रस्ताव में जो मुद्दे उठाये गये, और वह कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हो गये, तो यह मानना गलत है कि इस सदन में उन पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं बड़ी इज्जत के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। यह हाउस के डिसीजन की तारीफ में नहीं आता है। रूल्स पर क्या डिसीजन होता है वह किसी सब्स्टैंटिव मोशन पर डिसीजन लिया गया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! आर्डर ! !

श्री पी. के. चौधरी : रूल यह है कि....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : जो बात उठाई जाती है वह सस्पेन्स में न रहे।

श्री अध्यक्ष : Thait is right.

श्री मथुरादास माथुर : चूंकि यहां पर इसकी चर्चा हुई है इसलिये यह अन्कन्ट्रोवर्शियल नहीं जाना चाहिये। अगर आपकी महरबानी हो तो मैं कुछ निवेदन करूं ताकि कोई संशय की बात नहीं रहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को दो स्थितियों में देखता हूं। कट मोशन्स रिजेक्ट हुए या नहीं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता लेकिन यह जो प्रश्न उठाया गया है वह दूसरे ढंग से उठाया गया है। कट मोशन के अतिरिक्त जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन्स दिया जाना उचित समझता हूं लेकिन 123 नियम के अनुसार दो घन्टे के प्रस्ताव की सूचना आई है। इसलिए इस प्रस्ताव पर मैं क्या निर्णय लूंगा किस तरह से इस प्रस्ताव को रखा जावेगा यह प्रश्न है। यह मेरे विचाराधीन है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप निवेदन करना चाहते हैं जब कुर्सी खड़ी हुई है । आप नियमों में चल रहे हैं । नियमों में यह नहीं आता कि जब कुर्सी खड़ी हो तो आप बोलें । मैं आपको बोलने की फेसिलिटी देने के लिये बैठ जाता हूं ।

श्री पी. के. चौधरी : आपने शुरू में अमेन्डमेन्ट के बारे में रूलिंग दी थी कि कटमोशन हो उसमें बोल सकते हैं । कट मोशन का मौका देने के लिये कहा था जभी इसका निर्णय लिया गया....

श्री अध्यक्ष : कौनसा निर्णय दिया गया मैं जानना चाहता हूं मैं साफ होना चाहता हूं ।

श्री पी. के. चौधरी : ऑर्डर के संबध में एडजोर्नमेन्ट मोशन आयें तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

कोई मोशन हो तो, प्रश्न है । दो घंटे की स्थिति का प्रश्न हैं स्वीकार हो सकता हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चौधरी साहब...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आया इस पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन....

श्री मथुरादास माथुर : पांच मिनट का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का ही प्रश्न है तो इसलिए मैं इजाजत दे देता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई माननीय सदस्य इस पर प्रश्न करेंगे । पांच मिनिट का प्रश्न नहीं है । इस सदन में कहा था कि मिनिस्टर के पास सारा मामला किसी दूसरे मोशन के रूप में इस मामले को लाना चाहिए और प्रस्ताव के रूप में वह मोशन आपके सामने हैं । जब वह मोशन आपके सामने आवे तो वे जवाब दे सकते है । जब वे अभी बताने लगेंगे तो हमें भी प्रश्न पूछना पड़ेगा और सवाल जबाब करने होंगे । इसलिये बैठना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : I sit with all patience.

श्री विजयसिंह रावत : माननीय मन्त्री तो खा पीकर आये हैं हमें खाना खाना है ।

श्री अध्यक्ष : आप जहां खाने के लिए जावें जा सकते हैं ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अभी आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई थी कि इस प्रश्न को किसी दूसरे मोशन के द्वारा विचार किया जा सकता है ।

श्री पी. के. चौधरी : मोशन नहीं आया।

श्री रामकिशन : वे मुझे अधूरे में क्यों रोकते हैं ? कोई गलती हो तो कहें। आसन की तरफ से व्यवस्था दी है कि किसी दूसरे मोशन के रूप में रखा जावे। और इसके लिए एक प्रस्ताव भी आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि संभवतः इसमें समय लगेगा और कुछ नये तथ्य हैं जो भूतपूर्व मन्त्री कहना चाहेंगे और उसके पीछे कुछ व्यक्तिगत नहीं राजनैतिक प्रश्न हैं उसको हम लाना चाहते हैं और जब यह मोशन मूव हो गया तो डिसकशन के तौर पर व्यक्तिगत सफाई दे सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे इजाजत आसन से मिल चुकी है।

श्री पी. के. चौधरी : मोशन मूव हो गया यह गलत है। एक सिल सिला दिया है। मोशन मूव नही हुआ। यह मेटर डिसकस नहीं हुआ। माननीय मन्त्री आज नहीं देना चाहे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is canvassing the ruling of the chair. This is highly objectionable.

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जहां तक नियम 127 का प्रश्न है इस पर मैंने कुछ नहीं कहा। जहां तक दूसरा प्रश्न है उस पर भी मेरी कोई राय नहीं है। माननीय मन्त्री इस प्रश्न को अन-कन्ट्रोवर्शियल नहीं जाने देना चाहते इसलिये मैं इजाजत देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान में जहां तक मुझे मालूम हुआ यह प्रश्न उठाया गया सदन में, राजस्थान सरकार में प्रोजेक्ट के लोगों ने जीप खरीदी और वे जो जीपें खरीदी व टूल्स एन्ड इम्पलीमेन्ट्स की तारीफ में आती है या नहीं और दूसरा यह कि जब खरीदी गयीं तो क्या जीपें बोर्डर में काम आई या नहीं यह प्रश्न उठाया गया।

मेरा निवेदन है कि जीप टूल्स और इम्प्लीमेन्ट्स की तारीफ में आती है। उस वक्त शुरू में जीपें नहीं खरीदी गई। हमेशा जब कभी जीप खरीदी जाती है रोड रॉलर, ट्रक्स मिक्शचर और जो सड़कों के बनाने में या सुपरविजन में काम में आती है वे सब टूल्स और इम्प्लीमेंट में काम में आते हैं और सरकार हमेशा खरीदती चली आ रही हैं। हमेशा उनको टूल्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स के नीचे काम में लेते हैं और वे उसको काम में लेते हैं। एग्जिक्युटिव इंजीनियर जब काम पर जाते हैं तो उनको जीप की जरूरत रहती है। बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर केजिलों में जहां बहुत रेतीली जमीन है और जहां कोई दूसरा सिंगल वील का कोई वीहिकल काम नहीं कर सकता, तो उनकी मांग रही कि जीप बगैर वे वहां जा नहीं सकते। इसलिए जब दूसरे रोड रॉलर आदि उपलब्ध कराये थे तो जीप भी खरीदी गई। उनको डिमांड लिखित रूप में आई उस पर हमने भारत सरकार से चर्चा की और उन्होंने कहा कि

(श्री मथुरादास माथुर)

ले सकते हो। इसलिए रास्ता निकाला गया।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने आपको अनुमति दी है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : आप स्वयं जानते हैं, समझते हैं और फिर भी प्रश्न करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने इस बात की अनुमति दी क्या ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : ट्रक भी खरीद सकते हैं और फोर व्हील ट्रक्स और जीप सरकार ने खुद ने खरीदी और ठेकेदारों को दी। उनको ट्रक दिए। ड्राइवर वे अपने रखें और गाड़ी का रोज का किराया देते रहें। इस पर इस प्रकार की शिकायत आई की बोर्डर रोड के लिए गाड़ी दी हुई है उसका सत्यानाश हो जावेगा क्योंकि आउट साइड प्रोजेक्ट एरिया के भी ठेकेदार उसको काम में लेते हैं। इसलिए जो किराया 60) रु. या 50) रु का है वह काफी नहीं था। इसलिए यह सोचा गया कि यह सिलसिला बन्द कर दिया जाना चाहिये और सोचकर भारत सरकार से इस बारे में चर्चा की गई कि 40 हजार के ट्रक का ये लोग सत्यानाश कर देंगे इसलिए ये ठेकेदारों को खुद को दे दिये जायं, वे खरीद लें, फोर वील ट्रक्स, रोड रोलर्स ट्रक जीपें वगैरह जो इस लिस्ट में आते हैं वे खरीद सकते हैं। उनको इजाजत दी गई। भारत सरकार के फंड में से वह चीजें खरीदने की इजाजत दे दी गई। 25 परसेन्ट उनसे एडवांस में जमा कर लिया गया, किसी को डिलीवरी दी जाती है, कोई भी इम्प्लीमेंट होता है उसका 25 परसेन्ट जमा कर लेते हैं, टोटल कीमत होती है उस पर इन्ट्रेस्ट लगाया जाता है, मय इन्ट्रेस्ट के सब रकम ठेकेदारों को अदा करनी पड़ती है। 25 परसेन्ट पहले दे देते हैं फिर हर महिने उनके रनिंग बिल्स होते हैं उनमें से काट लिया जाता है, लास्ट बिल का पेमेन्ट तभी होता है जबकि उन्होंने पूरा पैसा चुका दिया हो। ठेकेदार मिलते नहीं थे जो ठेकेदार आये उन्होंने मांग की कि हमें ये चीजें दीं जाय, जिस ठेकेदार ने ट्रक, जीप मांगें, रोड़ रोलर भी मांगे, ककरीट मिक्स्चर भी मांगे वह हमने, डिपार्टमेंट ने खरीदे हैं, भारत सरकार को रेट पर उनको सप्लाई किए गये, 25 परसेन्ट पहला इन्स्टालमेंट लिया गया। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है। टूल एण्ड इम्प्लीमेंट्स के नीचे जीपें खरीदी गई, हमारे आफीसर्स जीपें काम में लेते हैं, उस ही के नीचे आती हैं, आफीसर्स के लिए सुविधा थी ठेकेदारों के लिए यह सुविधा नहीं थी, उन्होंने दर्खवास्त दी कि हमें भी यह सुविधा दी जाय। कोई रियायत नहीं की गई है, उनके साथ, उनसे 25 परसेन्ट फर्स्ट इन्स्टालमेंट के रूप में लिया गया, सारा इन्स्ट्रेस्ट लिया हैं, कोई ज्यादा सहूलियत पर नहीं दी गई हैं, पूरा पैसा चुक जायगा तो फिर वह ठेकेदार की प्रोपर्टी है। तो यह जो कुछ किया गया है, बोर्डर रोड प्रोजेक्ट के इन्स्ट्रेस्ट में किया गया है, कोई रियायत नहीं की गई है, माननीय सदस्य किसी तरह लिक कर दे तो

(श्री मथुरादास माथुर)

उनकी मर्जी है। राजस्थान सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जो इन्ट्रेस्ट रेट है वह इन्ट्रेस्ट लिया गया है, मुझे पूरा याद नहीं 8 या 9 परसेंट क्या था वह इन्ट्रेस्ट राजस्थान सरकार को मिलता है, अमाउन्ट डूबने का कोई खतरा नहीं है, कन्स्ट्रक्शन आफ बोर्डर रोड्स को एक्स्पेडाइट करने के लिए किया गया है, ताकि जो डेट पूरा करने की रखी गई है उस समय में यह सारा काम पूरा हो सके।

श्री मकुटबिहारीलाल : क्या 880 हजार का नुकसान राजस्थान सरकार को नहीं हुआ ? अगर ठेकेदार ओपन मार्केट से खरीदते तो राज्य सरकार को 10 परसेन्ट सेल्स टैक्स आता, वह इस खरीद पर 880 हजार रुपया बनता है सेल्स टैक्स का ?

श्री मथुरादास माथुर : सेल्स टैक्स के सिलसिले में मैं इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही तो न सवाल है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे शोरोगुल)

श्री मथुरादास माथुर : मुझे इस वक्त याद नहीं, घबराने की बात नहीं है। सेल्स टैक्स अगर ड्यू है, लगना चाहिये तो अब भी लिया जा सकेगा। पर मुझे इस समय पता नहीं कि सेल्स टैक्स लिया गया या नहीं सेल्स टैक्स अगर ड्यू है और नहीं लिया गया है तो लिया जायगा, और उनको मंजूर होगा। इसके बारे में फेक्च्युअल पोजीशन क्या है, यह जानकारी करके बता दूंगा, नहीं लिया गया है तो बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने बहुत दबी जुबान में इस आरोप को तो स्वीकार किया है कि आज तक मशीनरी के नाम पर जीपें नहीं खरीदी जाती थीं।......

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने कहां कहा, मैंने तो कहा है कि टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में खरीदी जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्वीकार किया है कि सुपरवाइजरी वर्क के लिये खरीदी जाती थी, केवल अधिकारियों के कारण, सार्वजनिक निर्माण विभाग सुपरवाइजरी काम करता था उसके अपने लिये खरीद होती थी। रोड रोलर्स की बात कहें, मान सकते हैं, कंकरीट मिक्स्चर की बात कहें मान सकते हैं, ट्रक और ट्रेक्टर्स की बात कह सकते हैं, पर जीप का क्या उपयोग है। जीप के सम्बन्ध में यह कहा कि भारत सरकार को कहा कि सुपरवाइजरी वर्क के लिये जीप आवश्यक है तो जीपें मिलीं, उसके बाद जीपें लेकर कन्ट्रेक्टर्स को ट्रान्स्फर कर दीं, तो एक बात पूछना चाहता हूं, आप माहिर हैं, किस तारीख को ये जीपें ली गई, किस तारीख को ठेकेदारों को ट्रान्स्फर की गई, 25 परसेन्ट कब जमा हुआ, इससे सारी जानकारी मिल जायगी कि जीपें कब आईं,

(श्री भैरोंसिह)

कब कन्ट्रेक्टर्स को ट्रान्स्फर की गईं, 25 परसेन्ट कब जमा हुआ, इससे सारी चीज स्पष्ट हो जायगी। मन्त्री महोदय ने कहा कि 25 परसेंट रुपया एडवान्स लिया गया, किसी भी सामान के अगेन्स्ट में अरनेस्ट मनी माना गया है ? मशिनरी के अगेन्स्ट में एडवान्स माना है ?

कहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : आप पहले कह दें।

श्री भैरोंसिह : न भारत सरकार से अनुमति ली कि 88 लाख जो भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को टूल्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स की खरीद के लिये दिया गया है, उन 88 लाख में से जीपें खरीद कर कान्ट्रेक्टर्स को दी जायं और न राज्य सरकार के या सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों में अनुमति है कि खरीद कर लोगों को दिया जाय, किराये पर दिया जाय। नियम बदले नहीं हैं, जो सरकार ने आॅर्डर निकाला है, उससे किसी प्रकार का उनमें चेन्ज नहीं किया और आज तक किसी कान्ट्रेक्टर को इस बेसिस पर नहीं दिया गया, यह सारा मामला इलेक्शन के पहले हुआ है, केबिनेट ने किया है, इसका मुझे पता नहीं, मन्त्री महोदय ने अकेले ने निर्णय लिया है मुझे पता नहीं। पिछले वर्ष भी बॉर्डर रोड्स का कन्स्ट्रक्शन हुआ था, उसके लिये टूल्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स का प्रावधान रखा गया रोड रोलर्स खरीदे तब तो कन्ट्रेक्टर्स को नहीं दिया गया 1965-66 में खर्चा हुआ उसके अगेन्स्ट में कितनी मशिनरी कन्ट्रेक्टर्स को दी ? एक पैसे की नहीं दी। 1966-67 में दी गई तो साफ मालूम होता है कि आपके दिमाग में क्या चीज थी। आपके दिमाग में यदि यह चीज होती कि बॉर्डर रोड्स के वर्क को एक्सपीडाइट करने के लिये इस प्रकार को मशिनरी कान्ट्रेक्टर्स को प्रोवाइड करना है तो 1965-66 में भी कन्ट्रेक्टर्स को प्रोवाइड करते, पर 1965-66 में प्रोवाइड नहीं की। 1966-67 में करते हैं ऐसा करने के लिये रूल्स आपको अलाऊ नहीं करते, भारत सरकार को यह कह कर आपने रुपया लिया कि सुपरवाइजरी वर्क के लिये जीप्स लेते हैं पर कान्ट्रेक्टर्स के लिये जीपें ली जायं टूल्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स का नाम लिया जाय यह गलत है बेबुनियाद है इसलिये आज जो आराप लगाया है उसे फिर दोहराता हूं कि राष्ट्र के सम्बन्ध में, राष्ट्र की सुरक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो पैसा दिया उसका राजनैतिक स्तर पर राजस्थान सरकार ने उपयोग किया है।

श्री रामकिशन : प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री रामकिशन : उत्तर इकट्ठा ही दे देवें।

माननीय भैरोंसिहजी ने जैसा कि कहा जीपों की खरीद हुई, किस किस महिने में हुई, कितनी हुई, जिससे सब पता चल जायगा हमारा आरोप जीपें खरीदने तक ही सीमित नहीं है उससे पता चल जायगा कि परचेजेज किन किन महिनों में हुई हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाया उसको बहुत स्ट्रांग लेंग्वेज में रिफ्यूट करता हूं कि यह चुनावों....

श्री विजयसिंह रावत : चुनावों में काम में आई या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : बॉर्डर रोड्स की गाड़ियां अधिकांश लोगों के पास आंखों देखी हैं कांग्रेस का झण्डा लगा कर घूम रही थीं।

श्री मथुरादास माथुर : जरा सब्र रखिये, आपकी बात मैंने सुनी है, मैं रिफ्यूट करता हूं यह चार्ज निराधार है, जीपें इलेक्शन के लिये नहीं खरीदी गई। बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के लिये खरीदी गई। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं थी। आपने कहा कि टूल्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स में सुपरविजन के लिये खरीद सकते हैं तो मैंने कहा कि खरीद सकते हैं हम आज तक ट्रक खरीदते रहे हैं, किराये देने की प्रक्रिया थी तो मैंने कहा कि किराये पर दिया जाता था 60-70 रुपया रोज पर। 1965-66 में नाम मात्र का बॉर्डर रोड्स का वर्क हुआ था। सिर्फ बीकानेर और गंगानगर के इलाके में हुआ था, बाकी ज्यादा काम डैजर्ट एरिया में 1966-67 में हैं। उसके अंदर एग्जिक्युटिव इंजिनीयर को अगर सुपरवीजन के लिए पहुंचना चाहिए तो ठेकेदार को भी काम एग्जीक्यूट कराने के लिए बार्डर रोड्स पर पहुंचना उतना ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने दरखास्तें दी। तो उधर से उन्होने भी कहा कि हमको भी मिलनी चाहिए अगर एग्जिक्युटिव इंजीनियर को मिलती है। उसका पैसा मय व्याज वसूल किया जाता है क्योंकि उनके रनिंग बिल्स से काटा जाता है, अरनेस्ट मनी पर एडवांस लिया जाता है। ये सब बातें सोच समझ कर राज्य सरकार ने विचार करके प्रक्रिया को बदला। हो सकता है कि चुनाव के दिनों में विरोधी दल के नेता ने किसी ठेकेदार से जीप मांगी होगी लेकिन जीप उनके काम आई होगी, मेरे पास मिसाल मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : एक काम करिए, विरोधी दल इस शर्त पर आरोप स्वीकार करता है कि आप बताइए कि आपके काम में वे जीपें आई ?

श्री मथुरादास माथुर : यह एक आदमी का सवाल नहीं है। आज उन ठेकेदारों की जीप्स जो बोर्डर रोड्स पर हैं, इस तरह से दूसरे आदमी उद्योगपतियों से जीपें मांग कर चुनाव में लेते हैं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। यह तो ठेकेदार की मर्जी है कि अपनी जीप किसी को भी चुनाव में दे दे।

(शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्यूअरली ठेकेदार की वह प्रोपरटी थी, जिसको देना चाहे दें। राज्य सरकार ने ये जीपें बोर्डर रोड्स के अंदर रोड्स प्रोग्राम को एक्सपिडिशली एग्जीक्यूट करने के लिए ठेकेदार के निवेदन पर पूरा पैसा जितना जीपों पर लगना चाहिए, मय व्याज के वसूल किया।

(श्री मथरादास माथुर)

पहले किराया वसूल करने की प्रक्रिया थी उसको छोड़कर हमने यह प्रक्रिया अपना ली।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री विजय सिंह रावत : मंत्री महोदय ने यह तो मान लिया कि जीप्स, टूल्स एण्ड इम्पलीमेंट्स के अंदर आती हैं, और यह पी. डब्ल्यू. डी. के शिड्यूल के अंदर नहीं आता। दो बातें साबित हुईं। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि जीपें कौन कौन से साल में खरीदी गईं, कौन कौन सी तारीखों को ठेकेदार को ट्रांसफर कर दी गईं ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसी कोई जीपें नहीं आईं, न हमने यूज में ली हैं, हमें कत्तई मालूम नहीं है।

(शोरगुल, व्यवधान)

और अगर आई हैं तो आपने यूज की होगीं।

श्री भेरोंसिंह : माननीय सदस्य को पता नहीं है।

श्री रामकिशन : मंत्रीजी जान बूझ कर सवाल को टाल रहे हैं। वह कहते हैं कि ठेकेदार ने हमको दीं। हम कब इनकार करते हैं कि दी या नहीं दी। सवाल यह है कि राज्य कोष का पैसा लेकर सत्ता का दुरुपयोग किया और वह चुनाव के दिनों में आपने खरीदीं। ये तीन सवाल हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ये तीनों सवाल निराधार हैं, एक्सीडेंटली चुनाव आ गए।

(शोरगुल, व्यवधान)

अलग अलग डेट्स पर खरीदी हैं।

श्री रामकिशन : सवाल यह है कि 50 और 40 जीपें किस माह में खरीदीं इस बात को साफ बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : अगर इंडो-पाकिस्तान वार नहीं होती तो शायद बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट बनाने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भेरोंसिंह : तो आपको जीपें नहीं मिलतीं और कांग्रेस का बंटाधार होता।

श्री मथुरादास माथुर : 1962 में भी कांग्रेस जीती और 1952 में भी और 1967 में भी कांग्रेस जीती और आगे भी जीतेगी।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भेरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय यह मामला आपने एक बार शुरू कर दिया, तो जब तक संतोष न हो तब तक बोलने दें। यह राष्ट्रीय इश्यू है, छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इसका क्लैरीफिकेशन अभी नहीं आया, कोई क्लैरीफिकेशन नहीं दे सके। डाइरेक्ट सवाल मैंने पूछा है।

श्री मथुरादास माथुर : एक एक सवाल का जवाब दिया है।

श्री भैरोंसिंह : किसी का जवाब नहीं दिया।

श्री विजयसिंह रावत : कौनसी तारीख को खरीदी गई ?

श्री मथुरादास माथुर : अलग अलग ठेकेदारों के फैसले होने पर खरीदी गई।

श्री विजयसिंह रावत : आप टाल क्यों रहे हैं ?

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय झूंठ बोल रहे हैं।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(श्री विजय सिंह रावत के बोलने पर)

स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : यह झूंठ शब्द अन्पार्लियामेंटरी है।

श्री भैरोंसिंह : झूंठ की जगह असत्य मान लिया जाय।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : झूंठ की जगह असत्य समझें।

श्री विजयसिंह रावत : व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था नहीं होती है जब अध्यक्ष पैरों पर होता है। आर्डर ! आर्डर।

श्री विजयसिंह रावत : आसन तो बार बार खड़ा होता है, तो इसका मतलब हम नहीं बोलें ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : हम मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप हों या न हों। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पोइंट आफ एक्सप्लेनेशन था जो मैंने अलाउ किया। मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया, आपने कुछ प्रश्न पूछे, पुनः प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया और मेरे पास नियम 127 के तहत दो घंटे की चर्चा का एक और प्रस्ताव है। ऐसी हालत में मुझे उस पर भी निर्णय देना है और आपको यहां अभी मांगों को भी स्वीकार करना है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण हो चुका है, उनको संतोष होता है या नहीं। उस प्रश्न को अलग रखते हुए, क्योंकि आपने प्रश्न मेरे सम्मुख और रख दिया है, ऐसी हालत में इस प्रश्न को यहां न रखा जाय और मांगें रखनी चाहिए।

(शोरगुल, व्यवधान)

Page No. 190

श्री रामानंद अग्रवाल : On a Point of order, Sir.

श्री पी. के. चौधरी : I am on my legs.

श्री अध्यक्ष : It is only the Chair which is supposed to be on the legs.

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी जा चुकी है इस सदन में कि झूठ बोलना शब्द अन्पार्लियामेंटरी है । इसको एक्सपंज किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं सोच लेता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आपने रूलिंग दी वह तो शिरोधार्य है लेकिन...

श्री अध्यक्ष : लेकिन बीच में आ जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय से कई सवाल पूछे हैं, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसलिए आपके पास मौशन है आप इसको स्वीकार करेंगे इस उम्मीद के साथ हम बैठते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य, भवन और सड़कें (सयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय, 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय किये जाने के निमित राज्यपाल महोदय को 11,33,34,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल को 60,04,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

आर्डर र्ल्ज ।

सदन की कार्यवाही कल: प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7:41 पर शुक्रवार दिनांक 16-6-67 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट—१

(कृपया प्रश्न सख्या 520 का उत्तर देखिये)

स्टेटमेन्ट बसिलसिले विधान सभा प्रश्न सं.36।गृह०म० द्वारा श्री देवीदत्त गाड़िया एम० एल० ए०

नाम फरयादी तथा निवास स्थान ।	किस स्थान पर कितना माल डाका डाला गया ।	कितना माल लूटा गया ।	किस किस व्यक्ति को डाकू उठाकर ले गये । 1964	किस व्यक्ति की हत्या की गई ।	पकड़े गये व्यक्तियों में से किस किस को पुलिस ने जिदा-मुर्दा छुड़ाया
1	2	3	4	5	6
1–मूलचन्द पुत्र बिरघीलाल गूजर निवासी किरपुरया	ग्राम कौर परया छबड़ा क्षेत्र	400–00	....	....	....
2–जवाहर लाल अहीर नि०सहरोल टलेटी	ग्राम महरोल टलेटी	4802–87	....	....	....
3–अमरा पुत्र श्रवण नि० सोभागपुरा	ग्राम लक्ष्मीपुरा	808–00	....	....	....

1	2	3	4	5	6
4–हजारी लाल छीपा नि० जलवाड़ा	जंगल जलवाड़ा	149–00	....	....	....
5–सिवलाल नि० सनवाड़ा पुत्र कालू नि०	ग्राम सनवाड़ा	522–00	....	....	....
	1965				
1–श्री प्रभू पुत्रनि0 बौची पी. एस ,लाखाद	ग्राम बोची	2340–75	....	....	....
2–श्री रघुनाथ करार	ग्राम बसेरी एस. पी. शाहबाद	786–00	....	....	....
3–श्री लाल किराड नि० बेव	ग्राम पेन्टा पी. एस. शाहबाद	3466–00	....	....	....
4–श्री रघुनाथ पुत्र जबरा किराड़	ग्राम बन्जारी पी. एस. कस्वा थाना	1810–00	....	....	....
5–रामजीलाल पुत्र गनेशलाल सुनार नि० अकनपुरा	ग्राम अकनपुरा पी. एस. किशनगंज	—	श्याम स्वरूप पुत्र रामजीलाल	....	जिन्दा वापिस आया।

1	2	3	4	5	6
6–घासीलाल सेक्रेटरी ग्राम पंचायत केलवाड़ा	ग्राम केलवाड़ा पी. एस. घंवरगढ़	—	नन्दलाल तेली सावला सरपंच सोभागसिह कानि.	सोभागसिह कानि	नन्दलाल तेली जिंदा वापस आया
	1966				
1–श्री सुरजमल पुत्र रामलाल मीना सा० रामनगर	ग्राम रामनगर	3490-00	....	भंवरलाल पटेल	....
2–श्री मंगलसिह अहीर नि० हाडोपुरा गोयरा	गोयरा हाडोपुरा	974-00	....	....	....
3–माना अहीर नि० हाड़ोपुरा	—	246-00	....	....	....
4–के. एन. शर्मा एस. एच. ओ. पी. एस. तेदुआ (एम. पी.)	नाला ग्राम जरया की राव	—	....	छुट्टो पुत्र शिवलाल चौकीदार	....
5–सुवालाल पुत्र मुन्नीलाल महाजन नि० वाटन टोहरी	वाहन टोहरी	—	....	मनीराम को उठाकर ले गये ।	वापस आया

1	2	3	4	5	6
6–एस. एच. ओ. पोटरी एम. पी जरीए प्रभू किराद	ग्राम कुन्डा	—	....	देवीलाल पुत्र सरवत्या किरड़ को ले गये ।	एस. पी. पुलिस कैदविश देने अचानक छुटकर आगया
7–रामसिंह कानि० नं. 747	बीलखेड़ा		....	घांसिया पुत्र भीखा राम महाजन नि० भीलखेड़ा को ले गये ।	वापस आया ।
8–रामकृपाल एस. एच. ओ. शाहबाद ।	रायपुर शाहबाद	—	....	दलीचन्द महाजन को उठाकर ले गये	वापस आया ।
	1967				
1–जीतसिंह निवासी सूंडा	ग्राम सूंडा थाना भंवरगढ़	—	1 भंवरसिंह 2 गुरूवचनसिंह	....	दो बाद में वापस आये ।
2–श्री किशन दयाल नि० लक्ष्मीपुरा	ग्राम लक्ष्मीपुरा पी. एस. भंवरगढ	3020–00	1 मंगलदास	....	दोनों बाद में वापस आये ।
3–अमरा नि० खिया	ग्राम खिरिया	187–00	....	....	....

परिशिष्ट—३

(कृपया प्रश्न संख्या 532 का उत्तर देखिये)

मंत्रियों को दिये गये कार क्रय हेतु अग्रिम के बारे में सूचना

क्रम सं.	मंत्री/उप मंत्री का नाम	कार अग्रिम की स्वीकृत राशि	स्वीकृति की तिथि	कार अग्रिम की जमा धन राशि	शेष धन राशि (बकाया वसूली)	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1)	श्री हरिदेव जोशी, मंत्री	15 000	7–9–65	15,000	शून्य	
2)	श्री वृज सुन्दर शर्मा, मंत्री	10 000	27–11–65	3,360	6,640	
3)	श्री बालकृष्ण कौल, भूतपूर्व मंत्री	13,785	2–8–65	13,785	शून्य	
4)	श्री निरंजननाथ आचार्य भूतपूर्व मंत्री (वर्तमान में अध्यक्ष, विधान सभा)	20,000	2–8–65	13,404.50	6,595.50	
5)	श्रीमती कमला बेनीवाल भूतपूर्व उपमंत्री	15,000	2–8–65	15,000	शून्य	ब्याज के 1476 47 पैसे भी जमा

1	2	3	4	5	6	7
						दि० 26-4-67 को करा दिया गया ।
6)	श्रीमती प्रभा मिश्रा, भूतपूर्व, उपमंत्री	16,000	16-2-66	5,110.52	10,889.48	
7)	श्री अमृतलाल यादव, भूतपूर्व मंत्री	15,000	20-6-66	1 914	13,086	
8)	श्री कुम्भाराम आर्य, भूतपूर्व मंत्री	20 000	9-9-66	1,668	18,332	
9)	श्री घासीराम यादव, भूतपूर्व उपमंत्री	17 000	9-9-67	1,419	15,581	
10)	श्री भीखा भाई, भूतपूर्व मंत्री	15 000	26-9-66	1,565	13 435	
	योग:—	1,56,785		72,226.02	84 558.98	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या 5/3 का उत्तर देखिये)

विधान सभा प्रश्न संख्या 181।रा० मं० श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा ।

प्रश्न के खण्ड 1 से सम्बन्धित सूचना :—

वर्ष	कुल प्रार्थना पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत
सन् 1962	1849	866	983
,, 1963	1829	669	1160
,, 1964	544	70	474
,, 1965	1626	562	1064
,, 1966	866	166	700

प्रश्न के खण्ड 2 से सम्बन्धित सूचना :—

वर्ष	कुल आवंटित भूमि	अनुसूचित जाति वालों को आवंटित भूमि	अनुसूचित जन जाति वालों को आवंटित भूमि	प्रार्थना पत्र खारिज अनुसूचित जाति	प्रार्थना पत्र खारिज अनु० जन जाति
सन् 1962	4055	942	479	126	38
सन् 1963	3172	882	262	150	231
सन् 1964	327	89	87	111	34
सन् 1965	2635	925	325	237	131
सन् 1966	742	196	133	168	146

प्रश्न के खण्ड 3 से सम्बन्धित सूचना :—

वर्ष	संख्या व्यक्ति जिन्हें भूमि आवंटन की गई
1962	866
1963	669
1964	70
1965	562
1966	166
	2,333

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न सं० 527 का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम संख्या	पम्पिग स्टेशन का नाम	मेन्टीनेन्स खर्चा सन् 1966-67	सिचाई एकड़ों में 66-67
1.	हिण्डी	4748.00	49
2.	कुंडपुर	5790.00	107
3.	उमरदा	4538.00	49
4.	तुलसीया	3444.00	28
5.	अथरलिया	2266.00	35

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न सं० 529 का उत्तर देखिये)

औद्योगिक बस्ती पाली में निम्न लिखित उद्योग चालू हैं उनके विषय में चाही गई जानकारी निम्न प्रकार है :

उद्योग का नाम	उद्योग	आयातित वस्तु	आयातित लाइसेन्स जो 1965-66 में इनको मिला
1. भारत इन्जीनियर्स डी० 1	इन्जीनियरिंग वर्क्स शीट मेटल वर्क्स और लोह धातु	डाई स्टील ब्लॉक एलाय स्टील	नहीं
2. अग्रवाल आइस फैक्ट्री डी-2	बर्फ	नहीं	नहीं
3. चन्डक टैक्स टाइल डी० 3	सूती कपड़ा	नहीं	नहीं
4. कुमावत आइरन इ० डी० 5।7	रोलिंग शटर्स शीट मेटल वर्क्स कृषि औजार	स्टील स्प्रिंग वायर शी० आर० बी० पी० शीट	10000 10000
राज० आय० इन्ड०	तगारिया कृषि औजार फर्नीचर	नहीं	नहीं
	इटनिंग एजेन्ट	नहीं नहीं	नहीं नहीं

(ख)

पाली जिले में चालू उद्योग जिसमें आयातित वस्तुओं का कोटा मिलता है:—

सूची

		रुपयों में
1.	मैसर्स नबी बक्स हसन अली, पाली	10000
2.	मैसर्स मानमल पीलुलाल, पाली	7200
3.	मैसर्स अब्बास अली असगर अली, पाली	10800
4.	मैसर्स अकबर अली सलामत अली, पाली	2500
5.	मैसर्स के. एच. अमरुद्दीन रहीम बक्ष, पाली	3400
6.	मैसर्स सैयद शौकत अली अनवर अली, पाली	1500
7.	मैसर्स हिम्मतमल उम्मेदमल सांघी, पाली	2500
8	मैसर्स मुखतार अली निसार अहमद अली, पाली	11200
9.	मैसर्स दीदार बक्स बरकत अली, पाली	9940
10.	मैसर्स अनवर अली असगर अली, पाली	8500
11.	मैसर्स आसद अली मोहम्मद अली, पाली	4100
12	मैसर्स अब्बास अली याकूब अली, पाली	4150
13.	मैसर्स हाजी अकबर अली हसन अली, पाली	1650
14.	मैसर्स कान्तीलाल बाफना, पाली	1500
15.	मैसर्स एलाइड इन्डस्ट्रीज, पाली	2350
16.	मैसर्स विष्णु कलर मै. कम्पनी, पाली	5550
17.	मैसर्स राज० सुराणा पेपर बोर्ड मिल्स, पाली	1750
18.	मैसर्स राजस्थान स्टील इन्डस्ट्रीज पाली	1000

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न सं० 535 का उत्तर देखिये)

सूची जिन जिन पंचायतों के प्रस्ताव काश्त की भूमि को आबादी में परिवर्तन किये जाने हेतु उप जिलाधीशों के कार्यालय में विचाराधीन हैं।

नाम सब डिविजन	नाम ग्राम पंचायत	विचाराधीन रहने के कारण
सोजत	धाकड़ी खोखरा आऊवा रूपावास शिवपुरा मोंडा इदोड	तहसील सोजत में अकाल कार्य तथा गिरदावरी निरीक्षण को प्राथमिकता देने के कारण कुछ मामले बाकी रह गये हैं जिन्हे अब एक मह में निपटा देने की आशा है।
बाली	पादरली देसुरी, पिलोवनी सिवास, सालरिया दुदापुरा बडोद, बिरामी, लापोद, चानोद, पोमाबा, कोरटा वामसेरा	तहसील बाली में मिसलें हाल ही में पूर्ण होकर प्राप्त हुई हैं और इन मामलों को लगभग 1 माह में निपटा देने की आशा है।
पाली	गुन्दोज दूदली, सिणगारी मंडिया, मंडली खुर्द, कादरा मागेसर निबाड़ा, प्रतापगढ़, गडबाड़ा, कीरवा झीतड़ा	तहसील पाली में ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिनमें पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त करके इन्हे 2 माह में निपटा देने की आशा है।

शुद्धि – पत्र

(कार्य विवरण, गुरुवार, दिनांक 15 जून, 1967)

सफ्हा संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
2	अन्तिम से 3	क. म	काम
7	,, 9	प्रस्काइव्ड	प्रेस्काइव्ड
12	1	फे नक्तन	वे वक्तन
,,	अन्तिम से 4	दीगेद)	(दीगोद)
14	2	ल जाया	ले जाया
20	अन्तिम से 12	ड कू	डाकू
21	16	चके	चुके
25	15	चिकित्साल	चिकित्सालय
31	11	(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)	(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)
35	8	मुजतला	मुबतला
40	अन्तिम से 2 व 11	श्री मनफलसिंह	श्री मनफूलसिंह
43	4	श्री रामचन्द्र आय	श्री रामचन्द्र आर्य
46	15	(कृपया परिशिष्ट संख्या 4 देखिये)	(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)
57	अन्तिम से 9	कमचारी	कर्मचारी
59	,, 5	गय	गये
60	6	(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)	(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)
62	16	कह ी	कहनी
66	3	एतरज	एतराज
,,	17	अवात्त	आवाप्त
69	9	(कृपया परिशिष्ट सं. 5 देखिये)	(कृपया परिशिष्ट सं. 4 देखिये)
70	अन्तिम से 9	(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)	(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)
71	,, 9	कर्य	कार्य
73	6	आखरो	आखिरी
,,	10	(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)	(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)
76	6	को	की

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
78	2	में सूची	सूची में
79	अन्तिम से 7	जन्क	जिन्क
89	17	मननीय	माननीय
96	8	अना	आना
115	18	च हे	चाहे
,,	अन्तिम से 4	स	से
117	1	आदाी	आदमी
,,	अन्तिम से 3	मशक्कल	मशक्कत
118	1	**श्री दिग्विजयसह**	**श्री दिग्विजयसिंह**
120	18	ालगे	लगे
,,	21	हैता	देता
124	19	हिन्हुस्तान	हिन्दुस्तान
125	अन्तिम से 8	अन्तगत	अन्तर्गत
126	4	प्रतिनिघ	प्रतिनिधि
129	अन्तिम	—	को
139	19	कहां से	वहां से
146	4	ब त	बात
150	19	खसरना	खसरा
,,	अन्तिम से 6	ब द	बाद
,,	,, 4	करुने	करने
158	शीर्षक	घोषणा	वक्तव्य
160	4	rgaee	agree
,,	अन्तिम	वगर्नमेंट	गवर्नमेंट
161	,,	मुख्य शीर्षक	मुख्य शीर्षक 38–
163	4	व्याय्त असन्तोप	व्याप्त असन्तोष
164	अन्तिम से 10	जसमन्द	जयसमन्द
181	8	सार्धजनिक	सार्वजनिक
189	5–6	सावजनिक	सार्वजनिक
192	5	लखेरी	लाखेरी
,,	7	{पचपदरा	(पचपदरा)
194	8	सावजनिक	सार्वजनिक
,,	18	लीर्षक	शीर्षक

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
196	अन्तिम से 9	सावजनिक	सार्वजनिक
200	5	बाढ़ी	गाढ़ी
,,	19	संक्या	संख्या
,,	अन्तिम से 2	लोगों	लोगों को
201	6	राजनैतेक	राजनैतिक
,,	अन्तिम से 5	बचाई गई	बनाई गई
202	4	अवश्यक	आवश्यक
,,	9	ग्रोर	ग्रोर
203	15	दिखने	दिखाने
,,	अन्तिम से 9	अष्टचार	भ्रष्टाचार
,,	अन्तिम	कमिशन	कमीशन
204	1	,,	,,
,,	18	नेहां	वहां
206	3	हे	रहे
,,	5	छड़वाते	छुड़वाते
207	21	सरकर	सरकार
208	अन्तिम से 14	इन्जिनियो	इन्जिनियरों
214	,, 13	टेक्स	टैक्स
,,	10	मैं	में
215	10	क्राड	क्राइम
216	3	ठकेदार	ठेकेदारों
,,	5	क म	काम
,,	6	एसी	ऐसी
,	7	रुपयं	रुपये
217	9	पानी	पानी की
,	12	स	से
220	अन्तिम से 7	खत्तम	खतम
222	3	प	पर
223	अन्तिम से 6	बढ़ता	बढ़ती
,,	,, 1	इस	इसे

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
224	अन्तिम से 11	हागा	होगा
,,	,, 11	की	कि
239	, से 16	भूखे	भूखों
241	14	बनेगा	बनेगी
251	अन्तिम पंक्ति	अशो मनीद	अशोभनीय
255	अन्तिम से 14	लिने	लिए
270	13	से	तो
273	अन्तिम से 5	किया	की
273	,, 2	तुम	आप
275	अन्तिम से 11	जिसका	जिससे
279	16	नाना	नॉन
279	अन्तिम से 5	बाने निग	बार्गेनिंग
283	12	क्लेटिव	कलेक्टिव
286	अन्तिम से 2	डिग्री	डिक्री
287	2	,,	,,
290	अन्तिम से 13	रही	रहा
293	9	लिखगे	लिखने
298	17	रयल	रोयल
310	8	निववेदन	निवेदन
311	6	बीध	बीच
317	6	आहित	आहिस्ता
318	अन्तिम से 6	चबूगा	चलूंगा
330	15	गगसमेन	गैंग्समेन
336	अन्तिम पंक्ति	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
338	9	Hon. Speaker	श्री अध्यक्ष
341	16	दैनिक	सैनिक
344	17	मैक्सिय	मैक्सिमम
344	अन्तिम से 13	मोक्रसी	डेमोक्रेसी

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति सख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
348	15	संस्था में	संस्था के
351	अन्तिम से 14	मजडूरों	मजदूरों
355	6	रिलेशस	रिलेशन्स
358	अन्तिम से 5	कोशन	मोशन
385	शीर्षक	परिशिष्ट-3	परिशिष्ट 2
387	,,	परिशिष्ट-4	परिशिष्ट 3
389	,,	परिशिष्ट 5	परिशिष्ट 4
390	,,	परिशिष्ट 6	परिशिष्ट 5
392	,,	परिशिष्ट 7	परिशिष्ट 6